आज़ादी का अमृत महोत्सव

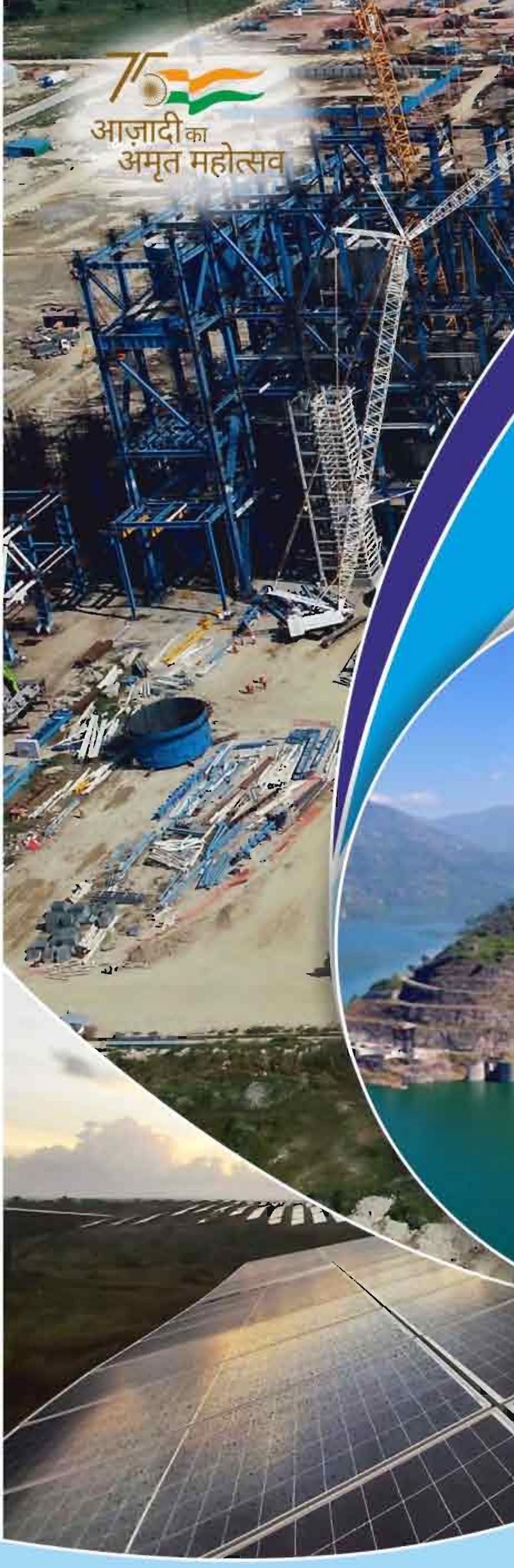

34वीं वार्षिक रिपोर्ट
34th ANNUAL REPORT
2021-22

विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता...
Generating Power...

समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता...
Transmitting Prosperity...

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

अभिदृष्टि : VISION :

- पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों की प्रतिबद्धता के साथ एक विश्वस्तरीय ऊर्जा इकाई स्थापित करना।
- A world class energy entity with commitment to environment and social values.

मिशन : MISION :

- ऊर्जा संसाधनों की दक्षतापूर्वक योजना बनाना, उनका विकास तथा प्रचालन करना।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकार करना।
- सीखने एवं नवोन्मेषीकरण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- पारस्परिक विश्वास द्वारा स्टेकहोल्डरों के साथ सतत मूल्य आधारित संबंध स्थापित करना।
- परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का मानवीय दृष्टिकोण से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन करना।
- To plan, develop and operate energy resources efficiently.
- To adopt state of the art technologies.
- To achieve performance excellence by fostering work ethos of learning and innovation.
- To build sustainable value based relationship with stakeholders through mutual trust.
- To undertake rehabilitation and resettlement of project affected persons with humane face.

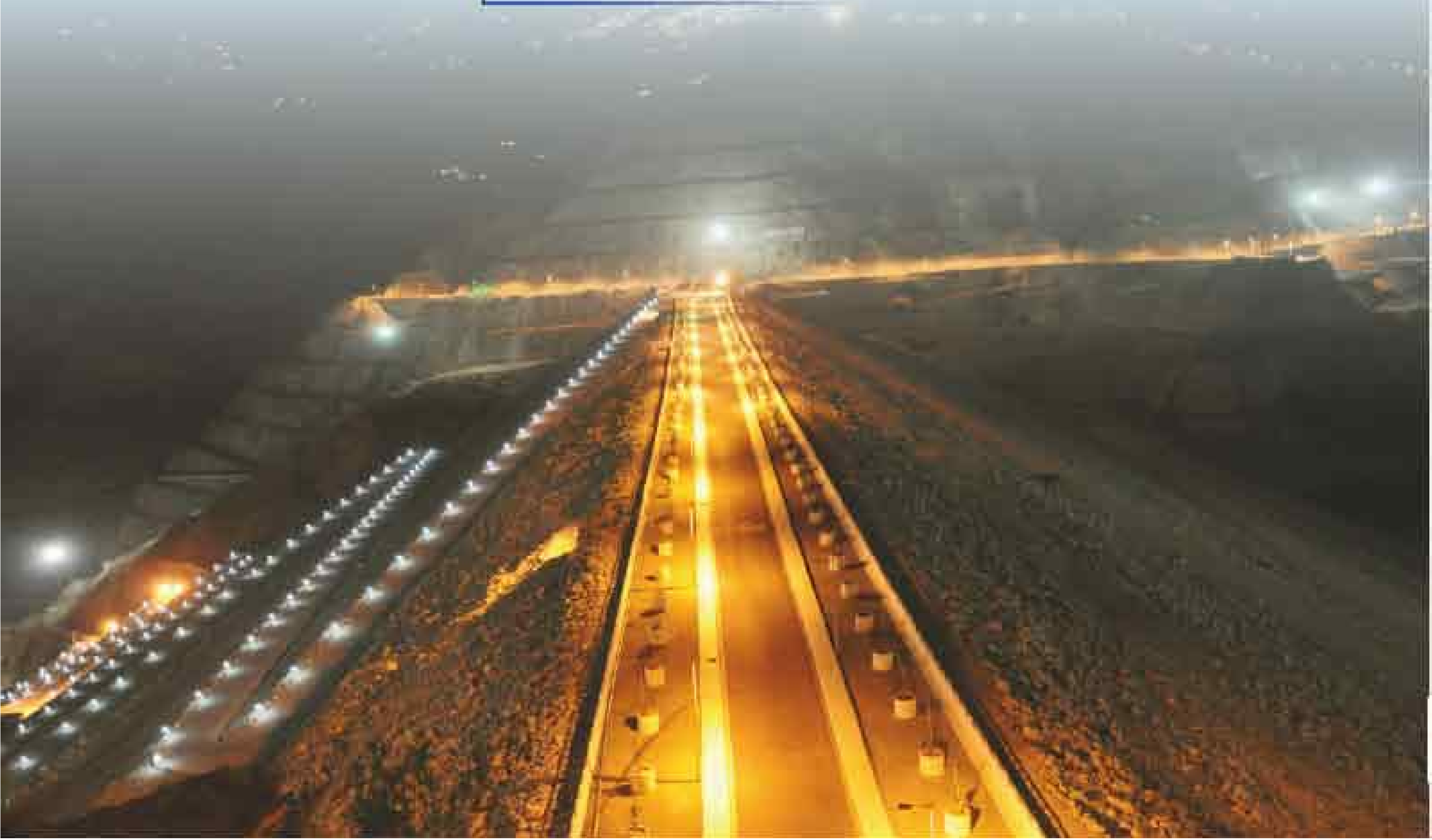

टिहरी हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट में विद्युत मंत्रालय की
परामर्शदात्री समिति की बैठक की झलकियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम सभा के दौरान कंपनी के
शेयरधारकों, निदेशकों एवं लेखापरीक्षकों का ग्रुप फोटोग्राफ

विषय सूची

कारपोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल 5
- कारपोरेट जानकारी 7
- परियोजना विवरण 8
- अध्यक्ष का अभिभाषण 9
- हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति 24
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं 26
- निदेशकों का संक्षिप्त विवरण 30
- व्यवसाय सततता रिपोर्ट–सतत रीति में पूंजी सृजन 2021–22 32
  - वित्तीय पूंजी 33
  - सामाजिक और संबंध पूंजी 35
  - प्राकृतिक पूंजी 37
  - बौद्धिक पूंजी 39
  - मूर्त पूंजी 40
  - मानव पूंजी 44

निदेशकों की रिपोर्ट 2021-22 और इसके अनुलग्नक

- निदेशकों की रिपोर्ट 2021–22 48
वार्षिक विवरणी लिंक
- कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) 71
  - सीईओ/सीएफओ प्रमाणन 86
  - कारपोरेट सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र 87
- कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–II) 88
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक–III) 101
- ऊर्जा संरक्षण के उपाय, प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुकूलन, समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय (अनुलग्नक–IV) 114
- व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–V) 122
- सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (अनुलग्नक–VI) 145

वित्तीय विवरण 2021-22

एकल (स्टैंडअलोन)

1. वित्तीय विवरण 2021–22 149
2. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 211
3. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर 222

समेकित

4. वित्तीय विवरण 2021–22 225
5. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 293
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर 299

कारपोरेट सिंहावलोकन

निदेशक मंडल

कारपोरेट जानकारी

प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं

परियोजना विवरण

अध्यक्ष का अभिभाषण

हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(06.08.2021 से)

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री जे. बेहेरा
निदेशक (वित्त)

नामित निदेशक

श्री जीतेश जॉन
आर्थिक सलाहकार,
विद्युत मंत्रालय

श्री अनिल गर्ग
प्रमुख सचिव (सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)
उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक (26.04.2022 से)

श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड

श्री जयकुमार श्रीनिवासन
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
(17.08.2022 से)

स्वतंत्र निदेशक

श्री जयप्रकाश नाईक बी.
स्वतंत्र निदेशक
10.11.2021 से

श्रीमती सजल झा
स्वतंत्र निदेशक
(10.11.2021)

श्री केसरीदेवसिंह डी झाला
स्वतंत्र निदेशक
28.03.2022 से

निदेशक मंडल - सेवानिवृत्त

श्री डी. वी. सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(30.04.2021 तक)

श्री राजपाल
वरिष्ठ सलाहकार,
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार के नामिती
निदेशक (30.04.2021 तक)

विजय गोयल
निदेशक (कार्मिक)
(31.10.2021 तक)

श्री टी. वेंकटेश
अपर मुख्य सचिव (सिंचाई, जल
संसाधन और अपशिष्ट भूमि विभाग)
उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक
(31.01.2022 तक)

श्री अनिल कुमार गौतम
नामिती निदेशक
एनटीपीसी लिमिटेड
(31.05.2022 तक)

कारपोरेट जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
सीआईएन : यू45203यूआर1988जीओआई009822
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309
वेबसाइट : www.thdc.co.in

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201
संपर्क नं. (0135) 2439309 एवं 2473403
ई–मेल: csrksh@thdc.co.in

कारपोरेट कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम
बाई–पास रोड, ऋषिकेश–249201
उत्तराखंड

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी,
प्लॉट नं. 31–32, फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, तेलंगाना
दूरभाष : +91–40–33211000
ई–मेल : venu.sp@kfintech.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एस.एन.कपूर एंड एसोसिएट्स
अजय सेठ, 1 मैत्री विहार,
हरिद्वार बाइपास रोड, देहरादून

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स के.जी.गोयल एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मेसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली
मेसर्स एस.सी.मोहन्ती एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली

डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
छठां तल, दि आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सेंटर,
प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400013

बांड सूचीबद्ध है:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज

डिपोजिटरी

सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.
पंजीकृत कार्यालय: मैराथन फ्यूचरेक्स,
25वां तल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल
(ईस्ट) मुम्बई–400013

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लि.
ट्रेड वर्ल्ड, ए–विंग, चौथा तल,
कमला मिल्स कंपाउंड,
सेनापति बापत मार्ग,
लोअर परेल, मुंबई – 400013

बैंकर्स/ वित्तीय संस्थाएं

1. पंजाब नेशनल बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
3. विश्व बैंक
4. जम्मू एंड कश्मीर बैंक
5. पावर फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6. आरईसी लिमिटेड
7. एक्सिस बैंक
8. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
9. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
10. बैंक ऑफ बड़ोदा

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि.)
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
आईसीआरए लिमिटेड

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मेसर्स पी.एस.आर. मूर्ति
178 आरपीएस फ्लैट्स, शेख सराय फेज–1,
नई दिल्ली–110017

परियोजना विवरण

टीएचडीसीआईएल की कार्यशील परियोजनाएं (1587 मेगावाट)	
जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी • उत्तराखंड में 400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी • उत्तर प्रदेश में 24 मेगावाट की ढुकवां लघु एचईपी
पवन विद्युत	• गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट की परियोजना • गुजरात के द्वारका में 63 मेगावाट की परियोजना
सौर विद्युत	• केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना
टीएचडीसीआईएल की निर्माणाधीन परियोजनाएं (2764 मेगावाट)	
जल विद्युत (1444 मेगावाट)	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी • उत्तराखंड में 444 मेगावाट की विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी
ताप विद्युत (1320 मेगावाट)	• उत्तर प्रदेश के खुर्जा में 1320 मेगावाट की एसटीपीपी • मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान परियोजना (खुर्जा एसटीपीपी परियोजना के लिए कोयला लिंकेज)
संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से सौर विद्युत पार्कों का विकास	
संयुक्त उद्यम के माध्यम से सौर पार्क (12000 मेगावाट)	• झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • ललितपुर में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • आरआरईसीएल के साथ 10000 मेगावाट के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अध्यक्ष का अभिभाषण

प्रिय अंशधारक गण,

31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट को आपके समक्ष रखना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे, वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष 2021–22 के लिए लेखा परीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

आपके सहृदय समर्थन के साथ, आपकी कंपनी लगातार मूल सिद्धांतों को सुदृढ़ कर रही है और यह तेजी से प्रगतिशील संगठन के रूप में अग्रसर है।

विकास दृष्टिकोण

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म संसाधनों से अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कुल उत्पादन क्षमता का 40% करने और कार्बन प्रवणता को कम करने का लक्ष्य रखा है। गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता के संबंध में प्रतिबद्धता को मुख्य रूप से सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं की संस्थापना से पूरा करना प्रस्तावित है। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट तथा वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा शामिल करने का लक्ष्य है। इतने बड़े पैमाने पर धीरे–धीरे सौर और पवन ऊर्जा को एकीकृत करने से ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार, जलविद्युत, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के पूरक के रूप में और ग्रिड को स्थिर/संतुलित करने में बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकती है। सरकार ने वर्ष 2030 तक 30,000 मेगावाट जल विद्युत (पंप भंडारण परियोजनाओं से लगभग 8,700 मेगावाट सहित) शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के अनुरूप, हमने वर्ष 2050 से पहले कार्बन तटस्थता हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ सतत भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण का विस्तार किया है। हम उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में अपने प्रयासों को उन्नत कर रहे हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अति विशाल नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए 15 अप्रैल 2022 को आरआरईसीएल (राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों को 'टीएचडीसीआईएल' और 'आरआरईसीएल' के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाएगा। लगभग 40,000 करोड़ के अनुमानित व्यय के साथ 10,000 मेगावाट के अति विशाल नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास को 5 वर्षों के भीतर पूरा करने की योजना है। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 17,000 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा।

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को अरूणाचल प्रदेश राज्य के साथ उपयुक्त विश्लेषण करने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने हेतु आगे की कार्रवाई करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के लोहित घाटी में 02 जलविद्युत परियोजनाएं (कलाई–II 1200 मेगावाट और डेमवे लोअर 1750 मेगावाट) आबंटित की हैं। टीएचडीसीआईएल ने इस पर अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके अलावा नवीकरणीय स्रोतों, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण प्रौद्योगिकियों से ऊर्जा उत्पादन की भावी संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से 5 वर्ष की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 3 दिसंबर, 2021 को टीएचडीसीआईएल और आईआरईडीए के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

हमें, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट के निर्माण का बेहतर अनुभव प्राप्त है और इसलिए आपकी कंपनी पंप स्टोरेज प्लांट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल विभिन्न राज्यों में पंप स्टोरेज प्लांट की संभावनाओं का भी पता लगा रही है।

स्वच्छ भविष्य के लिए, हमारा लक्ष्य हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाना और ईवी चार्जिंग स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण करना है। इसी के अनुरूप टीएचडीसीआईएल ने टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश, उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड के लिए एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। 1 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सोलर प्लांट से सौर ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइजर को दिन में संचालित किया जाएगा और पर्याप्त ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा और इसके बाद रात में यह ईंधन सेल के माध्यम से बिजली प्रदान करेगा। इस प्रायोगिक परियोजना के सफल कार्यान्वयन और संचालन से प्राप्त अनुभव का उपयोग वाणिज्यिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र के कार्यान्वयन में किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य निष्पादन विशेषताएं

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सतत प्रदर्शन किया है और अपनी सुदृढ़ अवसंरचना में सुधार किया है। यह हमें भविष्य में उद्देश्यों से अधिक की प्राप्ति करने के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है।

- टीएचडीसीआईएल टीम के प्रयासों से, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कैपेक्स का 118% जो कि 2730 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3231.51 करोड़ रुपए हैं, प्राप्त किया।

- ऊर्जा उत्पादन के अपने प्रमुख प्रचालन खंड में, सभी कार्यशील संयंत्रों ने असाधारण रूप से उत्तम प्रदर्शन किया। वर्ष 2021–22 के दौरान सभी संयंत्रों से प्राप्त कुल संचयी उत्पादन 4670.81 एमयू था। जो पिछले वर्ष अर्थात् 4565.38 एमयू से अधिक है।
- टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए क्रमशः 83.728% और 68.567% का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) हासिल किया गया, जबकि मानक आंकड़े क्रमशः 80% और 68% थे।
- टिहरी एचपीपी और केएचईपी के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अनिवार्य आउटेज क्रमशः 0.02% और 0.01% थे। अनिवार्य आउटेज से यह स्पष्ट है कि कोविड–19 महामारी के दौरान संयंत्र और उपकरणों की विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया गया।
- वर्ष 2021–22 के दौरान सकल बिक्री 1921.49 करोड़ रुपये है। निवल लाभ 896.92 करोड़ रुपए है। वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी की एमओयू रेटिंग 'बहुत अच्छी' होने की उम्मीद है।
- कंपनी ने प्रतिभूत कॉरपोरेट बॉन्ड सीरीज–VI के निर्गम, जिनकी कुल राशि 800 करोड़ रूपये और अवधि 10 वर्ष है, के जरिए सफलतापूर्वक निधियां जुटाई हैं। निर्गम को मूल निर्गमन राशि के लगभग 10 गुना पर ओवर–सब्सक्राइब किया गया। कंपनी को 800 करोड़ रुपये के कुल निर्गम राशि के सापेक्ष 2969 करोड़ रुपये की बोलियां मिलीं, जो कंपनी में निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।

चल रही परियोजनाएं

किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण इनपुट है। भारत के आर्थिक विकास को गति देने और हमारे सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए इसकी पर्याप्तता एक पूर्वापेक्षा है। विद्युत के बिना, हम अपने लोगों को उनके जीवन के आर्थिक आयाम में सशक्त नहीं बना सकते। यह जीवन की गुणवत्ता का एक प्रमुख निर्धारक है। टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2025 तक 4351 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की परिकल्पना की है।

टिहरी पीएसपी में, सभी मोर्चों पर कार्य कमीशनिंग के अग्रिम चरण में हैं। पहली इकाई के दिसंबर 2022 तक चालू होने की संभावना है।

परियोजना (वीपीएचईपी) के हित में विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बाद, परियोजना प्रगति पर है और पहली इकाई के अक्टूबर, 2024 तक चालू होने की संभावना है।

खुर्जा एसटीपीपी में, प्रमुख संयंत्र पैकेज पहले ही अवार्ड किए जा चुके हैं और सभी मोर्चों पर कार्य गति के साथ प्रगति पर है। पहली इकाई के फरवरी 2024 तक चालू होने की संभावना है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कार्य की वर्तमान प्रगति के अनुसार, खुर्जा में टीएचडीसीआईएल का कोयला आधारित विद्युत संयंत्र देश में अब तक कार्यान्वित सबसे तेज कोयला आधारित संयंत्र बनने जा रहा है। अमेलिया में, कोयला खनन करार (सीएमए) पर एमडीओ, मेसर्स बीसीएमएल और कंसोर्टियम के साथ दिनांक 30.08.2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेलिया कोयला खदान को खोलने की अनुमति सितम्बर 2022 में प्रत्याशित है।

आपकी कंपनी ने इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और टीएचडीसी को एक अधिक बहु–परियोजना संगठन में कायाकल्प करने के लिए बहुत–सी नई पहलें की हैं। आपकी कंपनी ने अपने मूल सिद्धांतों को और सुदृढ़ किया और टीएचडीसी को ''सतत एकीकृत ऊर्जा कंपनी'' बनाने हेतु ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। विगत वर्ष में, आपकी कंपनी ने अपने कार्यान्वयन में सुधार किया, सौर परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किए, क्षमता वृद्धि जारी रखी और पूंजीगत व्यय लक्ष्यों को पूरा किया।

आगे का रास्ता

टीएचडीसीआईएल ने अन्य ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला चालित विद्युत और अब कार्बन कैप्चर और हाइड्रोजन स्टोरेज जैसी नई तकनीकों में प्रवेश किया है।

टीएचडीसीआईएल में नई उभरती लागत प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2X660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे फ्ल्यू गैसों से अधिकांश कार्बन–आधारित उत्सर्जन (कॉर्बन डाइ ऑक्साइड, मीथेन आदि) का शमन करने में मदद मिलेगी।

आर्द्र चूना चालित ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आधार पर खुर्जा में फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है, ताकि बॉयलर में प्रदीप्त कोयले से निकलने वाली फ्ल्यू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट सीमा से काफी नीचे तक कम किया जा सके।

अगले 10 वर्षों तक भारतीय विद्युत बाजार में हरित ऊर्जा का प्रभुत्व रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट हरित ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और टीएचडीसीआईएल इस लक्ष्य को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने 2000 मेगावाट के सौर संयंत्र विकसित करना शुरू कर दिया है। कंपनी ने राजस्थान में 10000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगले 3 वर्षों में, टीएचडीसीआईएल ने 25000 मेगावाट हरित ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अगले 2 वर्षों में 6000 मेगावाट जलविद्युत की परियोजनाएं शुरू किए जाने की उम्मीद है।

टीएचडीसीआईएल, देश का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा संसाधन बनने का प्रयास करता है, जिसमें न केवल हरित बिजली उत्पादन क्षमता होगी बल्कि विशाल भंडारण क्षमता भी होगी। टीएचडीसीआईएल ने माना है कि अति प्रतिस्पर्धी विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक ऐसे युग से, जहां हम अधिकांशतः कोयला चालित या जेट–फायर चालित विद्युत संयंत्रों का उपयोग कर रहे थे, हरित ऊर्जा के प्रभुत्व वाले युग में अवस्थांतर के दौरान अपने अस्तित्व को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र में बाह्य प्रतिभा को बनाए रखना भी एक चुनौती है।

सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रणाली

आपकी कंपनी ने कंपनी प्रायोजित सोसायटी 'सेवा–टीएचडीसी' के माध्यम से कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की दिशा में व्यापक गतिविधियां जारी रखीं। टीएचडीसीआईएल का प्रचालन क्षेत्र काफी बड़ा है और कंपनी की अनिवार्य सीएसआर निधियां, हितधारकों की बुनियादी अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए, आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार विभागों/एजेंसियों के साथ साझेदारी परियोजनाएं भी निष्पादित की हैं और लक्षित समुदायों के जीवन में समग्र और सतत सुधार के लिए कृषि, बागवानी, वाटरशेड विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों आदि में उपलब्ध 2.35 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त धनराशि सफलतापूर्वक जुटाई है।

आपकी कंपनी ने, हरिद्वार जिले में उत्तराखंड के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करके जीवाश्म ईंधन पर निर्भर वाहनों द्वारा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण होने वाली जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का शमन करने में एक अग्रणी कदम उठाया है। पर्यावरण और पादप भूमि की रक्षा के उपरोक्त आशय के क्रम में, खाना पकाने की आवश्यकता के लिए वन ईंधन पर निर्भरता को हतोत्साहित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के ग्रामीणों को इंडक्शन स्टोव और कुकवेयर वितरित किए गए।

टीएचडीसीआईएल कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ने और अन्य कल्याणकारी पहलों में भी केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। आपकी कंपनी ने 2021–22 के सीएसआर बजट से पीएम केयर फंड में 4.05 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों ने खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, आदि के वितरण द्वारा ऋषिकेश और परियोजनाओं के आस–पास के इलाकों में सुरक्षा और राहत कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

कोविड–19 महामारी के बावजूद, आपकी कंपनी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुचारू रूप से अग्रसर है। महामारी की दूसरी लहर का जीवन, आजीविका और व्यवसायों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोरोनावायरस महामारी ने पूरी मानवता को चुनौती दी है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और आरोग्य को ध्यान में रखते हुए, हमने सभी सावधानियों/उपचारात्मक उपायों को सुनिश्चित किया है और कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था भी की है। हमने राज्य सरकारों की स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी भी मदद की है। यहां तक कि जब बहुत–से कर्मचारी वायरस से प्रभावित हुए थे, तब भी आपकी कंपनी ने देश की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है।

ऐसे कठिन समय में कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और हितधारकों के सहयोग से कंपनी का विकास सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

टीएचडीसीआईएल ग्राहकों, व्यापार भागीदारों और अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ–साथ कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करते हुए जैसे कि रिमोट कार्य के कार्यान्वयन और उत्पादन, निर्माण और सेवा से संबंधित विभागों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए, हम लोगों के जीवन को बचाते हुए, बिजली की स्थिर आपूर्ति प्रदान करने, सेवाएं प्रदान करने और हमारे ग्राहकों का समर्थन करने के लिए एक निगम के रूप में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने हेतु आवश्यक व्यवसाय जारी रखेंगे।

उपरोक्त के अलावा, टीएचडीसीआईएल ने अक्टूबर 2021 माह के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई अभूतपूर्व वर्षा के दौरान नष्ट हुई अवसंरचना के पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा और प्रबंधन प्राधिकरण को सीएसआर निधि का अंशदान करके उत्तराखंड राज्य सरकार का भी सहयोग किया है।

कारपोरेट सुशासन परिपाटियां

कॉरपोरेट सुशासन के संबंध में आपकी कंपनी का दृष्टिकोण सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समानता, पारदर्शिता, जवाबदेही और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के सिद्धांतों पर आधारित है। आपकी कंपनी सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियों को लागू करके, शुद्ध अंतकरण से कानूनों का अनुपालन और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करके उच्चतम कॉर्पोरेट सुशासन मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी की कॉरपोरेट सुशासन संरचना योजनाओं के समय पर, कार्यान्वयन और पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ–साथ हितधारकों के हितों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करती है जिससे व्यावसायिक नैतिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके।

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में विशेषज्ञता, विविधता और स्वतंत्रता वाले पेशेवरों का इष्टतम संयोजन शामिल है। मिशन कथन द्वारा निर्देशित आपका बोर्ड, संसाधनों का लाभ उठाने, उचित सशक्तिकरण और प्रेरणा के माध्यम से अवसरों को उपलब्धियों में परिवर्तित करने, कंपनी के सटीक विकास और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करता है और नूतन दृष्टिकोण अपनाता है। कंपनी और उसके निदेशक मंडल का दृढ़ विश्वास है कि स्थायी आधार पर मूल्य निर्माण के लिए सुदृढ़ सुशासन पहली प्राथमिकता है। उत्तम कॉरपोरेट सुशासन परिपाटियों ने कंपनी को बाह्य वित्त तक बेहतर पहुंच, कम ब्याज दरों, बेहतर प्रदर्शन और कानूनों और विनियमों के अनुपालन में सक्षम बनाया है।

टीएचडीसीआईएल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी को 'कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों' के अनुपालन के लिए लगातार ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त होती रही है।

कंपनी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और व्यावसायिक नैतिकता, सत्यनिष्ठा, अखंडता और नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, बोर्ड ने कर्मचारियों और निदेशकों और हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के लिए अवैध या अनैतिक प्रथाओं के बारे में अपनी चिंताओं को स्वतंत्र रूप से संप्रेषित करने के लिए 'सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति' अपनाकर एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है।

निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए, आपकी कंपनी सेबी की वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, स्कोर्स का उपयोग करती है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को किसी निवेशक की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रतिबद्धता - आत्मनिर्भर भारत

भारत सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया है। इस अभियान के तहत, भारत में रोजगार और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए आयात के स्थान पर भारत में बने उत्पादों का उपयोग करने की अवधारणा पर बल दिया गया है। अन्य सरकारी विभागों के साथ विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो देश के भीतर विभिन्न अवसंरचना विकास गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहे हैं, उच्च मूल्य वाले विभिन्न उत्पादों के प्रमुख उपभोक्ता हैं और इस प्रकार, ये निजी क्षेत्र /आगामी एमएसएमई के सहयोग से इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

टीएचडीसीआईएल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद बढ़ाने के लिए सरकार की पहलों जैसे खरीद में एमएसई को छूट प्रदान करना, मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट अनिवार्य वस्तुओं की केवल एमएसई से खरीद, भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति का अनुपालन आदि के अनुरूप प्रयास कर रही है।

बढ़ते क्षितिज : भविष्य में टीएचडीसीआईएल

जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी है, इस वित्तीय वर्ष में बिजली की मांग बढ़ने की उम्मीद है। जिन निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने में देरी हुई, मुझे विश्वास है कि हमारी कंपनी का समर्पित और अनुभवी कर्मचारी–बल उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा।

आपकी कंपनी उत्तराखंड के साथ–साथ देश के अन्य जल–समृद्ध राज्यों में अधिक जलविद्युत परियोजनाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से केंद्रित है। परिवर्तनशील विद्युत परिदृश्य में कंपनी के सतत आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रमुख एजेंडे में हैं।

20 सितंबर, 2022 को आयोजित 34वीं वार्षिक आम सभा में टीएचडीसीआईएल-निदेशक मंडल

ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का भविष्य होने की उम्मीद है और "ग्रीन हाइड्रोजन" का प्रसार विश्व भर में बढ़ रहा है। आपकी कंपनी का मानना है कि ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान पर काबिज होने जा रही है। तदनुसार, आपकी कंपनी हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अनुसंधान और विकास शुरू करने की भी योजना बना रही है।

हमने मजबूत पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन प्रथाओं को अपनाया है तथा पर्यावरण और समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहते हैं। हम अपने उद्देश्यपूर्ण सीएसआर सहकार्यों और पहलों के माध्यम से पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील, मूल्य आधारित और सशक्त समाज के निर्माण को बढ़ावा देना जारी रखते हैं। आपके प्रबंधन की सर्वोच्च प्राथमिकता योजनागत समय के भीतर निर्माणाधीन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ इसके अधीन परियोजनाओं को निष्पादित करना होगा।

वर्ष 2025 तक 4300 मेगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता और वर्ष 2030 तक 6000 मेगावाट संस्थापित क्षमता प्राप्त करने की हमारी अभिलाषित धारणा को पूरा करने के लिए योजना के एक भाग के रूप में, प्रबंधन ने अति महत्वाकांक्षी कार्यनीति तैयार की है जिसमें विकास के जैविक और अजैविक दोनों मॉडल शामिल हैं।

कार्यशील संयंत्रों और अन्य चालू परियोजनाओं की स्थिति को निदेशकों की रिपोर्ट में व्यापक रूप से शामिल किया गया है और इसलिए, मैं केवल यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 1587 मेगावाट की संयुक्त स्थापित क्षमता वाले कार्यशील संयंत्रों के अलावा, अन्य परियोजनाएं जैसे उत्तराखंड में टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी, उत्तर प्रदेश में खुर्जा एसटीपीपी; कुल 2764 मेगावाट तक की क्षमता निर्माण के उन्नत चरणों में है।

आभार

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं, हमारे प्रयासों में बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एनटीपीसी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

कंपनी के प्रदर्शन में सुधार के लिए बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के बहुमूल्य योगदान और सुझावों के लिए मैं विशेष धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विशेष रूप से टीएचडीसी की पूरी टीम के प्रयासों और समर्पण के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने कंपनी को विद्युत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था बनाने के लिए अथक कार्य किया है।

आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

शुभकामनाओं सहित,

ह0/—
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08534217

दिनांकः 20.09.2022
स्थानः नई दिल्ली

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
CIN: U45203UR1988GOI009822

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

दिनांकः 20.09.2022

सूचना

एततद्वारा यह **सूचना** दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को अपराह्न 12:30 बजे टीएचडीसीआईएल, नई दिल्ली कार्यालय में की जानी निर्धारित हुई है:

सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरण, उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।**

   ''संकल्प लिया जाना है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन और समेकित वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और कारपोरेशन की लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाए।

2. **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।**

   ''संकल्प लिया जाना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मैसर्स एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, सी/ओ अजय सेठ, 1 मैत्री विहार, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून–248001 का पारिश्रमिक निम्नानुसार निर्धारित किया जाए:

   i) सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क रुपये 13,10,000/– (तेरह लाख दस हजार रुपये मात्र)।

   ii) तिमाही खातों की समीक्षा, कर लेखापरीक्षा, अन्य सांविधिक प्रमाण पत्र आदि के लिए शुल्क सहित अन्य सभी कार्यों के लिए पारिश्रमिक सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए संदेय शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए।

   iii) टीए/डीए और छिट–पुट व्यय को मौजूदा शर्तों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

   iv) यथादेय जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।''

3. **अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और वर्ष 2021-22 के लिए बोर्ड द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश घोषित करना।**

   ''इक्विटी शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयरों पर वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 197.94 करोड़ रूपये के अंतिम लाभांश को **अनुमोदित करने का संकल्प लिया जाना है**''

   ''इक्विटी शेयरधारकों, अर्थात् एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 317.6 करोड़ रूपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान की **पुष्टि करने का संकल्प लिया जाना है**''

विशेष व्यवसाय

4. **डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएनः 09423574) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करनाः**

"**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएनः 09423574), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10 नवंबर, 2021 के आदेश संख्या 14–37/43/2021–एचआई (259063) के माध्यम से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

5. **श्रीमती सजल झा (डीआईएनः 09402663) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करनाः**

"**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्रीमती सजल झा (डीआईएनः09402663), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10 नवंबर, 2021 के आदेश संख्या 14–37/43/2021–एचआई (259063) के माध्यम से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

6. **श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला (डीआईएनः 09101303) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करनाः:**

"**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला (डीआईएनः09101303), जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के दिनांक 28 मार्च, 2022 के आदेश संख्या 14–37/43/2021–एचआई (259063) के माध्यम से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

7. **श्री अनिल गर्ग (डीआईएनः 00768222) को कंपनी के अंशकालिक निदेशक (उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करनाः**

"**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री अनिल गर्ग (डीआईएनः00768222), जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के आदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

8. **श्री जयकुमार श्रीनिवासन (डीआईएनः 01220828) को कंपनी में एनटीपीसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, पारित करनाः**

"**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149,152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री जयकुमार श्रीनिवासन (डीआईएनः01220828), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त, 2022 के आदेश संख्या 14–7/14/2020–एचआई(252539) के माध्यम से एनटीपीसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी में एनटीपीसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए।

9. **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में और यदि उचित समझा जाए, एक साधारण प्रस्ताव के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या उसके बिना पारित करने पर विचार करनाः**

''यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 और अन्य लागू उपबंधों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के उपबंधों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, निदेशक मंडल की 226वीं बैठक में यथाअनुमोदित, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नुसार **अभिपुष्टि करने का संकल्प लिया जाना है**:–

क्र. सं.	(लेखापरीक्षक का नाम मैसर्स)	शुल्क
01	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में आर. एम. बंसल एंड क. कोस्ट अकाउंटेंट्स	75,000/– रुपये और लागू कर
02	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कोटेश्वर एचईपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	75,000/– रुपये और लागू कर
03	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लागत लेखा परीक्षक के रूप में रामनाथ अय्यर एंड कं., कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	70,000/– रुपये और लागू कर
04	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ढुकवां एसएचपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में संजय गुप्ता एसो. सिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	40,000/– रुपये और लागू कर
05	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र के लागत लेखा परीक्षक के रूप में धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पूणे	40,000/– रुपये और लागू कर
06	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में आर जे गोयल एंड क. कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली–110034	75,000/– रुपये और लागू कर

उपरोक्त के अलावा, यथालागू जीएसटी देय है और यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति ईओआई के अनुसार की जाएगी।

10. निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रुपये तक के कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गत करने की मंजूरी देना, जिन्हें उपयुक्त किश्तों में जारी किया जाएगा और इस संबंध में विचार करने के लिए और यदि उचित समझा जाए, तो एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पों को संशोधनों के साथ या बिना पारित करना:

''**संकल्प लिया जाना है कि** कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक उपबंध (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत कॉर्पोरेट बांड जारी करने के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाना है कि बोर्ड को समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, उनको पूरा करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाए।

टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

ह0/–
रश्मि शर्मा
(कंपनी सचिव)
एम–8266098898

सेवा में :

- टीएचडीसीआईएल के सभी शेयरधारक
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखापरीक्षक – मेसर्स एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार
- सचिवीय लेखापरीक्षक–मैसर्स पीएसआर मूर्ति
- डिबेंजर ट्रस्टी–विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

प्रॉक्सी फार्म

कंपनी का नामः टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : भागीरथी भवन (टॉप टैरेस), भागीरथीपुरम, टिहरी (गढ़वाल) 249001, उत्तराखंड

सदस्य का नाम		
पंजीकृत पता		
ई-मेल		

मैं,...टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सदस्य होने के नाते, 20 सितम्बर, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी की 34वीं वार्षिक आम बैठक और इसके किसी स्थगन के संबंध में नीचे उल्लिखित निम्नलिखित संकल्पों में भाग लेने और मतदान करने के लिए .... के श्री .... को (उपस्थित न हो पाने की दशा में)................................ के श्री .... को एतदद्वारा अपने प्रॉक्सी के रूप ....में नियुक्त करता हूँ।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, उन पर विचार करने और उन्हें अंगीकृत करने के लिए।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए सांवधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने।

3. बोर्ड की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2021–22 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि और अंतिम लाभांश की घोषणा की पुष्टि के लिए।

विशेष कार्य

4. डॉ. जय प्रकाश नाइक बी. (डीआईएनः9423574) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।

5. श्रीमती सजल झा (डीआईएनः 09402663) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना।

6. श्री केसरी देव सिंह दिग्विजय सिंह झाला (डीआईएनः 09101303) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना

7. श्री अनिल गर्ग (डीआईएनः 00768222) को कंपनी का अंशकालिक निदेशक (उ.प्र. सरकार के नामिती निदेशक) नियुक्त करना

8. श्री जय कुमार श्रीनिवासन (डीआईएनः 01220828) को एनटीपीसी लिमिटेड का नामिती निदेशक नियुक्त करना

9. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि करना

10. उचित समयांतराल पर प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर 3000 करोड़ रु. के कारपोरेट बांड जारी करने का अनुमोदन करना

मैंने दिनांक .... 2022 को साक्षी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए।

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉ्र्म के प्रभावी होने के लिए, इसे बैठक के आरम्भ होने से पहले कम–से–कम 48 घंटे पूर्व विधिवत भरा जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष कार्य के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके साथ संलग्न है।
2. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कंपनी की वेबसाइट **www.thdc.co.in** पर भी उपलब्ध होगी।
3. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रभावी होने के लिए, विधिवत पूर्ण किए गए प्रॉक्सी फॉर्म को वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम–से–कम कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
4. कंपनी की बैठक में या उसमें पेश किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान देने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी के कार्य–समय के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कंपनी को निरीक्षण करने के आशय के लिए कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।
5. निदेशक मंडल ने 14 फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निवल मूल्य (नेटवर्थ) के 4% के 80% अंतरिम लाभांश अर्थात् 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 9917.43 करोड़ रुपये के निवल मूल्य (नेटवर्थ) का 3.2% अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी जो 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयर धारकों को 317.36 करोड़ रुपये के बराबर है।
6. सभी स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, डिपॉजिटरी अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दोनों को वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया गया था।
7. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।

टिहरी एचपीपी विद्युत गृह

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में दिए गए विशेष कार्यों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट किया गया हैः

मद संख्या 4 :
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. (डीआईएन:09423574) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

डॉ. जयप्रकाश नाइक बी. (डीआईएनः 09423574), को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 10 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 14—37/43/2021—एचआई (259063) के तहत, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

डॉ जयप्रकाश नाईक बी. ने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से कृषि विज्ञान में पीएचडी पूरी की है। उन्होंने इस आशय का एक घोषणापत्र दिया है कि वे कंपनी (नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

डॉ जयप्रकाश नाईक बी. को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, तक प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माने जाने के सिवाय, उन्हें छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से संकल्प में वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 5 :
श्रीमती सजल झा (डीआईएन:09402663) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए।

श्रीमती सजल झा (डीआईएनः 09402663), को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से दिनांक 10 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 14—37/43/2021—एचआई (259063) के तहत, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्रीमती सजल झा मगध विश्वविद्यालय, बिहार से विधि स्नातक हैं। उन्होंने इस आशय का एक घोषणापत्र दिया है कि वे कंपनी (नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं।

श्रीमती सजल झा को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, तक प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माने जाने के सिवाय, उन्हें छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से संकल्प में वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 6 :
श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला (डीआईएन:09101303) को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला (डीआईएन:09101303), को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से 28 मार्च, 2022 के आदेश संख्या 14—37/43/2021—एचआई (259063) के तहत, उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड यॉर्कशायर, यूके से पर्यटन और अवकाश प्रबंधन में स्नातक हैं। उन्होंने इस आशय का एक घोषणापत्र दिया है कि वे कंपनी (नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, तक प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माने जाने के सिवाय, उन्हें छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से संकल्प में वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 7:
श्री अनिल गर्ग (डीआईएन:00768222) को कंपनी के अंशकालिक निदेशक (उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक) के रूप में नियुक्त करना।

श्री अनिल गर्ग (डीआईएन:00768222), को उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के आदेश के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री अनिल गर्ग 1996 भारतीय प्रशासनिक सेवा से हैं। उन्होंने थापर विश्वविद्यालय, पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में स्नातक और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली से एलएलएम किया है।

श्री अनिल गर्ग को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, तक प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माने जाने के सिवाय, उन्हें छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से संकल्प में वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 8:

श्री जयकुमार श्रीनिवासन (डीआईएन:01220828) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

श्री जयकुमार श्रीनिवासन (डीआईएनः 01220828), को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 17 अगस्त, 2022 के आदेश संख्या 14–7/14/2020–एचआई (252539) के तहत एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री जयकुमार श्रीनिवासन वाणिज्य स्नातक और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक एसोशिएट मेम्बर हैं।

श्री जयकुमार श्रीनिवासन को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा, यदि कोई हो, तक प्रस्तावित संकल्प से संबंधित या हितबद्ध माने जाने के सिवाय, उन्हें छोड़कर कोई भी निदेशक, कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, किसी भी तरह से संकल्प में वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 9:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन 10 अगस्त, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की 226वीं बैठक में बोर्ड द्वारा किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा और तदोपरांत, शेयरधारकों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जाएगी।

लेखापरीक्षा समिति ने दिनांक 10 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी 86वीं बैठक में, बोर्ड और तदोपरांत शेयरधारकों से अनुमोदन हेतु, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा की। कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी 226वीं बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने की सिफारिश की है। निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को उक्त प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

बोर्ड ने लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार अनुशंसित किया है:

क. सं.	लागत लेखा परीक्षक का नाम (मैसर्स)	प्रस्तावित यूनिट, जिसकी लेखा परीक्षा की जानी है / भूमिका	शुल्क
01	आर. एम. बंसल एंड क., कोस्ट अकाउंटेंट्स, कानपुर	टिहरी एचपीपी	75,000/– रुपए और कर एवं यात्रा व्यय
02	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	कोटेश्वर एचईपी	75,000/– रुपए और कर एवं यात्रा व्यय
03	रामनाथ अय्यर एंड क., कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	पवन ऊर्जा परियोजनाएं	70,000/– रुपए और कर एवं यात्रा व्यय
04	संजय गुप्ता एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	ढुकवां एसएचपी	40,000/– रुपए और कर एवं यात्रा व्यय
05	धनंजन वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे	सौर ऊर्जा संयंत्र	40,000/– रुपए और कर एवं यात्रा व्यय
06	आर. जे. गोयल एंड क., कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली–110034	सभी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों को समेकित करने के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षक	75,000/– रुपए और कर एवं यात्रा व्यय

वर्ष 2020–23 के लिए सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों को समेकित करने और समेकित लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मैसर्स आर. जे. गोयल एंड क., कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने का भी प्रस्ताव है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से निम्नलिखित प्रस्ताव को पारित करते हुए वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने का अनुरोध किया जाता है:

''यथासंशोधित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2016 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नानुसार अभिपुष्टि करने का संकल्प लिया जाना है:–

क्र. सं.	लागत लेखा परीक्षक का नाम (मैसर्स)	शुल्क
01	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में आर. एम. बंसल एंड कं., कोस्ट अकाउंटेंट्स, कानुपर	75,000/– रुपये और लागू कर
02	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कोटेश्वर एचईपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	75,000/– रुपये और लागू कर
03	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लागत लेखा परीक्षक के रूप में रामनाथ अय्यर एंड कं., कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	70,000/– रुपये और लागू कर
04	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ढुकवां एसएचपी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में संजय गुप्ता एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	40,000/– रुपये और लागू कर
05	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र के लागत लेखा परीक्षक के रूप में धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पूणे	40,000/– रुपये और लागू कर
06	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखापरीक्षक के रूप में आर. जे. गोयल एंड कं., कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली –110034	75,000/– रुपये और लागू कर

उपरोक्त के अलावा, यथालागू जीएसटी देय है और यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति ईओआई के अनुसार की जाएगी।

मद संख्या 10:

निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट बांड्स को उपयुक्त किश्तों में निर्गत करने के लिए अनुमोदनः

1. कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 सितम्बर, 2022 को आयोजित अपनी 227वीं बैठक में उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपए तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

2. निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा के अध्यधीन, विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष के पूरा होने तक की अवधि के दौरान या वित्तीय वर्ष 2022–23 में अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्रार्थित है।

3. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है।

   एकीकृत व्यापार की योजना के रूप में, कंपनी द्वारा हाइड्रो, थर्मल और नवीकरणीय क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के लिए सभी अवसरों की खोज की गई है। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन और जांचाधीन हैं। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार हैं:

1. प्रचालनात्मक परियोजनाएं -

कंपनी की इस प्रकार की छह प्रचालनात्मक परियोजनाएं–टिहरी चरण–I 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट, ढुकवां एसएचईपी 24 मेगावाट, पवन परियोजनाएं–पाटन 50 मेगावाट, द्वारका 6 मेगावाट और कासरगोड सौर परियोजना 50 मेगावाट हैं। परियोजना–वार बकाया ऋण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	31.07.2022 को बकाया के रूप में राशि	अनुसूचित चुकौती
1.	टिहरी चरण–I	पीएफसी लिमिटेड	90.26	त्रैमासिक, 15.07.2023 तक
2.	पाटन	बॉन्ड सीरीज–I	180.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
3.	द्वारका	बॉन्ड सीरीज–I	290.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
4.	ढुकवां	बॉन्ड सीरीज–I	130.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
		बांड सीरीज–II	80.00	05.09.2029 को बुलेट भुगतान
5.	कासरगौड सौर परियोजना	बॉन्ड सीरीज– IV	125.00	20.01.2031 को बुलेट भुगतान

प्रचालन से उत्पन्न नकदी का उपयोग मौजूदा ऋण की बकाया चुकौती के साथ–साथ चल रही के लिए इक्विटी की ओर वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। लंबी अवधि के ऋण पर मूलधन और ब्याज के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष चुकाया जा रहा है। इसके अलावा, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने पीएनबी/एसबीआई/एचडीएफसी बैंक से ओडी सीमा/डब्ल्यूसीएल का लाभ उठाया है।

2. निर्माण परियोजनाएं -

क. टिहरी पीएसपी - फरवरी 2019 पीएल पर, टिहरी पीएसपी की पुनरीक्षित लागत 4825.60 करोड़ रुपये है और इसे 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से 372.95 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार से 124.32 करोड़ रुपए का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

ऋण भाग के लिए, घरेलू ऋण शुरू में 1500 करोड़ रुपये के लिए भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्वाधीन संघ के साथ संबद्ध था जिसे 2017–18 और 2018–19 में आंतरिक उपार्जन, ओडी और अल्प–कालिक ऋण का लाभ उठाकर चुकाया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने पीएसपी परियोजना के आंशिक रूप से वित्तपोषण और पहले से ही किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पीएनबी से भी 700 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण का लाभ उठाया है। दिनांक 31.07.2022 तक की स्थिति के अनुसार, पीएनबी का बकाया ऋण 244.58 करोड़ रूपए है। इसके अलावा, बॉन्ड निर्गम श्रृंखला II, III, IV और V से प्राप्त निधियों में से 2420 करोड़ रुपये की राशि टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए उपयोग की गई है।

ख. वीपीएचईपी परियोजना - फरवरी 2019 पीएल पर, वीपीएचईपी की पुनरीक्षित लागत 3860.36 करोड़ रुपये है और इसे 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाना है। कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से 188.00 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार से 71.36 करोड़ रुपए का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

परियोजना के ऋण हिस्से के लिए, विश्व बैंक से 648 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वर्ष 2019–20 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने उच्च डॉलर की परिवर्तन दर के कारण 100 मिलियन अमरीकी डालर का अभ्यर्पण किया है और वित्त वर्ष 2021–22 में अन्य 100 मिलियन अमरीकी डालर का भी अभ्यर्पण किया है, जिसे विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया। दिनांक 31.07.2022 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक का बकाया ऋण 144.5 मिलियन यूएसडी है।

ग. खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान - दिसंबर 2017 पीएल पर 12676.58 करोड़ रुपये, जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निर्धारित प्रचालन के साथ खुर्जा एसटीपीपी के कार्यान्वयन के लिए 11089.42 करोड़ रुपये और अमेलिया कोयला खदान के विकास के लिए 1587.16 करोड़ रुपये शामिल हैं, के व्यय के लिए दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से 2x660 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के निवेश की मंजूरी और सूचना दी गई थी।

अमेलिया कोयला खदान सहित खुर्जा परियोजना के लिए, 50% ऋण भाग बांड के माध्यम से और शेष 50% अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से जुटाते हुए, दीर्घकालिक वित्तपोषण व्यवस्था की योजना बनाई गई है। तदनुसार, बांड निर्गम श्रृंखला III और V से प्राप्त निधि में से खुर्जा परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए 1625.00 करोड़ रूपये की कुल राशि का उपयोग किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी की कैपेक्स आवश्यकता के लिए टीएचडीसीआईएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 2500.00 करोड़ रूपये के वित्त पोषण के लिए करार किया है। इस ऋण की निधियों का उपयोग खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के लिए किया जाएगा। 2500.00 करोड़ रूपये की संस्वीकृत राशि में से दिनांक 31.07.2022 तक बैंक ऑफ बड़ौदा से 1520.00 करोड़ रूपये की राशि का आहरण किया जा चुका है।

3. बॉन्ड उधारियां

कंपनी ने वर्ष 2016–17, 2019–20, 2020–21 (श्रृंखला III और IV) और 2021–22 के दौरान क्रमशः 600 करोड़ रुपये, 1500 करोड़ रुपये, 800 करोड़ रुपये, 750 करोड़ रुपये और 1200 करोड़ रुपये की बांड की श्रृंखला I, श्रृंखला II, श्रृंखला III, श्रृंखला IV और श्रृंखला V जारी की है। उपरोक्त बांड श्रृंखला के लिए निधि का उपयोग निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

बांड श्रृंखला	बांड का आकार	बांड आय का उपयोग					
		पवन परियोजनाएं	ढुकवां परियोजना	टिहरी पीएसपी	खुर्जा एसटीपीपी	अमेलिया कोयला खदान	कासरगोड सौर परियोजना
I	600.00	470.00	130.00				
II	1500.00		80.00	1420.00			
III	800.00			200.00	600.00		
IV	750.00			500.00		125.00	125.00
V	1200.00			300.00	900.00		
कुल	**4850.00**	**470.00**	**210.00**	**2420.00**	**1500.00**	**125.00**	**125.00**

4. केपेक्स आवश्यकता:

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आरबीई में 3315.02 करोड़ रुपये और 2023–24 के लिए बीई में 3900.40 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है, जिसमें टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी, खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदानों की कैपेक्स आवश्यकता शामिल है। विवरण इस प्रकार है:

कैपेक्स आवश्यकता

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसपी	वीपीएचईपी	खुर्जा	अमेलिया	अन्य	कुल	वीपीएचईपी के अलावा केपेक्स	ऋण आवश्यकता कॉलम संख्या 8 का 70%
1	2	3	4	5	6	7	8= (7-3)	9
2022.23	569.62	525.00	2000.51	212.00	7.89	3315.02	2790.02	1953.01
2023.24	508.38	659.94	2341.17	379.83	11.08	3900.40	3240.46	2268.32
					कुल	**7215.42**	**6030.48**	**4221.33**

वीपीएचईपी परियोजना के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के साथ करार किया गया है। इसलिए, इन वर्षों के लिए ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने में इस पर विचार नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 9 के अनुसार, वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए वीपीएचईपी (कैपेक्स का 70%) के अलावा अन्य परियोजनाओं के संबंध में ऋण की आवश्यकता क्रमशः 1953.01 करोड़ रुपये और 2268.32 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कुल 4221.33 करोड़ रुपये है।

उपरोक्त के अलावा, आईआर के माध्यम से पहले ही खर्च किए गए 1341.36 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	31.03.2022 तक व्यय	ऋण भाग (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार 70%)	लिया गया ऋण (31.03.2022)		प्रतिपूर्ति के लिए देय व्यय
1	2	3	4		5=3-4
पीएसपी	4519.48	3163.63	बॉन्ड सीरीज II, III, IV और V	2420.00	499.05
			पीएनबी	244.58	
			कुल	2664.58	
खुर्जा	3991.24	2793.87	बॉन्ड सीरीज III और V	1500.00	493.87
			बैंक ऑफ बड़ौदा	800.00	
			कुल	2300.00	
अमेलिया	676.34	473.44	बॉन्ड सीरीज IV	125.00	348.44
				कुल	**1341.36**

इस प्रकार, वर्ष 2022–23 और 2023–24 के लिए कुल ऋण आवश्यकता 5562.69 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। उपरोक्त ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए, टीएचडीसी 500 करोड़ रुपये के ग्रीन शू विकल्प के साथ 300 करोड़ रुपये की बॉन्ड सीरीज VI, कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपये, जारी करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा बैंक/वित्तीय संस्थान से 2500 करोड़ रुपये के ऋण के लिए भी निविदा प्रक्रिया चल रही है। इससे प्राप्त राशि का उपयोग पहले से किए गए व्यय और निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकता की प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा।

प्रस्ताव

1. ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और निर्माणाधीन परियोजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने और 2500.00 करोड़ रुपए के ऋण एवं 800 करोड़ रूपये की बॉन्ड सिरीज VI, जो 12.09.2022 को जारी की गई है, को ध्यान में रखते हुए, दस से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए उपयुक्त अंशों में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने का प्रस्ताव है। बांड की प्रकृति अर्थात प्रतिभूत/अप्रतिभूत का निर्णय जारी करने के समय प्रतिभूति की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अनंतिम निबंधन पत्र अनुलग्नक निम्नानुसार हैः

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित बांड के लिए अनंतिम निबंधन पत्र

निर्गमकर्ता	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
लिखत का प्रकार	डिबेंचरों की प्रकृति में प्रतिभूत / अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य बांड।
लिखत की प्रकृति	प्रतिभूत/अप्रतिभूत
जारी करने का तरीका	निजी प्लेसमेंट
सूचीकरण (स्टॉक एक्सचेंजों जहां इसे सूचीबद्ध किया जाएगा के नाम सहित सूचीकरण के लिए समयसीमा)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड पर प्रस्तावित।
निर्गम का आकार	उपयुक्त किश्तों में 3000 करोड़ रूपये तक
ओवरसब्सक्रिप्शन प्रतिधारित करने के विकल्प (राशि)	हाँ, ग्रीन शू विकल्प के साथ
निर्गम के उद्देश्य	पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करना।
पुट कॉल ऑप्शन	आवश्यकता के आधार पर
कूपन दर	निर्धारित की जानी है
कूपन भुगतान आवृत्ति	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथियां	आवंटन तिथि की वर्षगांठ की तिथि
कूपन प्रकार	नियत
कूपन रीसेट प्रक्रिया (दरों, स्प्रेड, प्रभावी तिथि, ब्याज दर कैप और फ्लोर आदि सहित)	कोई नही
दिन गणना आधार	वास्तविक / वास्तविक
निर्गम राशि	10,00,000 रूपये प्रत्येक के अंकित मूल्य पर
अवधि	10 से 15 वर्ष
प्रतिदान राशि	10 लाख रूपये प्रत्येक के सममूल्य पर
प्रतिदान प्रीमियम / छूट	शून्य
लिखत जारी करने का तरीका	डीमैट
लिखत व्यापार का तरीका	डीमैट

2. बांडों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करना शामिल है।

निजी प्लेसमेंट के माध्यम से कुल 3000 करोड़ तक के बांड जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष संकल्प के रूप में पारित करनाः

''संकल्प लिया जाना है कि कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक उपबंधों (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत/अप्रतिभूत कॉर्पोरेट बांड जारी करने के माध्यम से 3000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जाएः

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया जाना है कि बोर्ड समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा।"

हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति

टीएचडीसीआईएल ने पिछले दो दशकों में अपने अस्तित्व को एकल परियोजना संगठन से राष्ट्रव्यापी कंपनी तक विस्तारित किया है। एक प्रतिबद्ध कार्यबल के सहयोग से हमारी सुविचारित योजना प्रक्रिया, हमारे कार्यनीतिक रोडमैप के निर्बाध कार्यान्वयन में सहायता करती है, और स्थायी परिणामों को सुनिश्चित करती है।

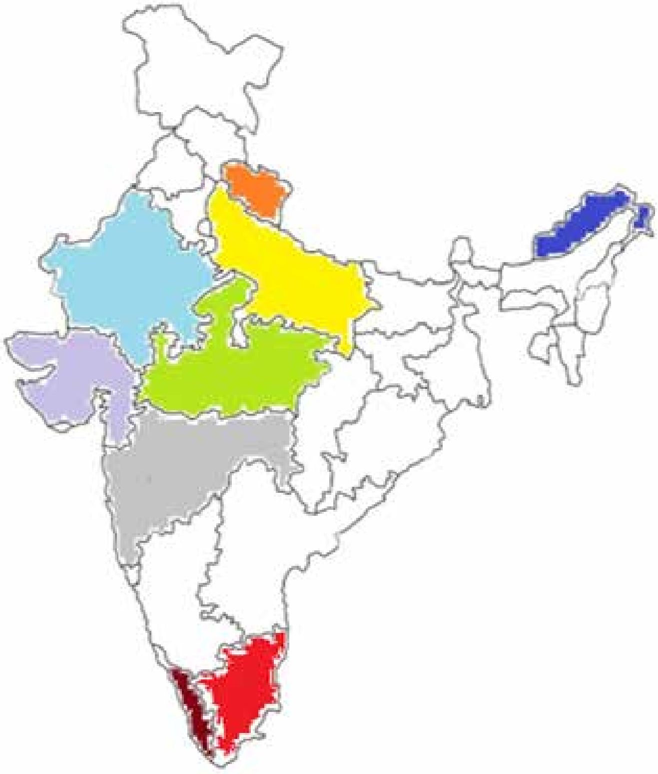

राष्ट्रव्यापी उपस्थिति दर्ज करने के रणनीतिक आशय के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल देश भर में हाइड्रो, नवीकरणीय ऊर्जा और थर्मल परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य सरकार की एजेंसियों और अन्य सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

उत्तराखंड

1. टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट
2. कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट
3. टिहरी पीएसपी 1000 मेगावाट
4. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी 444 मेगावाट
5. झेलम तमक एचईपी 108 मेगावाट
6. बोकांग बेलिंग 165 मेगावाट
7. जसपालगढ़ पीएसपी 1935 मेगावाट पर उत्तराखंड सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

राजस्थान

आरआरईसीएल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 10000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

अरुणाचल प्रदेश

1. कलई–II एचईपी 1200 मेगावाट
2. डेमवे लोअर एचईपी 1750 मेगावाट

गुजरात

1. पाटन पवन विद्युत परियोजना 50 मेगावाट
2. देवभूमि द्वारका पवन विद्युत परियोजना 63 मेगावाट

महाराष्ट्र

कुल 6 पीएसपी अर्थात् मलशेज घाट पीएसएस 700 मेगावाट, हुम्बर्ली पीएसएस 400 मेगावाट, गडगड़ी 600 मेगावाट, अरुणा 1950 मेगावाट, खरारी 1050 मेगावाट, मोरावाडी 2320 मेगावाट, पर बातचीत चल रही है।

उत्तर प्रदेश

1. ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट
2. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट
3. संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 2000 मेगावाट सौर विद्युत पार्कों का विकास

मध्य प्रदेश

अमेलिया कोयला खदान, सिंगरौली

तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य में नल्लार 2700 मेगावाट पर बातचीत चल रही है।

केरल

1. कासरगोड 50 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना,
2. दो पीएसपी नामत: इडुकी 300 मेगावाट और पल्लीवासल 600 मेगावाट पर बातचीत चल रही है।

विद्युत उत्पादन में विविधीकरण

नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और किफायती विद्युत द्वारा संचालित ऊर्जा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। टीएचडीसीआईएल देश का एकमात्र पीएसयू है, जिसके पोर्टफोलियो में जल, ताप, सौर, पवन ऊर्जा और पंप स्टोरेज परियोजना हैं।

टीएचडीसीआईएल, सस्ती कीमतों पर 24X7 बिजली उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेदारी को समझता है। पिछले कुछ वर्षों में, टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने राजस्थान राज्य में 10000 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए आरआरईसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ समन्वय करके उपयुक्त विश्लेषण करने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए टीएचडीसीआईएल को अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में 02 जलविद्युत परियोजनाएं (कलई–II 1200 मेगावाट और डेमवे लोअर 1750 मेगावाट) आवंटित की हैं। टीएचडीसीआईएल महाराष्ट्र और केरल में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा भंडारण योजनाओं के विकास की संभावनाएं भी तलाश रहा है।

टीएचडीसीआईएल, उत्तराखंड राज्य में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है, जिसे शीघ्र ही निगमित किया जाएगा।

जल विद्युत संयंत्र	टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट और ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट प्रचालनात्मक जलविद्युत परियोजनाएं हैं। विष्णुगाड़ पीपलकोटी (444 मेगावाट) की पहली इकाई के अक्टूबर –2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
पंप स्टोरेज संयंत्र	टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) की पहली इकाई के अप्रैल 2023 तक चालू होने की उम्मीद है।
पवन ऊर्जा	63 मेगावाट द्वारका और 50 मेगावाट पाटन, गुजरात प्रचालनात्मक पवन ऊर्जा संयंत्र हैं।
सौर ऊर्जा पार्कों का विकास	संयुक्त उद्यम कंपनी टस्को लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क निर्माणाधीन हैं। राजस्थान में 10000 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन प्रक्रियाधीन है।
ताप विद्युत	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) की पहली इकाई के फरवरी–2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
सौर ऊर्जा	50 मेगावाट कासरगोड सौर संयंत्र, प्रचालनात्मक सौर परियोजना है।
ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र	टीएचडीसीआईएल ने प्रायोगिक परियोजना के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड स्थापित करने की योजना बनाई है।
कार्बन कैप्चर	टीएचडीसीआईएल नई उभरती लागत प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। इससे फ्ल्यू गैसों से अधिकांश कार्बन–आधारित उत्सर्जन (कार्बन डाइ ऑक्साइन, मीथेन आदि) का शमन करने में सहायता मिलेगी।

प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं

प्रमुख वित्तीय जानकारी

(राशि ₹ करोड़ में)

			2021-22	2020-21	2019-20	2018-19*	2017-18
क.		**राजस्व**					
	1	प्रचालन से राजस्व	1921.49	1796.01	2123.10	2449.26	2185.10
	2	अन्य आय	305.85	705.92	282.26	394.09	38.09
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	16.24	18.80	63.74	69.15	68.22
	4	घटाएः सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	16.24	18.80	63.74	69.15	68.22
	5	**कुल राजस्व**	**2227.34**	**2501.93**	**2405.36**	**2843.35**	**2223.19**
ख		**व्यय**					
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	354.11	388.78	360.30	411.83	306.49
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	287.06	230.33	239.33	209.78	203.42
	8	प्रावधान	0.00	0.25	0.00	49.85	0.00
	9	असाधारण मदें	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
	10	**कुल व्यय**	**641.17**	**655.01**	**599.63**	**671.46**	**509.91**
	11	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) 5-10**	**1586.17**	**1846.92**	**1805.73**	**2171.89**	**1713.28**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	302.65	317.33	576.10	555.00	574.52
	13	**सकल लाभ (पीबीआईटी) 11-12**	**1283.52**	**1529.59**	**1229.63**	**1616.89**	**1138.76**
	14	वित्त लागत	134.11	181.93	240.34	199.54	227.87
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13-14)**	**1149.41**	**1347.66**	**989.29**	**1417.35**	**910.89**
	16	आय कर	189.34	229.60	163.12	306.59	190.56
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	35.57	68.48	(53.02)	(66.76)	(50.83)
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचालन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15-16-17)**	**924.50**	**1049.58**	**879.19**	**1177.52**	**771.16**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन	(29.72)	42.83	41.06	12.39	
	20	सतत परिचालन अवधि के लिए लाभ (18+19)	894.78	1092.41	920.25	1189.91	771.16
	21	अन्य व्यापक आय	1.59	0.23	(12.47)	(2.99)	5.63
	22	ओसीआई पर आय कर–आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता	0.55	0.08	(4.35)	(1.04)	1.95
	23	**कुल व्यापक आय (20+21+22)**	**896.92**	**1092.72**	**903.43**	**1185.88**	**778.74**
ग		**परिसंपत्तियां**					
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियां (निवल ब्लॉक)	6343.72	6562.21	6592.19	6830.99	7328.01
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	9447.39	6414.30	4989.80	4544.34	3950.27
	26	परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार	411.72	410.50	380.71	0.00	0.00
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	36.12	39.25	38.90	40.79	44.83
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	836.29	871.31	939.71	891.04	825.32
	29	गैर चालू कर परिसपंत्तियां निवल	43.21	32.49	24.55	67.85	0.00
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	2042.24	1906.22	1582.89	1209.42	715.47
	31	चालू परिसंपत्तियां	1823.72	2303.52	2813.65	1905.59	1596.40
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	98.69	169.72	186.22	87.81	-

			2021-22	2020-21	2019-20	2018-19*	2017-18
	33	सहायक कंपनी में निवेश	14.80	7.40			
	34	कुल परिसंपत्तियां	21097.90	18716.92	17548.62	15577.83	14460.30
घ		**देयताएं**					
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	3665.88	3665.88	3665.88	3654.88	3627.43
		अन्य इक्विटी					
	36	आरक्षित और अधिशेष	6655.77	6269.19	5884.53	5120.18	4880.93
	37	अन्य व्यापक आय	(15.50)	(17.64)	(17.94)	(1.12)	2.91
	38	कुल अन्य इक्विटी	6640.27	6251.55	5866.59	5119.06	4883.84
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	6653.98	5014.22	3946.70	2652.01	2415.30
	40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	29.99	9.19	10.26	0.00	0.00
	41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	1155.09	1015.01	1038.20	1325.17	1354.78
	42	लघु अवधि उधारियां	926.10	700.00	1115.06	1218.40	646.63
	43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	426.63	533.51	595.15	544.37	1012.83
	44	पटटा देयताओं की चालू परिपक्वता	4.17	4.06	5.62	0.00	0.00
	45	अन्य चालू देयताएं	1080.59	973.27	686.53	493.97	456.36
	46	विनियामक अस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	515.20	550.23	618.63	569.97	63.13
	47	कुल देनदारियां	21097.90	18716.92	17548.62	15577.83	14460.30
	48	निवल मूल्य (35+38)	10306.15	9917.43	9532.47	8773.94	8511.27
	49	नियोजित पूंजी (48+43+42+39–28)	17476.57	15293.85	14249.67	12297.68	11760.71
	50	लाभांश	508.20	707.75	126.00	423.12	335.21
	51	मूल्य वर्धित (11)	1586.17	1846.92	1805.73	2171.89	1713.28
	52	कर्मचारियों की संख्या	1644	1736	1835	1891	1922
	53	शेयरों की संख्या (राशि लाख में प्रति शेयर 1000/– रु. के सम मूल्य पर)	3.67	3.67	3.67	3.65	3.63
ड.		**अनुपात**					
		प्रति शेयर अर्जन रु. 1000/– शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक अस्थगित लेखा शेष में निबल संचालन शामिल है। (रु. में)	244.08	297.99	251.22	326.35	213.14
		चालू अनुपात [31(42+43+44+45)]	0.75	1.04	1ण17	0.84	0.75
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43)+(48)	0.78	0.63	0.59	0.50	0.48
		नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (पीबीआईटी/नियोजित पूंजी) (13+9)/49)	7.34%	10.23%	8.63%	13.15%	9.68%
		निवल मूल्य पर प्रतिफल	8.85%	11.23%	10.05%	13.77%	9.28%
		कुल व्यापक आय से प्रचालनों से राजस्व (23/1)	46.68%	60.84%	42.55%	48.42%	35.64%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु. में) (48/53)	2811.37	2705.33	2600.32	2400.61	2346.36
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी करोड़ रु. में (51/52)	0.97	1.06	0.98	1.15	0.89
		प्रति शेयर लाभांश रु. में (प्रत्येक 1000 रु. का शेयर)	138.63	193.06	34.37	115.77	92.41
च		**प्रचालन निष्पादन**					
		उत्पादन (एम.यू.)	4670.80	4565.36	4526.85	4687.18	4540.94

*आंकड़े पुनः कथित वित्तीय विवरणों के आधार पर है।

प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन चार्ट

निवल मूल्य की तुलना में उधारियां

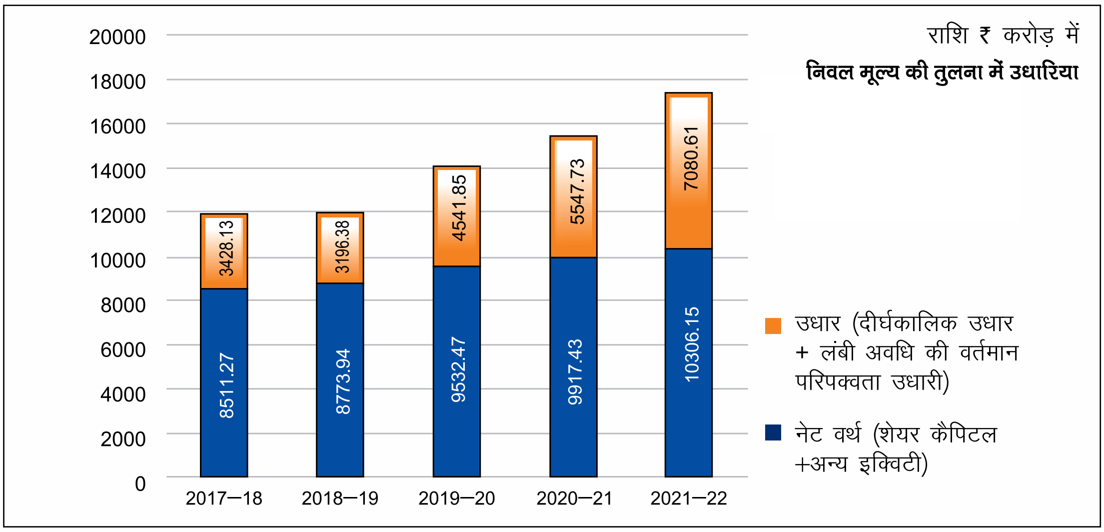

कुल राजस्व की तुलना में कुल व्यापक आय

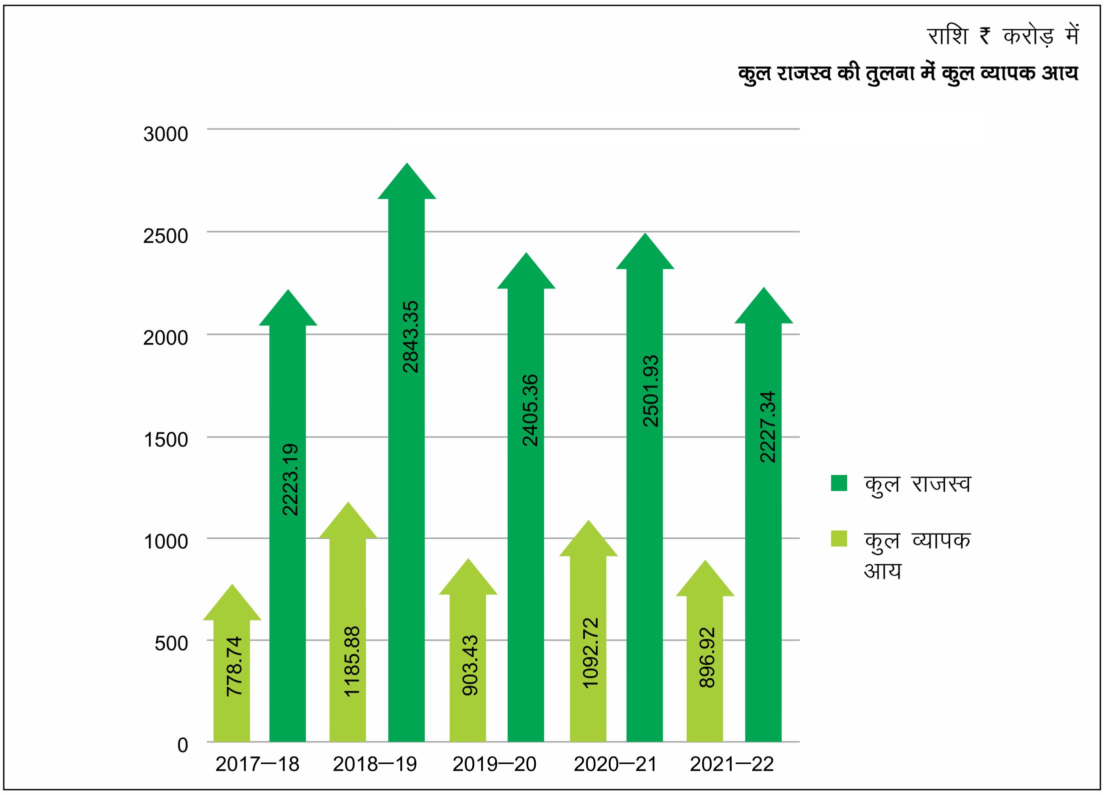

लाभांश भुगतान

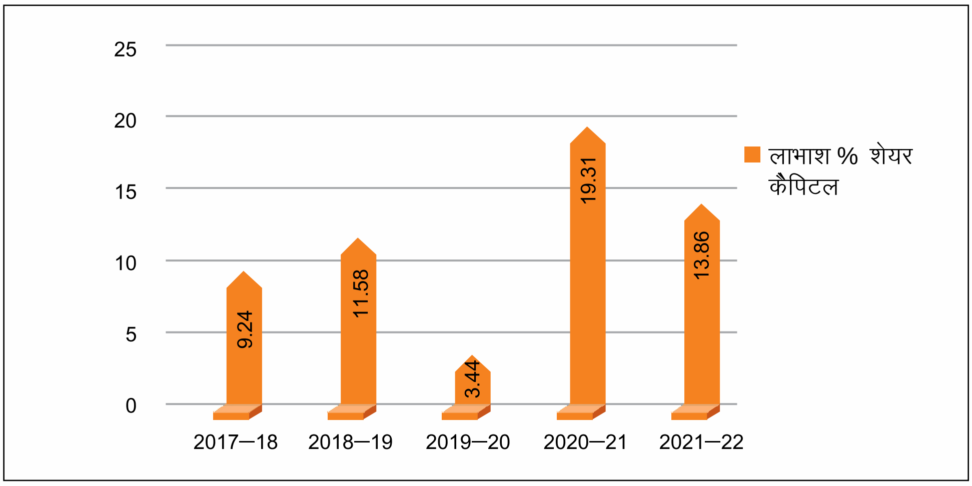

प्रचालन से राजस्व का ब्यौरा

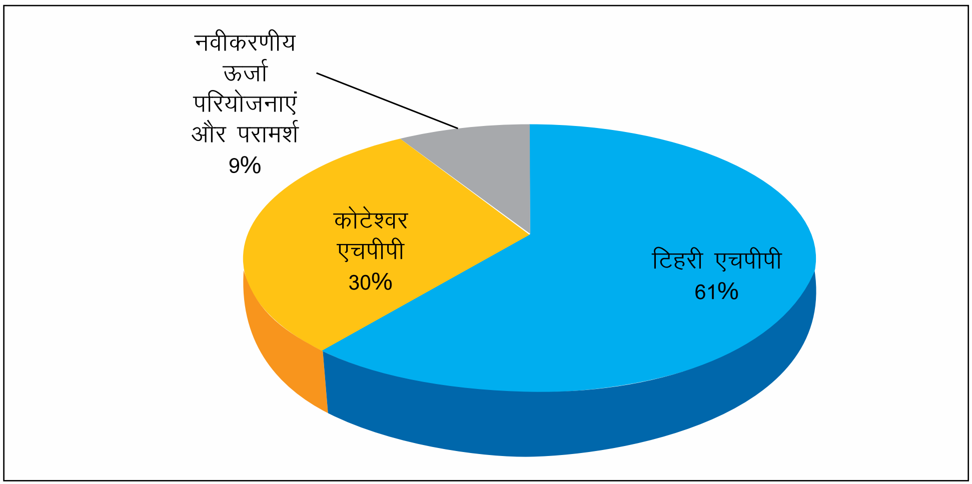

राजस्व का वितरण

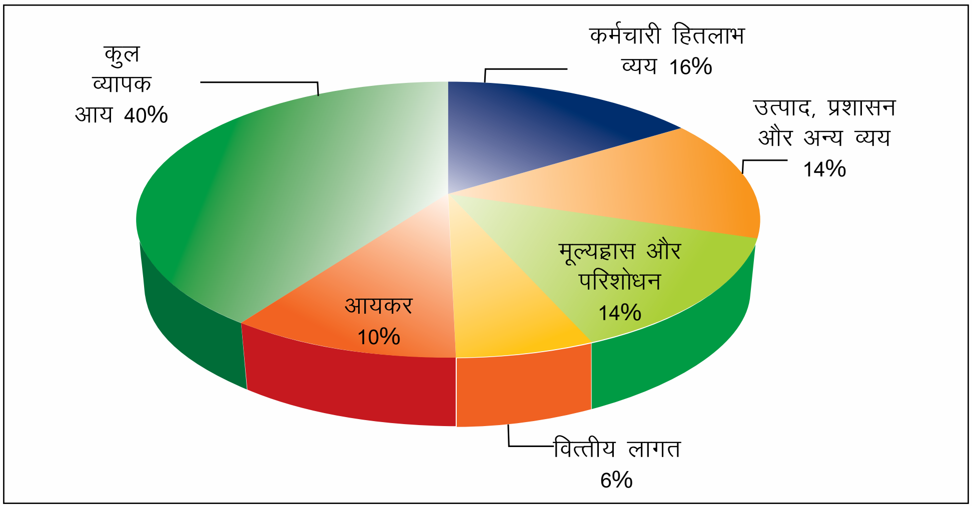

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई ने दिनांक 06.08.2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। इससे पूर्व, श्री विश्नोई दिनांक 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। आपने यह रेखांकित किया कि टीएचडीसी को गतिशील समकालीन विद्युत परिदृश्य में विद्युत क्षेत्र की एक समयोचित/अनुभवी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपने प्रचालनात्मक के साथ–साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में संस्थागत नूतन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया।

आपको, टीएचडीसीआईएल में क्रमशः दिनांक 06.08.2021 और 01.11.2021 से निदेशक (तकनीकी) और निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। इसके अतिरिक्त, आपको दिनांक 01.06.2022 से नीपको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (तकनीकी) का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

श्री विश्नोई को हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 35 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आप वर्ष 1989 में अभियंता के रूप में टीएचडीसी में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्ष 2013 में आप महाप्रबंधक के स्तर पर पदोन्नत हुए और इसके बाद वर्ष 2016 में आप कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। डिजाइन विभाग के प्रमुख के साथ–साथ आपने विष्णुगाड़–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) 444 मेगावाट के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजनाओं में कार्य करते हुए आपने विभिन्न प्रतिष्ठित उपलब्धियां हासिल की हैं।

श्री विश्नोई, बिट्स पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और आपके पास एमबीए की योग्यता भी है और आपने मास्को विश्वविद्यालय रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

आप, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आइकोल्ड) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपने स्पोकेन (यूएस), वांशिंगटन डीसी (यूएस), पीटर्सबर्ग (रूस), चेंगुडु (चीन), बीजिंग (चीन), पोर्टो कॅरेस (ग्रीस), एंटेल्या (टर्की), ओट्टावा (कनाडा), सिंगापुर और नेपाल जैसे विभिन्न देशों में उल्लेखनीय व्याख्यान भी दिए हैं।

श्री जितेश जॉन

श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को 21 जून, 2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारतीय आर्थिक सेवा (2001 बैच) से हैं। आप विद्युत मंत्रालय में, योजना, परियोजना निगरानी, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित मामलों को देखते हैं। इस असाइनमेंट से पहले आपने योजना आयोग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय में कार्य किया है और अवसंरचना में पीपीपी, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजारों के विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। श्री जितेश ने लोयोला कॉलेज, चेन्नई से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (एमए) किया है। आपने आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, आरएमआईटी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया और मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है।

श्री अनिल गर्ग

श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 26.04.2022 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं और प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के रूप में नियुक्ति से पहले आप यूपीएसआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

श्री गर्ग थापर विश्वविद्यालय, पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक हैं। वर्ष 1996 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद, आपने इलाहाबाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी आयुक्त, राजमार्ग विभाग, गौतमबुद्धनगर, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ और आयुक्त, राजस्व विभाग, लखनऊ के रूप में और अन्य प्रतिष्ठित कार्यालयों में कार्य किया है। श्री अनिल गर्ग को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, आपको मनरेगा कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और एक जिला एक उत्पाद, राजस्व संग्रह आदि के लिए अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। श्री अनिल गर्ग को राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

श्री जे. बेहेरा

श्री जे. बेहेरा दिनांक 16.08.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाले हुए हैं। आप कॉमर्स में स्नातक हैं और भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट के सदस्य हैं। आपको टीएचडीसी के वित्त एवं लेखा विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है।

आपको कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ परियोजना स्थलों में भी कार्य का लंबा अनुभव है। आप गत चार वर्ष से कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के पद पर कार्यरत रहे हैं। आपके नेतृत्व में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित एवं कार्यान्वित हुई तथा आपने वित्त एवं लेखा विभाग की गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने टीएचडीसी के पहली बार बांड जारी करने एवं पवन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य

श्री उज्जवल कांति भट्टाचार्य को दिनांक 26.08.2020 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया। आप जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक है। आपने एमडीआई, गुड़गांव से प्रबंधन में परा स्नातक डिप्लोमा भी पूरा किया है। श्री भट्टाचार्य ने इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के नौवें बैंच के रूप में वर्ष 1984 में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया और आपकी शुरूआती तैनाती कोरबा में हुई। आपने अपने करिअर की शुरूआत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में की। इसके बाद आपने 1600 मेगावाट के फरक्का एसटीटीपी विद्युत संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण, जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण, पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में काम किया। आपने एनटीपीसी के उर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवसाय विविधीकरण तथा अजैविक मार्ग से विकास में उल्लेखीनय योगदान दिया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में एनटीपीसी के व्यापार विकास कार्य में आपका शानदार करिअर रहा है जिसमें मुख्य बल कोलडैम का अधिग्रहण कर जल–विद्युत में एनटीपीसी के विवधीकरण तथा विद्युत वितरण के व्यापार के लिए सहायक कंपनी एनईएससीएल स्थापित करने पर रहा है। बंगलादेश स्थित 1320 मेगावाट की मैत्री विद्युत परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम बनाने और परियोजना की अवधारणा तैयार करने में आपकी अग्रणी भूमिका रही। एनटीपीसी में निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व आपने प्रबंध निदेशक और सीईओ (बंगलादेश भारत मैत्री विद्युत कंपनी लिमिटेड) कार्यपालक निदेशक (व्यापार विकास) और कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं) एनटीपीसी के रूप में काम किया है।

श्री जयकुमार श्रीनिवासन

श्री जयकुमार श्रीनिवासन को दिनांक 17.08.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप वाणिज्य स्नातक और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के एक सहयोगी सदस्य हैं। श्री जयकुमार श्रीनिवासन के पास वित्त, लेखा, कराधान, वाणिज्यिक, विद्युत विनियमन, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना विकास आदि के क्षेत्र में तथा राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विद्युत और खनन क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें 8 वर्ष का बोर्ड स्तर का अनुभव शामिल है। श्री जयकुमार श्रीनिवासन ने दिनांक 21.07.2022 को निदेशक (वित्त), एनटीपीसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। निदेशक (वित्त), एनटीपीसी लिमिटेड के रूप में नियुक्ति से पहले, आपने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्य किया है। आपने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में भी कार्य किया है, इससे पहले आप महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (महाजेनको), महाराष्ट्र सरकार की संस्था के निदेशक (वित्त) रहे। आपने महागुज कोलियरी कंपनी लिमिटेड, यूसीएम कोल कंपनी लिमिटेड और महाजेनको की अन्य सहायक कंपनी में अंशकालिक निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी. को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 10 नवंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि विज्ञान में पीएचडी पूरी की है। आपको जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का एक विशाल अनुभव है। आप केरल कृषि विश्वविद्यालय से एक एसोसिएट निदेशक और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने केरल कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च कोकोनट मिशन के एसोसिएट निदेशक और प्लांट ब्रीडिंग विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अनुकरणीय है।

श्रीमती सजल झा

श्रीमती सजल झा को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 10 नवंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप मगध विश्वविद्यालय, बिहार से विधि में स्नातक हैं। आप वर्ष 2010 से पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिहार राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। आप पटना में सामाजिक कार्य और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। आप बिहार में भाजपा की राज्य सचिव हैं।

श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला

श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में दिनांक 28.03.2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप हडर्सफील्ड विश्वविद्यालय, यॉर्कशायर, यूके से पर्यटन और अवकाश प्रबंधन में स्नातक हैं। आप विभिन्न स्थानीय संस्थानों के माध्यम से वर्ष 2013 से सामाजिक वानिकी में सक्रिय हैं। वर्ष 2021 में स्थानीय स्तर पर 45000 स्वदेशी पेड़ लगाने की नवीनतम परियोजना की है। आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण प्रारूपों में क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं। आप भारत में सक्रिय कुछ सामाजिक संस्थानों में भी प्रमुख पदों पर आसीन हैं।

व्यवसाय सिंहावलोकन रिपोर्ट 2021-22

सतत रीति में पूंजी सृजन

वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीआईएल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्त्व देता है और न केवल सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यक सामाजिक दायित्व पूरा करते हुए बल्कि लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करता है।

सकल आय
₹ 2227.34 करोड़

कुल व्यापक आय
₹ 896.92 करोड

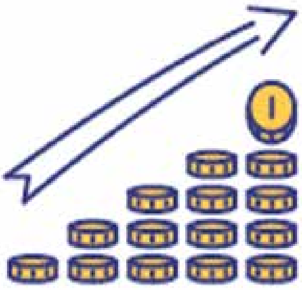

निवल मूल्य
₹ 10306.15 करोड

दिनांक 31.03.2022 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त इक्विटी पूंजी 3665.88 रूपये करोड़ है, 31.03.2022 तक आरक्षिती 6640.27 करोड़ रूपये है और दीर्घकालिक ऋण 7080.61 करोड़ रूपये है।

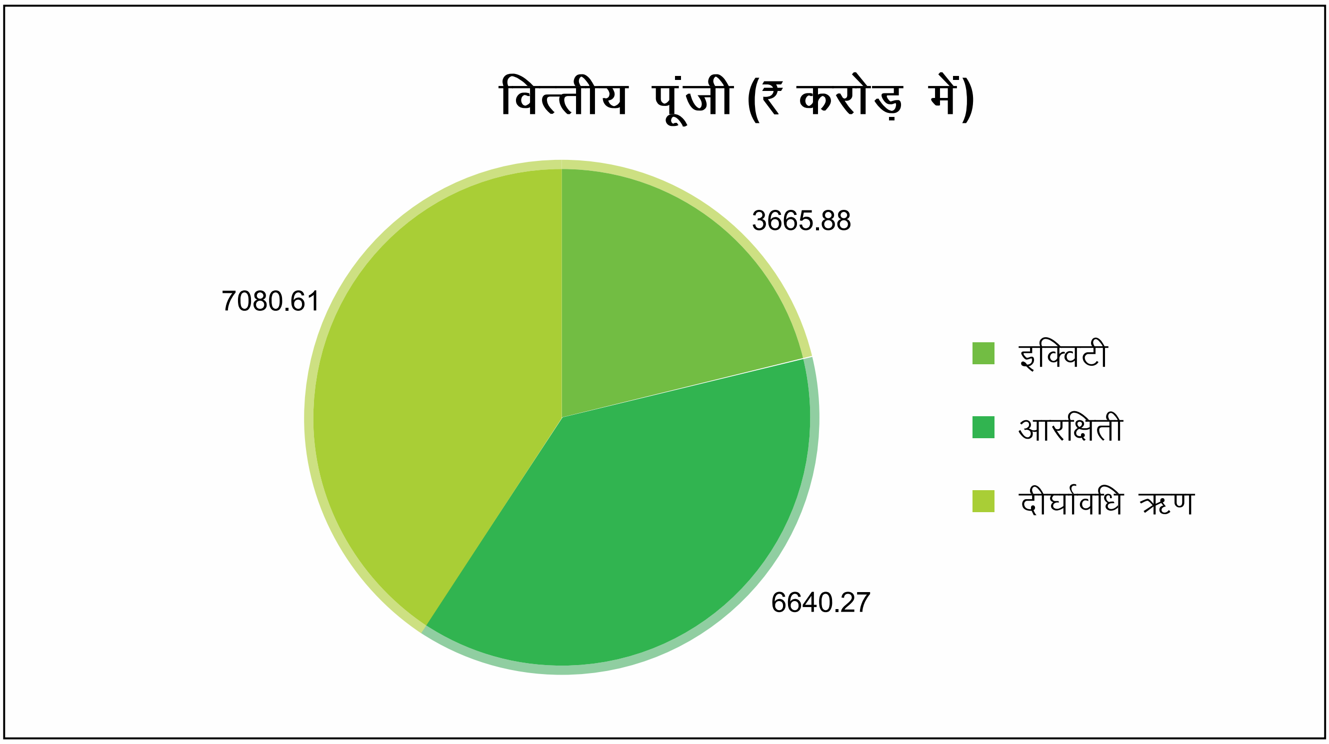

वाणिज्यिक प्रचालन के बाद लाभ के संचयन के माध्यम से उत्पादित वित्तीय पूँजी दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार 10,295.63 करोड़ रूपये है, इसमें से दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार कर सहित वितरित लाभांश 3655.36 करोड़ रूपये है और प्लाऊ बैक के लिए आरक्षिती 6640.27 करोड़ रूपये है।

तुलन पत्र का आकार

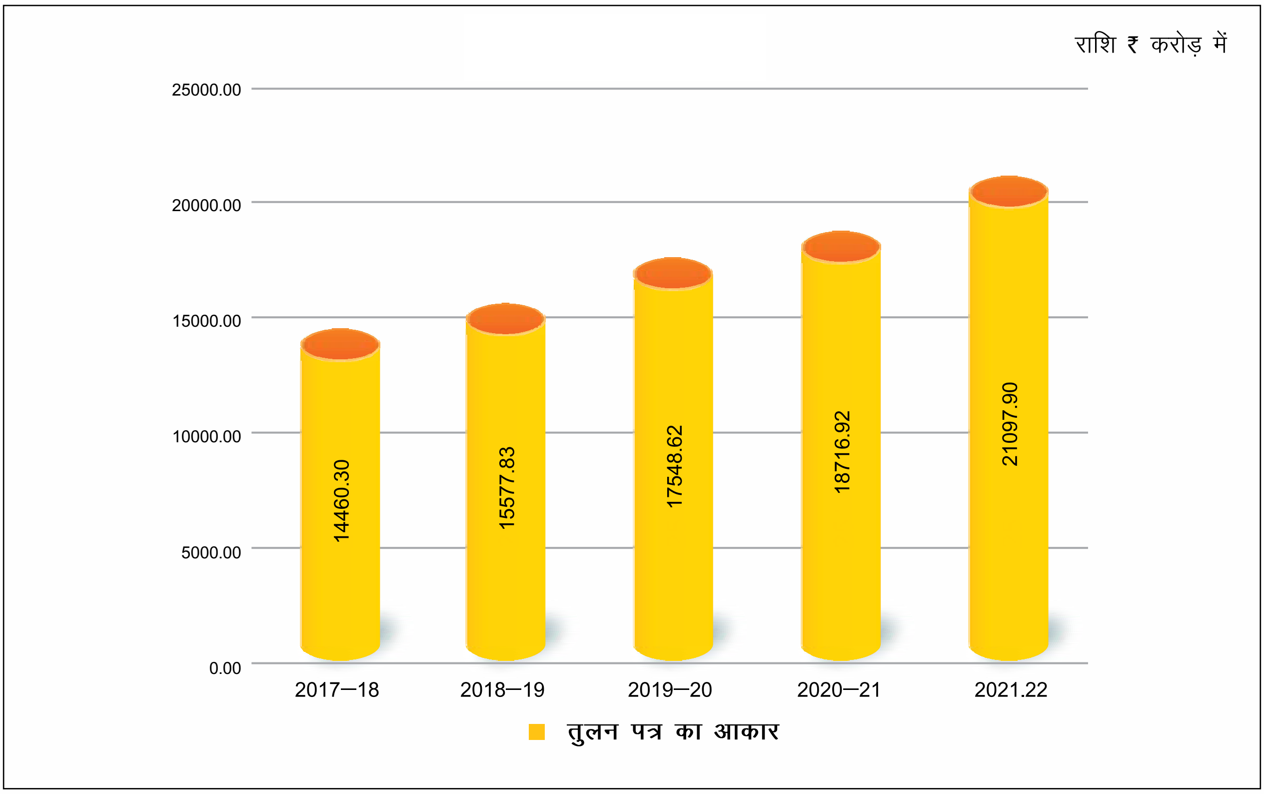

लाभांश का भुगतान

कंपनी, अपने शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश के रूप में लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।

लाभांश का भुगतान

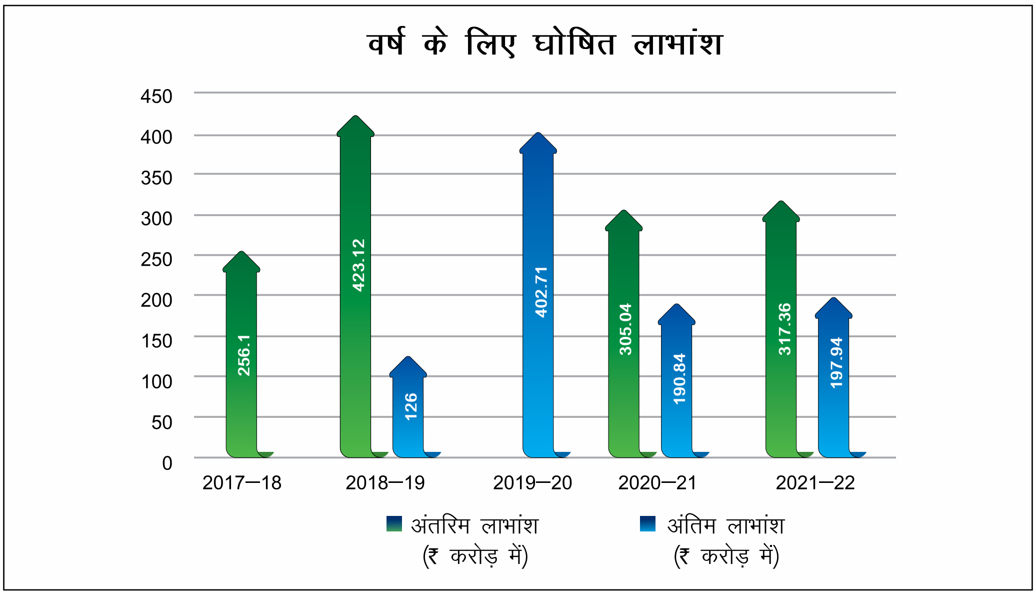

क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों नामतः मेसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड, मेसर्स इंडिया रेटिंग्स और मेसर्स आईसीआरए ने टीएचडीसीआईएल को एए (स्टेबल) के रूप में क्रेडिट रेटिंग दी है। यह वित्तीय दायित्वों को समय पर चुकता करने के संबंध में सुरक्षा की उच्च मात्रा को इंगित करता है। ऐसी लिखतों में बहुत कम जोखिम होता है। कंपनी का वित्तीय अनुशासन, कुशल पूंजी संरचना और विवेक, इन रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सुदृढ़ और स्थिर क्रेडिट रेटिंग में परिलक्षित होता है।

कंपनी को अपने बांड कार्यक्रम और बैंकों से उधार के लिए स्थिर क्रेडिट रेटिंग प्राप्त होना जारी है, प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

श्रृंखला	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	रेटिंग की पिछली समीक्षा की तिथि
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला I	इंडिया रेटिंग	एए (स्टेबल)	04 जुलाई, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	27 जून, 2022
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला II	इंडिया रेटिंग	एए (स्टेबल)	04 जुलाई, 2022
	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	11 जनवरी, 2022
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला III	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	11 जनवरी, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	27 जून, 2022
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला IV	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	11 जनवरी, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	27 जून, 2022
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला V	इंडिया रेटिंग	एए (स्टेबल)	04 जुलाई, 2022
	केयर	एए (स्टेबल)	27 जून, 2022

नई पहलें 2021-22

टीएचडीसीआईएल ने 7.39% प्रति वर्ष की कूपन दर पर 1200 करोड़ रुपये की टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला V को सफलतापूर्वक जारी किया है। कंपनी के निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जो टीएचडीसीआईएल में हमारे हितधारकों के विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी की कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2500 करोड़ रुपये के सावधि ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बिना किसी कार्यनीतिक प्रीमियम के एक माह का एमसीएलआर, इसके लिए ब्याज दर है। उपरोक्त निधि का उपयोग खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान की कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

डिसकॉम्स से बकाया राशि की त्वरित वसूली:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 2523.03 करोड़ रुपये की वसूली की थी। आत्मनिर्भर भारत विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज के सापेक्ष अधिकांश लाभार्थियों द्वारा अधिकाधिक संवितरण तथा विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार) नियम, 2021, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में पर्याप्त कमी आई, के लिए विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के सापेक्ष विलंबित भुगतान अधिभार बकाया राशि के संवितरण के कारण वसूली अधिक रही।

इसके अलावा, भुगतान सुरक्षा तंत्र के अनुपालन में लगभग सभी लाभार्थियों ने मासिक ऊर्जा बिलों का भुगतान निर्धारित समय के भीतर कर दिया था, जिससे वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान डिस्कॉम से वसूली की राशि में वृद्धि हुई।

सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने सदैव दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम, जिसमें सतत आजीविका के लिए ग्रामीण समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण और पारिस्थितिकीय बहाली शामिल है, कार्यान्वित कर, छोटे स्तर पर हितधारकों की आवश्यकताओं के समाधान के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। सभी सीएसआर हस्तक्षेप सामाजिक, आर्थिक पारिस्थितिकीय विकास और लक्षित समुदाय के जीवन में सतत परिवर्तन क्षेत्रों पर विचार कर किए गए थे, जो टीएचडीसीआईएल के सीएसआर अभिचिह्नित प्रक्षेत्रों, जो उन उद्देश्यों के नाम पर हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) और उसके बाद की कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के अनुपालन में तैयार की गई इसकी सीएसआर और सततता नीति, 2021 में "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय वाला कॉर्पोरेट) शीर्षक वाले अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, से स्पष्ट है। सीएसआर से जुड़े 7 चिन्हित क्षेत्रों में मोटे तौर पर वे गतिविधियां शामिल हैं जो अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध हैं, इस प्रकार हैं:

1. टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)–पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता और पेय जल परियोजनाएं
2. टीएचडीसी जागृति (उज्ज्वल भविष्य के लिए पहलें)–शिक्षा संबंधी पहलें
3. टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें

4. टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास
5. टीएचडीसी समर्थ (सशक्तता) – सशक्तता से जुड़ी पहलें
6. टीएचडीसी सशक्त (सक्षम) – बुजुर्गों और भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की देखभाल
7. टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें
8. टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियां
9. टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन गतिविधियां

सीएसआर तथा सततता गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से संवाद और संप्रेषण करने के लिए टीएचडीसीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति है।

सीएसआर पर हमारा खर्च

टीएचडीसीआईएल, अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना बहुत पहले से बनाई जाती है, आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा के पूर्वानुमान के साथ और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयावधि वाले विभिन्न उपलब्धि–चरण (माइलस्टोन) पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सांविधिक अनुपालन के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार परिकलित पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत है:

- पूर्ववर्ती 03 वित्त वर्षों का औसत निवल लाभ 1311.66 करोड़ रुपये है।
- वित्त वर्ष 2021–22 का सीएसआर बजट 26.23 करोड़ रुपये है।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय 27.21 करोड़ रुपये है।

प्रमुख पहलें

क. स्वास्थ्य

टीएचडीसीआईएल प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थाओं के साथ विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों तथा जागरूकता अभियान के माध्यम से लगातार समाधान और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसीआईएल के समुदायोन्मुख कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

वीपीएचईपी में सामुदायिक अस्पताल

1. टीएचडीसीआईएल, शहीद भगत सिंह (सायंकालीन) कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से एलोपैथिक औषधालय का संचालन कर रहा है जो टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में दीनगांव ग्राम में अवस्थित है। इसमें नाममात्र शुल्क पर परामर्श व निःशुल्क औषधियां प्रदान की जाती हैं। यह एलोपैथिक औषधालय आसपास के लगभग 40 गांवों की लगभग 15000 आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। इस औषधालय का वार्षिक व्यय लगभग 30 लाख रुपये है।

2. टीएचडीसीआईएल ऋषिकेश में 1 होम्योपैथी औषधालय, टिहरी जिले में 2 औषधालय और उत्तरकाशी जिले में 1 औषधालय का संचालन करता है, जो नाममात्र शुल्क पर परामर्श और औषधि प्रदान करती है। होम्योपैथिक प्रणाली में आमतौर पर त्वचा रोग, जोड़ों के दर्द, कॉर्न (असमान इलाके में चलने के कारण), श्वास रोग, और स्त्री रोग संबंधी समस्याओं सहित अन्य रोगों के लिए बहुत प्रभावी उपचार व्यवस्था है। यह उपचार, एलोपैथिक उपचार की तुलना में काफी सस्ता है और जीर्ण रोगों के लिए प्रमाणित है।

ऋषिकेश में होम्योपैथिक क्लिनिक

3. **मल्टीस्पेशिएलिटी चिकित्सा शिविर:** सेवा–टीएचडीसी प्रत्येक वर्ष परियोजना प्रभावित क्षेत्रों और पुनर्वास स्थलों के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मल्टीस्पेशिएलिटी चिकित्सा शिविर भी आयोजित करता है।

ख शिक्षा और आजीविका विकास

वंचित/अल्प सुविधाप्राप्त समुदायों को शिक्षा प्रदान करने उच्च और तकनीकी शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचनात्मक सहायता देने के लिए कारगर हस्तक्षेप किए गए हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र में किए गए मुख्य हस्तक्षेपों में से एक निम्नलिखित है:

1. **वंचित/पिछड़े समुदायों के लिए स्कूलों का संचालन:** टीएचडीसीआईएल, वंचित/कमजोर वर्गों के लिए टिहरी जिले के भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो स्कूल तथा देहरादून जिले के ऋषिकेश में एक स्कूल का संचालन कर रहा है। इन स्कूलों में लगभग 950 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें 50 प्रतिशत लड़कियां हैं जिन्हें निःशुल्क वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा आदि तथा "नैवेद्यम" स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन दिया जाता है।

2. **कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना:** स्थानीय क्षेत्र के युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका और रोजगार को बढ़ावा

देने के लिए टीएचडीसीआईएल बहुत–सी गतिविधियां जैसे (i) आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, व्यावसायिक लेखा में डिप्लोमा, कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सूर्य मित्र, आदि जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना। (ii) मशरूम की खेती, ब्यूटीशियन, सिलाई, आदि (iii) पॉली हाउस, फार्म मशीनरी बैंक, एसएचजी का प्रचार और स्थापना, वर्मी कम्पोस्ट, आदि पर महिलाओं/किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण (iv) अनुसूचित जाति के कारीगरों को रिंगल आदि पर प्रशिक्षण का कार्यान्वयन करता है।

जिला हरिद्वार में विद्युत वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

ग पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल, पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रयासों में सहायता हेतु बहुत–सी सीएसआर गतिविधियों का भी कार्यान्वयन करता है। टीएचडीसी ने हरिद्वार जिले में उत्तराखंड का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल ने सौर आधारित स्ट्रीट लाइट और एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की। खाना पकाने में बिजली के उपयोग को बढ़ावा देने और खाना पकाने में ईंधन की लकड़ी को हतोत्साहित करने के लिए, टिहरी गढ़वाल जिले आदि के पहाड़ी गांवों में बर्तन सहित इंडक्शन कुक टॉप का वितरण किया गया। टीएचडीसीआईएल, कीवी और सेब जैसे क्लस्टर आधारित फल फार्मों के विकास को भी बढ़ावा देता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल ने सरकारी विभाग के साथ अभिसरण में, टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 500 से अधिक वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण किया है। टीएचडीसीआईएल ने एलडीपीई टैंक, चल खल, तालाब, जल रोक बांध आदि के विकास में समुदाय का समर्थन किया है।

प्राकृतिक पूंजी

विश्व में प्राकृतिक परिसम्पत्तियों के ई–भंडार को प्राकृतिक पूंजी माना जा सकता है जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, हवा, पानी तथा सभी जीवित वस्तुएं आती हैं। इससे तात्पर्य हमारे द्वारा सुरक्षित और सृजित किए जाने वाले मूल्यों से होता है जो हम अपने बाहरी और आंतरिक हितधारक और समुदाय के लिए सृजित करते हैं या वे कदम हैं जो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण/पर्यावरण उपशमन के लिए उठाते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने अपनी स्थापना के समय से ही प्राकृतिक पूंजी को अपना महत्वपूर्ण क्षेत्र माना है। कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के हर पक्ष पर बल दिया जाता है, जिनमें वायुमंडलीय उत्सर्जन (विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों) में कमी, मिट्टी और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, स्रोत पर अपशिष्ट का न्यूनीकरण, अपशिष्ट का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण और हरित पट्टी विकास शामिल हैं।

क. विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान

- प्रचालन के पहले वर्ष अर्थात 2006–07 से 2021–22 तक टीएचडीसीआईएल देश को बिजली उपलब्ध करवाता रहा है और अपने जल, पवन और सौर विद्युत संयंत्रों, जो विद्युत के स्वच्छ एवं हरित स्रोत हैं, के माध्यम से 62374.893 एमयू स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया है। इससे देश के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिली है।
- टीएचडीसीआईएल, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन के जरिए देश की मदद कर रहा है जो अन्यथा कोयले, प्राकृति गैस और पेट्रोलियम का बड़ी मात्रा में उपयोग करके किया गया होता। यदि उक्त बचत की तुलना, कोयला, प्राकृतिक गैस और पैट्रोलियम ईंधन के माध्यम से एक किलोवाट–घंटा (केडब्ल्यूएच) बिजली के उत्पादन के लिए अपेक्षित मात्रा के संबंध में यू.एस. एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से की जाए, तो टीएचडीसीआईएल, वित्त वर्ष 2021–22 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विद्युत उत्पादन के माध्यम से कुल 32434944.72 मीट्रिक टन कोयले की या 630610175 एमसीएफ प्राकृतिक गैस की, और 107908566.1 बैरल पेट्रोलियम की बचत करने में सक्षम रहा है।

ख. कार्बन सिंक का सृजन: हरित पट्टी

मुख्य प्राकृतिक कार्बन सिंक पौधे, समुद्र और मिट्टी हैं। पेड़ प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करने के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उपयोगी जीवन देने वाली वायु ''ऑक्सीजन'' प्रदान करते हैं। इस कार्बन में से कुछ मात्रा मिट्टी के वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है, क्योंकि पौधे मर जाते हैं और अपघटित हो जाते हैं।

- प्राकृतिक व्यवस्था में पेड़ों के महत्व को स्वीकार करते हुए, टीएचडीसीआईएल वन और वृक्षों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जहां भी परियोजना गतिविधि के लिए वन की कटाई आवश्यक है, टीएचडीसीआईएल, वन सुरक्षा (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार प्रतिपूरक वानिकी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।
- **हरित पट्टी विकास:** टिहरी एचईपी में अब तक 1138 हेक्टेयर भूमि और केएचईपी में 450 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हरित पट्टी विकसित की जा चुकी है।
- **प्रतिपूरक वानिकी:** टिहरी विद्युत परिसर के सापेक्ष, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में 3959 हेक्टेयर, झांसी, उत्तर प्रदेश में 638.22 हेक्टेयर और हरिद्वार, उत्तराखंड में खानपुर वन रेंज में 2716.40 हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि में प्रतिपूरक वनरोपण किया गया है।
- **अपवाह क्षेत्र परिशोधन:** 52204 हेक्टेयर (44157 हेक्टेयर वन भूमि + 8047 हेक्टेयर कृषि भूमि) में अपवाह क्षेत्र परिशोधन योजना लागू की गई है।
- केएटीपीपी के आस–पास की 400 एकड़ भूमि में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। प्रति हेक्टेयर और 2000–2500 पेड़ मल्टी लेयर में लगाए जाएंगे और रोपे जाने के समय पौधे की ऊंचाई 6–10 फीट होगी। यह प्रदूषण को नियंत्रित करने और कार्बन सिंक

को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग. जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन: औषधीय उद्यान, मत्स्य प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण

जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, टीएचडीसीआईएल ने निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वित की हैं:

- टिहरी परियोजना के औषधीय उद्यान के अतिरिक्त, **वीपीएचईपी** में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। औषधीय उद्यान का विकास किया गया है और इसका अनुरक्षण कार्य हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से किया जा रहा है। औषधीय गुण वाले विभिन्न पौधे जैसे हरड़ (टर्मिनेलिया चेबुला), लेमन ग्रास (सिम्बोपोगन फेलक्सुसस), सर्पगंधा (रौवोल्फियासर्पेसिआ), एलोवेरा आदि रोपित किए गए हैं। औषधीय उद्यान में विकास और अनुरक्षण कार्यों के लिए, मार्च, 2022 तक 19.61 लाख रूपये का व्यय किया गया है।

- शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल की अनुशंसाओं के अनुसार, 'स्नो ट्राउट' मछलियों के संरक्षण के लिए वीपीएचईपी में मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला का निर्माण किया जा रहा है। कोटेश्वर परियोजना में महाशीर मछलियों के लिए मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला पहले से ही कार्यशील है।
- आसपास के प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों और पुरातात्विक संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए टीएचडीसीआईएल के **संपूर्ण परियोजना स्थल** में पर्यावरण प्रबंधन योजना मौजूद है।
- **खुर्जा एसटीपीपी में हरित पट्टी विकास:** 400 एकड़ क्षेत्र में हरित पट्टी विकास योजना प्रस्तावित है। राज्य वन विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से प्रस्ताव/अनुमान को अंतिम रूप दिया जा चुका है। परियोजना की सीमा के बाहरी परिधि में जीबीडी के तहत वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है और लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग 60 एकड़) में पूरा किया जा चुका है।

कचरा प्रबंधन प्रथाएं

- टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए तृतीय पक्ष ई–कचरा हैंडलर को पैनलबद्ध किया है जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा ई–कचरे के निस्तारण के लिए प्राधिकृत हैं।
- कैंटीन और बागवानी से ऋषिकेश नगर में पैदा हो रहे कचरे का इस्तेमाल ईआरआई की पेटेंटेड प्रौद्योगिकी–टीम (टीईआरआई की परिवर्धित अम्लीकरण एवं मेथेनन) प्रक्रिया के आधार पर विकसित बायो गैस संयंत्र में हो रहा है।

मलबा प्रबंधन

- चिन्हित क्षेत्र और ऊंचे बाढ़ स्तर से ऊपर स्थित स्थानों पर मलबा पाटा जाता है। पर्यावरण–अनुकूल तरीके से गंदगी के प्रबंधन के लिए स्थलों पर इंजीनियरिंग उपाय और बॉयोलॉजिकल उपाय अपनाए जाते हैं।
- वीपीएचईपी में डंपिंग यार्ड में ढाल स्थिरीकरण उपाय के रूप में वेटीवार (क्रिसोपोगोन जिजानीओड्स) घास लगाने का कार्य सितंबर, 2018 से शुरू कर दिया है।

पर्यावरणीय निगरानी

- वायु, जल और शोर की गुणवत्ता की आवधिक निगरानी की जा रही है। अब तक, वायु, जल और शोर की गुणवत्ता के सभी प्राचल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित अनुमेय सीमाओं के भीतर हैं।

वन्य जीव संरक्षण

- टीएचडीसीआईएल आस–पास के सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षोपाय के लिए प्रतिबद्ध है। वीपीएचईपी पर्यावरण प्रबंधन योजना में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक पृथक शीर्ष है। टीएचडीसीआईएल सभी कामगार शिविरों में एलपीजी गैस और मेस सुविधा उपलब्ध करवाती है ताकि ईंधन के लिए जंगल की लकड़ी और वन्य जीवों के शिकार पर उनकी निर्भरता कम हो सके। इसके अतिरिक्त, परियोजना स्थल पर वन्य जीवन संरक्षण से सम्बद्ध एक नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

घ. खुर्जा एसटीपीपी में पर्यावरण प्रबंधन

टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य के खुर्जा में एक कोयला आधारित 1320 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी सौंपा गया है, जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के तहत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों को निर्माण गतिविधि के साथ–साथ निष्पादित किया जाना है।

वायु प्रदूषण के विरूद्ध सुरक्षोपाय:

खुर्जा एसटीपीपी में कुछ उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग (पर्यावरण प्रबंधन योजना का हिस्सा) करके टीएचडीसीआईएल वातावरण में खतरनाक गैसों और कणों के प्रत्यक्ष उत्सर्जन के सुरक्षोपाय कर रहा है। इनमें से कुछ तकनीकों का उल्लेख नीचे किया गया है;

- फ्लाई ऐश कणों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89% दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) लगाए जाएंगे। प्रीसिपिटेटर्स को सूक्ष्म कणों की सांद्रता को 30 mg/Nm_3 से कम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा।
- बॉयलरों को अल्प नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) बर्नर प्रदान किया जाएगा और फ्लू गैसों को 100 mg/Nm3 से नीचे नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) और सल्फर डाइ ऑक्साइड (SO2) सांद्रता को सीमित करने के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक नाइट्रस ऑक्साइड (NOx) रिडक्शन एंड फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के माध्यम से निकाला जाएगा।

- फ्ल्यू गैसों को फिर से गर्म किया जाएगा और 150 मीटर ऊंचाई वाली चिमनी के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

ङ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

खुर्जा एसटीपीपी:

विद्युत परियोजना से उत्पन्न होने वाला मुख्य ठोस अपशिष्ट राख होगा। राख प्रबंधन योजना लागू की जाएगी जिसमें फ्लाई ऐश का सूखा संग्रह, उपयोग के लिए उद्यमियों को राख की आपूर्ति और अधिकतम सीमा तक राख के उपयोग को बढ़ावा देना और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल है। इसे लागू करने के लिए, टीएचडीसीआईएल में खुर्जा ईएमपी के लिए फ्लाई ऐश प्रबंधन योजना है।

वीपीएचईपी:

घरेलू/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट: श्रमिक शिविर में प्रतिदिन लगभग 30 किलो से भी कम कचरा उत्पन्न हो रहा है। कचरे का पृथक्करण स्रोत पर किया जाता है। ठोस कचरे को 300 संग्रह डिब्बों में एकत्र किया जा रहा है, जिन्हें श्रमिक शिविर और निर्माण स्थलों पर रखा गया है, जिनमें से 250 डिब्बे बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए हैं और गैर–बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए 50 डिब्बे हैं। बाद में कचरे को अंतिम निपटान के लिए नगर पालिका को सौंप दिया जाता है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट:

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरित एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का पालन किया जा रहा है। इसके लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को कलर कोडिंग बिन में रखा जा रहा है। इसके बाद अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी मेसर्स मेडिकल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी को सौंप दिया जाता है।

खतरनाक अपशिष्ट:

वीपीएचईपी में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है। उत्पन्न अपशिष्ट में प्रयुक्त टायर और ट्यूब, अपशिष्ट तेल, हाइड्रोलिक तेल, गियर तेल, ग्रीस, बैटरी और तेल युक्त अन्य अवशेष शामिल हैं। सभी अपशिष्ट को लीक प्रूफ बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल और अन्य अपशिष्ट तेल बंद कंटेनरों में एकत्र किए जाते हैं और खतरनाक अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र में संग्रहीत किए जाते हैं। अंत में, कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइक्लर) मेसर्स श्रुति केमिकल को सौंप दिया जाता है।

बौद्धिक पूंजी

बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन में होता है और प्रमुख हितधारकों के लिए मूल्य जोड़कर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

प्रौद्योगिकीय स्तरोन्नयन के लिए नूतन उपाय

- **टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी**

  उपलब्धता, विश्वसनीयता, मशीनों की कालावधि और संयंत्र के प्रदर्शन में सुधार के लिए, वर्ष 2011–12 से टिहरी और कोटेश्वर एचईपी के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की स्थिति की निगरानी और नैदानिक परीक्षण मेसर्स सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलोर द्वारा किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2021–22 में टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी की गई और परीक्षण के परिणामों ने उपस्कर की स्थिति अच्छी होने की पुष्टि की है।

- **केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी) द्वारा टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी की तकनीकी लेखापरीक्षा**

  टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी, टीएचडीसीआईएल के प्रमुख संयंत्र हैं और देश में इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में माने जाते हैं, दोनों परियोजनाएं क्रमशः वर्ष 2006–07 और 2011–12 से वाणिज्यिक प्रचालन में हैं। संयंत्रों में ओ एंड एम परिपाटियों, सांविधिक आवश्यकता आदि की पुष्टि करने के लिए, दोनों संयंत्रों का प्रबंधन और प्रचालन, ओ एंड एम के समर्पित, प्रतिबद्ध और सक्षम दल द्वारा किया जाता है। संयंत्रों में अपनाई जा रही ओ एंड एम गतिविधियों के स्वतंत्र मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए दोनों संयंत्रों की तकनीकी लेखापरीक्षा की गई थी। तकनीकी लेखापरीक्षा, सीबीआईपी द्वारा की गई थी और कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।

अनुसंधान और विकास

प्रौद्योगिकी आमेलन, परियोजनाओं की आवर्ती समस्याओं के लिए अत्याधुनिक समाधान और जल विद्युत केंद्रों के कुशल और विश्वसनीय प्रचालन और अनुरक्षण के लिए अन्य राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़ाव को बढ़ाने के लिए संस्थागत अनुसंधान और विकास गतिविधियां कार्यान्वित की गईं। अनुसंधान और विकास गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में अलग से एक अनुसंधान और विकास विभाग स्थापित किया गया था। चल रही अनुसंधान और विकास गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क. टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र के सेडीमेंट यील्ड का मूल्यांकन

ख. टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18–स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क तथा टिहरी और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13–स्टेशन सुदृढ़ गति नेटवर्क का संचालन और रखरखाव

ग. टिहरी क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क का विस्तार और स्तरोन्नयन (दीर्घकालिक) जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क की ढलान की स्थिरता के लिए व्यापक समाधान

घ. टिहरी बांध जलाशय के लिए वास्तविक समय प्रवाह में सुधार के लिए परामर्श

1. परामर्शी सेवाओं के लिए और
2. संस्थापन और प्रारंभण के लिए टिहरी और केएचईपी के ईएम उपस्कर की स्थिति की निगरानी (वित्त वर्ष 2021–22 के लिए)

ङ. हाइड्रो जनरेटर से चलने वाली पारेषण लाइनों में घट–बढ़ कर विश्लेषण ओर उपशमन

च. निर्माण और लिफ्ट युग्मों के विशेष संदर्भ में टिहरी जलाशय जल शीर्ष में उतार–चढ़ाव के साथ जलमग्न इनटेक संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन।

टीएचडीसीआईएल में जलाशय संचालन और बाढ़ शमन उपाय

टिहरी जलाशय भरना सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 21 जून से शुरू होता है, जिससे पूर्ण जलाशय स्तर प्राप्त करने के लिए मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रवाह जमा हो जाता है। जलाशय का भरण टिहरी बांध के संचालन एवं अनुरक्षण नियमावली में दिए गए जलाशय नियम वक्र के अनुसार किया जाता है। नियम वक्र, जलाशय को पूर्व–निर्धारित दर पर भरने और सक्रिय मानसून अवधि के दौरान आने वाली बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान रखने में मदद करता है ताकि, बाढ़ के बहाव के प्रत्यक्ष

परिणामों को कम करने के लिए अधिकांश समय, विनियमित/नियंत्रित निस्तारण निर्मुक्त किया जा सके। मानसून की अवधि के दौरान जलाशय में संग्रहीत जल का उपयोग कम प्रवाह अवधि के दौरान शीर्ष विद्युत/सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। टिहरी जलाशय के लाइव भंडारण का उपयोग गतिशील जलाशय संचालन मॉड्यूल के आधार पर किया जाता है, ताकि सिंचाई की आवश्यकता, जो फसल पैटर्न द्वारा नियंत्रित होती है, के अनुसार जल निस्तारित करते हुए, वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का अनुकूलन किया जा सके। सैद्धांतिक रूप से, नदी के प्रवाह के साथ लाइव भंडारण से अगले वर्ष के मानसून की शुरुआत तक सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने की उम्मीद होती है। इसकी स्थापना के बाद से, जलाशय प्रत्येक वर्ष इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम रहा है।

उत्तराखंड सरकार द्वारा ईएल 828 मीटर से ऊपर भरने की अनुमति मिलने के बाद पहली बार 29 सितंबर, 2021 को टिहरी जलाशय को एफआरएल (ईएल 830 मीटर) तक भरा गया था। टिहरी बांध में नियंत्रण कक्ष वाले टिहरी जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2016 से क्रियाशील है और वर्तमान में 6 घंटे और 24 घंटे के लीड समय के साथ पूर्वानुमान जारी कर रहा है जो ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से जलाशय के बेहतर प्रबंधन में भी मदद कर रहा है। कोटेश्वर बांध के अधो–प्रवाह से ऋषिकेश तक आठ स्थानों पर स्पीकर/सायरन से युक्त एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) भी स्थापित की गई है, जो कोटेश्वर बांध और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, देहरादून के नियंत्रण कक्ष से संचालित होती है। जब बांध से जल निस्तारण किया जाता है तो ईडब्ल्यूएस ध्वनि संदेश और सायरन के माध्यम से नदी के किनारे की आबादी को सतर्क/चेतावनी देने में मदद करती है।

सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क

संगठन के भीतर उत्पन्न होने वाले आंतरिक ज्ञान को ग्रहण करने, संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए ज्ञानन प्रबंधन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रभावी ज्ञान प्रबंधन मंच के बिना अक्सर निर्माण और प्रचालन के दौरान उत्पन्न ज्ञान भविष्य के संदर्भ के लिए ग्रहण नहीं किया जाता है। ज्ञान, सूचना, प्रमुख सीख, सफलता की कहानियों आदि के आंतरिक आदान–प्रदान की सुविधा के लिए, टीएचडीसीआईएल ने अपने वेब पोर्टल पर एक सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क शुरू किया है जिसमें कर्मचारी लॉग इन कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जो प्रक्रिया में सुधार और कर्मचारियों के ज्ञान के उन्नयन में मदद कर सकते हैं।

क्वालिटी सर्किल

टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों को क्वालिटी सर्किल से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें क्वालिटी सर्किल में नियोजित कर रहा है। यह संकल्पना है जहां कर्मचारीगण अपने–अपने क्षेत्रों की समस्याओं की पहचान करते हैं और स्वयं द्वारा समाधान का प्रस्ताव कर उनका कार्यान्वयन भी करते हैं। यह कर्मचारियों के बीच कौशल विकास, आत्मविश्वास, मनोबल और टीम वर्क के मूल्यों को बढ़ाता है। वार्षिक गुणवत्ता सर्किल मीट का आयोजन किया जाता है और चुने गए क्वालिटी सर्किल बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मूर्त पूंजी

आज की तारीख में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है जिसमें जल विद्युत से 1424 मेगावाट जल परियोजना (1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी, 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी, 24 मेगावाट ढुकवां एसएचईपी) और 113 मेगावाट पवन परियोजना (50 मेगावाट पाटन परियोजना और 63 मेगावाट द्वारका परियोजना) तथा 50 मेगावाट की कासरगोड़ सौर पार्क परियोजना शामिल है।

टिहरी विद्युत परिसर (2400 मेगावाट)

टिहरी बांध से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए टिहरी बांध के डाउनस्ट्रीम हिस्से में कोटेश्वर एचईपी का निर्माण किया गया है और अब यह प्रचालन में हैं। टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र जिसके लिए टिहरी ओर कोटेश्वर जलाशय ऊपरी धारा और निचली धारा के रूप में काम करते हैं, निर्माणाधीन है। टिहरी परिसर की ये तीनों समेकित परियोजनाएं बहुत कठिन कार्य हैं क्योंकि इन्हें एक ओर सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करनी होती है और दूसरी ओर उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ ग्रिडों को भी आपूर्ति करनी होती है।

टिहरी एचपीपी (4x250 मेगावाट)

टिहरी जलाशय का दृश्य

- भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा अर्थ एंड रॉक फिल डैम टिहरी एचपीपी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है।
- टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उतरी क्षेत्र को विद्युत लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।
- भंडारण परियोजना होने के नाते, टिहरी बांध ने बाढ़ शमन में मदद की, जिसका प्रदर्शन वर्ष 2010, 2011 और 2013 की बाढ़ों के दौरान किया गया।
- इसके अतिरिक्त, टिहरी की मशीनों को सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए) ग्रिड को उपलब्ध करवाया जा सके।
- वित्त वर्ष 2021–22 में, टिहरी एचपीपी से 3000 एमयू के लक्ष्य के सापेक्ष 3098.11 एमयू का उत्पादन हुआ।

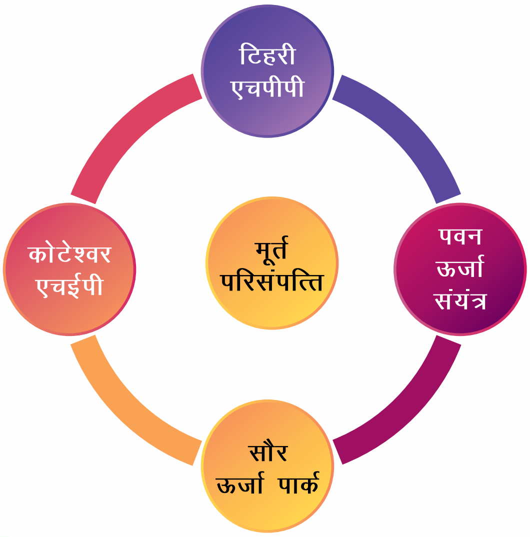

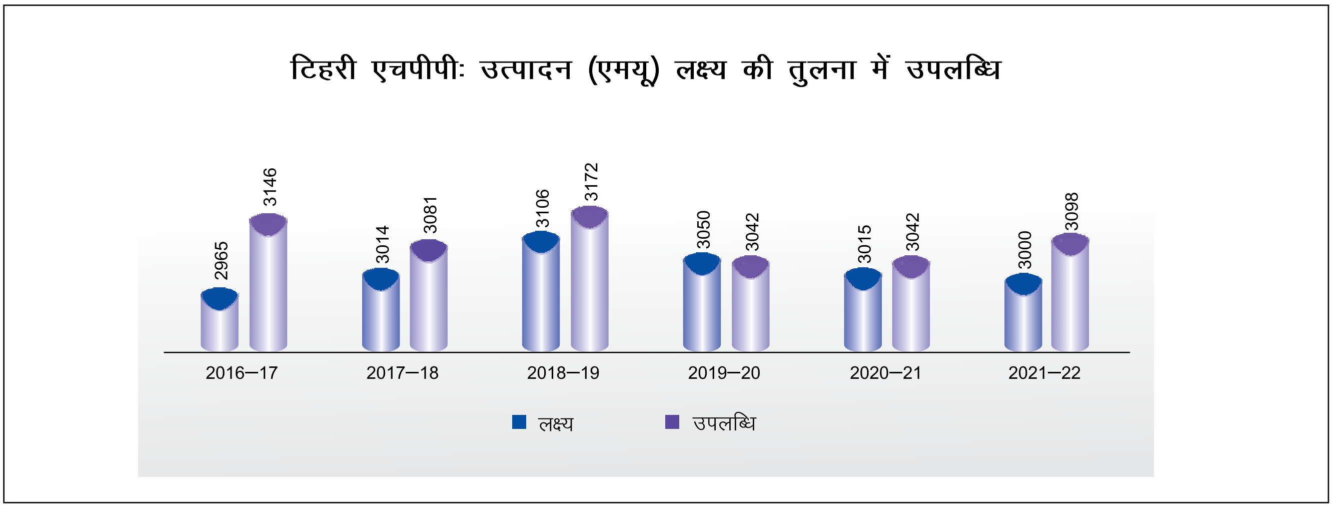

कोटेश्वर एचईपी (4x100) मेगावाट

कोटेश्वर एचपीपी के अपस्ट्रीम का दृश्य

टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित 400 मेगावाट के कोटेश्वर विद्युत गृह को अप्रैल, 2012 में ग्रिड की चौथी यूनिट के साथ वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया गया था। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी का भी प्रावधान है और ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- कोटेश्वर एचईपी का उत्पादन निम्नानुसार हैः

कोटेश्वर एचईपी का उत्पादन

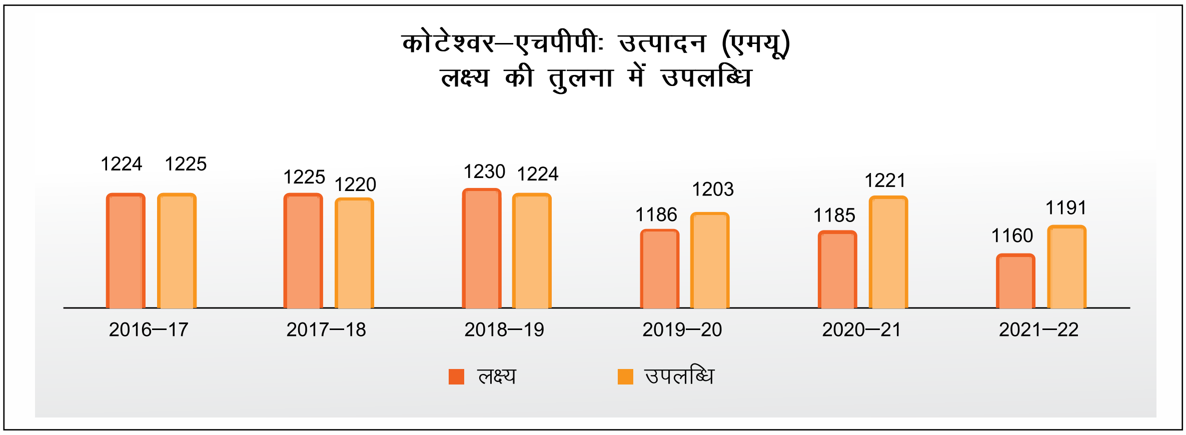

ढुकवां एसएचईपी (3x8 मेगावाट)

ढुकवां एसएचईपी में विद्युत गृह भवन का दृश्य

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूदा ढुकवां चिनाई–सह–मृदा बांध के पादाग्र पर ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किए जाने की परिकल्पना की गई। 24 मेगावाट (3x8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता वाली यह परियोजना बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है। परियोजना प्रचालनाधीन है और सभी तीन यूनिटों को दिसम्बर, 2019 में चालू किया गया था।

- ढुकवां परियोजना कई चीजें प्रथमतया हुई हैं:
  - क. टीएचडीसी की पहली नहर आधारित परियोजना
  - ख. टीएचडीसी का पहला पूरी तरह से संस्थागत सिविल डिजाइन
  - ग. लघु जलविद्युत परियोजना में टीएचडीसी की पहली परियोजना
  - घ. टीएचडीसी की पहली कपलान टर्बाइन वाली परियोजना
  - ङ. उत्तराखंड के बाहर टीएचडीसी की पहली जलविद्युत परियोजना

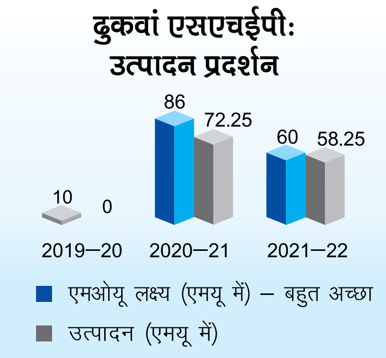

पवन उर्जा के अन्य रूपों में विविधीकरण

जिला देवभूमि द्वारका, गुजरात में 63 मेगावाट के डब्ल्यूपीपी का 120 मीटर ऊंचा हाईब्रिड विंड टॉवर

पवन ऊर्जा

- 29 जून, 2016 को 2–2 मेगावाट के 25 पवन टर्बाइन के साथ नवीकरणीय ऊर्जा में 50 मेगावाट का योगदान करते हुए, टीएचडीसी ने अपनी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि शामिल कर ली। पवन टर्बाइनों को मेसर्स गामेसा, जो एक अग्रणी पवन विद्युत उत्पादक है, द्वारा गुजरात के पाटन जिले में निर्धारित समय से 2 माह पहले ही संस्थापित कर दिया गया था, और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है।

- प्रत्येक 2.1 मेगावाट की 30 मशीनें अर्थात् 63 मेगावाट को 31 मार्च, 2017 को नेशनल ग्रिड में शामिल किया गया। इस परियोजना को मेसर्स सुजलोन द्वारा शुरू किया गया था और ये टर्बाइनें देवभूमि, द्वारका में अवस्थित हैं।

वर्ष	पाटन पवन विद्युत परियोजना		देवभूमि दवारका पवन विद्युत परियोजना	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (प्रतिशत)
2017-18	90.2219	20.60%	149.45	27.08%
2018-19	108.318	24.73%	182.89	33.14%
2019-20	104.073	23.70%	177.83	32.22%
2020-21	75.642	17.27%	136.436	24.72%
2021-22	77.74	17.75%	156.90	28.43%

सौर ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 31.12.2020 से केरल के कासरगोड जिले में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के प्रारम्भण से सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है जिसे दिनांक 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय को समर्पित किया गया।

कासरगोड एसपीपी का वर्ष–वार उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ प्रतिशत
2020–21	17.36	15.90%
2021–22	89.11	20.34%

ताप ऊर्जा (खुर्जा सुपर थर्मल पावर स्टेशन - 1320 मेगावाट)

1320 मेगावाट के एसटीपीपी में बॉयलर-1 एवं 2, एमपीएच-2 एवं 2 का उत्थापन एवं सीसीआर भवन का कार्य प्रगति पर

टीएचडीसीआईएल द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में 1320 मेगावाट के 2x660 मेगावाट खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस संयंत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 9828 एमयू होगा जो विद्युत उपलब्धता फैक्टर (पीएएफ) के 85 प्रतिशत के समनुरुप होगा। सीसीईए ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट (एसटीपीपी) और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान परियोजना के लिए क्रमशः 11,089.42 करोड़ रूपये और 1587.16 करोड़ रूपए की राशि हेतु निवेश अनुमोदन प्रदान किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी। कुल 1200.843 एकड़ भूमि का भौतिक अधिग्रहण लिया गया। पर्यावरणीय मंजूरी, चिमनी का निर्माण, जल प्रतिबद्धता, रेलवे साइडिंग और निर्माण शक्ति आदि सहित वैधानिक मंजूरी प्रदान की गई। सभी प्रमुख संयंत्र पैकेज एवार्ड किये जा चुके हैं और सभी स्तरों पर कार्य तेजी से चल रहा है। पहली यूनिट के फरवरी–2024 तक चालू होने का अनुमान है। .

अमेलिया कोयला खदान

खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिएय कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान आवंटित की है। सीसीईए ने अमेलिया कोयला खदान के लिए, 1587.16 करोड़ रुपए (दिसंबर–17 पीएल पर) की अनुमानित लागत पर निवेश अनुमोदित कर दिया था। अमेलिया कोयला खदान में निवल भूगर्भीय भंडार 162.05 मिलियन टन (OC) है, जिसमें से निष्कर्षण–योग्य कोयला भंडार 139.48 मिलियन टन है। अमेलिया कोयला खदान से खुर्जा एसटीपीपी की अधिकतम आवश्यकता के अनुसार 5.6 एमटीपीए कोयले की आपूर्ति की जाएगी। दिनांक 30.08.2022 को एमडीओ के साथ कोयला खनन करार (सीएमए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सितंबर, 2022 में कोयला खदान खोलने और 22 नवंबर से कोयले की निकासी शुरू करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

1. **टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (2x250 मेगावाट)**

टिहरी पीएसपी की प्रथम यूनिट के रनर का उत्थापन

- भारत में पीएसपी का सबसे बड़ा 4x250 मेगावाट का टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट पूरा हो जाने पर उत्तरी क्षेत्र में 1000 मेगावाट क्षमता उत्पादन की वृद्धि करेगा। यह ऊपरी जलाशय ओर निचले जलाशय (रिजर्वायर) के बीच छोड़े गए पानी के पुनः चर्कीकरण की अवधारणा पर आधारित है। टिहरी बांध भंडारण रिजर्वायर अपर रिजर्वायर के रूप में और कोटेश्वर रिजर्वायर निचले संतुलकारी रिजर्वायर के रूप में काम करेगा। वर्तमान में सिविल, एचएम और ईएम कार्य तेजी से चल रहे हैं और परियोजना की पहली इकाई के अप्रैल, 2023 तक चालू होने की उम्मीद है।

विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

वीपीएचईपी में बांध उत्खनन कार्य प्रगति पर

- वीपीएचईपी 'रन आफ दि रिवर' परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डैम की परिकल्पना की गई है जो अलकनंदा नदी पर 237 मीटर के सकल शीर्ष के साथ तेजी लाएगा। यह 1674 एमयू यूनिट (90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष) का उत्पादन करेगा। परियोजना बैंक के ऋण भाग का वित्तपोषण विश्व बैंक कर रहा है। सिविल और एचएम निर्माण कार्यों तथा ईएम कार्यों में सामंजस्य बिठा कर परियोजना की पहली इकाई के अक्तूबर, 2024 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

मानव पूंजी

प्रत्येक संगठन की सफलता पूर्ण रूप से उसके कार्यबल की योग्यता और प्रेरणा पर आधारित होती है। 'मानव पूंजी' का महत्व उस क्षेत्र में और भी अधिक स्पष्ट है जो स्वाभाविक रूप से उच्च जोखिम, पूंजी गहन और प्रौद्योगिकी–संचालित होता है। मानव पूंजी मूलतः किसी व्यक्ति या लोगों के कौशल, ज्ञान और अनुभव को कहते हैं जिसे किसी संगठन के मूल्य और लागत के रूप में देखा जाता है। टीएचडीसीआईएल, क्षमता में निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने मानव समूह में युवाओं को स्थान देता है। टीएचडीसीआईएल ने अपने मानव–मेगावाट अनुपात और तकनीकी जनशक्ति से गैर–तकनीकी जनशक्ति के अनुपात में सुधार करने के लिए कुशल भर्ती कार्यनीति अपनाई है। कंपनी अखिल भारतीय परीक्षा 'गेट', यूजीसी नेट, कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञतायुक्त क्षेत्रों अर्थात एचआर, इंजीनियरिंग, वित्त, विधि, जनसंचार और पर्यावरण में कार्यपालकों को हायर करती है। संरचित मानव संसाधन विकास की दिशा में कंपनी के प्रयासों में 'क्षमताओं को मजबूत करना' हमेशा फोकस क्षेत्र रहा है। कोविड–19 के साथ ही एक अलग प्रौद्योगिकी संचालित परिदृश्य उभर कर आया है जहाँ कम के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। नया परिदृश्य निर्णय लेने की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तंत्रों का कार्यान्वयन करने के अतिरिक्त लाभ की पेशकश करने वाली प्रौद्योगिकी के साथ न्यूनतम संचलन के साथ कुशल जिम्मेदारी निर्वहन की पेशकश करता है।

हमारी मानव पूंजी और उनका सुदृढ़ीकरण

दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल की मानव पूंजी 1644 है जिसमें 813 कार्यपालक, 67 पर्यवेक्षक, 764 कामगार शामिल हैं। एक उच्च गुणवत्तापूर्ण, प्रेरित कार्यबल सामरिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, इसलिए टीएचडीसी अपने कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। निम्नलिखित ग्राफ पिछले कुछ वर्षों से टीएचडीसीआईएल में अपनाई जा रही सामरिक जनशक्ति योजना के उत्पादन को दर्शाता है।

1. **मानव/मेगावाट अनुपात:** मानव/मेगावाट अनुपात में लगातार गिरावट आई है जो जनशक्ति की प्रभावी भागीदारी को दर्शाता है।

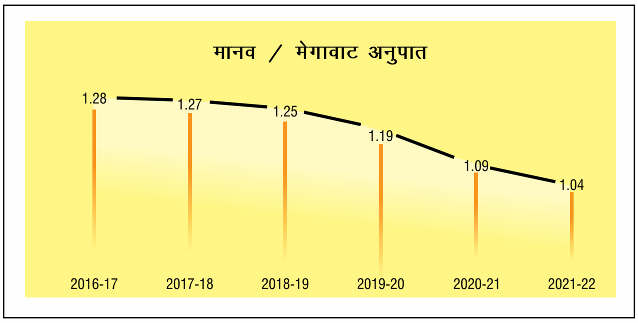

2. **तकनीकी जनशक्ति से गैर-तकनीकी जनशक्ति का अनुपात:** टीएचडीसीआईएल अपने तकनीकी जनशक्ति से गैर–तकनीकी जनशक्ति के अनुपात में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। टिहरी–एचपीपी (1000 मेगावाट) के निर्माण चरण के दौरान स्थानीय लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई और यूपीआईडी कर्मचारियों के बड़े हिस्से को टीएचडीसीआईएल में समामेलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी से गैर–तकनीकी जनशक्ति अनुपात में कमी आई।

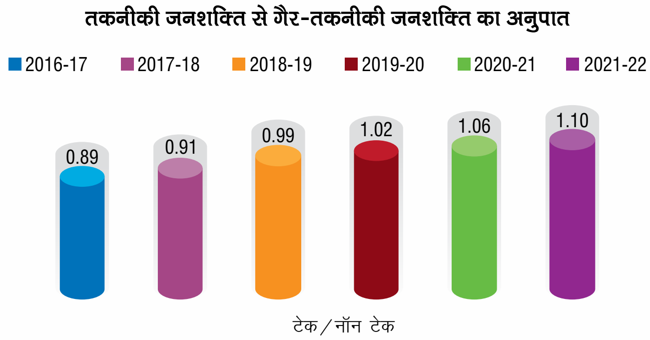

3. **जनशक्ति रुझान:** जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके परिणामस्वरूप न केवल अनुपात संकुचित हुआ बल्कि उच्च मानव संसाधन लागत में भी योगदान मिला। टीएचडीसीआईएल ने अतिरिक्त जनशक्ति का समाधान करने और भविष्य के लिए प्रभावी उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित करने के लिए अपनी भर्ती कार्यनीति की योजना बनाई। जनशक्ति में गिरावट का रुझान नीचे देखा जा सकता है:

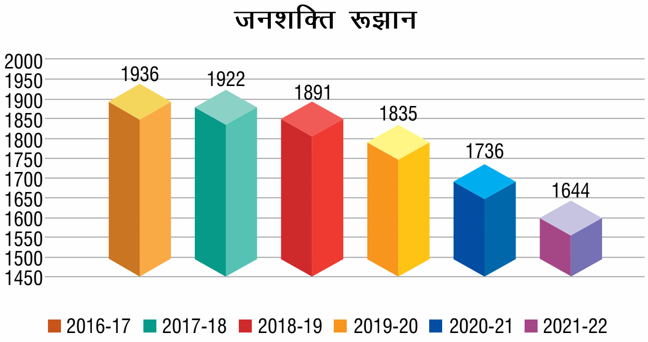

प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन

टीएचडीसी, ज्ञानार्जन पहलों में निवेश करने में दृढ़ विश्वास रखता है और इसके लिए उसके पास एक सुस्पष्ट ज्ञानार्जन विकास प्रणाली है। टीएचडीसी, व्यापार के साथ तालमेल बनाकर अपने कर्मचारियों की क्षमता को सामरिक एचआरडी हस्तक्षेपों के माध्यम से उन्नत करने का प्रयास करता है। कंपनी, अपने व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की विकास योजनाओं को अनुरूप बनाने में सक्षम है, जो संगठन को वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की दक्षताओं को अद्यतन रखने में मदद करती है। ऋषिकेश में स्थित एक उन्नत समर्पित एचआरडी केन्द्र कंपनी की प्रशिक्षण जरुरतों को पूरा करता है। हमारे कर्मचारियों की अंतर्निहित क्षमता, योग्यता और कौशल में सुधार लाने के लिए टीएचडीसीआईएल में आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण, व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण और पेपर प्रेजेंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मानव संसाधन विकास के लिए प्रतिभा की पुनःपूर्ति और योग्यता अंतराल को पाटना महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। अभिचिन्हित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। कोविड–19 के बाद के परिदृश्य में, कंपनी ने अपने अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे इसके कार्यबल के ज्ञान उन्नयन में किसी भी व्यवधान को कम किया जा सके। हमारी कंपनी को इंजीनियरिंग क्षेत्रों से जुड़े अनेक विषयों अर्थात हाइड्रोलोजी, विद्युत, सिविल, जियोटेक्नीकल डिजाइन और एचआर में आंतरिक विशेषज्ञता प्राप्त है। इस वर्ष, प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों को बाह्य नामांकन के अलावा 49 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 2000 मानव दिवस के लक्ष्य के सापेक्ष 2813 मानव दिवस की उपलब्धि प्राप्त की गई।

एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेसेज (एनएसबी) के साथ समझौता-ज्ञापन

टीएचडीसीआईएल और एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने व्यापक तकनीकी–प्रबंधकीय डोमेन पर विशेष ध्यान देने के साथ विभिन्न क्षमता निर्माण पहल करके टीएचडीसीआईएल कर्मचारियों की दक्षताओं और कौशल सेटों को बढ़ाने के उद्देश्य से 21 जुलाई, 2022 को एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस (एनएसबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनएसबी एक ऐसा संस्थान है जिसमें शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं की एक योग्य बहु–विषयक टीम है और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करता है और अनुसंधान और शिक्षण करता है। एनएसबी टीएचडीसीआईएल के मानव संसाधन विकास केंद्र नामतः तक्षशिला सतत आजीविका और सामुदायिक विकास केंद्र, ऋषिकेश की सुविधा का भी लाभ उठाएगा। समझौता ज्ञापन 02 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल का नेतृत्व और भावी नेतृत्व के महत्व में दृढ़ विश्वास है। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए, कारपोरेट सुशासन आदि लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए, कारपोरेट सुशासन, कंपनी विधि और नए अधिनियमों पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशक भी नामित किए जाते हैं।

टीएचडीसीआईएल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक के लिए निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

- **बोर्ड सुशासन:** अवधारणा और उभरते रुझान, बोर्ड सुशासन और गतिशीलता, बोर्ड की प्रभावशीलता और स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका, बोर्ड समितियों के माध्यम से प्रभावी निर्णय–निर्माण, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के लिए वित्त को समझना, एकीकृत सोच और ईएसजी, संबंधित पार्टी लेनदेन, इसकी अवधारणा, कॉर्पोरेट सुशासन फ्रेमवर्क: राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य।
- **कॉरपोरेट सुशासन:** अवधारणा और उभरते रुझान, कंपनी अधिनियम, 2013 पर फोकस, सेबी एलओडीआर पर फोकस, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां: सुशासन के संरक्षण, यूपीएसआई (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी) के संबंध में विनियामक ढांचा और केस चर्चा, बोर्ड समितियों के माध्यम से सुशासन, लेखा परीक्षा समिति की प्रभावशीलता, कॉर्पोरेट स्थिरता और ईएसजी को संरेखित करना, बेहतर बोर्ड निर्णयों के लिए वित्तीय अंतर्दृष्टि का मूल्यांकन, जिम्मेदार व्यवसाय की नींव रखना।
- डीपीई द्वारा स्वतंत्र निदेशकों का क्षमता निर्माण

सोशल मीडिया और सामाजिक संवाद मंचों के माध्यम से कर्मचारियों की संलग्नता

कर्मचारियों के स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए आयोजित 10 कि. मी. मैराथन वॉक का दृश्य

कारपोरेट की ब्रांडिंग बढ़ाने और हितधारकों की संलग्नता सुनिश्चित करने के लिए टीएचडीसी में एक कॉर्पोरेट संचार विभाग है जो पेशेवर तरीके से जिम्मेदारी के साथ रोजमर्रा के जनसंपर्क मामलों को संभालता है। टीएचडीसीआईएल इस माध्यम से जनता और हितधारकों तक पहुंचने में सोशल मीडिया की क्षमता को स्वीकार करता है। टीएचडीसीआईएल के पास एक सक्रिय और समर्पित फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल है जो विद्युत मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के फेस बुक पेज और ट्विटर हैंडल से जुड़ा हुआ है। इन प्लेटफार्मों का प्रयोग हमारे हितधारक कर्मचारियों के मध्य सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जाता है जो इन डिजिटल मंचों पर लगातार अपने विचारों को साझा करते हैं और प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देते हैं। इस प्रकार ये सोशल मीडिया हैंडल, ज्ञान और सूचना को साझा करने के लिए दोतरफा संचार और द्वार उपलब्ध करवाते हैं।

कर्मचारी कल्याण गतिविधियां

टीएचडीसी ने कर्मचारियों को एक वांछनीय कार्य–जीवन संतुलन प्रदान करने के साथ–साथ जीवनयापन और कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने के लिए संरचित पहल की। टीएचडीसी द्वारा कर्मचारी कल्याण को एक आधारभूत जिम्मेदारी माना जाता है और महामारी के समय में टीएचडीसी ने कर्मचारी कल्याण और स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से हमेशा अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान इंटर सीपीएसयू खेल आदि के आयोजन से लेकर बहुत–सी कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया और बैडमिंटन सहित आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित खेल आयोजनों में पदक जीते, जिनमें महिला टीम ने दूसरा पुरस्कार हासिल किया। टीएचडीसीआईएल का भौतिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वस्थता में दृढ़ विश्वास है। इसलिए कंपनी ने कार्यजीवन में संतुलन लाकर आंतरिक संचार को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक संवाद के अनेक प्लेटफार्म तैयार किए हैं। टीएचडीसी स्वस्थ सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, नया साल, स्थापना दिवस आदि जैसे विभिन्न त्योहार सामूहिक रूप से सांस्कृतिक गतिविधियों आदि का आयोजन करके मनाए जाते हैं। टीएचडीसी बेहतर जीवन के लिए योग के समग्र महत्व को महसूस करता है और इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवारों को निरंतर योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और योग्य योग प्रशिक्षकों को नियुक्त किया गया है। पूरे वर्ष के दौरान योग दिवस का आयोजन, स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था, विभिन्न इकाइयों में चिकित्सा जांच शिविर और रक्तदान, टीकाकरण शिविर आदि भी एक अतिरिक्त विशेषता रही।

आजादी का अमृत महोत्सव

आजादी कार्निवल के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां

टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के साथ–साथ 35वां स्थापना दिवस मनाया। इस संबंध में 12 जुलाई 2022 से 15 अगस्त 2022 तक माह भर चलने वाले समारोहों नामतः ''आजादी कार्निवल'' की योजना बनाई गई थी। इसके तहत टीएचडीसीआईएल में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों, इनहाउस टैलेंट शो और क्विज का आयोजन किया गया। इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल की सभी इकाइयों/कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

आजादी कार्निवल के तहत आयोजित प्रमुख गतिविधियों की सूची निम्नानुसार हैः

- टीएचडीसीआईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय में 100 फीट का भारतीय राष्ट्रीय ध्वजारोहण और शुभारम्भ।
- ऋषिकेश में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 50 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- ऋषिकेश कार्यालय में इनहाउस प्रतिभा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और संविदा कर्मचारियों ने नृत्य, गायन, संगीत वाद्ययंत्र बजाना आदि विभिन्न प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया।
- ''टीएचडीसीआईएल और भारत का गौरवशाली इतिहास और वर्तमान'' विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- आजादी कार्निवाल के बैनर तले में कर्मचारियों के बच्चों को संलग्न करने के लिए ऋषिकेश कार्यालय में साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- नए रंगमंच के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी नामतः ''सरजा शिवाजी'' के रंगमंच प्रदर्शन का आयोजन किया गया था।
- कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों, संविदा कर्मचारियों और समुदाय को बड़े पैमाने पर एहतियाती/बूस्टर खुराक का टीका लगाने के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। ऋषिकेश में 500 लोगों का टीकाकरण किया गया। टीएचडीसीआईएल की विभिन्न इकाइयों/परियोजनाओं में टीकाकरण शिविर भी आयोजित किए गए।
- ''हर घर तिरंगा'' अभियान के तहत कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को 2500 झंडों का वितरण किया गया। बड़े पैमाने पर प्रशासन और समुदाय को भी अलग–अलग झंडे उपलब्ध कराए गए।

मानव संसाधन नीतिगत ढांचा

टीएचडीसीआईएल, कारपोरेट कार्यों को विनियमित करने और उत्तरदायी व्यवहार सुनिश्चित करने में नीतिगत ढांचे के महत्व को स्वीकार करता है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में टीएचडीसीआईएल पारदर्शी कॉरपोरेट व्यवहार में विश्वास रखता है और इसलिए अपने हितधारकों के मध्य सूचनाओं के स्वतंत्र प्रवाह में विश्वास रखता है। हमारे यहां एक जीवंत और विविधतायुक्त मानव संसाधन नीतिगत ढांचा मौजूद है।

टीएचडीसीआईएल में अपनाई जाने वाली मानव संसाधन परिपाटियां

- सुझाव स्कीम के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना।
- सेवोपरांत चिकित्सा हितलाभ पोर्टल का शुभारंभ।
- उच्च/अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम।
- ईटी की मेंटरिंग की स्कीम।
- प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन कैलेंडर।
- एग्जिट साक्षात्कार की नीति
- प्रबंधन प्रणालियों का डिजिटलीकरण
- 'सहयोग'–कर्मचारियों के बीच आपसी मदद की भावना को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- कर्मचारियों को पूर्ण क्षमता का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार और सम्मान स्कीम।
- आपसी सहमति से समस्या का समाधान करने के लिए क्वालिटी सर्किल।
- संगठन के भावी नेतृत्वकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तराधिकार स्कीम मॉडल।
- पूर्वनिर्धारित मापदंडों के साथ मानव संसाधन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन लेखापरीक्षा।
- नेतृत्व और टीम वर्क की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्किप लेवल मीटिंग।
- कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए टीएचडीसीआईएल पुरस्कार और सम्मान स्कीम के तहत पुरस्कारों की मौजूदा सूची में ''त्वरित निर्णय–निर्माण'' और ''नवाचार पुरस्कार'' के लिए नए पुरस्कार शामिल किए जा रहे हैं।

माननीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर. के. सिंह 26 मई, 2022 को टिहरी, उत्तराखंड में ''जल विद्युत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता'' पर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए

निदेशकों की रिपोर्ट 2021-22

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

अनुलग्नक - I	कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट
अनुलग्नक - II	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट
अनुलग्नक - III	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
अनुलग्नक - IV	ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय
अनुलग्नक - V	व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट
अनुलग्नक - VI	सचिवालयी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (2021–22)

निदेशकों की रिपोर्ट 2021-22

प्रिय सदस्य गण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित कंपनी के निष्पादन पर 34वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2021–22 के दौरान 4520 एमयू के लक्ष्य के सापेक्ष 4670.81 एमयू ऊर्जा का उत्पादन किया है।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान टीएचडीसीआईएल का कुल पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) 2730 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 3232.51 करोड़ रुपए रहा। यह वित्त वर्ष 2021–22 के समझौता ज्ञापन लक्ष्य का 118% है।
- टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2021–22 के दौरान, ऋण बाजार से 7.39% की वार्षिक ब्याज दर पर सफलतापूर्वक 1200 करोड़ रुपए की बॉण्ड सीरीज–V जुटाई।
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को अरुणाचल प्रदेश में लोहित बेसिन का विकास भी सौंपा है जिसमें कलाई–II एचईपी (1200 मेगावाट) और डेमवे (लोअर) एचईपी (1750 मेगावाट) का विकास शामिल है।
- टीएचडीसीआईएल ने आरआरईसीएल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एसपीवी के माध्यम से राजस्थान में 10000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए दिनांक 15.04.2022 को आरआरईसीएल (राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 22.12.2021 के पत्र के माध्यम से टीएचडीसीआईएल द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किए जाने के लिए उत्तराखंड राज्य को अभिचिह्नित किया है। तदनुसार, कुल संस्थापित क्षमता 1600 मेगावाट की तीन ऑफ–स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजनाएं अभिचिह्नित की गई है और इनकी पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट टीएचडीसीआईएल में आंतरिक प्रक्रियाधीन है।
- टीएचडीसीआईएल ने सुसामयर–कोकोमेरेन एचपीपी (1305 मेगावाट) विकसित करने में अपनी अभिरुचि व्यक्त की है और किर्गिज प्राधिकरणों से विशिष्ट आंकड़ें और विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है ताकि टीएचडीसीआईएल, साइट विशिष्ट अध्ययन के लिए योजना तैयार करने और परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए लागत अनुमान तैयार करने में सक्षम हो सके।
- टीएचडीसीआईएल ने घाना सरकार को दिनांक 22.04.2022 में घाना में 50 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए अपनी अभिरुचि व्यक्त की है। घाना की ओर से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
- टीएचडीसीआईएल प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अवसर हासिल करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए 14 सौर ऊर्जा ईपीसी संविदाकारों को टीएचडीसीआईएल के साथ पैनलबद्ध किया गया है और वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश कर रहे हैं।
- वर्ष 2021–22 के लिए लाभ (कुल व्यापक आय) 896.92 करोड़ रुपए रहा।

टीएचडीसीआईएल और बैंक ऑफ बड़ौदा के मध्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर

वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :–

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
आय		
(क) सतत प्रचालन से राजस्व	1,921.49	1,796.01
(ख) अन्य आय	305.85	705.92
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	16.24	18.80
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	(16.24)	(18.80)
कुल राजस्व (क+ख)	**2,227.34**	**2,501.93**
व्यय		
(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	354.11	388.78
(ख) वित्तीय लागत	134.11	181.93
(ग) मूल्यह्रास और परिशोधन	302.65	317.33
(घ) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	287.06	230.33
(ङ) अशोध्य संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	–	0.25
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ)	**1,077.93**	**1,118.62**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, अपवादात्मक व्यय और कर पूर्व लाभ	**1,149.41**	**1,383.31**
अपवादात्मक मदें – (आय)/व्यय–निवल	–	35.65
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष	**1,149.41**	**1,347.66**
कर व्यय:		
(क) चालू कर (आयकर)	189.34	229.60
(ख) आस्थगित कर – (परिसंपत्ति)/देयता	35.57	68.48
विनियामक आस्थगित खाता शेष में कर पश्चात लाभ	**924.50**	**1,049.58**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय)–निवल कर	(29.72)	42.83
सतत प्रचालन से इस अवधि के लिए लाभ	**894.78**	**1,092.41**
अन्य व्यापक आय/(व्यय) (कर का निवल)	2.14	0.31
कुल व्यापक आय	**896.92**	**1,092.72**

वित्तीय निष्पादन

सकल राजस्व और लाभ

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, कुल व्यापक आय तथा सकल राजस्व और कुल व्यापक आय के प्रतिशत में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21	वृद्धि/कमी
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	1921.49	1796.01	125.48
सकल राजस्व	2227.34	2501.93	(274.59)
कुल व्यापक आय	896.92	1092.72	(195.80)
सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का प्रतिशत	40.27%	43.68%	

प्रचालन से राजस्व में उपरोक्त वृद्धि मुख्य रूप से – कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लागू होने के कारण वसूली, सीईआरसी के दिनांक 23.10.2021 के आदेश के परिणामस्वरूप जीएसटी के प्रभाव आदि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 90.19 करोड़ की बिलिंग राशि के कारण है। तथापि, मुख्य रूप से विलंबित भुगतान अधिभार में कमी के कारण सकल राजस्व में ₹ 274.59 करोड़ की कमी हुई है।

पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय

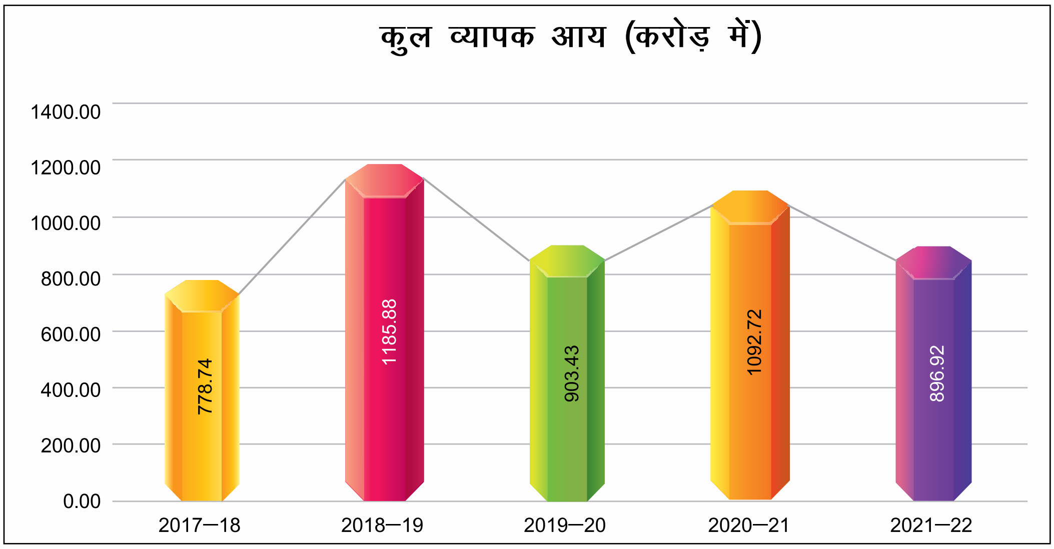

लाभांश

आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 508.20 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें वित्त वर्ष 2021–22 के लिए अंतरिम लाभांश के रूप में 317.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 190.84 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस प्रकार, 508. 20 करोड़ रुपये का कुल लाभांश भुगतान 1000/– रुपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 138.63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है, और जो कुल व्यापक आय के 56.66% और संदत्त पूंजी के 13.86% का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 197.94 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रुपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 140.56 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 515.30 करोड़ रुपये है और यह निवल मूल्य का 5% है।

पूंजी सरंचना और निवल मूल्य (नेटवर्थ)

शेयर पूंजी

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 4000 करोड़ रूपये है। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, संदत्त पूंजी और निवल मूल्य (नेटवर्थ) क्रमशः 3665.88 करोड़ रू. और 10306.15 करोड़ रू. है।

प्रचालनात्मक निष्पादन 2021-22

विद्युत उत्पादन

आपकी कंपनी की कुल संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जल, पवन और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 4520 एमयू के एमओयू लक्ष्य के सापेक्ष के 4670.81 एमयू था। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष के 4565.38 एमयू उत्पादन से अधिक रहा है।

वर्ष 2021–22 के दौरान जल, पवन और सौर विद्युत संयंत्रों से कुल विद्युत उत्पादन निम्नानुसार हैं–

क्र. संख्या	संयंत्र का नाम	उत्पादन (मि.यू.) में		पीएएफ/सीयूएफ	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3000	3098.12	80.00%	83.728%
2.	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1160	1190.69	68.00%	68.567%
3.	ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट)	60	58.24	–	27.704%
4.	पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	80	77.74	25.30%	17.75%
5.	द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट)	150	156.91	27.08%	28.43%
6.	कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	70	89.11	.	.
	कुल	**4520**	**4670.81**		

टीएचडीसीआईएल का प्रचालनात्मक प्रदर्शन (उत्पादन एवं पीएएफ)

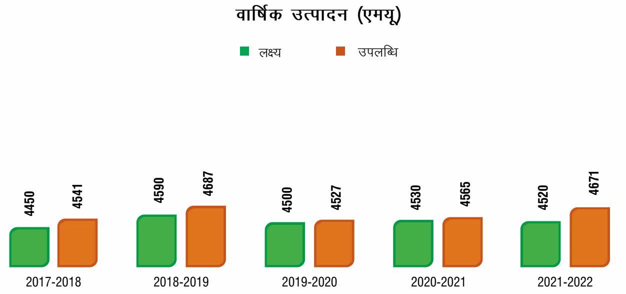

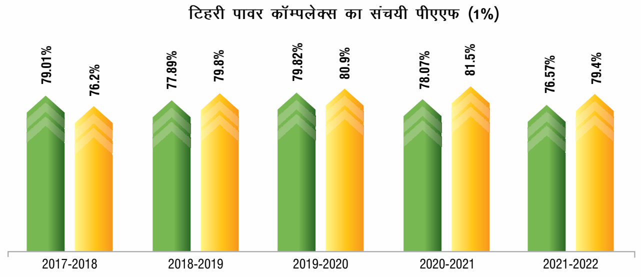

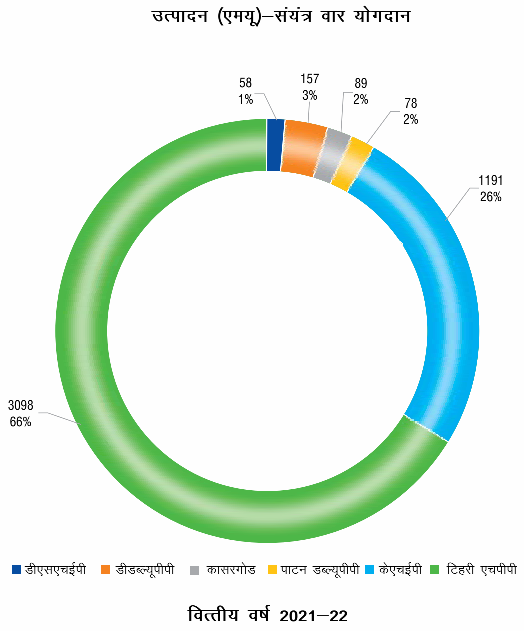

कैपेक्स प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021–22 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1988 में अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कैपेक्स हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल कैपेक्स 3232.51 करोड़ रुपए है, जो इसके निर्धारित एमओयू लक्ष्य अर्थात 2730 करोड़ रूपये का 118% है। यह इसके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक मंत्रालय और समर्पित कर्मचारियों के कड़े परिश्रम के परिणामस्वरूप इसकी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की त्वरित गति का परिणाम है।

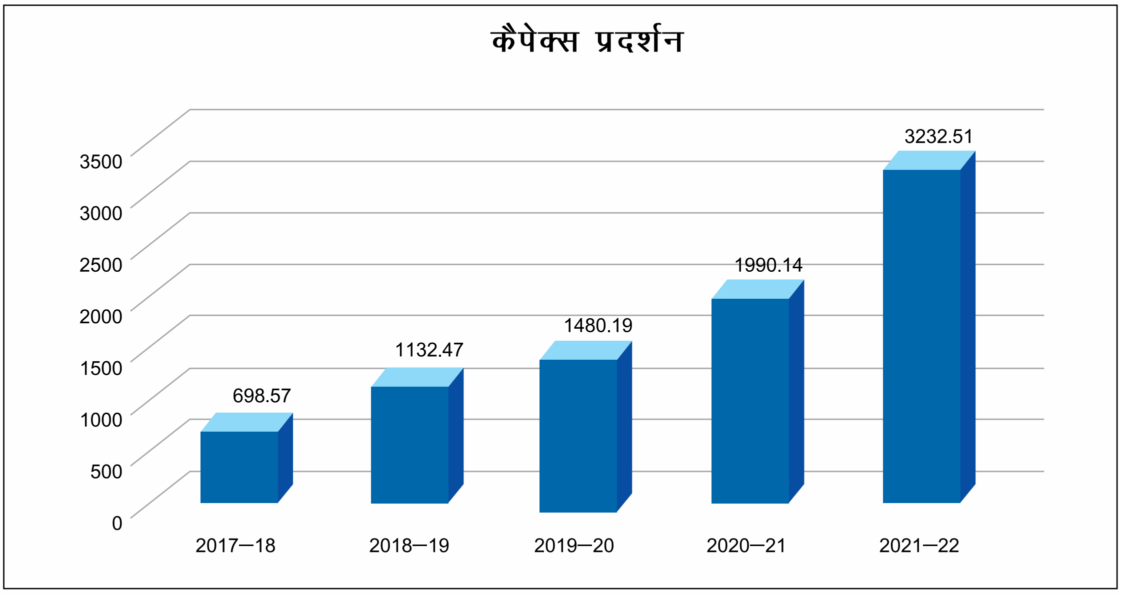

वाणिज्यिक निष्पादन

आपकी कंपनी लाभार्थी/डिस्कॉम्स को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसकी लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के कारोबार से राजस्व के मामले में वाणिज्यिक निष्पादन इस प्रकार है:–

विवरण	2021-22	2020-21
प्रचालन से राजस्व (रुपये करोड़ में)	1921.49	1796.01
राजस्व की वसूली (%)	100*	100

*100% वसूली में पिछले वर्ष के बकाया से वसूली भी शामिल है।

माननीय सीईआरसी ने दिनांक 23.10.2021 के आदेश के माध्यम से टिहरी एचपीपी के लिए 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के लिए वेतन पुनरीक्षण और सुरक्षा खर्चों के प्रभाव के कारण 90.19 करोड़ रुपये की राशि के ओ एंड एम व्ययों की अनुमति दे दी है। उक्त आदेश के प्रभावों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के तुलनपत्र में शामिल किया गया है।

परियोजना वित्त पोषण

कारपोरेट बांड

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.39% प्रति वर्ष की कूपन ब्याज दर के साथ 1200 करोड़ रुपये की प्रतिभूत प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय श्रृंखला–V जारी की थी। बांड जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भुनाया जाएगा और वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा। 1200 करोड़ रुपये के बांड श्रृंखला–V में से 300 करोड़ रुपये की राशि टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए और 900 करोड़ रुपये खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए उपयोग की गई है। इन बांडों को मैसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड और मैसरस् इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (स्टेबल) का दर्जा दिया गया था।

परियोजना-वार वित्त पोषण

टिहरी पीएसपी परियोजना:

1. टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012 में 1500 करोड़ रुपये दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय गठबंधन किया था। उपरोक्त संस्वीकृत राशि के सापेक्ष, 31 मार्च, 2018 तक 1227.65 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया था। कंपनी ने मई, 2018 तक 1227.65 करोड़ रुपये की पूर्ण राशि चुका दी है।
2. कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से 700 करोड़ रू. का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। इस मध्यावधि ऋण को मार्च, 2024 तक 20 तिमाही किश्तों में चुकाया जाएगा। 31 मार्च, 2022 को निवल बकाया ऋण 279.58 करोड़ रू. है।
3. टीएचडीसीआईएल ने बांड श्रृंखला–II, III, IV और V जारी की थी इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों में से टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए निम्नलिखित राशियों का उपयोग किया गया है:

(रुपये करोड़ में)

विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
बांड श्रृंखला–II	1420.00	8.75%
बांड श्रृंखला–III	200.00	7.19%
बांड श्रृंखला–IV	500.00	7.45%
बांड श्रृंखला–V	300.00	7.39%

वीपीएचईपी परियोजना

कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 648 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त करने के लिए वित्तीय तालमेल किया था। तथापि, टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर, विश्व बैंक ने 27.06.2019 और 07.04.2021 को 100–100 मिलियन यूएस डॉलर के आंशिक ऋण प्रदायगी को रद्द कर दिया। अब इस परियोजना के लिए ऋण राशि 448 मिलियन यूएस डॉलर है।

वर्ष 2021–22 के दौरान 6.55 मिलियन यूएस डॉलर की राशि आहरित की गई है और दिनांक 31.03.2022 तक कुल 157.75 मिलियन यूएस डॉलर का आहरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, 6.85 मिलियन यूएस डॉलर की राशि चुका दी गई है और दिनांक 31.03.2022 तक कुल 24.51 मिलियन यूएस डॉलर की राशि चुका दी गई है। इस प्रकार दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, निवल बकाया ऋण 133.24 मिलियन यूएस डॉलर है जो 998.09 करोड़ रू. के बराबर है।

खुर्जा एसटीपी परियोजना ओर अमेलिया कोयला खदान

1. कंपनी ने ऋण घटक के वित्तपोषण अर्थात खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान की 8873.61 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत का 70% (i) निजी प्लेसमेंट के आधार पर बांड के माध्यम से 50% ऋण और (ii) बाजार परिदृश्य और निधि की आवश्यकता पर विचार करते हुए इंटरचेंज विकल्प के साथ अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से शेष 50% की योजना बनाई है।

2. टीएचडीसी ने बांड सीरीज–III, IV और V जारी की है और इनसे जुटाई गई निधियों में से, निम्नलिखित राशि का उपयोग खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए उपयोग किया गया है:

(रुपये करोड़ में)

परियोजना	विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर प्रतिवर्ष
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–III	600.00	7.19%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृंखला–IV	125.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृंखला–V	900.00	7.39%

3. **दीर्घावधि ऋण:** कंपनी ने, कमशीनिंग के अधीन परियोजनाओं की कैपेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ₹ 2500 करोड़ के सावधि ऋण के वित्तपोषण के लिए ऋण करार पर हस्ताक्षर किए थे। उपर्युक्त संस्वीकृत राशि के सापेक्ष 31 मार्च 2022 तक बैंक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त ₹ 800 करोड़ की राशि का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परियोजना वित्त पोषण

ऋणदाता का नाम	ऋण की राशि	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अथशेष ऋण राशि	वर्ष 2021-22 के दौरान आहरित राशि	चुकता की गई ऋण राशि	दिनांक 31.03.2022 तक शेष ऋण राशि
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	648 मिलियन यूएस डॉलर**	₹ 981.52 करोड़	₹ 67.39 करोड़*	₹ 50.83 करोड़	₹ 998.09 करोड़
पीएनबी से सावधि ऋण	₹ 700 करोड	₹ 420 करोड़	शून्य	₹ 140.42 करोड़	₹ 279.58 करोड़
कॉर्पोरेट बांड-श्रृंखला-I	₹ 600 करोड़	₹ 600 करोड़	शून्य	शून्य	₹ 600 करोड़
कॉर्पोरेट बांड-श्रृंखला-II	₹ 1500 करोड़	₹ 1500 करोड़	शून्य	शून्य	₹ 1500 करोड़
कॉर्पोरेट बांड-श्रृंखला-III	₹ 800 करोड़	₹ 800 करोड़	शून्य	शून्य	₹ 800 करोड़
कॉर्पोरेट बांड-श्रृंखला-IV	₹ 750 करोड़	₹ 750 करोड़	शून्य	शून्य	₹ 750 करोड़
कॉर्पोरेट बांड-श्रृंखला-V	₹ 1200 करोड़	शून्य	₹ 1200 करोड़	शून्य	₹ 1200 करोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा	₹ 2500 करोड़	शून्य	₹ 800 करोड़	शून्य	₹ 800 करोड़

*18.47 करोड़ रुपये की विनियम दर भिन्नता शामिल है। ** इसमें डॉलर विनियम दर में परिवर्तन के कारण टीएचडीसी द्वारा अभ्यर्पित 200 मिलियन यूएस डॉलर शामिल हैं।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट):

1000 मेगावाट के टिहरी पीएसपी के बाहरी ओर के सभी भागों में कंक्रीट लाइनिंग का दृश्य

250 मेगावाट की चार रिवर्सिबल पंप टर्बाइन इकाइयों से निर्मित टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (1000 मेगावाट), पूर्ण होने पर भारत में सबसे बड़ा पीएसपी होगा। टिहरी पीएसपी का संचालन ऊपरी जलाशय से निचले जलाशय के बीच निर्मुक्त किए गए जल के पुनर्चक्रण की संकल्पना पर आधारित है। कार्यशील होने पर यह परियोजना, मल्टीपल पंपिंग चक्र (11/12 घंटे पंपिंग) को ध्यान में रखते हुए, 2208.04 एमयू के वार्षिक उत्पादन के साथ 1000 मेगावाट की पीकिंग विद्युत प्रदान करेगी। रिवर्सिबल इकाइयों के पम्पिंग संचालन के लिए वार्षिक ऑफ–पीक ऊर्जा आवश्यकता लगभग 2729.94 एमयू होगी।

मशीन हॉल में, सभी 4 इकाइयों में ईएम उपकरण संस्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। यूनिट–5 में स्टेटर को नीचे करने के बाद, टर्बाइन उत्थापन प्रगति पर है और दिनांक 15.10.2022 तक रोटर को नीचे किए जाने की योजना है। यूनिट–6 में दिनांक 20.08.22 को स्टेटर को जनरेटर पिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यूनिट–7 में जेनरेटर के लिए नींव डालने का कार्य प्रगति पर है। यूनिट–8 में टीजी फाउंडेशन कंक्रीट के प्रबलन का कार्य प्रगति पर है। जीएसयू ट्रांसफार्मर, जीआईएस और जीआईबी का उत्थापन पूरा हो चुका है।

यूएसएसएस–3 और 4 का चौड़ीकरण पूरा हो गया है और लाइनिंग का कार्य शुरू करने के लिए जंप फॉर्म के संचालन के लिए मोनो रेल की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

डीएसएसएस–3 और 4 के चौड़ीकरण के बाद, मोनोरेल की संस्थापना का कार्य भी पूरा हो गया है। दोनों सर्ज शाफ्ट के नीचे टीआरटी और डी/डाउनस्ट्रीम पेनस्टॉक के साथ ट्रांजिशन में लाइनर इरेक्शन की कंक्रीटिंग भी लगभग पूरी चुकी है। अब ऑरिफिस कंक्रीटिंग और शाफ्ट लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है।

सभी वर्टिकल पेनस्टॉक्स का विस्तार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। वर्टिकल पेनस्टॉक–5, 7 और 8 में लाइनर इरेक्शन का कार्य प्रगति पर है और वीपी–6 में बेंड हिस्से में स्टेप कंक्रीटिंग का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

दोनों टीआरटी (कुल लंबाई: 2406 मीटर) में उत्खनन का कार्य पूरा हो गया है और कंक्रीट इनवर्ट और ओवर्ट लाइनिंग भी क्रमशः 1871 मीटर और 1821 मीटर तक पूरी हो गई है। आउटलेट की ओर से सभी चार टीआरटी लिम्ब्स में लाइनिंग कार्य भी प्रगति पर है। आउटलेट संरचना में कंक्रीटिंग का कार्य भी प्रगति पर है।

एचएम कार्यों में, सभी पेनस्टॉक स्टील लाइनर्स का निर्माण पूरा हो गया है। साइट पर 1056.53 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 97% ईएम उपकरणों की आपूर्ति हो चुकी है।

टिहरी पीएसपी परियोजना पर 4825.60 करोड़ रुपये (फरवरी 2019 पीएल) के आरसीई–II के सापेक्ष जुलाई–22 तक किया गया व्यय 4695.12 करोड़ है और परियोजना की पहली इकाई के अप्रैल–2023 तक चालू होने का अनुमान है।

विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट):

444 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी अलकनंदा नदी पर स्थित रन–ऑफ–दि–रिवर स्कीम है, जिसकी परिकल्पित ऊर्जा क्षमता 1657.09 एमयू (95% निर्भरता वर्ष) है। परियोजना में 237 मीटर के सकल शीर्ष का उपयोग करते हुए 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डायवर्जन बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

अपस्ट्रीम कॉफर बांध के निर्माण के बाद नदी का डायवर्जन पूरा कर लिया गया है। बांध का उत्खनन कार्य लगभग 57 प्रतिशत पूरा हो चुका है। सभी 3 डी–सिल्टिंग चैंबर्स की बेंचिंग और कंक्रीट लाइनिंग अग्रिम चरण में है। डीबीएम द्वारा एचआरटी की हेडिंग 1214 मीटर लंबाई में और बेंचिंग–217 मीटर लंबाई में पूरी की गई है।

टीबीएम के मोर्चे पर, टीबीएम को चालू किया गया है। बायपास एडिट के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डीबीएम के माध्यम से टीबीएम एंट्री एडिट का निर्माण प्रगति पर है और डाउनस्ट्रीम में बनी कैविटी का शोधन पूरा होने के बाद, सितंबर 2022 के अंत तक टीबीएम कटर हेड की ओर 25 मीटर की शेष लंबाई को पूरा किया जाना है। चै. 55 मीटर तक हेडिंग के पूरा होने के बाद, 55 मीटर से 80 मीटर तक बेंचिंग और टीबीएम के उन्नयन सहित क्रैडल की कास्टिंग अक्टूबर 2022 से शुरू की जाएगी।

ट्रांसफार्मर हॉल में; बेंचिंग कार्य चल रहा है। कैवर्न के उत्खनन के अनुक्रम के कारण, पहले हमें मशीन हॉल को गहरा करना होगा और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर हॉल की बेंचिंग करनी होगी। मशीन हॉल में; साइड की दीवारों में केबल एंकर लगाने का कार्य पूरा हो गया है। केबल एंकर और बेंचिंग की स्ट्रेसिंग/लॉकिंग का कार्य प्रगति पर है। क्रेन बीम स्तर तक उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है।

टीआरटी में, 35% हेडिंग उत्खनन पूर्ण हो गया है और शेष प्रगति पर है। टीआरटी आउटलेट क्षेत्र में, 95% ढलान स्थिरीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। 47.27% ईएम उपकरण/सामग्री की आपूर्ति हो चुकी है।

3860.35 करोड़ (फरवरी 2019 पीएल) के आरसीई के सापेक्ष जुलाई, 2022 तक परियोजना पर 2612.15 करोड़ रुपये व्यय किया गया।

परियोजना की पहली इकाई के अक्टूबर 2024 तक चालू होने का अनुमान है।

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट):

1320 मे. वा. के खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट का हवाई दृश्य

सीसीईए ने दिनांक 07.03.2019 को 11,089.42 करोड़ रुपए (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमानित लागत पर खुर्जा एसटीपीपी के लिए निवेश अनुमोदन प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 09.03.2019 को खुर्जा एसटीपीपी की आधारशिला रखी। संयंत्र 85% पीएलएफ पर 9264 एमयू ऊर्जा उत्पन्न करेगा।

7,724 करोड़ रुपये की राशि के सभी पैकेज जैसे स्टीम जेनरेटर, टर्बाइन जेनरेटर, स्विचयार्ड, कूलिंग टावर्स और रेलवे साइडिंग, कोल हैंडलिंग प्लांट, सीडब्ल्यू सिस्टम इक्विपमेंट पैकेज, सीडब्ल्यू सिस्टम सिविल वर्क्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऐश डाइक पैकेज और विविध भवन एवार्ड किए गए हैं और सभी मोर्चों पर कार्य त्वरित गति पर है।

दिनांक 11.02.2022 को बॉयलर–1 में सीजी जैक–अप के बाद, प्रेशर पार्ट्स का उत्थापन किया जा रहा है। बॉयलर–1 के लिए हाइड्रो परीक्षण दिसंबर, 2022 में निर्धारित है।

बॉयलर–2 का सीजी जैक–अप दिनांक 21.08.22 को शुरू हो गया है।

मुख्य विद्युत गृह–1 का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। ईओटी क्रेन–1 को चालू कर दिया गया है। कंडेंसर और टर्बाइन जेनरेटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। टीजी डेक–2 की कास्टिंग दिनांक 23.07.22 को पूरी कर ली गई और एमपीएच–2 का निर्माण प्रगति पर है। सीसीआर संरचना निर्माण कार्य भी अग्रिम चरण में है।

स्विचयार्ड नियंत्रण कक्ष भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य पूर्ण होने के अग्रिम चरण में हैं। ईएसपी–1 और एफजीडी–1 का उत्थापन, सहायक बॉयलर, चिमनी–1 और 2 की कास्टिंग, कूलिंग टावर्स, रेलवे साइडिंग, ऐश डाइक और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पैकेज का कार्य भी प्रगति पर है।

सीएचपी में यूनिट–1 को फरवरी–2024 तक चालू करने के लिए सितंबर–2023 तक कोल फीडिंग तैयार करना आवश्यक है, इसके लिए कोल पाथ–1 को प्राथमिकता देने की योजना है। अब तक, कोल पाथ सिस्टम को तैयार करने का कार्य नियत समय के अनुसार चल रहा है।

मेक–अप वाटर पैकेज में पाइप लाइन बिछाने, सेडिमेंटेशन टैंक, इंटेक चेंबर, पंप हाउस आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आईडब्ल्यूआरडी–यूपी द्वारा हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर का कार्य अक्टूबर–2022 में नहर बंद होने के बाद शुरू किया जाएगा।

विद्युत निकासी के लिए सब–स्टेशन में सिविल कार्य और विद्युत उपकरण उत्थापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि खुर्जा परियोजना से अलीगढ़ सब–स्टेशन तक 400 केवी डबल सीकेटी पारेषण लाइन में, 36 किलोमीटर की कुल लंबाई में से सभी 113 टावरों का उत्थापन कर लिया गया है और 32 किलोमीटर स्ट्रिंग का कार्य पूरा किया गया।

संयंत्र की भूमि से गुजरने वाले एनएच–91 के मार्ग को बदलने का कार्य अग्रिम चरण में है।

खुर्जा एसटीपीपी पर, 11,089.42 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमोदित लागत के सापेक्ष, जुलाई–2022 तक किया गया व्यय 4805.77 करोड़ रूपये है और पहली यूनिट के फरवरी–2024 तक चालू होने का अनुमान है।

अमेलिया कोयला खदान:

मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली में स्थित अमेलिया कोयला खदान को 1320 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जनवरी 2017 में टीएचडीसीआईएल को आवंटित किया गया था। सीसीईए ने दिनांक 07.03.2019 को 1,587.16 करोड़ रुपए (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमानित लागत पर अमेलिया कोयला खदान के लिए निवेश अनुमोदन दिया था। अमेलिया कोयला खदान में निवल भूगर्भीय भंडार 162.05 मिलियन टन (ओसी) है, जिसमें से निष्कर्षण योग्य कोयला भंडार 139.48 मिलियन टन है।

दिनांक 30.08.2022 को मैसर्स बीसीएमएल एंड कंसोर्टियम के साथ कोयला खनन करार (सीएमए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सितंबर–2022 में कोयला खदान खोलने और नवंबर–2022 से कोयला निष्कर्षण शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि स्वीकृत कोयला उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2023–24 में टीएचडीसीआईएल का 1.33 एमटीपीए कोयला उत्पादन का लक्ष्य है और वर्ष 2026–27 में 5.6 एमटीपीए का पीआरसी हासिल करेगा।

सीटीओ को छोड़कर सभी आवश्यक मंजूरी यथा वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, खनन पट्टा, सीटीई, खदान खोलने की अनुमति आदि प्रदान की गई।

- सीटीओ के लिए, सदस्य सचिव, एमपीपीसीबी के साथ मामला उठाया जा रहा है।
- कुल 1412.37 हेक्टेयर भूमि में से, 843.76 हेक्टेयर की सम्पूर्ण वन भूमि, 178.13 हेक्टेयर पट्टाधारित भूमि, 53.13 हेक्टेयर राजस्व भूमि (आर एंड आर के लिए) और कुल 337.35 हेक्टेयर निजी स्वामित्व वाली भूमि में से 221 हेक्टेयर भूमि, टीएचडीसीआईएल को सौंप दी गई है। शेष 116.35 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए मामला जिला मजिस्ट्रेट सिंगरौली के पास प्रक्रियाधीन है।
- 139 हेक्टेयर की प्राथमिकता–1 वन भूमि में से 80 हेक्टेयर वन भूमि में वृक्षों की कटाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। खनन के लिए 60 हेक्टेयर वन भूमि को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। टीएचडीसीआईएल नियमित रूप से डीएफओ, सिंगरौली के साथ सरकारी भूमि और निजी भूमि में वृक्षों की कटाई शुरू करने के लिए प्रयास कर रहा है।
- परियोजना प्रभावित परिवारों के स्थानांतरण और घरों को तोड़ने का कार्य भी शुरू हो गया है।

  पुनर्वास और पुनर्स्थापन कॉलोनी में, 574 पीएएफ में से भूखंडों का विकल्प चुनने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों को 491 भूखंड पहले ही जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं।

  1587.16 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमोदित लागत के सापेक्ष, अमेलिया कोयला खदान पर जुलाई–22 तक किया गया व्यय 738.70 करोड़ रुपये है।

अल्ट्रा-मेगा नवीकरणीय एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपीएस)

I. उत्तर प्रदेश:

दिनांक 12.09.2020 को टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी टस्को लिमिटेड का निगमन किया गया था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी जिलों में 600–600 मेगावाट के दो यूएमआरईपीपी और चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के यूएमआरईपीपी की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.11.2021 को झांसी में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई।

इसके लिए आवश्यक 3000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में है। लगभग 81% पट्टा करारों पर हस्ताक्षर किए गए। आईएफसी, जो विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है, सौर ऊर्जा पार्कों के विकास में टस्को को समर्थन प्रदान करने का कार्य कर रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 20.06.2022 को 429.92 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित किया। 55 किलोमीटर पहुंच में से 4.8 किलोमीटर में पार्क की बाड़ाबंदी का कार्य पूरा हो गया है। सौर ऊर्जा पार्क के मार्च–2024 तक विकसित होने का अनुमान है।

ललितपुर में 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए आवश्यक 3000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रक्रिया में है। लगभग 31 प्रतिशत पट्टा करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एसईसीआई और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को अनुमोदन के लिए 449.23 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई। सौर ऊर्जा पार्क का विकास जून–2024 तक अनुमानित है।

चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के विकास के लिए 4000 एकड़ भूमि अभिचिह्नित की गई है। पट्टा करारों पर हस्ताक्षर शुरू हो गए हैं और लगभग 10% करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इस पार्क के विकास की अनुमानित लागत लगभग 550 करोड़ रूपए हैं। सौर ऊर्जा पार्क का विकास दिसम्बर–2024 तक होने की संभावना है।

II. राजस्थान:

राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों/परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 15.04.2022 को टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 29.06.2022 को आरआरईसीएल के बोर्ड द्वारा टीएचडीसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। टीएचडीसीआईएल को नीति आयोग द्वारा दिनांक 04.07.2022 को आरआरईसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रबंध निदेशक (आरआरईसीएल) ने बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में भूमि की स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रमुख सचिव (राजस्व) को पत्र जारी किया है, जिसकी प्रति के संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को भी अग्रेषित की गई है। संयुक्त उद्यम के अनुमोदन के लिए, तेजी से एक टिप्पणी प्रक्रियाधीन है जो प्रमुख सचिव (ऊर्जा) की अनुशंसा के बाद, ऊर्जा मंत्री से समक्ष विचाराधीन है।

कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में आरआरईसीएल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

विकासाधीन परियोजनाएं:

1. बोकांग बेलिंग एचईपी (165 मेगावाट):

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और डीपीआर का मसौदा अगस्त–2023 तक सीईए में प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। साइट पर डीपीआर (ड्रिलिंग, ड्रिफ्टिंग आदि) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

वाप्कोस के माध्यम से ईआईए/ईएमपी अध्ययन चल रहा है और बोकांग बेलिंग एचईपी के उत्तराखंड सरकार से लंबित अनुमोदित एफआरएल और टीडब्ल्यूएल की अनुपलब्धता के कारण मसौदा ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट लंबित है।

हमारे पहले के अनुरोध पत्रों के क्रम में, 'अपर सचिव', उत्तराखंड सरकार को दिनांक 20.06.2022 के पत्र के माध्यम से जल्द से जल्द एफआरएल और टीडब्ल्यूएल के पुष्टिकरण पत्र जारी करने के लिए पुनः अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड सरकार से प्रत्युत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

2. अरुणाचल प्रदेश में कलाई-II (1200 मेगावाट) और डेमवे-लोअर (1750 मेगावाट):

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.12.2021 के पत्र के माध्यम से टीएचडीसीआईएल को अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ उपयुक्त विश्लेषण करने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए लोहित घाटी में 2 जलविद्युत परियोजनाओं (कलाई–II 1200 मेगावाट और डेमवे–लोअर 1750 मेगावाट) के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

डेमवे-लोअर एचईपी (1750 मेगावाट):

- डेमवे–लोअर 1750 मेगावाट एनसीएलटी में है। टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 12.05.2022 को एनसीएलटी में आवेदन ई–फाइल किया है और मामले को आगे दिनांक 29.08.2022 को सूचीबद्ध किया गया था।
- दिनांक 29.08.2022 को सुनवाई के दौरान, बेंच ने टीएचडीसी के कौंसल से पूछा कि क्या इस संबंध में टीएचडीसी द्वारा कोई समाधान योजना प्रस्तुत की गई है और आईए में निर्देश/प्रार्थना प्रार्थित होने के मामले में विचार करने के लिए कहा। अब मामला दिनांक 12.09.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है।
- सम्यक् तत्परता रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और तदोपरांत, इसे उच्च स्तरीय समिति द्वारा आगे के मूल्यांकन के लिए दिनांक 22.08.2022 को सीईए को प्रस्तुत किया गया है।
- दिनांक 26.07.2022 को हुई बोर्ड बैठक में बोर्ड के प्रस्ताव के आधार पर व्यापक प्रस्ताव अभी तक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) और ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) को प्रस्तुत किया जाना है। इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की अनुशंसा के आधार पर बोर्ड के संकल्प के अनुरूप व्यापक प्रस्ताव ऋणदाताओं की समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

कलाई-II एचईपी (1200 मेगावाट):

- उच्च स्तरीय समिति द्वारा आगे के मूल्यांकन के लिए सम्यक् तत्परता रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और तदोपरांत, दिनांक 12.08.2022 को सीईए को प्रस्तुत किया गया।
- समिति द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जा रहा है।

खुर्जा एसटीपीपी में कार्बन कैप्चर की भावी तकनीक विकसित करना

संयुक्त उद्यम या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंस के माध्यम से एक ईपीसी संविदाकार के रूप में देश भर में कार्बन कैप्चर सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में उद्यम करने के लिए, टीएचडीसीआईएल एक नई उभरती लागत–प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में है। इससे फ्ल्यू गैसों से अधिकांश कार्बन आधारित उत्सर्जन (कार्बन डाइ ऑक्साइड, मीथेन आदि) का शमन करने में मदद मिलेगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आईआईटी रुड़की को परामर्श कार्य सौंपा गया है। चार पक्षों ने कार्बन कैप्चर के लिए अपनी प्रौद्योगिकी का प्रस्ताव करते हुए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत की है। तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और खुर्जा थर्मल प्लांट की प्रारम्भण समय–सारणी के साथ कार्बन कैप्चर प्रायोगिक परियोजना का प्रारम्भण सुनिश्चित किया जाएगा।

खुर्जा एसटीपीपी में फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम

बॉयलर में प्रज्ज्वलित किए जा रहे कोयले के कारण उत्पादित फ्ल्यू गैस में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को पर्यावरण मंजूरी में निर्दिष्ट सीमा से काफी नीचे तक कम करने के लिए वेट लाइम स्टोन फोर्स्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्नोलॉजी के आधार पर 660 मेगावाट नोमिनल रेटिंग के दो (2) स्टीम जेनरेटर के लिए फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम और इसकी सहायक प्रणालियों को स्थापित की जा रही है। एफजीडी प्रणाली में प्रत्येक इकाई के लिए एक स्वतंत्र एब्जॉर्बर, दो इकाइयों के लिए कॉमन लाइमस्टोन मिलिंग सिस्टम और दो इकाइयों के लिए कॉमन जिप्सम डीवाटरिंग सिस्टम होगा। एब्जॉर्बर से स्वच्छ गैस को दो चरण धुंध उन्मूलन के माध्यम से जीजीएच तक ले जाया जाएगा। एब्जॉर्बर से शोधित और फिर से तप्त ग्रिप गैस को 150 मीटर ऊंची चिमनी के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

व्यापार विस्तार के लिए भावी योजना

I. जलविद्युत परियोजनाएं

- तेजी से कार्यान्वयन के लिए, यूजेवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम का गठन अग्रिम चरण में है।

II. पंप स्टोरेज संयंत्रों का विकास

- राज्य के अधिकारियों के साथ मामले को उठाने, उपयुक्त विश्लेषण करने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा टीएचडीसीआईएल को 10 पीएसपी (संभावित आईसीः 12555 मेगावाट) आवंटित किए गए हैं।

III. फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास

- टीएचडीसीआईएल, भारत में सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मौजूदा जलाशयों और नहरों पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने का प्रयास करता है।

IV. ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना

- टीएचडीसीआईएल, टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 1 मेगावाट क्षमता (इलेक्ट्रोलिसर और फ्यूल–सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड सिस्टम) की 'ग्रीन हाइड्रोजन' परियोजना के कार्यान्वयन की योजना बना रहा है।

टीएचडीसीआईएल में सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन

- **टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय**

टीएचडीसीआईएल का बांध सुरक्षा कार्यक्रम, बांधों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और बांधों की समग्र सुरक्षा में वृद्धि करने संबंधी कार्रवाईयों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। बांध की सुरक्षा की निगरानी इंस्ट्रूमेंटेशन और दृश्य निरीक्षण द्वारा की जाती है। टिहरी और कोटेश्वर परियोजना की प्रवृत्ति के आकलन और मानीटरिंग के लिए तथा डिजाइन चरण के दौरान लगाए गए अनुमानों का सत्यापन करने के लिए बांध और इसके सम्बद्ध ढांचों के मुख्य हिस्से में यंत्रीकरण (इंस्ट्रुमेंटेशन) की व्यापक स्कीम का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बांध के मुख्य हिस्से की प्रवृत्ति को देखकर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण गैलरियों की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलाशय (रिजर्वायर) को घेरने के पहले और बाद टिहरी क्षेत्र के मजबूत कंपन और सूक्ष्म भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय इंस्ट्रुमेंटेशन नेटवर्क की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों तथा अन्य संगठनों में मौजूद परिपाटियों के अनुसार ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दृश्य निरीक्षण हेतु मानसून से पहले और मानसून के बाद टीएचडीसीआईएल द्वारा बांध और सम्बद्ध ढांचों का आवधिक निरीक्षण/मानीटरिंग की जा रही है। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नई दिल्ली ने वर्ष 2009 और 2013 के दौरान टिहरी एचपीपी का वार्षिक बांध सुरक्षा निरीक्षण किया है और 2013 में कोटेश्वर एचईपी का सुरक्षा निरीक्षण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा सुरक्षा बांध परिपाटियों के सत्यापन के लिए एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी नामतः यूएसबीआर के माध्यम से टिहरी परियोजना की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, कोटेश्वर एचईपी की सुरक्षा का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा सुरक्षा परिपाटियों में सुधार करने पर व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने के लिए एचपीआई, मास्को द्वारा कोटेश्वर एचईपी की व्यापक समीक्षा की गई।

टीएचडीसीआईएल का बांध सुरक्षा कार्यक्रम बांधों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए मूल्यांकन और कार्यान्वयन कार्रवाइयों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

- **सेफ्टी पार्क एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना**

ऋषिकेश में सेफ्टी पार्क और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है।

परियोजना स्थलों और इकाई कार्यालयों में 'शून्य दुर्घटना' सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र के विकास का आदर्श कथन है। इस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से निगम के समस्त कार्यपालकों, पर्यवेक्षकों एवं कामगारों के साथ–साथ सभी परियोजनाओं के निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों से संबंधित श्रमिकों को सुरक्षा उपायों एवं सुरक्षा उपकरणों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सेफ्टी पार्क में सभी प्रकार के सुरक्षा उपकरण और वस्तुएं जैसे सेफ्टी बेल्ट, ईयर प्रोटेक्टर, ऊंचाई पर कार्य करने का प्रशिक्षण आदि प्रदर्शित करने के लिए एक डिस्प्ले हॉल स्थापित किया गया है ताकि कर्मचारियों को सुरक्षा यंत्रों और उपकरणों के बारे में जागरूक किया जा सके।

प्रशिक्षण केंद्र में कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नैनीताल, सेफ्टी सर्कल, चंडीगढ़, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स सेफ्टी सर्कल, कलकत्ता आदि विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

- **सुरक्षा लेखा परीक्षा**

सुधार किए जा सकने वाले क्षेत्रों की पहचान करने और मानकों से विचलन अर्थात् लागू सांविधिक अधिनियमों, सीईए (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं) विनियम, 2011, आई एस 14489:1998 और टीएचडीसीआईएल, एसएचई (सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण) मैनुअल तथा अन्य लागू अधिनियमों में परियोजना सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुसार विचलन का पता लगाने के लिए सभी परियोजनाओं की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा की जाती है।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

आपकी कंपनी हमेशा ही मानवीय चेहरे के साथ परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए प्रतिबद्ध रही है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन इस तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है कि तर्कसंगत संक्रमण अवधि के बाद बाढ़ प्रभावित परिवार के जीवन स्तर में सुधार से या कम से कम पूर्व स्तर बना रहे, आय क्षमता और उत्पादन स्तर में सुधार हो। टीएचडीसीआईएल पारस्परिक सहयोग या नियमित परामर्श के माध्यम से परियोजना से प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहा है।

न्यू टिहरी टाऊन का विहंगम दृश्य

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए दिया जा रहा मुआवजा तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ लागू मानकों/दिशानिर्देशों के समकक्ष है। परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने के अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रम, आय प्राप्त करने की गतिविधियों जैसी विभिन्न पहलें शुरु कर प्रभावित परिवारों के आर्थिक उत्थान पर भी बल दिया जा रहा है।

आरएपी की मानीटरिंग और मूल्यांकन आवधिक आधार पर तीसरे पक्ष की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आवधिक आधार पर की गई थी ताकि इसका निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित कर सके। साथ ही, इस बात का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) नीति आरएपी के उद्देश्य उन लोगों के संदर्भ में प्राप्त किए जा रहे हैं जो भौतिक रूप से पुनः बसाए गए हैं, उनकी आय पुनः स्थापित हो रही है, जिन्होंने अपनी जमीन गंवा दी है, सामान्य संपत्ति के संसाधनों का पुनः निर्माण किया है, आदि।

- **वीपीएचईपी में पुनर्वास**

वीपीएचईपी परियोजना के लिए नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2007 (एनआरआरपी–2007) पर आधारित हैं जिसे बेहतर बनाने के लिए विश्व बैंक के दिशानिर्देश समाहित किए गए हैं। परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए मुआवजा और दिए जा रहे पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन हितलाभ लागू मानकों/दिशानिर्देशों के समकक्ष तथा विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षोपाय नीतियों के अनुरूप है क्योंकि वीपीएचईपी विश्व बैंक से वित्तपोषित है। वीपीएचईपी लगभग मुआवजा की 95 प्रतिशत राशि विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा वितरित की गई है और लगभग 93 प्रतिशत पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनुदान आपकी कंपनी द्वारा वितरित किया गया है। आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए लगभग 500 परियोजना प्रभावित लोगों को लाभान्वित करते हुए डेयरी विकास, मुर्गी पालन, सिलाई और कढ़ाई, ऊन से बुनाई, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती जैसे विभिन्न कार्यकलापों को बढ़ावा दिया गया है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेधावी/गरीब छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है और अतिरिक्त कक्षाएं और प्रसाधन कक्ष आदि का निर्माण किया गया है और टीएचडीसीआईएल ने बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए आसपास के क्षेत्रों में जीएमआर फाउंडेशन, डॉ. रेड्डी फाउंडेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसी विख्यात संस्थाओं के माध्यम से होटल प्रबंधन, उत्खनक आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, रेफ्रीजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग आदि जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए परियोजना से प्रभावित लगभग 300 बेरोजगार युवाओं को प्रयोजित भी किया है। लगभग 20 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को कंपनी के रोल पर रोजगार दिए गए हैं।

- **अमेलिया कोयला ब्लॉक में पुनर्वास**

उत्तर प्रदेश के खुर्जा स्थित सुपर थर्मल पावर परियोजना की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा टीएचडीसीआईएल को मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आबंटित अमेलिया कोयला ब्लाक विकसित कर रही है। अमेलिया कोयला खदान के परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को आयुक्त रीवा द्वारा 24 दिसम्बर, 2019 को अनुमोदित किया जा चुका है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन कॉलोनियों में भूखंडों का आबंटन लगभग पूरा होने वाला है। प्रतिपूर्ति का संवितरण और परियोजना प्रभावित परिवारों का स्थानांतरण प्रगति पर हैं।

अभियांत्रिकी परामर्श

टीएचडीसीआईएल के डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग के भीतर एक समर्पित परामर्श विंग स्थापित किया गया है, जो अपने सम्मानित ग्राहकों को जलविद्युत परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर और इन्हें चालू करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबद्ध कार्यों तक एकीकृत तरीके

से परामर्श सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने केंद्र/राज्य सरकार और अन्य सरकारी सांविधिक इकाइयों को अपनी पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की है और जल संसाधन इंजीनियरिंग एवं अत्याधुनिक इंजीनियरिंग कार्यों के क्षेत्र में पूर्ण अभियांत्रिकी समाधान प्रदान कर रही है। संदर्भ के तौर पर, टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग द्वारा अन्य सरकारी निकायों/एजेंसियों के साथ सहयोगी इंजीनियरिंग क्षेत्र में परामर्श सेवाओं में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

परामर्शिता परियोजनाओं में, भारत में उत्तराखंड राज्य सरकार के विभाग, श्री माता वैष्णो देवीजी श्राइन बोर्ड, जम्मू–कश्मीर तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के लिए परियोजनाओं की अवधारणा से शुरू होने तक भूस्खलन शमन उपायों पर 120 से अधिक डीपीआर तैयार किए गए हैं। निम्नलिखित परामर्श कार्य प्रगति पर हैं:

1. कटरा और श्री माता वैष्णो देवीजी तीर्थ के बीच संवेदनशील क्षेत्रों के स्थिरीकरण के लिए डिजाइन और अभियांत्रिकी सेवाएं।
2. उत्तराखंड में 20 विभिन्न सड़क स्थानों पर क्रोनिक स्लाइड जोन के स्थिरीकरण के लिए अभियांत्रिकी परामर्श।
3. तत्काल उपायों (चरण–I), और व्यापक योजना (चरण–II) के लिए राजभवन, नैनीताल से सटे ढलान पर क्रॉनिक स्लिप जोन के स्थिरीकरण के लिए अभियांत्रिकी परामर्श।
4. श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड, श्रीनगर, जम्मू–कश्मीर के लिए पवित्र गुफा के पास सुरक्षा/उपचार और ढलान स्थिरीकरण कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
5. रुद्रप्रयाग–गौरीकुंड मोटर मार्ग, उत्तराखंड में क्षतिग्रस्त टनल लाइनिंग के नवीनीकरण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन।
6. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), क्षेत्रीय कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश से परामर्श कार्य।
7. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से परामर्श कार्य।
8. उत्तराखंड में 12 मल्टीलेवल/अंडरग्राउंड पार्किंग के विकास हेतु परामर्श कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन।
9. लोअर माल रोड, नैनीताल झील के जलमग्न हिस्से के जीर्णोद्धार के संबंध में लोक निर्माण विभाग, नैनीताल से परामर्श कार्य।

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2011 ऋषिकेश में अपना अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किया था। वर्तमान में, प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं नामतः– टिहरी क्षेत्र के आस–पास स्थापित भूकंप निगरानी स्टेशन, टिहरी एवं कोटेश्वर एचईपी के ईएम उपकरण की वार्षिक स्थिति निगरानी, जीरो ब्रिज और कोटेश्वर के बीच स्थित सड़क की ढलान स्थिरता के लिए व्यापक समाधान, निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट के पर विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन, हाइड्रो जनरेटर चलित पारेषण लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और उपशमन आदि चलाई जा रही हैं।

उपरोक्त चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, निम्नलिखित दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अभिचिह्नित की गई हैं और इन पर कार्य किया जा रहा है:

1. टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचईपी और वेरिएबल स्पीड टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र सहित टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स के एकीकृत संचालन के वास्तविक समय सिमुलेशन कार्यक्रम का विकास।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी

   इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, निम्नलिखित दो अनुसंधान और विकास योजनाएं पूरी की जा चुकी हैं:

1. टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से तलछट की लब्धि का आकलन
2. प्रचालनात्मक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श

टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से तलछट की लब्धि का आकलन: तलछट डेटा उपलब्धता की सीमाओं और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के बीच असंगति को ध्यान में रखते हुए, टीएचडीसीआईएल ने विभिन्न परिदृश्यों का नमूना तैयार करने की सिफारिश की। पांच परिदृश्यों पर विचार किया गया और उनके परिणाम दिनांक 12.11.2021 को आयोजित एएसी की 25वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए। 25वीं बैठक के दौरान एएसी ने निष्कर्षों को स्वीकार किया और अध्ययन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण की सराहना की। सिफारिशें निम्नानुसार थीं:

1. वर्ष 2014, जिसे वर्तमान डाटा सेट में नहीं लिया जा सका, के लिए भविष्य में एक नया अध्ययन किया जा सकता है।
2. वर्ष 2019 के क्षमता सर्वेक्षण के संबंध में सभी संदेह का समाधान करने के लिए, निकट भविष्य में निकट अंतराल पर पूर्ण जलाशय क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की पुरजोर अनुशंसा की जाती है।

एएसी ने जल्द से जल्द टिहरी जलाशय के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर आगे के अध्ययन के लिए सिफारिश को स्वीकार कर लिया और वर्ष 2013 की तरह असाधारण घटनाओं की मॉडलिंग के लिए एक और अध्ययन की योजना बनाने का भी सुझाव दिया।

प्रचालनात्मक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श

टिहरी बांध का जलग्रहण क्षेत्र 7511 वर्ग किमी है, जिसमें से लगभग 2323 वर्ग किमी हिमप्रवण है। अंतर्वाह का पूर्वानुमान जलग्रहण से जलाशय में अंतर्वाह के संबंध में अग्रिम सूचना देकर बांध की सुरक्षा में मदद करता है और निचले स्तर की आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ की चेतावनी के समय को बढ़ाता है। टीएचडीसीआईएल द्वारा जल विज्ञान विभाग, आईआईटी, रुड़की के मार्गदर्शन में एक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित की गई थी, जो जून–2016 से क्रियाशील है। वास्तविक समय प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली में 11 मौसम विज्ञान स्टेशन और 4 जीएंडडी स्टेशन शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय

बोर्ड ने दिनांक 23.10.2021 को आयोजित अपनी 220वीं बोर्ड बैठक में वर्ष 2021–22 के लिए 2.89 करोड़ रुपये का अनुसंधान एवं विकास बजट अनुमोदित किया था।

टीएचडीसीआईएल और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पीबीटी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास / नवाचार पहल पर व्यय का लक्ष्य 2% था, जिसे वित्त वर्ष 2021–22 के लिए प्राप्त नहीं किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसंधान एवं विकास व्यय का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्र. संख्या	अनुसंधान एवं विकास परियोजना का नाम	अनुमोदित बजट	व्यय
1	टिहरी जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र से तलछट लब्धि का आकलन।	1.50	0.00
2	टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18–स्टेशन सिस्मोलॉजिक नेटवर्क तथा टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13–स्टेशन स्ट्रांग मोशन नेटवर्क का संचालन एवं अनुरक्षण ।	200.60	182.67
3	जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क के ढलान स्थिरीकरण के लिए व्यापक समाधान।	1.50	0.00
4	प्रचालनात्मक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श	11.63	48.28
5	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टिहरी एचपीपी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी	47.20	22.88
6	हाइड्रो जेनरेटर चलित पारेषण लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन।	7.50	7.50
7	निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट के विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन	15.00	14.94
8	अन्य विविध कार्य (एएसी सदस्यों और अन्य विशेष आमंत्रितों को परामर्श शुल्क का भुगतान)	5.00	3.59
		289.93	**279.86**

टिप्पणी:

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास बजट के प्रतिशत के संदर्भ में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय 96.53% है। निगम की अनुसंधान एवं विकास नीति के अनुसार अनुसंधान एवं विकास कार्यों/गतिविधियों पर व्यय वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान पीबीटी के 0.243% से अधिक नहीं किया जा सका।

सतत विकास

1. **आर्थिक स्थिरता:** आत्मनिर्भरता प्राप्त करने या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास किए गए। इस दिशा में, टीएचडीसीआईएल आर्थिक स्थिरता के लिए निम्नलिखित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है:

   क. जीरो ब्रिज से कोटेश्वर के बीच सड़क के ढलान स्थिरीकरण के लिए व्यापक समाधान:

   ख. टिहरी और कोटेश्वर एचईपी में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल उपकरणों की स्थिति की निगरानी:

   सामाजिक स्थिरता: संरचनाओं की सुरक्षा और क्षेत्र की पूरी आबादी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित अनुसंधान गतिविधियां की जा रही हैं:

क. टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18-स्टेशन सिस्मोलॉजिक नेटवर्क तथा टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13-स्टेशन स्ट्रांग मोशन नेटवर्क का संचालन एवं अनुरक्षण।

ख. प्रचालनात्मक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करते हुए टिहरी बांध जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान जारी करने के लिए परामर्श:

गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास एक पूर्ण और केन्द्रीकृत कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग है। इस संबंध में, कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उत्पादन इकाइयों और संयंत्र अनुषंगी सहित इनकी अनुषंगी इकाइयों के लिए चल रही परियोजनाओं (टिहरी टीएसपी, वीपीएचईपी) के कार्य स्थलों को उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रत्येक उपकरण आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप हों।

गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात टेंडर डाक्यूमेंट के लिए गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण की तैयारी, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण पहलुओं के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, उप विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) पर है।

इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की

गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दिनांक 31.03.2022 तक विक्रेता अनुमोदन, क्यूएपी, निरीक्षणों और एमडीसीसी अनुशंसाओं के लिए परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	उप विक्रेता	गुणवत्ता योजना	पूर्व-प्रेषण निरीक्षण	एमडीसीसी
टिहरी पीएसपी	674	129	317	414
वीपीएचईपी	1631	60	255	145

आईएसओ प्रमाणन

टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन आईएसओ14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएंडएस) का प्रमाणन आईएसओ 45001:2018 प्राप्त किया है और कॉर्पोरेट कार्यालय, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी एवं विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता मार्च 2024 तक है। ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की वैधता मार्च, 2023 तक है। ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता सितम्बर, 2023 तक है।

टीएचडीसी ने एसटीक्यूसी (मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन), नई दिल्ली के माध्यम से अक्तूबर, 2015 में आईएसएमेस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) का प्रमाणन प्राप्त किया है।

पर्यावरण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने हमेशा उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर उसकी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके।

आपकी कंपनी जीवों और वनस्पतियों की रक्षा करने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम पद्धतियों का कार्यान्वयन करने के प्रति समर्पित है। आपकी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

1. वीपीएचईपी:

444 मेगावाट के विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के विकास में शामिल निगरानी और पर्यावरण मूल्यांकन और सामाजिक मुद्दों के लिए गठित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों का पांच सदस्यीय पैनल लगाया गया है।

मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना (कैट) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।

डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिज रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।

वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन विभाग को कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की चारदीवारी के आसपास विद्युत गृह और टनेल बोरिंग मशीन साइट पर चिन्हित स्थानों पर 02 वाच टावर संस्थापित किए गए हैं। नियंत्रित विस्फोट करने वाली तकनीकें अपनाई जा रही है और इनकी निगरानी सीआईएमएफआर, रूड़की के माध्यम से निर्माण ठेकेदार द्वारा की जा रही है।

वीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से औषधीय पौधों का एक उद्यान विकसित किया जा रहा है।

प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ ''जंगली'' के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया है।

2. खुर्जा एसटीपीपी:

आपकी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समान आधार पर कार्यान्वित की जानी है।

खुर्जा एसटीपीपी में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर आपकी कंपनी ने खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जन होने से बचाने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ तकनीके नीचे दी गई है।

1. उड़ने वाली राख के कण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ईएसपी) संस्थापित किया जाएगा। प्रेसीपिटेटर का डिजाइन 30 मिग्रा./एनएम3 से नीचे कणों की सांद्रता को सीमित करने के लिए किया जाएगा।
2. कम Nox बर्नरों सहित ब्वालयर प्रदान किए जाएंगे और फ्लू गैस सेलेक्टिव कैटेलिक नोक्स रिडक्शन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के जरिए गुजारा जाएगा ताकि Nox और SO2 संकेंन्द्रणों को 100 एमजी/एनएम 3 से नीचे रखा जा सके।
3. एक राख प्रबंधन स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण प्रयोग के लिए पहले ही चिन्हित उद्यमियों को राख की आपूर्ति और राख (ऐश) का अधिकतम सीमा तक उपयोग और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल हैं। संयंत्र में राख के निपटान के लिए संयंत्र में भिन्न–भिन्न दो प्रणालियां–परंपरागत गीला गाद निपटान जिसमें पेढ़े की राख के लिए राख जल का पुनः परिचालन और फ्लाई ऐश के लिए उच्च संकेन्द्रण गाद निस्तारण (एचसीएसडी)–होंगी।

लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजना के सभी स्थलों पर विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यूईडी) मनाया जाता है।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जोखिम का प्रबंधन, उत्तम प्रबंधन परिपाटियों का एक अभिन्न अंग है। इसका सभी व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और अवसर के बीच प्रत्यक्ष संबंध हैं और, इस प्रकार, इन अवसरों का लाभ उठाने तथा अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए, एक एजेंसी को सभी व्यावसायिक गतिविधियों में अपने जोखिम और अवसर की पहचान, माप और प्रबंधन करने में सक्षम होना चाहिए।

चूंकि, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएं हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जल विद्युत परियोजनाओं के क्षेत्रों का भू–रूप मेगाफोल्ड, दोष, थ्रस्ट संरचनाओं आदि का प्रतिनिधित्व करता है जो हिमालयी विवर्तनिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं। कंपनी ने जून 2012 में 'जोखिम प्रबंधन नियमावली' लागू की है, जिसे बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। मैनुअल में निष्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में संगठन में एक समान और संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखने का आशय किया गया है।

चल रही निर्माण परियोजनाओं के लिए जोखिम प्रबंधन समितियां मौजूद हैं। प्रत्येक समिति में परियोजना स्थल (जोखिम अधिकारी के रूप में), परियोजना वित्त और कॉर्पोरेट डिजाइन (सिविल और एचएम) के सदस्य शामिल होते हैं। चल रही परियोजनाओं के साथ–साथ चालू की गई परियोजनाओं में सुव्यवस्थित तरीके से कार्यान्वित की जा रही जोखिम प्रबंधन योजनाओं की निगरानी के लिए एक कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन अधिकारी को भी नामित किया गया है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट **(अनुलग्नक-I)** में अलग से संलग्न है। जोखिम के प्रमुख तत्व इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

टीएचडीसीआईएल में समग्र उत्पादकता तथा कुशलता को सुधारने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी को एक रणनीतिक उपकरण समझा जाता है। हमने उत्पादित की जाने वाली परिसंपत्तियों के इष्टतम प्रयोग, निर्माण परियोजना के विकास में गति देने के लिए विभिन्न साफ्टवेयर सोल्यूशंस को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है ताकि इससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता एवं लाभप्रदता में सुधार आए। टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार अवसंरचना हैं। वित्त, मानव संसाधन, खरीद एवं संविदा, माल सूची, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र प्रचालन एवं अनुरक्षण ऊर्जा बिक्री एवं लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि सभी मुख्य व्यवसायों के कार्य हेतु कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। सभी कंप्यूटराइज्ड प्रणालियां वेब आधारित हैं तथा इंटरनेट के माध्यम से एसेस किए जा रहे हैं।

सभी स्थानों पर साफ्टवेयर अनुप्रयोगों की निर्बाध एसेस के लिए डुअल हाई स्पीड, इंटरनेट लीज लाइनें मौजूद हैं। इसके साथ ही भुगतानों में पारदर्शिता के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों के द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की स्थिति का पता लगाने के लिए हमने वेब आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली भी कार्यान्वित की है। ठेकेदार/विक्रेता भी अपने बिलों की स्थिति जान लेते हैं, उनको कमियां भी पता चल जाती हैं। अपनी शिकायतों को दर्ज करने और शिकायतों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जनता के लिए शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली स्थापित की गई है।

वित्त वर्ष 2021-22 में सूचना प्रौद्योगिकी पहलें:

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली : एफएमएस एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को भारतीय लेखा मानक (इंड–एएस) के अनुरूप बनाया गया था। पूंजी और राजस्व बजट के लिए बजट प्रणाली विकसित की गई है। कार्य संविदा मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे क्रियाशील बनाया गया है। यह संविदा सृजन, बीओक्यू, ऑनलाइन माप पुस्तिका और बिलों से संबंधित है। अब साइट इंजीनियर निकटतम वास्तविक समय में माप दर्ज करने में सक्षम होंगे।

सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल: सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है जहां सेवानिवृत्त कर्मचारी उनसे संबंधित नवीनतम कार्यालय आदेश, पीएफ/पेंशन डाटा देख सकेंगे। वे अपने चिकित्सा बिल और जीवन प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रोजेक्ट ई-डायरी सिस्टम: प्रोजेक्ट ई–डायरी सिस्टम के रूप में जाना जाने वाला एक वेब आधारित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और निर्माणाधीन साइट जैसे वीपीएचईपी पर क्रियाशील है। इस एप्लिकेशन में छह श्रेणी के सापेक्ष डाटा दर्ज किया जा रहा है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये छह श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

1. प्रमुख गतिविधियों का विवरण (दिन के दौरान निष्पादित कार्य, मात्रा, इकाई और टिप्पणियां)
2. संसाधनों की कमी (संसाधन विवरण)
3. महत्वपूर्ण निर्देश (कार्य निष्पादन के लिए प्रमुख निर्णय (लक्ष्य तिथियां))
4. गुणवत्ता संबंधी मुद्दे (मुद्दे और उपाय)
5. दैनिक बाधाएँ (निलंबन, संविदाकार के प्रचालन की बहाली, स्पष्टीकरणः देरी, कठिनाइयाँ, उपयोगिता क्षति, स्थानीय मुद्दे, धरना, यातायात व्यवधान, अन्य असामान्य स्थितियाँ आदि)
6. **सुरक्षा मुद्दे**

कागजरहित कार्यालय: पत्रों, नोटों और फाइलों को संभालने में व्यक्ति/अनुभाग/विभाग से प्रतिक्रियाओं में दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कागज रहित कार्यालय की ओर बढ़ने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने सफलतापूर्वक ई–ऑफिस (एनआईसी द्वारा विकसित) लागू किया है। इसने टर्नअराउंड समय/प्रोसेसिंग विलंब को कम किया है और इससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही स्थापित होगी। अब प्रस्तावों, नोटों आदि की प्रक्रिया ई–ऑफिस के माध्यम से की जा रही है।

वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य उपलब्धियां

- कार्यपालक प्रशिक्षुओं (एचआर/वित्त) की ऑनलाइन भर्ती की एप्लीकेशन का विकास और कार्यान्वयन।
- कार्यपालकों की तिमाही सतर्कता निकासी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए एप्लीकेशन साफ्टवेयर का विकास।
- आई.टी. प्रणाली और साफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए साफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा आई.टी. अवसंरचना की नियमित लेखा परीक्षा सी.ई. आर.टी. इन–पैनलबद्ध सुरक्षा लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है तथा कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। नए स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षुओं के लिए साइबर सुरक्षा पर एक सत्र आयोजित किया गया है ताकि उन्हें साइबर सुरक्षा के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी जा सके।
- भिन्न–भिन्न परियोजना कार्यालयों के बीच वी.सी. आयोजित करने के लिए कंपनी में सुस्थापित बहु–बिंदु वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली है।
- प्रतिभा प्रबंधन और एग्जिट प्रोसीजर के लिए एच.आर.एम.एस. में नया साफ्टवेयर माड्यूल विकसित कर कार्यान्वित किया गया है।
- इंटरनेट पर कमजोरियों/दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक का सामना करने वाले उपकरणों पर परामर्श प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने नियमित परामर्श प्राप्त करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र को शुरू किया है।

पुरस्कार और मान्यताएं

आपकी कंपनी के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार एवं अन्य प्रतिष्ठित संगठनों तथा संस्थानों द्वारा समय–समय पर इसे विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कारों के रूप में मान्यता दी गई एवं इसकी सराहना की गई है।

यह हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले वर्षों की तरह, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न डोमेन के तहत विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है:

श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीएचडीसी इंडिया लि. वर्ल्ड एच आर डी कांग्रेस से सीईओ विद एच आर ओरिएंटेशन पुरस्कार प्राप्त करते हुए

1. आपकी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री राजीव विश्नोई को मार्च, 2022 में **वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा सीईओ विद् एचआर ओरिएंटेशन पुरस्कार** से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सीएमडी, टीएचडीसीआईएल द्वारा की गई अनुकरणीय मानव संसाधन की मान्यता के रूप में प्रदान किया गया।
2. आपकी कंपनी की टिहरी बांध परियोजना (1000 मेगावाट) को XV वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस एंड इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्क्लेव, 2021 के दौरान **'डैम सेफ्टी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर'** पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

XV विश्व एक्वा कांग्रेस एवं अंतरराट्रीय डैम सेफ्टी कान्क्लेव 2021 के दौरान पुरस्कार वितरण समारोह

3. आपकी कंपनी को **'सोशल मीडिया फॉर पीआर एंड ब्रांडिंग' श्रेणी के तहत पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई) राष्ट्रीय पुरस्कार, 2021 (द्वितीय स्थान)** से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पीआरएसआई द्वारा आयोजित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल रूप से आयोजित 43वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन में प्रदान किया गया।

टीएचडीसीआईएल एनटीपीसी राजभाषा शील्ड के प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित

4. आपकी कंपनी को वर्ष 2020–21 के लिए **नराकास राजभाषा वैजयंती के तहत प्रथम पुरस्कार** प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार की घोषणा 21 जनवरी, 2022 को ऑनलाइन आयोजित नगर राजभाषा कार्यवन समिति, हरिद्वार की 33वीं अर्धवार्षिक बैठक में की गई।

मानव संसाधन प्रबंधन

लोग प्राथमिक संसाधन हैं और इस संसाधन ने आपकी कंपनी को महामारी के समय में चुनौतियों के बीच लचीलापन विकसित करने में मदद की है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में, नई सीख मिली है और अधिक आत्मनिर्भरता विकसित हुई है। कंपनी की ब्रांड छवि बनाने के लिए, रणनीतिक योजना को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी को अत्याधुनिक बढ़त प्रदान करने, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने में मानव संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि मानव एक मुख्य संसाधन है और आपकी कंपनी का प्रयास अपने कर्मचारियों को उनकी कैरिअर आकांक्षाओं को पूरा करते हुए, व्यावसायिक आवश्यकताओं की प्रदायगी में सक्षम बनाना हैं। हमारे लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य सम्पूर्ण कार्यबल के बीच देखभाल, प्रतिबद्धता, संलग्नता और एकता की संस्कृति विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की मानव पूँजी 1644 है, जिसमें 813 कार्यपालक, 67 पर्यवेक्षक और 764 कामगार शामिल हैं। एक उच्च गुणवत्ता, प्रेरित कार्यबल कार्यनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है, इसलिए आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

प्रशिक्षण और विकास

आपकी कंपनी ज्ञानार्जन पहलों में निवेश करने में दृढ़ विश्वास रखती है और इसके लिए इसमें एक सुपरिभाषित ज्ञानार्जन विकास प्रणाली है। आपकी कंपनी कार्यनीतिक मानव संसाधन हस्तक्षेप कर अपने कर्मचारियों को व्यापार से जोड़कर उनकी क्षमता का अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करती है। कंपनी व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों की व्यक्तिगत विकास योजनाओं को जोड़ने में सक्षम रही है जो संगठन को वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की दक्षताओं को अद्यतन रखने में मदद करती है। महामारी के समय में भी, आपकी कंपनी की ज्ञानार्जन और विकास की पहल निर्बाध रूप से जारी रही और आपकी कंपनी ने प्रतिष्ठित संस्थानों/एजेंसियों को बाह्य नामांकन के अलावा 49 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हुए 2000 मानव दिवसों के लक्ष्य के मुकाबले 2813 मानव दिवसों के लिए बाह्य रूप से प्राप्त नामांकन के अलावा, तकनीकी, प्रबंधकीय और व्यवहारिक डोमेन पर 49 समर्पित प्रशिक्षण आयोजित किए हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विषय श्रेणियों नामतः नेतृत्व और प्रबंधन विकास, तकनीकी और प्रक्षेत्र विशिष्ट और कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के अलावा क्रॉस फंक्शनल दक्षताओं के उन्नयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

महिला पेशेवरों के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से कार्य जीवन संतुलन के साथ–साथ नेतृत्व विकास प्राप्त करने के लिए महिला कर्मचारियों के लिए कई पहलें की गईं। नवनियुक्त प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया और उनका अंतिम मूल्यांकन किया गया। आपकी कंपनी प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों में महिला कर्मचारियों के लिए समान अवसर और समान प्रतिनिधित्व के साथ समान अवसर प्रदान करती है। कंपनी के सभी स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया और महिला कर्मचारियों के सशक्तिकरण के लिए पहलें की गईं।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों के कौशल विकास के साथ–साथ आसपास के क्षेत्रों के युवाओं के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण पहलों में निवेश कर रही है।

कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में कोविड-19 टीकाकरण कैम्प का आयोजन

कर्मचारी संबंध और कल्याण

कर्मचारी संबंध, औद्योगिकी सामंजस्य के लिए अनिवार्य और कंपनी के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे निरंतर शानदार प्रदर्शन होता है और यह आपसी प्रयासों को सुनिश्चित करने में मदद करता है जिससे समग्र संगठनात्मक समृद्धि प्राप्त होती है। आपकी कंपनी में कर्मचारी संबंध न्याय, समानता, आपसी सम्मान पर आधारित है और आपकी कंपनी कर्मचारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यूनियनों/एसोसिएशन के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित करने के लिए सहभागी मंच और प्रणाली के माध्यम से अपने कर्मचारियों को संवाद प्रक्रिया में शामिल करती है। इससे समग्र सद्भाव और सौहार्दपूर्ण कर्मचारी संबंधों को सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

वर्ष के दौरान टीएचडीसीआईएल की सभी परियोजनाओं/केंद्रों/इकाइयों में कर्मचारी संबंध सौहार्द्रपूर्ण और समरस बने रहे। प्रबंधन और कामगारों तथा कार्यपालकों के संघ / संगठनों के बीच लगातार विचार–विमर्श होता रहा। वर्ष के दौरान संगठित बैठकें आयोजित की गई जिनमें कार्य निष्पादन और उत्पादकता संबंधी मामलों पर गहन विचार–विमर्श किया गया। कामगारों के प्रतिनिधियों को संयुक्त प्रबंधन परिषद में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई जिसमें प्रबंधन और कामगारों के समान संख्या में प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार–विमर्श में भाग लिया।

आपकी कंपनी द्वारा कर्मचारी कल्याण को एक अलंघनीय जिम्मेदारी माना जाता है और महामारी के समय में आपकी कंपनी ने कर्मचारी कल्याण और भलाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। कंपनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से सदैव अपने कर्मचारियों की खुशी और कल्याण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान अंतर–सीपीएसयू पोर्ट आदि के आयोजन से लेकर कई कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया और बैडमिंटन सहित आईसीपीएसयू के तत्वावधान में आयोजित खेल आयोजनों में पदक जीते, जिसमें महिला टीम ने द्वितीय पुरस्कार जीता। कोविड–19 के कारण क्लबों की गतिविधियाँ प्रभावित हुईं, हालाँकि, इन क्लबों द्वारा कर्मचारियों को कोविड–19 के बारे में जागरूक करने और मास्क, सैनिटाइजर आदि के वितरण द्वारा महामारी से लड़ने के लिए कई पहल की गईं। आपकी कंपनी स्वस्थ सामूदायिक जीवन के संवर्धन के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है। सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करके, दीवाली, होली, दुर्गा पूजा, नववर्ष, रेजिंग डे आदि जैसे विभिन्न उत्सव सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं।

आपकी कंपनी बेहतर जीवन के लिए योग के समग्र महत्व को समझती है इसलिए कर्मचारियों और उनके परिवारों को लगातार योग का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित और सुयोग्य योगाचार्य प्रतिनियुक्त किए गए हैं। योग दिवस का आयोजन, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक मुद्दों पर कार्यशालाओं की व्यवस्था भिन्न–भिन्न इकाइयों में स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर आदि वर्ष भर चलने वाली अतिरिक्त गतिविधियां थीं।

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांगजनों के लिए पहलें

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रुप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी ने अ.जा./अ.ज.जा. कार्मिकों के कल्याण के लिए सरकारी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है तथा उनकी शिकायतों का पूर्ण रूपेण समाधान किया है। आपकी कंपनी में अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व. और अल्पसंख्यकों के लिए एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ है। आंतरिक पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत लगातार प्रयास किए जाते हैं। आपकी कंपनी ने समूह–''क'' में 10 उम्मीदवारों की भर्ती की, जिनमें से 07 सामान्य श्रेणी, 01 अ.पि.व. (एनसीएल), 01 अ.पि.व. और 01 अ.जा. श्रेणी के उम्मीदवार शामिल थे।

दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौते के कार्यान्वयन के अनुपालन में निगम ने अपने अधिकांश भवनों पर रैंप बनवाकर सुगम पहुंच प्रदान की है। आपकी कंपनी सुगम भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन कर दिव्यांगजनों के लिए निर्बाध माहौल बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारियों को नामित करती है। भिन्न रूप से सक्षम कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने तथा विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी ने संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। आपकी कंपनी की नीति समान अवसर प्रदान करने की है जिसे शुद्ध अंतकरण से लागू किया जाता है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी का विश्वास है कि हिंदी भाषा में सहयोग एवं राष्ट्रीय उत्साह सृजन करने की शक्ति है। इसलिए आपकी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार एवं सफल कार्यान्वयन के लिए अथक प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान परियोजनाओं एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में अनेक हिंदी कार्यशालाएं एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि सरकारी काम में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए कर्मचारी प्रोत्साहित हो सकें। सभी कार्यालय आदेश, फार्मेट एवं परिपत्र हिंदी में जारी किए गए। अधिकारिक वेबसाइट पर सामग्री द्विभाषी रूप में भी दर्शाई जा रही है। महत्वपूर्ण विज्ञापन और गृह पत्रिकाएं द्विभाषी रूप में अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में जारी की गईं।

वर्ष के दौरान राजभाषा अनुभाग द्वारा 28 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 526 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम्प्यूटरों/लैपटॉप में द्विभाषी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी सॉफ्टवेयर/फोंट संस्थापित किए गए हैं। कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन योजना भी लागू की गई है। अधीनस्थ कार्यालयों/यूनिटों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, हिन्दी पखवाड़ा सहित वर्ष भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों मे भाग लेने तथा गृह पत्रिकाओं में अपने लेख, निबंध देकर हिन्दी को बढ़ावा देने में कर्मचारियों को सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कार स्कीमें भी लागू की गई हैं।

आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्यालय में हिंदी पुस्तकालय स्थापित किया है। तथा कंपनी की विभिन्न संस्थापनाओं में हिन्दी पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं जहाँ कर्मचारियों को लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएं और समाचार पत्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। हिंदी इन–हाउस पत्रिका ''पहल'' भी प्रकाशित की जा रही है और इसके अंकों को टीएचडीसी वेबसाइट पर मीडिया टैब में और राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर ई–पत्रिका पुस्तकालय टैब में अपलोड किया गया था।

आपकी कंपनी 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम जैसे छमाही बैठकें आयोजित की गईं। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

आपकी कंपनी को वर्ष 2020–21 के लिए एनटीपीसी राजभाषा शील्ड स्कीम के तहत सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय को वर्ष 2020–21 के लिए नराकास की राजभाषा वैजयंती स्कीम के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसकी घोषणा जनवरी, 2022 में की गई थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार देश के नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है।

टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के अपीलीय अधिकारी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी के विवरण तथा सूचना प्राप्त करने के लिए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है वर्ष 2021–22 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 237 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

वर्ष के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को 24 अपीलें प्राप्त हुई, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का निपटान कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021–22 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में 03 अपील दायर की गई और आयोग द्वारा इन्हें निस्तारित कर दिया गया।

महिला कर्मचारी कल्याण

आपकी कंपनी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियां गठित की जो महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और उनका ध्यान रखने वाला माहौल प्रदान करने के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2021–22 में आईसीसी को एक शिकायत प्राप्त हुई और इस शिकायत का निपटान कर दिया गया। आपकी कंपनी ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिला) समिति का भी गठन किया है और यह डब्ल्यूआईपीएस की आजीवन सदस्य है। आपकी कंपनी राष्ट्रीय सम्मेलनों, वेबिनार आदि में भाग लेने के लिए डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों को नामांकित करती है। महिला कर्मचारियों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

जन संपर्क पहलें और कार्यकलाप

टीएचडीसीआईएल को सोशल मीडिया फॉर पी आर और ब्राडिंग के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया

वैश्विक महामारी ने विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियां उत्पन्न की हैं और कोविड–19 के खिलाफ युद्ध लड़ने में प्रभावी संचार कार्यनीति की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आपकी कंपनी ने महामारी के दौरान आंतरिक और बाहरी हितधारकों के बारे में जागरूकता के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रसारित करने के लिए सभी संचार चैनलों और प्लेटफार्मों का प्रभावी और व्यापक उपयोग किया है। टीएचडीसीआईएल ने एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में विवेकपूर्ण कोविड संचार प्रतिक्रिया के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों अर्थात् फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यू ट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चैनलाइज किया है। आपकी कंपनी का रचनात्मक संचार में दृढ़ विश्वास है तथा विभिन्न हितधारियों को संलग्न करने के लिए नवोन्मेषी और विविध साधनों को अपनाती है। वर्ष 2021–22 के दौरान उत्पादक हस्तक्षेपों के प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- टीएचडीसीआईएल द्वारा उठाए गए कदमों के साथ–साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा की गई पहलों को नियमित रूप से बढ़ावा देना और साझा करना। यह जागरूकता फैलाने के लिए सूचना ग्राफिक्स, लघु वीडियो/एनिमेशन प्रदर्शित करने के साथ–साथ पीएमओ, माई.गॉव (My.gov), स्वास्थ्य मंत्रालय और पीआईबी आदि के महत्वपूर्ण अपडेट/घोषणाओं को भी मॉनीटर करता है।
- किसी भी आपात स्थिति में कोविड संक्रमितों/संदिग्धों के लिए आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर संचार हेतु व्हाट्स ऐप/फेसबुक समूह बनाना।

आपका निगम हितधारकों की पहुंच के लिए जुड़ाव के अभिनव और विविध साधनों को वास्तविक तौर पर अपनाता है। आपकी कंपनी ने सोशल मीडिया सेंटर (एसएमसी)–वन स्टॉप डेस्टिनेशन विकसित किया है ताकि विवेकपूर्ण सोशल मीडिया हस्तक्षेप किया जा सके और टीएचडीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश में इसके कार्यान्वयन और केंद्रीकृत प्रभावी निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके। निगम ने सक्रिय और विविध सोशल मीडिया एसेट्स जैसे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल, बल्क मैसेज और वॉयस कॉल सर्विस विकसित किए हैं। आपकी कंपनी, बेहतर पारदर्शिता, जबावदेही के लिए सूचना का प्रसार करने की शक्ति को स्वीकार करती है और इसलिए यह सूचना साझा करने और हितधारकों का जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। आपकी कंपनी सूचना की शक्ति को स्वीकार करती है और इसलिए सभी हितधारकों तक पहुंचने और उन्हें सीएसआर, कल्याण पहल, कॉर्पोरेट उपलब्धियों आदि के बारे में सूचित रखने के लिए ई–पत्रिकाओं के लिए ऑडियो/वीडियो सामग्री सहित कई तरीकों का उपयोग करती है।

आजादी का अमृत महोत्सव

आपकी कंपनी आजादी का अमृत महोत्सव पहल में भारत सरकार की भागीदारी कर रही है और अब तक विद्युत मंत्रालय द्वारा सौंपी गई 23 प्रमुख गतिविधियों जैसे स्कूली छात्रों के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन, वेबिनार, कार्यशालाएं, मैराथन, वृक्षारोपण ड्राइव, नुक्कड़ नाटक, प्रेस विजिट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अन्य का संचालन किया है जिन्हें संस्कृति मंत्रालय पोर्टल पर भी अपलोड किया गया है।

सतर्कता गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता एक प्रमुख प्रबंधन माध्यम है जो संगठन को उच्चतर विकास के पथ पर अग्रसर करता है। इसके प्रकार्यों को कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके प्रकार्यों में नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में पारदर्शिता के प्रति कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए संगठन के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने पर अधिक जोर दिया जाता है। टीएचडीसीआईएल नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवसाय परिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी हितधारकों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है।

सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा व्यापक है और इनमें संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई या की जा सकने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में जानकारी/आसूचना एकत्र करना, रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे के विचार हेतु जांच रिपोर्ट संसाधित करना, जहां आवश्यक हो, मामलों को सलाह के लिए आयोग को अग्रेषित करना, अनुचित प्रथाओं/कदाचार आदि को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं। सतर्कता विभाग का मुख्य उद्देश्य संगठन को सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाओं की ओर ले जाने में मदद करना है ताकि कर्मचारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया जा सके और व्यवसाय प्रथाओं के निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सतर्क कार्यबल चूक को रोकने, कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लिकेज, जो संगठन की उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, को रोकने में मदद करता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी पर व्यवहार में इन मूल्यों को आत्मसात करने और व्यवहार एवं संवाद में उन्हें प्रदर्शित करने का दायित्व है।

सतर्कता प्रकार्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सतर्कता विभाग संगठन की सभी प्रक्रियाओं के साथ कार्य को संरेखित करने और आंतरिक प्रक्रिया और इसके सुधार में सतर्कता कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर कर्मचारी की समझ में अंतर को पाटने के लिए काम कर रहा है। सतर्कता कार्यों को व्यापक तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

(1) निवारक सतर्कता

(2) दंडात्मक सतर्कता

(3) निगरानी और परिचयन

(1) निवारक सतर्कता:-

लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में प्रमुख क्षेत्रों में से एक निवारक सतर्कता है। निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल पूरे संगठन में लोक प्रशासन में उच्च स्तर की पारदर्शिता और दक्षता को सक्षम करने का प्रयास करता है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, सतर्कता विभाग ने सभी इकाइयों / परियोजनाओं को एक निवारक सतर्कता ढांचा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्रों का आकलन करके, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार करने के लिए कदम उठाकर और आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करके भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई में सक्षम होगा। निवारक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटनाओं (कानून, किसी मानदंड, या, मोटे तौर पर, किसी शासनात्मक अपेक्षा के उल्लंघन) में कमी करना है।

निवारक सतर्कता को दिए गए इस महत्व के परिणामस्वरूप, परिवर्तनशील समय को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और संशोधन किया गया है और नई पहलें एवं नवाचार भी किए हैं। इसलिए, सतर्कता और संबद्ध मामलों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक, शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए, समय–समय पर विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

भ्रष्टाचार/कदाचार के उन्मूलन के लिए कंपनी द्वारा लागू/अपनाए गए कुछ निवारक उपाय नीचे दिए गए हैं:

- निवारक – एहतियाती
- समय–समय पर औचक निरीक्षण
- निरीक्षण, लेखा परीक्षा आदि।
- सिस्टम में खामियों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के उपाय करना
- पारदर्शिता में सुधार
- नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- प्रणाली के भीतर नियंत्रण विकसित करना
- संगठन में निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही लाना
- विभागीय कार्रवाई तंत्र का सुदृढ़ीकरण
- विवेकाधिकार में कटौती
- संविदाकारों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना
- अधिकारियों को शिक्षित/जागरूक बनाना
- संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के रोटेशन की निगरानी

(2) दंडात्मक सतर्कता:-

दंडात्मक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना को रोकना है। यह सतर्कता इकाई को रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों/शिकायतों से संबंधित है। इसमें जांच और साक्ष्य का संग्रह और त्वरित विभागीय जांच शामिल है। प्रारंभिक जांच में, यदि शिकायत में सतर्कता का दृष्टिकोण पाया जाता है, तो निर्धारित आचरण नियमों और प्रक्रिया के अनुसार दोषी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए जांच शुरू की जाती है। भूल या चूक के विभिन्न कृत्यों में सतर्कता दृष्टिकोण की अनुपस्थिति का यह अर्थ नहीं है कि संबंधित अधिकारी अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऐसी सभी कमियों, जो सतर्कता की दृष्टि से आकर्षित न हों, को वास्तव में आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुसार उचित रूप से निपटाया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सतर्कता इकाई की सहायता से, मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच करता है और परिस्थितियों का आकलन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या संबंधित अधिकारी की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का उचित कारण मौजूद है। दंडात्मक सतर्कता के तहत वास्तविक दोषियों के विरूद्ध त्वरित और निवारक कार्रवाई की जाती है।

(3) निगरानी और परिचयन:-

परिचयनात्मक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना की पहचान करना और उसकी पुष्टि करना है। यह संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई, या की जा सकने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में आसूचना के संग्रह से संबंधित है। यह संगठन के संवेदनशील क्षेत्रों में औचक और नियमित निरीक्षण, जांच/परीक्षाओं के माध्यम से या लेखापरीक्षा रिपोर्ट, विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट जैसी विभिन्न रिपोर्टों, सभी लंबित मामलों जैसे जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक कार्रवाई में तेजी लाने के लिए मामलों और अन्य सतर्कता शिकायतों/मामलों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि के माध्यम से किया जा सकता है।

ई-गवर्नेंस:

ई–गवर्नेंस, सरकारी सेवाओं की प्रदायगी, सूचनाओं का आदान–प्रदान, लेनदेन के संचार, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से सरकार, सरकार से कर्मचारी के बीच विभिन्न स्टैंड अलोन प्रणालियों और सेवाओं का एकीकरण और सम्पूर्ण सरकारी ढांचे के साथ संवाद के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की एक एप्लीकेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, हमें दक्ष बना सकता है और इस तरह निष्पक्ष कार्यकरण, पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करके प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कर सकता है। टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन/शमन संबंधी अपने प्रयास में अपने प्रशासन में प्रभावी उपकरण के रूप में विभिन्न आईटी पैकेजों का उपयोग किया है।

टीएचडीसीआईएल में, ई–गवर्नेंस, सर्वोत्तम निर्णय निर्माण और इनके अत्यधिक प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए सुशासन को सक्षम बनाती है। सुशासन का सीधा सा अर्थ है–अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनका प्रभावी कार्यान्वयन। सुशासन की यथाचिह्नित प्रमुख विशेषताएं – पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, भागीदारी और अनुक्रियता हैं। ई–गवर्नेंस, यह सुनिश्चित करने का सबसे उत्तम तरीका है कि सार्वजनिक धन वास्तव में और प्रभावी रूप से उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए इसे मंजूर किया गया है और क्या यह वास्तव में लोक कल्याण के लिए अभिप्रेत है।

ई–गवर्नेंस के रूप में, निवारक सतर्कता के संबंध में संगठन के हितधारकों को निम्नलिखित सेवाएं सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं।

- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख उपाय के रूप में ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की गई है। सतर्कता एमआईएस प्रणाली और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली (जीटीएस) मार्च 2015 से यूआरएल **http://www.thdc.co.in** के माध्यम से क्रियाशील हैं।
- कर्मचारियों द्वारा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) ऑनलाइन प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है।
- ई–पेमेंट परिपाटी शुरू की गई है। 100% संविदात्मक भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जा रहे हैं। तदनुसार, निविदा दस्तावेजों में शर्तों को सम्मिलित किया जा रहा है।

प्रणालीगत सुधार

सतर्कता विभाग नेमी/सीटीई प्रकार के/औचक निरीक्षण नियमित रूप से करता है। पूछताछ/जांच के दौरान, कुछ मुद्दे संज्ञान में आते हैं। निरीक्षणों और फीडबैक से प्रेक्षणों/अनुभव के आधार पर, विभिन्न प्रणालीगत सुधार शुरू किए जाते हैं और प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं। ऐसे मुद्दों/मामलों को प्रणालीगत सुधार के रूप में सभी संबंधित के संज्ञान में लाया जाता है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो। इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने विभिन्न मामलों से संबंधित 10 (दस) प्रणालीगत सुधार किए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 26.10.2021 से 01.11.2021 तक सीवीसी द्वारा निर्दिष्ट विषय ''स्वतंत्र भारत @75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता'' के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2021 मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2021 के दौरान सभी परियोजनाओं/इकाइयों में कोविड–19 रोकथाम दिशानिर्देशों का पालन किया गया और उनका अनुसरण किया गया। इस अवसर पर, सतर्कता विभाग ने अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए केस स्टडीज, सीवीसी के परिपत्र, प्रणालीगत सुधार और विवरण को कवर करते हुए ''इंटिग्रिटीः ए वे टू सेल्फ रिलायंस'' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। ऋषिकेश में सभी कर्मचारियों को सीएमडी द्वारा और अन्य परियोजनाओं में परियोजनाध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टीएचडीसीआईएल ने व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए टीएचडीसीआईएल वेबसाइट और इंट्रानेट पर ई–प्रतिज्ञा और सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया। टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/कार्यालयों और टाउनशिप में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता जागरूकता पर पोस्टर/बैनर प्रदर्शित किए गए। ऋषिकेश और टिहरी में कार्यपालकों के लिए 'निवारक सतर्कता' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान संगठन के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सतर्कता जागरूकता गतिविधियां/कार्यक्रम जैसे बच्चों के लिए डिजिटल पेंटिंग और निबंध लेखन, स्लोगन लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान टीएचडीसी ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 66.40% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/उपस्करों/सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं हैं जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और/या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

कारपोरेट कार्यालय ऋषिकेश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का आयोजन

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	रुपए करोड़ में
I	कुल वार्षिक खरीद – जीईएम से खरीद सहित (मूल्य में)' (बीमा सेवाओं को छोड़कर)	32.7929
II	जीईएम सहित एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	21.7739
III	जीईएम सहित अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	0.00
IV	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	1.4296
V	जीईएम सहित कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	66.40%
VI	जीईएम सहित कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण प्रतिशत	0.00
VII	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	4.36%
VIII	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	–
IX	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है	हां

*इसमें सामान एवं सेवाओं का प्रापण शामिल है।

संबंधित पत्रकारों के साथ संविदाएं और प्रबंध

वित्त वर्ष 2021–22 में कंपनी ने अपने किसी संबद्ध पक्ष के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार महत्वपूर्ण लेन–देन नहीं किया।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/समझौतों के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैं :–

- आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौरा – शून्य
- आर्म्स लैंथ आधार पर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौराः समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्म्स लैंथ आधार पर कोई महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार नहीं किया गया थाः
  - क. संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति – लागू नहीं
  - ख. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की प्रकृति – लागू नहीं
  - ग. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की अवधि– लागू नहीं
  - घ. संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित संव्यवहार, यदि कोई हो–लागू नहीं
  - ङ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो – लागू नहीं
  - च. अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो–लागू नहीं
- **इंड-एएस-24 के तहत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 42 (8) में किया गया है।**

कारपोरेट सुशासन

कारपोरेट सुशासन पर आपकी कंपनी का दृष्टिकोण सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समानता, पारदर्शिता, जवाबदेही और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के सिद्धांतों पर आधारित है। आपकी कंपनी सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियों को लागू करके, पूर्ण रूप में कानून का अनुपालन और प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करके उच्चतम कॉर्पोरेट सुशासन मानकों के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने अच्छे कॉर्पोरेट सुशासन संव्यवहार अपनाने का प्रयास किया है। आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट सुशासन तंत्र पारदर्शिता और निष्पक्षता, समयबद्ध और संतुलित प्रकटन, वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, पर्यावरण के प्रति नैतिक और उत्तरदायित्वपूर्ण निर्णय लेने की बाध्यता, हितधारकों के अधिकार और हितों के संरक्षण पर आधारित है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनिमय, 2015 और लोक उद्यम विभाग के द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में कारपोरेट सुशासन पर एक विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** के अनुसार संलग्न है।

डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण–पत्र कॉर्पोरेटे सुशासन के भाग के रूप में संलग्न है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है। सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा बोर्ड स्तरीय सीएसआर और सततता समिति (बीएलसी) द्वारा बोर्ड के अनुमोदनार्थ इनकी अनुशंसा की जाती है। अधिमान्य रूप से सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से, पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन किया जाता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर किया जाने वाला कुल व्यय 26.23 करोड़ रुपए था. जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के निवल लाभ का 2% है। तथापि, वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय 27.21 करोड़ रूपये है।

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कॉर्पोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी (मसौदा एमजीटी–7) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर दी गई है।

मसौदा वार्षिक विवरणी तक पहुंच के लिए वेबलिंक – https://thdc.co.in/en/annual-return है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैः

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

सांवधिक प्रकटीकरण

(क) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

(ग) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, निदेशकों की जानकारी प्रशिक्षण नीति के लिए सतर्कता तंत्र/सूचना प्रदाता नीति (ह्विसिल ब्लोअर नीति) और वेब लिंक की स्थापना, संबद्ध पक्षकार के लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और समय–समय पर संशोधित सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

(घ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं।

(ड.) वित्त वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2022 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(च) कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(छ) सतर्कता मामलों, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते है।

(ज) दिवालिया और बैंक करप्ट संहिता के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स चार्टड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ऋणों तथा दी गई गारंटी, किए गए निवेश तथा दी गई प्रतिभूतियों के विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(11) के अनुसरण में धन उपलब्ध करवाने के व्यापार में संलग्न किसी कंपनी द्वारा किए गए ऋण गारंटी अथवा प्रदत्त प्रतिभूति या अपने सामान्य व्यापार के क्रम में अवसंरचनात्मक कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाली कंपनी में लागू नहीं होते इसलिए किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने टस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूपीएनईडीए की संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयरों को सब्सक्राइब करने में 7.40 करोड़ रूपये का निवेश किया था। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल द्वारा इसकी अनुषंगी कंपनी टस्को लिमिटेड में किया गया निवेश 14.80 करोड़ रूपये है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

वर्ष 2021–22 के लिए आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट लागत अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

आपकी कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से यह पुष्टि करते हुए घोषणाएं प्राप्त हो गई हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथाउपबंधित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 18.08.2021 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/52 के द्वारा मैसर्स एस. एन. कपूर एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेंशन मैत्री बिहार, हरिद्वार, बाई पास रोड, नागेसवती चिकित्सा केंद्र के सामने, देहरादून–248001 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण संलग्न हैं।

निदेशकों और बोर्ड का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 के सामान्य परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के उपबंधों, जिनके अंतर्गत नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की अपेक्षित होता है, से छूट दी है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के पूर्वोक्त परिपत्र के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के उपबंधों, जिनमें बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्यनिष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके और बोर्ड की रिपोर्ट में अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशक, यदि निदेशकों का मूल्यांकन केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग, जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभारी है, या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है, के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के तरीकों का उल्लेख करना अपेक्षित है, से छूट प्रदान की गई है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, 31 मार्च 2022 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी द्वारा मैसर्स के.जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली एवं मैसर्स के.बी सक्सेना एंड एसोसिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली, मैसर्स एस सी मोहन्ती एंड एसोशिएट, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन वित्त वर्ष 2021–22 के लिए क्रमशः टिहरी एचपीपी, ढुकवां एसएचपी, कोटेश्वर सौर ऊर्जा संयंत्र, कोटेश्वर एचईपी और पवन परियोजनाओं के लागत लेखांकन रिकार्डो की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों में से, मैसर्स के. जी. गोयल एंड एसोसिएट्स, लागत एवं प्रबंधन लेखाकार, नई दिल्ली प्रमुख लागत लेखापरीक्षक हैं।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या आपत्ति इंगित नहीं की है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2021–22 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स पीएसआर मूर्ति, पेशेवर (प्रेक्टिसिंग) कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक-VI** के रुप में संलग्न है।

डिबेंचर ट्रस्टी

आपकी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित है:–

ट्रस्टी का नाम और पता
विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
छठा तल, आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर, प्लॉट–सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बान्द्रा पूर्व मुम्बई –400051

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त सतत सहयोग और समर्थन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपने बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों की विशेष सराहना करता है।

निदेशकगण, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई कुशल और निष्ठापूर्ण सेवाओं की सराहना करना चाहते हैं, जिनके सहृदय प्रयासों के बिना, समग्र संतोषजनक प्रदर्शन प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। बोर्ड कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संविदाकारों, वेंडरों और परामर्शदाताओं के योगदान की भी सराहना करता है।

आपके निदेशक गण, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से प्राप्त रचनात्मक सुझावों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा दिए गए निरंतर सहयोग व सहायता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–

राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 20.09.2022

स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

कारपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''टीएचडीसीआईएल'' या ''कंपनी''), उत्तम कॉरपोरेट सुशासन परिपाटियों, नैतिकता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, और स्थायी आधार पर हितधारकों के मूल्य और हित को बढ़ाने तथा अपने हितधारकों के विश्वास और भरोसे के परिवेश का सृजन करने में विश्वास करता है। टीएचडीसीआईएल में, हम व्यवस्थित प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों, विनियमों और कानूनों का पालन करते हैं, जिनके द्वारा कंपनियों को हितधारक की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्देशित, नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के उपबंधों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों, 2010, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों और सभी अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ–साथ हम अधिकांश गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का भी अनुपालन करते हैं।

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट और उसके बाद सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा कॉर्पोरेट सुशासन पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। आपके साथ यह साझा करते हुए हमें खुशी हो रही है कि कंपनी को वर्ष 2021–22 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' दर्जा दिया गया है।

1. कारपोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

आपकी कंपनी का मानना है कि कॉरपोरेट सुशासन में बहुत–से नियम और नियंत्रण शामिल होते हैं जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं जिनके भीतर कंपनी के सभी हितधारकों, जैसे इसके शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंधन, समाज और पर्यावरण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिलता है। यह अपने सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ढांचा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के व्यवसाय जवाबदेह और निष्पक्ष तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। जबकि सुशासन पर आपकी कंपनी का दृष्टिकोण शुरुआत से ही निर्धारित किया गया है, यह ढांचा कंपनी को वर्तमान समय में समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त लचीला है।

कंपनी का मानना है कि कॉरपोरेट सुशासन इस बारे में भी है कि बोर्ड क्या करता है और यह कैसे कंपनी के मूल्यों को निर्धारित करता है और कंपनी के व्यवसाय को अपने सिद्धांतों के साथ संचालित करता है। बोर्ड इस बात से दृढ़ता से सहमत है कि सुशासन केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट संस्था के रूप में कार्य करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह पूर्णकालिक अधिकारियों द्वारा कंपनी के दिन–प्रतिदिन के प्रचालन संलग्नता से भिन्न है। इस प्रकार आपके बोर्ड की जिम्मेदारियों में कंपनी में कॉर्पोरेट सुशासन के सिद्धांतों को लागू करना, कंपनी के सामरिक लक्ष्य निर्धारित करना, प्रबंधन को उनके नेतृत्व के साथ मार्गदर्शन करना और शेयरधारकों को रिपोर्ट करना शामिल है। प्रबंधन, बोर्ड और उसकी समितियां मिलकर यह सुनिश्चित करती हैं कि टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अक्षुण अखंडता, उत्कृष्टता की कंपनी बनी रहे और जिम्मेदार विकास की ओर अग्रसर हो।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल के पास प्रभावी प्रबंधन, दीर्घकालिक व्यापार कार्यनीति, सामान्य मामले, प्रदर्शन और कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों की प्रभावशीलता की निगरानी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बोर्ड के परामर्श से व्यावसायिक कार्यनीति को क्रियान्वित करते हुए तथा वार्षिक और दीर्घकालिक व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए कंपनी के प्रबंधन मामलों का प्रभार संभालते हैं।

2.1 बोर्ड का आकार

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.496 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग एनटीपीसी की है तथा 25.504 प्रतिशत इक्विटी शेयर होल्डिंग उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की है। कंपनी के व्यवसाय का अधीक्षण निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। एनटीपीसी लिमिटेड और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित शेयर क्रय करार के अनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड को दो नामिती निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। तथापि, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति समय–समय पर कंपनी के निदेशकों की संख्या तय करते हैं जो सात से कम और पन्द्रह से अधिक नहीं होगी।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, एनटीपीसी द्वारा नामित निदेशक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो प्रकार्यात्मक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा नामित दो और एक महिला निदेशक सहित तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यता, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाता है।

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक-पदों और समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता की संख्या और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनमें निदेशक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक पद पर आसीन हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	धारित अन्य निदेशक - पदों की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक-पद और निदेशक -पद की श्रेणी	अन्य समितियों में धारित सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	–	–	–
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	1	–	–	2
3.	श्री ए. के. गौतम*	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	4	1 एनटीपीसी लिमिटेड कार्यपालक निदेशक	0	6
4.	श्री यू. के. भट्टाचार्य	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	6	1 एनटीपीसी लिमिटेड कार्यपालक निदेशक	2	3
5.	श्री जितेश जॉन	नामिती निदेशक भारत सरकार	1	–	–	3
6.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	–	–	1	3
7.	डॉ. जय प्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक	–	–	3	4
8.	श्री केसरीदेव सिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक	1	–	–	–

*31.05.2022 से निदेशक पद पर नहीं रहे

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

1. सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर, श्री डीवी सिंह और श्री राज पाल दिनांक 30.04.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में क्रमशः अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं रहे।
2. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12 अप्रैल, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/30/2020–एचआई (255493) के तहत श्री विजय गोयल, निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल को दिनांक 01/05/2021 से तीन महीने की अवधि के लिए टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार सौंपा। विद्युत मंत्रालय ने श्री विजय गोयल को सौंपे गए अतिरिक्त पदभार की अवधि को 01.08.2021 से आगे बढ़ा दिया। सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री विजय गोयल 31.10.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।
3. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 अगस्त, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/4/2020–एचआई (251966) द्वारा श्री आर. के. विश्नोई को 06.08.2021 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
4. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 3 सितंबर, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/10/2021–एचआई (258704) के माध्यम से श्री आर. के. विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल को दिनांक 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की संसूचना दी। इस अतिरिक्त प्रभार को विद्युत मंत्रालय द्वारा 05.08.2022 तक या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया था।
5. विद्युत मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 14–37/22/2017–एचआई (238665) के माध्यम से श्री जितेश जॉन, आर्थिक सलाहकार, विद्युत मंत्रालय को दिनांक 21.06.2021 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्ति की सूचना दी।
6. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–11/18/2021–एचआई (259305) द्वारा श्री आर के विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल को 01.11.2021 से निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की संसूचना दी। विद्युत मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त प्रभार को आगे बढ़ा दिया गया था।
7. सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री टी. वेंकटेश, दिनांक 31.01.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के पद पर नहीं रहे और श्री अनिल गर्ग को दिनांक 26.04.2022 से उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
8. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10 नवंबर, 2021 के अपने आदेश संख्या 14–37/43/2021– एचआई (259063) के तहत डॉ. जयप्रकाश नाइक बी. (डीआईएनः 09423574) और श्रीमती सजल झा (डीआईएनः 09402663) को नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
9. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 28 मार्च, 2022 के अपने आदेश संख्या 14–37/43/2021–एचआई (259063) के तहत श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला (डीआईएनः 09101303) को नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है।
10. सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने पर श्री ए. के. गौतम दिनांक 31.05.2022 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड नहीं रहे।
11. विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 जून, 2022 के अपने पत्र संख्या 14–7/1/2022–एचआई (260878) के माध्यम से श्री आर. के. विश्नोई, सीएमडी, टीएचडीसीआईएल को दिनांक 01.06.2022 से सीएमडी–नीपको और निदेशक (तकनीकी), नीपको के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की सूचना दी।

बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित है।

2.3 निदेशकों की आयु-सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद की सह–मीयादी (कोटर्मिनस) का होगा। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.4 निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल, जिसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव का क्षेत्र आदि शामिल हैं, कॉर्पोरेट सिंहावलोकन खंड–वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल के अंतर्गत दिया गया है।

2.5 निदेशकों की मुख्य दक्षताएँ

बोर्ड में योग्य सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशकों द्वारा धारित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का सारांश अनुलग्नक–I में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

2.6 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कंपनी और अन्य एजेंसियों/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व गुणों, ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन किया जा सके। यह प्रशिक्षण, उन्हें क्षेत्र के साथ–साथ कंपनी की बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। निदेशकों को समय–समय पर विधायी/विनियामक परिवर्तनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन/विकास के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रवेश के समय एक परिचय कार्यक्रम दिया जाता हैं जिसमें संगठन की संरचना, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों, कंपनी के व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम का विवरण वेबलिंक https://thdc.co.in/sites/default/files/FAMILIARIZATION_PROGRAMME.pdf पर दिया गया है।

2.7 वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समापन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और कार्यकाल समापन का विवरण निम्नानुसार है:

निदेश का नाम	पदनाम में परिवर्तन	प्रभावी तिथि
श्री डी. वी. सिंह	कार्यकाल समाप्त पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021
श्री राज पाल	कार्यकाल समाप्त पूर्व नामिती निदेशक, भारत सरकार	30.04.2021
श्री विजय गोयल	सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना	01.05.2021
श्री आर. के. विश्नोई	नियुक्ति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना	 06.08.2021 06.08.2021 01.11.2021
श्री जितेश जॉन	नियुक्ति भारत सरकार के नामिती निदेशक	21.06.2021
श्री विजय गोयल	कार्यकाल समाप्त पूर्व निदेशक (कार्मिक)	31.10.2021
श्री टी. वेंकटेश	कार्यकाल समाप्त पूर्व नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश	31.01.2022
डॉ. जय प्रकाश नाइक बी.	नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021
श्रीमती सजल झा	नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021
श्री केसरदेवसिंह डी. झाला	नियुक्ति स्वतंत्र निदेशक	28.03.2022

2.8 बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर आमंत्रित की जाती हैं। किसी भी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी–कभी सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के अधीन बोर्ड की बैठकें अल्पावधि नोटिस पर भी आमंत्रित की जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, यदि विधि के तहत अनुमेय हो, तो प्रस्तावों को परिचालन के माध्यम से भी पारित किया जाता है। विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यों के बीच एक निर्धारित प्रारूप में परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक में सार्थक, सुविज्ञ और केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाया जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की आठ (8) बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतराल एक सौ बीस दिनों से अधिक नहीं था। उक्त बैठकें 10 अप्रैल, 2021 और 24 अप्रैल, 2021, 9 जून, 2021, 28 जुलाई, 2021, 21 अगस्त, 2021, 15 सितंबर, 2021, 23 अक्टूबर, 2021, 23 दिसंबर, 2021 और 14 फरवरी 2022 को आयोजित की गईं। सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) मौजूद थी। नीचे दी गई तालिका में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठक		पिछली एजीएम (15 सितंबर 2021 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
प्रकार्यात्मक निदेशक				
श्री आर. के. विश्नोई* **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दिनांक 06.08.2021 से)**	8	8	100%	भाग लिया
श्री जे. बेहेरा **निदेशक (वित्त)**	8	8	100%	भाग लिया
श्री डीवी सिंह **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 30.04.2021 तक)**	1	1	100%	भाग नहीं लिया
श्री विजय गोयल **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार, 01.05.2021-05.08.2021)** निदेशक (कार्मिक) 31.10.2021 तक)	6	6	100%	भाग लिया
नामिती निदेशक				
श्री ए. के. गौतम** **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	8	8	100%	भाग लिया
श्री यू. के. भट्टाचार्य **एनटीपीसी के नामिती निदेशक**	8	7	87.5%	भाग लिया
श्री जितेश जॉन **21.06.2021 से भारत सरकार के नामिती निदेशक**	6	6	100%	भाग लिया
श्रीमती सजल झा **10.11.2021 से स्वतंत्र निदेशक**	2	2	100%	भाग नहीं लिया
डॉ जयप्रकाश नाईक बी. **10.11.21 से स्वतंत्र निदेशक**	2	2	100%	भाग नहीं लिया
श्री राज पाल **30.04.2021 तक भारत सरकार के नामिती निदेशक**	1	1	100%	भाग नहीं लिया
श्री टी. वेंकटेश **उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक 31.01.2022 तक**	7	1	14.28%	भाग नहीं लिया
श्री केसरीदेवसिंह डी झाला*** **28.03.2022 से स्वतंत्र निदेशक**	0	0	–	भाग नहीं लिया

*निदेशक (कार्मिक), टीएचडीसीआईएल और निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

**31.05.2022 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।

***28.03.2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त।

2.9 निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटन :

आपकी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना प्रशासनिक मंत्रालय को दी जाती है। कंपनी के प्रकार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। बोर्ड ने दिनांक 14.02.2022 को आयोजित अपनी 222वीं बैठक में स्वतंत्र निदेशकों के बैठक में भाग लेने के शुल्क को 20,000 रूपए से बढ़ाकर 30,000 रूपए कर दिया।

इसके अलावा, अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड तथा समिति (बैठक में भाग लेने के शुल्क का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है) की बैठकों मे भाग लेने के लिए 30,000 रूपये प्रति बैठक की दर से बैठक में भाग लेने के शुल्क का भुगतान किया जाता है। सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित अंशकालिक निदेशकों को कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्रमांक	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			कुल
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	
1.	श्रीमती सजल झा	40,000	40,000	30,000	1,10,000
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	40,000	70,000	30,000	1,40,000
3.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	–	–	–	.

*28.03.2022 को नियुक्त

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया हैः

पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते#	बोनस/ कमीशन*	कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन पीआरपी	कुल योग
1.	श्री राजीव के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4648291	लागू नहीं	2481139	7129430
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	4183728	लागू नहीं	2225836	6409564
3.	श्री डी. वी. सिंह	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1282008	लागू नहीं	0	1282008
4.	श्री विजय गोयल	पूर्व निदेशक (कार्मिक)	2909149	लागू नहीं	1767019	4676168
5.	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	1643675	लागू नहीं	458652	2102327

#: वेतन और भत्तों में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

2.10 बोर्ड स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा की है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्ते कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors.pdf पर उपलब्ध हैं।

2.11 केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) तथा कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 अनुसार निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

1. श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

3. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

2.12 बोर्ड के सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 जुलाई 2017 की अधिसूचना के तहत विनिर्दिष्ट किया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित उपबंध भी सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन उनके आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग द्वारा किया गया था। प्रकार्यात्मक निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सभी प्रकार्यात्मक निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है जिसका उपयोग बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

2.13 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए जारी कॉरपोरेट सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, 31 मार्च 2022 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

2.14 बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया-विधियां:

i) **निर्णय लेने की प्रक्रिया:**

कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कॉर्पोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

ii) **बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:**

1. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, प्रबंधन रिपोर्टें निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।

2. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में टिप्पणी किया जाता है।

3. जब कार्यसूची के साथ अधिक मात्रा में दस्तावेजों का संलग्न करना व्यावहारिक न हो तो ऐसे कागजात बैठक के दौरान पटल पर रखे जाते है। संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कार्यसूची से संबंधित कागजात परिचालित किए जाते हैं।

4. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

5. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

iii) **बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:**

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके परिचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

iv) **अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र:**

बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के रूप में बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता मिलती है।

v) **अनुपालन:**

हमारा प्रयास है कि विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिस सीमा तक ये लागू हैं), सेबी विनियमन एवं दिशा–निर्देश, विभिन्न कानूनों के तहत सूचीबद्ध करार एवं सांविधिक अपेक्षाओं के सभी लागू प्रावधानों का कंपनी अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर उसके समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

vi) **निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:**

- अनुमोदन और सूचना हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से संबंधित सभी तकनीकी मामले।
- वार्षिक परिचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।
- पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।
- निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।
- वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।
- कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।
- पिछली बोर्ड बैठकों, कंपनी की समिति की बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।
- निदेशक मंडल के स्तर के नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती संबंधी जानकारी सहित निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी।
- लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बोर्ड की शक्तियों के अनुसार सामान्य व्यवसाय मामले।
- बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।
- खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।
- परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।
- विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।
- निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

- कारण बताओं, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं,।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।
- कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।
- सूचीबद्ध इकाई और उसके प्रचालनात्मक संभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।
- सूचीबद्ध इकाई में और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा विक्रय किए गए माल के लिए महत्वपूर्ण गैर–भुगतान।
- ऐसे लेन–देन जिनमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए भारी भुगतान शामिल है।
- निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो भौतिक प्रकृति के हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।
- लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

3. **निदेशक मंडल की समितियां:**

बोर्ड या तो पूर्ण बोर्ड के रूप में या विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों की देखरेख के लिए गठित विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 में यथाविनिर्दिष्ट समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। कंपनी की पांच बोर्ड स्तरीय समितियां हैं जो इस प्रकार हैं:

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

ग. हितधारक संबंध समिति

घ. जोखिम प्रबंधन समिति

ङ. सीएसआर तथा सततता संबंधी समिति

कंपनी सचिव, बोर्ड की उप–समितियों के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर), 2015 और कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3.1.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	ए. के. गौतम, एनटीपीसी नामिती निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त)/मुख्य वित्त अधिकारी, सदैव विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लेते हैं। कार्यकारी निदेशकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और संबंधित महाप्रबंधकों को विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है, जैसा कि लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा तय किया जा सकता है। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.1.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

i. कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश;

ii. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

iii. वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;

iv. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के लेनदेन का अनुमोदन या कोई अनुवर्ती संशोधन;

v. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;

vi. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;

vii. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

viii. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना;

ix. सीएण्डएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

x. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी करना;

xi. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;

xii. विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले,

(ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण,

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां,

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन,

(च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण,

(छ) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय,

xiii. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

xiv. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

xv. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

xvi. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xvii. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

xviii. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

xix. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना तथा जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को सूचित करना;

xx. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा;

xxi. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

xxii. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज सहित अच्छे कॉर्पोरेट सुशासन के कार्यान्वयन की समीक्षा करना

xxiii. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति की मंजूरी,

xxiv. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना।

xxv. बोर्ड द्वारा इसे संदर्भित कोई भी मामला या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम, सेबी (एलओडीआर) और डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा संशोधित कोई अन्य विचारार्थ विषय।

3.1.3 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, लेखा परीक्षा समिति शक्तियों का प्रयोग करेगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेखा परीक्षा समिति के पास ऊपर निर्दिष्ट या बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार होगा और इस उद्देश्य के लिए, कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुंच होगी।
- किसी भी कर्मचारी के बारे में और उससे जानकारी प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक हो तो बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- किसी भी मामले पर लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

3.1.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

- वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण,
- सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र,
- आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और
- मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अध्यधीन होंगी।

3.1.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2021–22 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई और समिति के सदस्यों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार हैः

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 14.02.2022	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	भाग लिया	1	1	100
श्रीमती सजल झा	भाग लिया	1	1	100
श्रीमती ए. के. गौतम	भाग लिया	1	1	100

टिप्पणीः निदेशक (वित्त), टीएचडीसीआईएल सभी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 19 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है।

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को धारा 178 (2), (3) और (4) के उपबंधों से छूट दी है, जिनमें निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषता, स्वतंत्रता और वार्षिक मूल्यांकन तथा निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करने अपेक्षा निर्दिष्ट हैं।

3.2.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जितेश जॉन, नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	श्री यू.के. भट्टाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य

3.2.2 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 14.02.2022	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत
श्रीमती सजल झा	1	1	1	100%
डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	1	1	1	100%
श्री जितेश जॉन	1	1	1	100%
श्री यू.के. भट्टाचार्य	1	1	1	100%

3.3 हितधारक संबंध समिति

इस समिति का गठन सेबी (एलओडीआर) और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप किया गया है। यह कंपनी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार करती है और उनका समाधान करती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन और सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए उपायों और पहलों की भी समीक्षा करती है।

3.3.1 हितधारक संबंध समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री ए. के. गौतम, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
3.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	सदस्य

3.3.2 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के संदर्भ में सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

3.3.3 केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली-स्कोर्स

कंपनी में सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। स्कोर्स के माध्यम से, बॉन्डधारक कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत, समाधान हेतु दर्ज कर सकते हैं। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। सेबी शिकायतों के पर्याप्त रूप से निवारण पर संतुष्ट होने पर शिकायतों का निपटान करता है।

3.3.4 निवेशक शिकायतें

निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए, आपकी कंपनी ने सेबी की वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) में स्वयं को पंजीकृत किया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी (एलओडीआर) के नियम 21 के अनुसार, निम्नलिखित के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है:

- जोखिम प्रबंधन के तहत साइबर सुरक्षा सहित जोखिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना;
- फ्रेमवर्क; बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना/ढांचे की निगरानी और समीक्षा;
- बोर्ड को मूल्यांकित जोखिम और जोखिम शमन हेतु आवश्यक कार्रवाई/पहले से ही की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करना और
- बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्देशानुसार कोई अन्य मामला उठाना।

3.4.1 जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद
1.	श्री यू. के. भटटाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	अध्यक्ष
2.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
3.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.5 सीएसआर तथा सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अपेक्षाओं और सततता (एसडी) पर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार सीएसआर एवं सततता समिति का गठन किया गया है। सीएसआर एवं सततता समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर और सततता नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सततता नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_Policy2021.pdf पर देखी जा सकती है।

3.5.1 सीएसआर एवं सततता समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। 31 मार्च, 2022 तक, सीएसआर और सततता समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद
क)	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
ख)	श्री यू. के. भटटाचार्य, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
ग)	श्री जितेश जॉन, नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य

3.5.2 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर एवं सततता समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 31.03.2022	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों के दौरान हुई कुल बैठकें	उपस्थिति प्रतिशत
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी	1	1	1	100%
श्री जितेश जॉन	1	1	1	100%
श्री यू. के. भट्टाचार्य	1	1	1	100%

3.5.3 सीएसआर तथा सततता समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर तथा सततता समिति कंपनी के सीएसआर और सततता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीएसआर तथा सतत परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।
- आवधिक सीएसआर एवं सततता प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।
- सीएसआर एवं सततता गतिविधियों की मानीटरिंग करना।
- सीएसआर एवं सततता परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।
- अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

3.6 स्थायी समिति

विद्युत मंत्रालय के दिनांक 20.10.2021 के आदेश संख्या 11/51/2021–एनएचपीसी के अनुरूप, सरकार की प्राथमिकताओं को व्यक्त करते हुए जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ भारत सरकार के नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। बोर्ड स्तर की स्थायी समिति का गठन और भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां नीचे दी गई हैं:

3.6.1 स्थायी समिति की संरचना

31 मार्च, 2022 को स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम
1.	श्री जे. बेहेरा, निदेशक (वित्त)
2.	श्री यू. के. भट्टाचार्य, एनटीपीसी के नामिती निदेशक
3.	श्री जितेश जॉन, भारत सरकार के नामिती निदेशक

कंपनी सचिव बोर्ड स्तर की स्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

3.6.2 समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

स्थायी समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

(क) राष्ट्रीय स्तर के मिशनों की समय–समय पर समीक्षा करना और इसके संबंध में सरकार के निर्देशों की समीक्षा करना और पीएसयू के रूप में उनके प्रति क्या योगदान किया जा सकता है।

(ख) भारत सरकार के निर्देशों और दिशानिर्देशों के साथ सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना

(ग) अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना और राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के लिए सुझाव / दिशा–निर्देश देना

(घ) मेक इन इंडिया मानदंडों, जीईएम से संबंधित निर्देश और विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों से संबंधित निर्देश जैसे स्वच्छ भारत मिशन आदि के अनुपालन मुद्दों को संभालना।

4. आम निकाय की बैठकें

4.1 वार्षिक आम सभा

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तरीख, समय और स्थान के साथ–साथ इनमें पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वार्षिक आम बैठक	15 सितंबर, 2021 को आयोजित 33वीं वार्षिक आम सभा की बैठक	22 सितंबर, 2020 को आयोजित 32वीं वार्षिक आम सभा की बैठक	27 सितंबर, 2019 को आयोजित 31वीं वार्षिक आम सभा की बैठक
समय	अपराहन 3.00 बजे	मध्याहन 12:00 बजे	अपराहन 6:00 बजे
स्थान	टीएचडीसीआईएल, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट संख्या 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)	वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,प्रथम तल, ईस्ट टावर एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामाह मार्ग, नई दिल्ली
विशेष कार्य	• वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए • निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रूपये तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।	• वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।	• वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना। • सुरक्षित परिवर्तनीय–गैर संचयी बांड प्राइवेट–गैर प्लेसमेंट आधार पर जारी करना।

4.2 पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

विगत वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से किसी विशेष संकल्प को पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

5. प्रकटीकरण

क) सहायक कंपनियां

टस्को लिमिटेड, टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की एक संयुक्त उद्यम कंपनी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क (ओं) / परियोजनाओं के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए 12.09.2020 को निगमित किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी में टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच क्रमशः 74:26 के अनुपात में इक्विटी शेयरधारिता साझा की जाती है। सहायक कंपनी की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष रखे जाते हैं।

ख) सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स पीएसआर मूर्ति, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

ग) महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वर्ष 2020-21 के अंत तक प्रक्रियाधीन/ जांचाधीन मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	वर्ष 2021-22 के अंत तक प्रक्रियाधीन मामलों की संख्या
0	1	1	0

घ) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझ कर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- कंपनी में नैतिक आदर्श और कानूनी व्यापारिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुगम बनाना।

कंपनी में अनैतिक / अनुचित आचरण के मामलों की रिपोर्ट करने और उसकी जांच करने और उसे ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए एक परिभाषित और स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्क तंत्र) है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicyNew.pdf पर उपलब्ध है। इस नीति के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) और सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

वर्ष 2021–22 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

ङ) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश:

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर जारी सेबी (दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाओं की लिस्टिंग) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का व्यापक अनुपालन किया है। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या बोर्ड या किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

च) लेखांकन व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

छ) संबंधित पक्षकार के साथ लेन-देन:

कंपनी ने संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है जिसमें संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के महत्व निर्धारित करने और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन करने के मानदंड शामिल हैं। आरपीटी नीति वेब लिंक: https://thdc.co.in/sites/default/files/Policy_10Jun22.pdf पर उपलब्ध है। संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में एओसी–2 के रूप में दिया गया है।

ज) मूर्त अनुषंगी

कंपनी की सेबी (एलओडीआर) के विनियम 16(1)(ग) के तहत यथापरिभाषित कोई 'मूर्त अनुषंगी' नहीं थी।

6. जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने जून, 2012 में "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" अपनाया। यह मैनुअल, कंपनी में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में एकरूप और स्रोत जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखता है। 'जोखिम प्रबंधन योजना' के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए मैनुअल के अनुसार वित्त, नियोजन और डिजाइन इत्यादि से सदस्यों को लेकर जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई थी। जोखिम प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।

मैनुअल के अनुरूप जोखिम प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक परियोजना ने जोखिम रजिस्टर खोला है और "जोखिम प्रबंधन योजना" एवं "जोखिम प्रबंधन मैनुअल" में उल्लेख किए गए अनुसार कार्यकलापों के समन्वय के लिए नोडल जोखिम अधिकारी नामित किया है। जोखिम की किसी घटना के होने पर उसका रिकार्ड 'जोखिम अनुभव रजिस्टर में रखा जा रहा है, जिसमें भविष्य में जोखिम की घटना में कमी करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कंपनी द्वारा समय–समय पर कंपनी के जोखिम प्रबंधन की समीक्षा की जाती है। बोर्ड भी नियमित आधार पर जोखिम प्रबंधन की समीक्षा भी करता है।

7. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसी ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

8. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने 'शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- वित्तीय परिणाम
- आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियां।
- बांड्धारक जानकारी
- तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के सार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2021–22 के दौरान, तिमाही परिणामों को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है:

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र
II	26.10.2021	इंडियन एक्सप्रेस
III	16.02.2022	इंडियन एक्सप्रेस
IV	15.05.2022	इंडियन एक्सप्रेस

जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कोई प्रकाशन नहीं किया गया था क्योंकि तिमाही वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की आवश्यकता दिनांक 07.09.2021 से लागू हुई थी।

9. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

आपकी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत इसका संसदीय निरीक्षण भी किया जा सकता है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक आपकी कंपनी की लेखाओं का परीक्षण की दृष्टि से लेखापरीक्षा करते हैं तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

10. कारपोरेट आचार नीति

आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कारपोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कारपोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों का पालन करने के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना है।

11. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

12. कारपोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कारपोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

13. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

14. निवेशकों के लिए सूचना

14.1. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैः

बीएसई लिमिटेड	एनएसई लिमिटेड	
पताः फिरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्टीट, मुंबई–400 001	**पताः** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर, सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा पूर्व, मुंबई–400 051	
क्रेडिट रेटिंग		
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला	**आईएसआईएन**	**क्रेडिट**
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला - I	INE812V07013	इंडिया रेटिंग्स, एए स्टेबल केयर रेटिंग्स लिमिटेडः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला- II	INE812V07021	इंडिया रेटिंग्स, एए स्टेबल आईसीआरएः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -III	INE812V07039	केयर रेटिंग्सः एए स्टेबल आईसीआरएः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -IV	INE812V07047	आईसीआरएः एए स्टेबल केयर रेटिंग्स लिमिटेडः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -V	INE812V07054	इंडिया रेटिंग्सः एए स्टेबल केयर रेटिंग्स लिमिटेडः एए स्टेबल
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला -VI	INE812V07062	इंडिया रेटिंग्सः एए स्टेबल केयर रेटिंग्स : एए स्टेबल

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को नियत तारीख से पहले कर दिया गया है।

14.2 रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स

केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32
फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट जिला, नानकरामगुडा, सेरलिंगमपल्ली,
हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना, भारत–500 032
ई–मेलः gopalkrishna.kvs@karvy.com

14.3 डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
छठा तल, दि आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर,
प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट मुम्बई

14.4. लाभांश का भुगतान

लाभांश का वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (करोड में)	वार्षिक आम बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2019–20	402.71	22 सितंबर, 2022
2020–21	305.04	अंतरिम लाभांश 20 फरवरी, 2021
2020–21	190.84	अंतिम लाभांश15 सितंबर, 2021
2021–22	317.36	अंतरिम लाभांश 14 फरवरी, 2022
2021–22	197.94	अंतिम लाभांश की घोषणा 20 सितंबर, 2022 को आयोजित की जाने वाली वार्षिक आम बैठक में की जानी है।

14.5. अंशधारिता पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3	अन्य नामिती शेयरधारक	10	–
	कुल	36658817	100

14.6. निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

निदेशक 31.03.2022 के अनुसार	शेयरों की संख्या
श्री आर. के. विश्नोई	शून्य
श्री जे. बेहेरा	शून्य
श्री ए. के. गौतम*	शून्य
श्री यू. के. भटटाचार्य	शून्य
श्री जितेश जॉन	शून्य
श्रीमती सजल झा	शून्य
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	शून्य
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	शून्य

* 31.05.2022 को निदेशक पद से हट गए।

15. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,
ऋषिकेश–249201, उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
नाम	**सुश्री रश्मि शर्मा**
कार्यालय से संपर्क करने के लिए टेलीफोन नं.	0135–2439309 / 2473403 फैक्स– 0135–2439442
ई–मेल	rashmi@thdc.co.in
लोक शिकायतों के लिए	
नाम	श्री संदीप सिंघल, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी, एनसीआर) / निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसीआईएल
संपर्क	0120–2816800–6900
ई–मेल	ssinghal@thdc.co.in

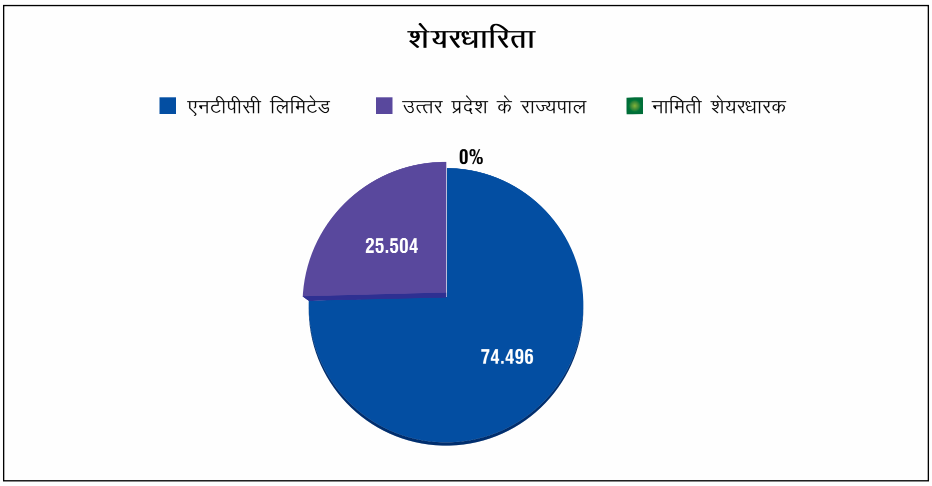

अनुलग्नक-1

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्सः

क्रमांक	निदेशक के नाम	पद	तकनीकी	ऊर्जा विद्युत क्षेत्र	वित्तीय एवं लेखांकन	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा और विधि	प्रबंधन	पर्यावरण	शैक्षणिक	अनुसंधान और विकास
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)		✓	✓			✓	✓			
3.	श्री ए. के. गौतम*	एनटीपीसी नामिती निदेशक			✓	✓		✓	✓		✓	
4.	श्री यू. के. भट्टाचार्य	एनटीपीसी नामिती निदेशक	✓	✓				✓	✓	✓		✓
5.	श्री जितेश जॉन	नामिती निदेशक, भारत सरकार	✓	✓	✓	✓		✓				
6.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक						✓	✓			
7.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक									✓	✓
8.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक							✓	✓	✓	

*31.05.2022 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान और वित्तीय वर्ष 2021–22 से पहले पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी माननीय राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुपालन की अनुसूचीः

वर्ष	माननीय राष्ट्रपति के निर्देशों की विषय-वस्तु	अनुपालन
2018-19	वेतन संशोधन के लिए माननीय राष्ट्रपति का निर्देश	अनुपालन किया गया
2019-20	**शून्य**	**शून्य**
2020-21	**शून्य**	**शून्य**
2021-22	**शून्य**	**शून्य**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणपत्र

सेवा,
निदेशक मंडल
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

क) हम एतद्‌द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर:

1. इन कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो; तथा

2. ये विवरण एक साथ कंपनी के व्यवसाय का एक सत्य और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हम एतद्‌द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है, जो कंपनी आचार संहिता के संदर्भ में धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या उल्लंघनात्मक हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में हमारे संज्ञान में आई कमियों, यदि कोई हो, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया है:

i. 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर आंतरिक नियंत्रण में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन,

ii. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका प्रकटन किया गया है, तथा

iii. हमारे संज्ञान में आई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलग्नता, यदि कोई हो।

ह0/–	ह0/–
(जे. बेहेरा)	**(आर. के. विश्नोई)**
निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 15.09.2022
स्थानः ऋषिकेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कारपोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी-249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) सीआईएन – U45203UR1988GOI009822 एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रियाविधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, निम्नलिखित को छोड़कर सामान्यतः कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का पालन किया:

   क) कंपनी के बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है।

   ख) अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार के पास निहित हैं। भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशक और 28 मार्च 2022 को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की।

   ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद दिनांक 23.12.2021 को लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद, मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही में लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया।

   घ) दिनांक 23.12.2021 को लेखा परीक्षा समिति के गठन के परिणामस्वरूप, दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए तथा मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में क्रमशः 14.02.2022 और 13.05.2022 को आयोजित बैठक में की गई थी।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह0 / –
(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर संख्या 1134 / 2021
यूडीआईएन A005880D000517050

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22 जून, 2022

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-II

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने वर्ष 2008 में डीपीई दिशानिर्देशों से पहले अपनी सीएसआर यात्रा टिहरी के परियोजना से प्रभावित गांवों में स्वेटर, सामुदायिक उपयोगिता की वस्तुओं जैसे बर्तन, कुर्सियों और टेंट आदि के वितरण जैसी परोपकारी गतिविधियों के साथ शुरू की थी। धीरे–धीरे, इसने अनुभव से सीखने के साथ संरचित आकार ले लिया और तदोपरांत, सीएसआर से संबंधित दिशानिर्देश और धर्मार्थ गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों को लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी आजीविका गतिविधियां की जाने लगी। अपने सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल में अब भली–भांति संरचित प्रणाली है। टीएचडीसीआईएल ने सतत आजीविका के लिए पारिस्थितिकीय बहाली और ग्रामीण समुदायों की सामाजिक आर्थिक सशक्तता के लिए गतिविधियों को शामिल कर दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर टुकड़ों में हितधारकों की जरूरतों का समाधान करने के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण पर हमेशा सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। तीनों क्षेत्रों अर्थात सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास तथा लक्षित समुदायों के जीवन में सतत परिवर्तन पर विचार कर सभी सीएसआर हस्तक्षेप किए गए।

1. कंपनी की सीएसआर एवं सततता नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

कंपनी की अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और सततता नीति, 2021 है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/डीपीई द्वारा जारी सीएसआर नियम और दिशानिर्देश के अनुपालन में है।

क. संस्थागत तंत्र

बोर्ड स्तर की सीएसआर एवं सततता समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में एक तीन सदस्यीय बोर्ड स्तर की सीएसआर एवं सततता समिति (बीएलसी) एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्यरत है। इसके अन्य सदस्यों में एनटीपीसी लिमिटेड के एक नामिती निदेशक और एक सरकारी नामिती निदेशक शामिल है। कंपनी सचिव सीएसआर एवं सततता समिति का सचिव होता है।

सीएसआर एवं सततता समिति, कंपनी अधिनियम, भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं।

बोर्ड से निचले स्तर की समिति

कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर सीएसआर एवं सततता कार्यों के प्रमुख अधिकारी को इस समिति का नोडल अधिकारी नामोदिष्ट किया जाता है और वह बोर्ड से निचले स्तर की समिति (बीबीएलसी) का अध्यक्ष होता है। बीबीएलसी के अन्य सदस्य इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों से होते हैं। सीएसआर, सतत विकास और अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र विशेषज्ञ, संगठन के बाहर से भी बीबीएलसी में नामांकित किए जाते हैं।

ख. योजना

संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% इसके सीएसआर एवं सततता नीति 2021 के अनुपालन में व्यय किया जाता है। बजट एवं वार्षिक सीएसआर एवं सततता योजना, सीएसआर एवं सततता समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है।

सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहलों का शीर्षक ''टीएचडीसी सहृदय'' (मानव हृदय के साथ कॉर्पोरेट) है। मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

- टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य)– पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेय जल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें)–शिक्षा पहलें
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति)– ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण)– सशक्तीकरण करने वाली पहलें
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षमता)– वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण)– पर्यावरण संरक्षण पहलें
- टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन पहलें
- टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन पहलें

स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

स्थानीय क्षेत्र को सीएसआर एवं सततता परियोजना कार्यक्रमों के लिए वरीयता दी जाती है। सीएसआर एवं सततता नीति, 2021 में स्थानीय क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थानीय क्षेत्र
क.	प्रतिष्ठान और कार्यालय	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ख.	हाइड्रो परियोजनाएं	परियोजना के अवयवों से संबंधित सभी विकास खंड
ग.	ताप विद्युत परियोजनाएं	50 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
घ.	पवन/सौर विद्युत परियोजनाएं	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ङ.	पुनर्स्थापित/पुनर्वास साइट	ऐसी साइटों की भौगोलिक सीमाएं
च.	कोयला खदान	सहायक निर्माणों सहित कोयला खदानों/साइटों से जुड़े सभी विकास खंड

ग. **कार्यान्वयन**

सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत सोसाइटियां है।

i. **सेवा- टीएचडीसी**

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के सीएसआर और सतत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण, 1860 के अंतर्गत कंपनी प्रयोजित गैर सरकारी संगठन "सेवा–टीएचडीसी" की स्थापना की है। सेवा–टीएचडीसी ने वर्ष 2009–10 से काम करना शुरु किया है। सोसाइटी के लक्ष्य और उद्देश्य परोपकार करना और लाभ न कमाना है। प्रबंधन समिति में टीएचडीसीआईएल के नामोनिर्दिष्ट और टीएचडीसीआईएल द्वारा नामित 07 सदस्य है। टीएचडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सोसाइटी के पदेन संरक्षक होते हैं।

ii. **टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस)**

टीएचडीसी ने शिक्षा प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1992 से टिहरी जिले में परियोजना से प्रभावित लोगों तथा आस–पास के वंचित और सुविधा वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा देना शुरु किया। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकरण होने पर वर्ष 2010 में इसका पुनः नामकरण टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी के रूप में किया है। वर्तमान में सोसाइटी टीईएस के तत्वावधान में दो स्कूल चला रही है– एक स्कूल भागीरथीपुरम टिहरी में जहां कक्षा–6 से कक्षा–12 तक शिक्षा दी जाती है और दूसरा स्कूल प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक शिक्षा दी जाती है।

घ. **निगरानी**

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट

ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट

iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग

iv. स्थल भ्रमण

v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य

vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर एवं सततता समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

ड. **रिपोर्टिंग**

वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर एवं सततता रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं और उक्त को कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाए गए हैं। वार्षिक सततता रिपोर्ट भी कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित एवं प्रदर्शित की जाती है।

सीएसआर संचार कार्यनीति: सीएसआर और सततता गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों के साथ नियमित संवाद और संप्रेषण के लिए टीएचडीसीआईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संचार कार्यनीति है।

च. **प्रभाव आंकलन**

सीएसआर और सततता नीति 2021 के अनुसार, एक करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी पूर्ण सीएसआर और सततता परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन, एक वर्ष के भीतर, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाएगा।

2. सीएसआर एवं सततता समिति की संरचना:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर और सततता समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर एवं सततता समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	01	01
2.	श्री यू. के. भट्टाचार्य	सदस्य/नामिती निदेशक, एनटीपीसी लि.	01	01
3.	श्री जितेश जॉन	सदस्य/नामिती निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	01	01

कंपनी सचिव, सीएसआर एवं सततता समिति के सचिव हैं।

3. **वह वेब लिंक जिस पर कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर एवं सततता समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।**

बोर्ड की सीएसआर एवं सततता समितिः https://thdc.co.in/content/board&level&committeesblcs

सीएसआर नीतिः https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_Policy2021.pdf

अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएंः https://thdc.co.in/csr/approved-project

4. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में संचालित की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के ब्यौरे (रिपोर्ट संलग्न करें)**

   सरकारी दिशानिर्देश/नियम और टीएचडीसी सीएसआर और सततता नीति 2021 के अनुपालन में, 1.00 करोड़ या उससे अधिक रुपये के बजट परिव्यय के साथ सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के लिए वित्त वर्ष 2021–22 में और पूरी कर ली गई प्रक्रिया की शुरूआत हो गई है।

   वित्त वर्ष 2019–20 में पूर्ण सीएसआर परियोजनाओं / गतिविधियों का प्रभाव मूल्यांकन तृतीय पक्ष अर्थात समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य विभाग, एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 और 2022–23 में किया गया था।

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014, के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो,**

   - लागू नहीं

6. **धारा 135 (5) के अनुसार, कंपनी का औसत निवल लाभ: 1311.66 करोड़ रुपए**

7. **(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: 26.23 करोड़ रुपये**

   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: शून्य

   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क. 7ख. 7ग): 26.23 करोड़ रुपये

8. **(क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि:**

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (रूपये में)				
	धारा के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि			धारा 135 (5) के दूसरे परंतु क के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित की गई राशि	
	राशि	अंतरण की तारीख	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
2720.55 लाख रुपए	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (रूपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि (रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका – प्रत्यक्ष (हा/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य												

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (लाख रूपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हा/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	(i) 01 एलोपैथिक औषधालय और 05 होम्योपैथी औषधालय का संचालन	कंपनी विनियम, 2013 की अनुसूची–7 की मद संख्या (I) अर्थात् भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना और निवारक देखभाल और स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	49.11	नहीं	सेवा – टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसाईटी)	सीएसआर 00016241
					उत्तरकाशी	2.91	नहीं		
					देहरादून	8.24	नहीं		
	(ii) चिकित्सा शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य हस्तक्षेप/चिकित्सा उपचार आदि के लिए सहायता।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	78.73	नहीं		
					हरिद्वार	2.49	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	बिजनौर	3.93	नहीं		
	(iii) चिकित्सा उपकरणों के लिए सहायता		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	52.82	नहीं		
					देहरादून	17.15	नहीं		
					हरिद्वार	10.81	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाली	20.72	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	4.96	नहीं		
	(iv) उत्तराखंड सरकार के कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए कोल्ड चेन उपकरण		नहीं	उत्तराखंड	सभी उत्तराखंड	95.53	नहीं		
	(v) राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास उपाय में सहायता के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन कोष में अंशदान		नहीं	उत्तराखंड	सभी उत्तराखंड	50.00	नहीं		
	(vi) सार्वजनिक सेवाओं के लिए जिला प्राधिकरण और कल्याण एजेंसियां को अवसंरचना सहायता		हाँ	हाँ	टिहरी	24.56	नहीं		
					देहरादून	6.54	नहीं		
					हरिद्वार	1.99	नहीं		
			हाँ	हाँ	अमेलिया	2.35	नहीं		

	(vii) कोविड–19 के तहत मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री आदि का वितरण		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	34.76	नहीं		
					देहरादून	21.65	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	8.04	नहीं		
	(viii) पेयजल सुविधा एवं जलापूर्ति स्कीम/पानी के टैंकर आदि		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	21.33	नहीं		
	(IX) ''सैदव पेयजल सुविधा'' – मेघदूत –वायुमंडलीय जल उत्पादन (एडब्ल्यूजी) का उत्पादन								
	(X) स्वच्छता कार्य योजना और स्वच्छता पखवाड़ा		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	14.11	नहीं		
					उत्तरकाशी	18.03	नहीं		
					देहरादून	27.93	नहीं		
					हरिद्वार	14.47	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	मऊ	7.75	नहीं		
2	(i) अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि।	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–VII की मद संख्या–(ii) विशेष शिक्षा और रोजगार वर्धक व्यावसायिक कौशलों सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषतया बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विशेष रूप से सक्षम लोगों को ध्यान में रखते हुए तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	6.90	नहीं	सेवा – टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
					देहरादून	2.91	नहीं		
	(ii) जीएनएम/ एएनएम/ आईटीआई/डिप्लोमा आदि जैसे दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए समर्थन		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	66.16	नहीं		
					देहरादून	109.10	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	4.00	नहीं		
	(iii) शिक्षण संस्थान/ विद्यालयों में नए निर्माण/ मरम्मत द्वारा अवसंरचना विकास		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	33.48	नहीं		
					उत्तरकाशी	7.45	नहीं		
					देहरादून	25.71	नहीं		
					हरिद्वार	25.05	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	8.92	नहीं		
	(iv) प्रयोगशाला उपकरण, किताबें, पुस्तकालय सामग्री, डीजी सेट, पंखे और अन्य उपयोगिताओं/ कंप्यूटर सेट आदि प्रदान करके अवसंरचना सुदृढ़ीकरण		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	11.82	नहीं		
	(v) यूनिफार्म/किताबें/ आदि उपलब्ध कराकर गरीब समाज के बच्चों की सहायता के लिए 3 स्कूलों का संचालन		हाँ	उत्तराखंड	देहरादून	3.65	नहीं		
					टिहरी	205.43	नहीं		
					देहरादून	301.77	नहीं		
	(vi) अभिसरण कार्यक्रमों सहित गैर सरकारी संगठनों/सरकारी संस्थानों के माध्यम से आजीविका संवर्धन/आय सृजन/कृषि हस्तक्षेप/प्रशिक्षण कार्यक्रम		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	156.51	नहीं		
					उत्तरकाशी	0.50	नहीं		
					देहरादून	20.21	नहीं		
					हरिद्वार	19.64	नहीं		

3	(i) महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम जैसे सिलाई / जूट / ब्यूटीशियन / अन्य महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iii) अर्थात् लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना, वृद्धाश्रमों की स्थापना, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना और विशेष रूप से एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के लिए उपाय।	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	5.84	नहीं	सेवा – टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
					देहरादून	4.04	नहीं		
					हरिद्वार	0.90	नहीं		
	ii) अनाथ लड़कियों / पोस्को विक्टिम के लिए अध्ययन / आय उत्पादन गतिविधियों अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए सहायता		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	14.30	नहीं		
4	(i) वृक्षारोपण का संवर्धन और संरक्षण	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (iv) अर्थात 'गंगा नदी के कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में अंशदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता का अनुरक्षण सुनिश्चित करना	हाँ	उत्तराखंड	देहरादून	5.09	नहीं	सेवा– टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
	(ii) वैकल्पिक / प्रभावी / स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	5.92	नहीं		
					देहरादून	2.65	नहीं		
					हरिद्वार	4.54	नहीं		
	(iii) पीएम–कुसुम योजना पर जागरूकता और नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम		नहीं	उत्तराखंड	हरिद्वार	5.44	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	2.13	नहीं		
	(iv) इलेक्ट्रिक वाहन चा. र्जिंग स्टेशनों की स्थापना		नहीं	उत्तराखंड	हरिद्वार	92.54	नहीं		
			हाँ	उत्तराखंड	देहरादून	15.00	नहीं		
	(iv) पशु कल्याण (कांजी हाउस)		नहीं	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	35.29	नहीं		

5	(i) सांस्कृतिक विरासत आदि को बढ़ावा देने के लिए समर्थन।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (v) अर्थात राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्व के भवनों और स्थलों और कला के कार्यों की बहाली, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास शामिल है।	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	17.46	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
					देहरादून		नहीं		
	(ii) ऋषिकेश में गंगा घाट क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना और महत्वपूर्ण संरचनाओं को अग्रभाग सजावट/सजावटी लाइटिंग से सुसज्जित करना।		हाँ	उत्तराखंड	देहरादून	63.75	नहीं		
	(iii) आजादी का 'अमृत महोत्सव' का आयोजन		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	2.66	नहीं		
					देहरादून		नहीं		
			नहीं	त्रिपुरा	त्रिपुरा	2.00	नहीं		
	(iv) पारंपरिक कला और हस्तशिल्प जैसे रिंगल आदि को बढ़ावा देना।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	4.89	नहीं		
	(v) श्री बद्रीनाथ स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल टाउन का निर्माण एवं पुनर्विकास		नहीं	उत्तराखंड	चमोली	130.00	नहीं		
6	सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान हुई विधवाओं के हितलाभ के उपाय	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vi) अर्थात सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए उपाय	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	10.00	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
7	(i) खेल किट का वितरण/खेल गतिविधियां	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (vii) अर्थात ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालिमिक खेलों, ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	6.15	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
					उत्तरकाशी	1.28	नहीं		
					देहरादून				
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	2.16	नहीं		
			हाँ	उत्तर प्रदेश	झांसी		नहीं		
	(ii) खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण युवाओं के लिए अवसंरचना		नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल	22.83	नहीं		

8	केंद्र से मान्यता प्राप्त कोष जैसे पीएम केयर्स फंड में अंशदान।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (viii) अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या किसी अन्य कोष में अंशदान और महिलाएं	नहीं	अखिल भारतीय	अखिल भारतीय	405.00	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
9	ग्रामीण विकास के लिए अवसंरचना निर्माण / सामुदायिक भवन / शमशान घाट / मार्ग आदि की मरम्मत।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	39.72	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
					देहरादून	36.78	नहीं		
					हरिद्वार	7.06	नहीं		
			नहीं	उत्तराखंड	पौड़ी गढ़वाल	5.00	नहीं		
			हाँ	मध्य प्रदेश	अमेलिया	7.27	नहीं		
			नहीं	उत्तर प्रदेश	हापुड़	7.50	नहीं		
10	(i) उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) को को. विड–19 से लड़ने के लिए अंशदान	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (xi) आपदा और विपदा संरक्षण कार्य	नहीं	उत्तराखंड	देहरादून	48.79	नहीं	सेवा–टीएचडीसी (कंपनी प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी)	सीएसआर 00016241
	(ii) आपदा और विपदा के संबंध में जिला प्रशासन को राहत उपाय और सहायता।		हाँ	उत्तराखंड	टिहरी	10.36	नहीं		
					देहरादून	0.20	नहीं		
	कुल					**2646.60**			

(घ) प्रशासनिक ऊपरीशीर्ष में व्यय की गई राशि : 73.95 लाख रुपये

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : 2720.55 लाख रुपये

(छ) सेट-ऑफ के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	2623.32 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	2720.55 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	97.23 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	97.23 लाख

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो			अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने के लिए शेष राशि (रुपये में)
				कोष का नाम	राशि (रुपये में)	अंतरण की तारीख	
शून्य							

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वह वित्तीय वर्ष जिसमें गतिविधि शुरु की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (रुपये मे)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण / जारी
शून्य								

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित या अधिगृहीत परिसंपत्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण)

क्रम सं	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तारीख	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि	उस संस्था या लोक प्राधिकरण या लाभग्राही का ब्यौरा जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पूंजीगत की गई है, और उसका पता आदि	सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)
1	24.05.2021	9,550,000.00	उत्तराखंड सरकार के जिला अस्पताल	100 आईएलआर (दीर्घ) कोविड–19 टीकाकरण
2	27.05.2021	748,000.00	सीएमओ, हरिद्वार उत्तराखंड	01 शववाहन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (सीएमओ) हरिद्वार, उत्तराखंड
3	03.07.2021	340,786.00	विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ढालवाला, टिहरी	01 25–केवीए डीजी सेट श्रीमती पुष्पा वडेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ढालवाला, नरेंद्रनगर टिहरी उत्तराखंड

क्रम सं.	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तारीख	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि	उस संस्था या लोक प्राधिकरण या लाभग्राही का ब्यौरा जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पूंजीगत की गई है, और उसका पता आदि	सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)
4	14.07.2021	549,983.00	स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई टिहरी, उत्तराखंड	01 62.5–केवीए डीजी सेट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, नई टिहरी, उत्तराखंड
5	18.07.2021	192,750.00	मुख्यालय सभागार, प्रखंड प्रतापनगर जिला टिहरी, उत्तराखंड	75 विजिटिंग चेयर मुख्यालय सभागार, ब्लॉक प्रतापनगर जिला टिहरी, उत्तराखंड
6	10.09.2021	2,071,989.00	सीएचसी सतपुली, चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड	01 कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्कैनर मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सतपुली, चौबट्टाखाल जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड
7	21.09.2021	144,000.00	सिविल अस्पताल टिहरी जिला में क्षय रोग क्लीनिक	03 बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप ट्यूबरकुलोसिस क्लीनिक, सिविल अस्पताल नई टिहरी ब्लॉक चंबा, उत्तराखंड
8	18.10.2021	2,18,300.00	एम्स, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड	01 पीआरपी अल्ट्रा–नेक्स्ट जेनरेशन रेफ्रिजेरेटेड संट्रीफ्यूज एम्स, ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड
9	18.10.2021	93,987.00	एम्स, ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड	01 गाइनी चेयर एम्स, ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखंड
10	02.11.2021	270,000.00	श्री ध्रुव चौरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, हरिद्वार उत्तराखंड	50 अस्पताल बेड, श्री ध्रुव चौरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, ग्राम साजनपुर पीली, थाना श्यामपुर, नजीबाबाद रोड, हरिद्वार उत्तराखंड
11	01.12.2021	765,000.00	निर्मल आश्रम आई इंस्टीट्यूट (एनईआई) खैरी–कलां पोस्ट ऑफिस सत्यनारायण ऋषिकेश जिला देहरादून	01 एनेस्थीसिया मशीन, निर्मल आश्रम नेत्र संस्थान (एनईआई) खैरी–कलां पोस्ट ऑफिस सत्यनारायण ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखंड
12	06.12.2021	718,000.00	ऋषिकेश, टिहरी, हरिद्वार उत्तराखंड के विभिन्न स्थान	237 एलईडी स्ट्रीट लाइट, ऋषिकेश, पशुलोक, खंडगांव रायवाला नगर निगम ऋषिकेश हरिद्वार, आदर्श नगर पथरी उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर
13	16.12.2021	26,87,978.00	उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर टिहरी	01 शववाहन, उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर, टिहरी, उत्तराखंड
14	16.12.2021	785,586.00	उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर टिहरी उत्तराखंड	01 अल्ट्रासाउंड मशीन, उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर टिहरी उत्तराखंड
15	16.12.2021	492,060.00	उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर टिहरी उत्तराखंड	01 कपड़े धोने की मशीन उप जिला अस्पताल नरेंद्रनगर टिहरी उत्तराखंड
16	31.12.2021	299,250.00	उत्तराखंड के टिहरी जिला के थौलधर, जाखनीधार, भिलंगना और प्रतापनगर ब्लॉक में 150 पीएए परिवार	जिला टिहरी उत्तराखंड के ब्लॉक थौलधर, जाखनीधर, भिलंगना और प्रतापनगर में 150 पीएए परिवार
17	31.12.2021	2,47,483.00	उत्तराखंड के टिहरी जिला के थौलधर, जाखनीधार, भिलंगना और प्रतापनगर ब्लॉक में 150 पीएए परिवार	जिला टिहरी उत्तराखंड के ब्लॉक थौलधार, जाखनीधार, भिलंगना और प्रतापनगर में 150 पीएए परिवार
18	31.01.2022	8,607,479.00	सेवा–टीएचडीसी, ऋषिकेश	01 कॉम्बो चार्जर (122–150) केडब्ल्यू ई–चार्जर, दीन दयाल उपाध्याय पार्किंग, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड

क्रम सं	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण की तारीख	पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि	उस संस्था या लोक प्राधिकरण या लाभग्राही का ब्यौरा जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पूंजीगत की गई है, और उसका पता आदि	सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)
			सेवा–टीएचडीसी, ऋषिकेश	01 कॉम्बो चार्जर (122–150) केडब्ल्यू ई–चार्जर, चार धाम पंजीकरण सह ट्रांजिट कैंप, जिला देहरादून, उत्तराखंड
			सेवा–टीएचडीसी, ऋषिकेश	01 कॉम्बो चार्जर (122–150) केडब्ल्यू ई–चार्जर देहरादून सचिवालय, जिला देहरादून, उत्तराखंड
			सेवा–टीएचडीसी, ऋषिकेश	01 कॉम्बो चार्जर (122–150) केडब्ल्यू ई–चार्जर किनक्रेग, जिला देहरादून, उत्तराखंड
19	09.01.2022	422,000.00	राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनपोलखाल ब्लॉक देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड	02 स्कूल शौचालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनपोलखाल ब्लॉक देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड
20	25.02.2022	133,000.00	पीएए के विभिन्न स्कूल टिहरी जिला उत्तराखंड	05 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर (एमएमपी) उत्तराखंड के टिहरी जिले के विभिन्न पीएए स्कूल
21	10.03.2022	240,000.00	सरकारी अस्पताल ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड	08 यूवी बेस एयर प्यूरीफायर सरकारी अस्पताल ऋषिकेश, जिला देहरादून उत्तराखंड
22	26.03.2022	400,0000.00	सरस्वती शिशु मंदिर (छाम), कांदिसौर, ब्लॉक थौलधार जिला टिहरी, उत्तराखंड	2 स्कूल शौचालय सरस्वती शिशु मंदिर (छाम), कांडिसौर, ब्लॉक थौलधार जिला टिहरी, उत्तराखंड
23	29.03.2022	2,132,745.00	टिहरी और देहरादून जिले के विभिन्न स्कूल	'फॉरेवर' पेयजल–मेघदूत–एडब्ल्यूजी (1) 6 मेघदूत क्लासिक 60 लीटर, विभिन्न स्कूल नामतः गोहरमाफी, टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल ऋषिकेश, पोखल, गेवाली (देवल), गडुगड, भारतीधर (जिला टिहरी और देहरादून) (2) 02 मेघदूत क्लासिक 150 लीटर, तहसीलदार कार्यालय गजा, डिग्री कॉलेज देवप्रयाग (जिला टिहरी और देहरादून) में
24	31.03.2022	389,000.00	सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटि, भनियावाला ब्लॉक डोईवाला जिला देहरादून, उत्तराखंड	02 स्कूल शौचालय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटि, भनियावाला ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून
25	31.03.2022	734,873.00	नगर निगम ऋषिकेश जिला देहरादून, उत्तराखंड	01 ट्रैक्टर नगर निगम ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो इसके कारण (कारणों) का उल्लेख करें-

लागू नहीं

ह0/–
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक)

ह0/–
(अध्यक्ष, सीएसआर एवं सततता समिति)

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न प्रमुख सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम का दृश्य

टीएचडीसीआईएल के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कम्प्यूटर स्किल कार्यक्रम का दृश्य

टीएचडीसीआईएल, अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना अग्रिम तौर पर बनाई जाती है, विभिन्न उपलब्धि–चरण पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पूर्व–अनुमान और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सीएसआर और सततता योजनाओं को दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक परियोजनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

टीएचडीसी निरामय-स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें

उत्तराखंड में, सीमित उपलब्ध साधनों के अलावा यात्रा में अधिक समय लगने के कारण पहाड़ों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशतः प्रभावित होती है। उत्तराखंड के टिहरी जिले का कुल क्षेत्रफल 4421 वर्ग किमी है, जो अब तक टीएचडीसी का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है। पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और विशेषज्ञ सुविधाओं आदि की कमी भी जनता को निदान और उपचार का लाभ उठाने के लिए दूर के शहरों की यात्रा करने के लिए विवश करती है, जिससे शहर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, अवसंरचना और रोगियों की जेब पर दबाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, टीएचडीसीआईएल एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों और प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थानों के साथ जागरूकता अभियान के माध्यम से समाधान और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करने का लगातार प्रयास करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसी के कुछ प्रमुख समुदायोन्मुखी प्रयास इस प्रकार हैं:

दीन गांव, टिहरी में एलोपैथिक औषधालय: यह टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है और आसपास के लगभग 40 गांवों की 15000 जनसंख्या की जरूरतें पूरी करता है। औषधालय एमबीबीएस डाक्टर, अर्धचिकित्सीय स्टाफ, एक्सरे ईसीजी, आन काल एम्बुलेंस सुविधा जैसे बुनियादी पैथालाजिकल परीक्षणों, छोटे मोटे आपरेशन थिएटर और निःशुल्क दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। वित्त वर्ष में ओ.पी.डी. में कुल 5039 पंजीकरण किए गए।

बहु विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर: प्रत्येक वर्ष सेवा–टीएचडीसी टिहरी और कोटेश्वर में स्थित परियोजनाओं, ऋषिकेश आदि में तैनात डाक्टरों के माध्यम से टिहरी जिले में 10–15 बहु–विशेषज्ञता चिकित्सा शिविर आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 4841 ओपीडी के साथ कुल 24 मेडिकल कैंप आयोजित किए गए। मोतियाबिंद की सफल सर्जरी और 322 डेन्चर चेंज के लिए कुल 235 लाभार्थियों को प्रायोजित किया गया था।

होम्योपैथिक औषधालय: वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 5 होम्योपैथी औषधालय क्रियाशील थे।

मोबाइल हेल्थ वैन: परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को व्यापक डोर स्टेप स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से टीएचडीसी, एम्स, ऋषिकेश और रोटरी इंटरनेशनल के साथ साझेदारी में दो मोबाइल हेल्थ वैन संचालन करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, इस परियोजना से कुल 4239 ग्रामीण लाभान्वित हुए।

चिकित्सा स्वास्थ्य अवसंरचना: जन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों/अस्पतालों के लिए 01 अल्ट्रासाउंड मशीन, 01 लॉन्ड्री मशीन, 02 शववाहन, 01 एनेस्थीसिया मशीन, 01 कलर डॉपलर अल्ट्रा साउंड मशीन, 03 बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप, आदि के वितरण द्वारा चिकित्सा अवसंरचना में सुधार की दिशा में सहायता प्रदान की गई थी।

जल और स्वच्छता पहल: बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए भारत सरकार के मिशन का समर्थन करने के लिए, कंपनी की सभी इकाइयों में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए ट्रैक्टर की आपूर्ति के माध्यम से ऋषिकेश के नगर निकायों को सहायता प्रदान की गई थी। किशोरियों और महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न स्थानों पर 2700 सेनेटरी पैड का वितरण किया गया। विभिन्न स्कूलों/स्थानों पर वायुमंडलीय जल उत्पादन (एडब्ल्यूजी) प्रौद्योगिकी सक्षम 'मेघदूत' जल कियोस्क की स्थापना द्वारा सीएसआईआर आईआईसीटी, हैदराबाद के साथ साझेदारी में एक प्रायोगिक परियोजना भी कार्यान्वित की गई थी। प्रायोगिक परियोजना भूजल या सतही जल स्रोतों पर निर्भरता के बिना छात्रों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करती है।

कोविड-19 के मद्देनजर पहल: टीएचडीसी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कोविड–19 के लिए राहत उपायों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके कोविड–19 के प्रसार को नियंत्रित करने और कम करने के उपायों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का भी सहयोग करता है। इसके अलावा, टीएचडीसी ने स्वयं जिला प्रशासन के माध्यम से समुदाय को मास्क, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर और राशन बैग के वितरण की पहल की।

टीएचडीसी जागृति-शिक्षा संबंधी पहलें

संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संख्या 4 अर्थात् 'समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने के' इस विचार को स्वीकार किया गया है और परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2030 तक, सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे प्रासंगिक और प्रभावी ज्ञानार्जन परिणाम प्राप्त होंगे। विद्युत क्षेत्र के एक जिम्मेदार सीपीएसयू के रूप में, आसपास के गांवों और परियोजना प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, टीएचडीसी वर्ष 1992 से अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट में

से स्कूल का संचालन कर रहा है। ऋषिकेश में एक और टिहरी जिला में भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो के साथ, स्थानीय क्षेत्र के कुल 3 स्कूल, गरीब और जरूरतमंद छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्यशील हैं। इन स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, बैग, किताबें, स्टेशनरी, स्वेटर के रूप में अतिरिक्त सहायता के साथ लगभग मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। उपरोक्त 3 स्कूलों से कुल 878 बच्चे लाभांवित हुए।

उपरोक्त के अलावा, शैक्षिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए, टीएचडीसी शैक्षिक संपत्तियों के वितरण द्वारा रियायती शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों का भी समर्थन करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसी ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/स्कूलों के लिए 01 25–केवीए डीजी सेट और 5 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वितरित किए हैं।

परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसी नियमित रूप से स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 9 केंद्र कार्यशील थे और इस कार्यक्रम से 253 युवा लाभान्वित हुए।

टीएचडीसी दक्ष- कौशल विकास पहलें

सीएसआर गतिविधियों के आरम्भ से ही कमजोर वर्ग के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, ए.एन.एम, आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लम्बर, बेल्डर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक, उत्खननकर्ता प्रचालक, एसी और रेफ्रीजरेशन आदि दिए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 110 युवाओं को एएनएम, जीएनएम, होटल मैनेजमेंट, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, प्रोफेशनल अकाउंटिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित किए गए। उपरोक्त के अलावा, टीएचडीसी ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर फंड के माध्यम से 109 युवाओं के शिक्षुता कार्यक्रम का भी समर्थन किया है।

टीएचडीसी उत्थान- ग्रामीण विकास पहलें

सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 विशेष रूप से 'भूख समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने और पोषण में सुधार लाने और सतत कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान करता है।' टीएचडीसीआईएल विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे–पॉली हाउसेज, अधिक पैदावार देने वाले बीज, वर्मीकंपोस्ट पिट, एलडीईपी टैंक ड्रिप सिंचाई, छिड़काव करने वालों उपकरण, सिंचाई के लिए वर्ष जल संचयन और विशेषज्ञों द्वारा प्रौद्योगिकी संबंधी सलाह उपलब्ध करवाना आदि शामिल है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के गांवों में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसी के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक हस्तक्षेप अर्थात् भूमि का विखंडन, कृषि प्रौद्योगिकी की अवहनीयता, छोटे और सीमांत किसानों की बड़ी उपस्थिति, आसान खेती, अधिक उपज, समय बचाने और पलायन को रोकने में मदद करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर/फार्म मशीनरी बैंकों को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण विकास और कृषि समर्थन गतिविधियों के लिए समाधान लाने का भी प्रयास करता है। प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक सरकारी निधियों और सीएसआर निधि के बीच उपस्कर की लागत को साझा कर राज्य कृषि/बागवानी विभाग के साथ कनवर्जेंस मोड में स्थापित किया जाता है जिसमें लाभार्थियों का भी कुछ अंशदान होता है। ये बैंक स्थानीय समुदाय द्वारा स्व–सहायता समूह (एसएचजी) मोड में चलाए जा रहे है। वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 34 फॉर्म मशीनरी बैंकों का गठन किया गया था।

परियोजना प्रभावित गांवों के समग्र विकास के लिए उपरोक्त के अतिरिक्त, दिल्ली विश्वविद्यालय के शहीद भगत सिंह सायंकालीन कालेज, 20 गांवों के समाज के लोगों को सतत आजीविका का अवसर देने, महिलाओं को सशक्त बनाने तथा समाज के सर्वांगीण विकास में संलग्न हैं। तीन दीर्घकालिक परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की गई प्रमुख गतिविधियां थीं: "स्वच्छ भारत अभियान" के तहत स्वच्छता के लिए जागरूकता कार्यक्रम, सैनीटरी नैपकिनों का वितरण, करिअर काउंसेलिंग कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण, आजीविका के सृजन के लिए मशरूम के उत्पादन का प्रशिक्षण, सफाई के लिए स्वच्छ भारत के अंतर्गत किसान क्लबों की स्थापना आदि।

टीएचडीसी समर्थ-महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलें

एक नवाचारी प्रायोगिक पहल के रूप में टीएचडीसी ने 10 लाख रू. की आरंभिक राशि से वर्ष 2016 में टिहरी जिले के दुर्गम क्षेत्र में एक महिला क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी स्थापित की ताकि पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं अपनी पसंद के आजीविका विकल्पों के लिए छोटी मोटी उधार जरूरतों को पूरा कर सकें। सोसाइटी का प्रबंधन केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और वित्तीय तथा प्रशासनिक मामलों में टीएचडीसी के मार्गदर्शन, विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण आधारित आजीविका प्रशिक्षणों तथा साजो सामान की सहायता से सोसाइटी सफलतापूर्वक चल रही है। वित्त वर्ष के दौरान सोसाइटी के माध्यम से 97 सदस्य लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा पॉक्सो पीड़ितों, अनाथ लड़कियों, टिहरी जिले में घरेलू हिंसा की उत्तरजीवी को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए जिलापरीवीक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल में प्राइड कैफे और रेस्तरां के विकास में जिला प्रशासन को सहायता प्रदान की गई थी। आय का अतिरिक्त स्रोत प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 11 कौशल केंद्रों के माध्यम से किशोरियों और महिलाओं को सिलाई/कढ़ाई और ब्यूटीशियन कौशल के साथ प्रशिक्षित किया गया था।

टीएचडीसी प्रकृति- पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण सततता, सतत विकास लक्ष्यों 2030 में से एक अति महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि कुल 244 संकेतकों में से 93 संकेत पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरणीय सततता प्राप्त करने तथा सीएसआर विषयक प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मृदा और जल संरक्षण, हरित ऊर्जा उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन जैसे तीन विषयों सहित तीन गतिविधियां शुरु की गई थी। पर्यावरण टीएचडीसीआईएल का प्रमुख विचारणीय विषय रहा है इसलिए टीएचडीसी उत्थान थीम की सभी दीर्घकालिक सीएसआर आजीविका परियोजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण गतिविधियों को समाहित किया गया था ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके और वर्धित आजीविका अवसर को संरक्षित जल संसाधनों से जोड़ा जा सके। विकसित की गई बड़ी जल संरक्षण परिसंपत्तियों में शामिल थे: जल संरक्षण टैंक (प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर) एलडीपीई (कम घनत्व वाले पोलीथिन) टैंक, चाल खल जिन्हें वर्षा जल के संरक्षण के लिए परियोजना प्रभावित गांवों में संस्थापित किया गया था। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण को कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन से बचाने के लिए, भारत सरकार के केंद्रित अभियान के अनुरूप, टीएचडीसी ने हरिद्वार और देहरादून जिले के विभिन्न स्थानों पर 5 ईवी चार्जिंग यूनिट विकसित करने की पहल की। वन ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करने और स्वस्थ खाना पकाने के परिवेश को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसी ने टिहरी जिले के परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों को इंडक्शन कुकवेयर सेट के साथ 150 इंडक्शन स्टोव वितरित किए। उपरोक्त प्रयासों को जारी रखते हुए, टीएचडीसी ने आवारा पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, कांजी हाउस/कैटेल शेड की स्थापना एवं संचालन के लिए उधमसिंह नगर एवं देहरादून का जिला प्रशासन का समर्थन किया है। हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिले के गांवों में सौर आधारित सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार की हितधारकों को शामिल करने की तर्ज पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

उद्योग विश्लेषण और दृष्टिकोण

विद्युत भारत में ऊर्जा के आवश्यक और अग्रणी स्रोतों में से एक है। देश प्रत्येक नागरिक के लिए विद्युत के किफायती, उपयुक्त, नवीकरणीय और स्थायी स्रोतों को पुरस्थापित करने की कल्पना करता है। दूसरे शब्दों में, विद्युत क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य किसी राष्ट्र की वृद्धि और विकास के मानकों को पूरा करना है। यह भारत में विद्युत क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकता पर भी बल देता है।

विद्युत क्षेत्र जो विकास को आगे बढ़ाने और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाले वर्षों में आर्थिक सुधार की सुविधा के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। भारतीय विद्युत क्षेत्र को विद्युत कटौती, वित्तीय नुकसान, तेजी से तकनीकी उन्नयन और लागत में कटौती जैसी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के आगमन ने सभी क्षेत्रों को अंतिम उपभोक्ताओं की सुविधा को बढ़ाते हुए अपनी क्षमता का एहसास करने के लिए सशक्त बनाया है।

डीकार्बोनाइजेशन सुनिश्चित करने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए विद्युत क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक के साथ स्वयं को स्तरोन्नत करना होगा।

देश में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ी है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, संस्थापित उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में भारतीय विद्युत क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित करने का अनुमान है।

वर्ष 2022 के लिए विद्युत क्षेत्र का दृष्टिकोण कोविड–19 व्यवधानों के बावजूद उज्ज्वल दिख रहा है। यह क्षेत्र वर्तमान में विद्युत की मांग में लगातार सुधार और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ उन्नति की ओर अग्रसर है। विद्युत क्षेत्र, जो विकास के संवर्धन और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिक सुधार की सुविधा के लिए चालू वर्ष में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अनेक चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद, इन क्षेत्रों में सुधार के सकारात्मक संकेत दिखाई दिए हैं और वे निरंतर वृद्धि के पथ पर हैं। महामारी ने प्रौद्योगिकियों की क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

दिनांक 31.03.2022 तक भारत की कुल संस्थापित क्षमता 399 गीगावाट थी, जिसमें से 236 गीगावाट जीवाश्म ईंधन (कोयला/गैस आदि) आधारित थी और 163 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन (नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु) आधारित थी। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह वर्ष 2070 तक निवल–शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ समर्थित है, जिसे ग्लासगो में वैश्विक जलवायु बैठक में लागू किया गया है। इसके अलावा, 19वीं ईपीएस में विद्युत की अनुमानित भावी मांग को पूरा करने के लिए, दिनांक 31.03.2030 तक, संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग **817 गीगावाट** करने की योजना है।

ऊर्जा भंडारण

भारत, पूरे विश्व में विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जिसका वार्षिक विद्युत उत्पादन लगभग 1,200–1,300 टीडब्ल्यूएच है और यह सबसे बड़े सिंक्रोनस पावर ग्रिड में से एक है। ग्लासगो में पिछले वर्ष के सीओपी–26 जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषित एक महत्वाकांक्षी डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य के साथ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया, ताकि हमें वर्ष 2070 तक निवल–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में मदद मिल सके। दिसंबर 2021 तक, देश की संस्थापित उत्पादन क्षमता 393गीगावाट थी, जिसमें 235 गीगावाट थर्मल, 151गीगावाट नवीकरणीय (पवन, सौर, हाइड्रो और बायोमास) और 6.78 गीगावाट परमाणु ऊर्जा शामिल थी। भारत ने वर्ष 2021 में अपनी शीर्ष विद्युत मांग 200 गीगावाट पार कर ली। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2030 तक हमारी भंडारण आवश्यकता 41 गीगावाट होने का अनुमान है और इस लक्ष्य पर देश में बहुप्रतीक्षित ध्यान दिया जा रहा है।

हमारे विद्युत व्यवस्था संचालन में एक आदर्श परिवर्तन हुआ है। विगत में, पूरी तरह से नियंत्रित विद्युत उत्पादन के बाद गैर–नियंत्रणीय लोड मांग देखी गई। अब नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों के साथ, उत्पादन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं है। मौसम के उतार–चढ़ाव के कारण नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की परिवर्तनशीलता के कारण उत्पादन आउटपुट में अनिश्चितता रहती है। इसके लिए इन स्रोतों के पूरक के लिए ग्रिड–स्केल ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो (पीएसएच) संयंत्र, नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत को विद्युत प्रणाली के साथ जोड़ने के लिए बेहद उपयोगी विकल्प हैं। पीएसएच संयंत्र दो या दो से अधिक जलाशयों (ऊपरी और निचले) के बीच एक ऊंचाई अंतराल के साथ जल विद्युत संचालन पर आधारित भंडारण प्रणाली हैं। मांग के समय, नीचे की ओर जल प्रवाह हाइड्रोलिक टर्बाइन के साथ विद्युत उत्पन्न करता है, और 75–80% की समग्र दक्षता के साथ ग्रिड या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उपयोग करके पानी को ऊपरी जलाशय में वापस पंप किया जाता है।

पंप्ड स्टोरेज योजनाओं में घरेलू रूप से उत्पादित सामग्री/उपकरण का उपयोग किया जाता है और यहां तक कि विद्युत/यांत्रिक भागों को भी भारत में बनाया जाता है, इसलिए पीएसएच संयंत्र आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने स्पष्ट किया है कि विद्युत अधिनियम के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली हमारी विद्युत व्यवस्था का एक अभिन्न अंग होगी, और पीएसएच के रूप में एक स्टैंडअलोन ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में, पीएसएच संयंत्रों के लिए एक पारंपरिक मॉडल दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और सौर ऊर्जा के घटते प्रशुल्क को देखते हुए, लाभार्थी और डिस्कॉम जैसे उपयोगकर्ता उन्हें भंडारण विकल्प के रूप में कम आकर्षक पाते हैं। पीएसएच परियोजना के लिए उच्च निवेश लागत के परिणामस्वरूप, निजी भागीदारी कम रही है।

हाइड्रो और पीएसएच परियोजनाएं राज्य सरकार का विधायी विषय हैं, और राज्य सरकारों के अलावा, विद्युत मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा विद्युत नियामकों सहित कई नीति निर्माताओं के समर्थन की आवश्यकता होती है। मार्च 2019 में, विद्युत मंत्रालय ने बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से ऊपर), जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा का दर्जा दिया गया, में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपायों की घोषणा की, जिसमें हाइड्रो क्रय दायित्व की शुरुआत तथा बाढ़ नियंत्रण और अवसंरचना को सक्षम करने के लिए बजटीय सहायता शामिल है।

वर्ष 2022 में, माध्यमिक और तृतीयक आरक्षित सहायक सेवाओं तथा सौर और पवन ऊर्जा के साथ हाइड्रो के बंडल के लिए सहायक सेवा विनियमों को अधिसूचित किया गया था। पीएसपी के लाभों को राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं के पार साझा किया जा सकता है। एक उपयुक्त नीतिगत ढांचा जो लागत और लाभों को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है, प्राथमिक और अंतिम उपभोक्ताओं के लिए समग्र मूल्य बढ़ा सकता है। कुछ हालिया अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पीएसएच परियोजनाएं लंबी अवधि (अर्थात लगभग 8–10 घंटे) में भंडारण आवश्यकताओं के लिए अधिक व्यवहार्य विकल्प होंगी। छोटी अवधि की जरूरतों के लिए, मौजूदा पीएसएच इकाइयों को बहु–चक्र संचालन के साथ परिनियोजित किया जा सकता है।

देश में ऊर्जा आवश्यकताओं में वृद्धि

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुमान के अनुसार, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों से बढ़ती खपत के कारण वर्ष 2022 और 2024 के बीच देश में विद्युत मांग 6.5% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2020 के दौरान भारत में विद्युत खपत में 2% से अधिक की गिरावट आई क्योंकि देश को कोविड–19 महामारी का सामना करना पड़ा। हालांकि, अगले वर्ष, मांग

में अनुमानित 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक विपरीत रूझान देखा गया। मार्च–जून 2021 के दौरान नए कोविड–19 वेरिएंट के प्रकोप के बावजूद, पूर्व–महामारी के स्तर से अधिक की मांग देखी गई। कोविड–19 मामलों में वृद्धि के कारण अप्रैल और मई 2021 के बीच भारत में मांग में 7 प्रतिशत की गिरावट आई। जून में विद्युत की खपत में तेजी से सुधार हुआ और जुलाई एवं अगस्त में यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कोयले की आपूर्ति में अस्थायी कमी, जो वर्ष 2021 की चौथी तिमाही की शुरुआत में चरम पर थी, से मजबूत वार्षिक वृद्धि अवरूद्ध नहीं हुई, जिसका अनुमान वार्षिक आधार पर 10% है।

प्रति व्यक्ति खपत यूनिट में

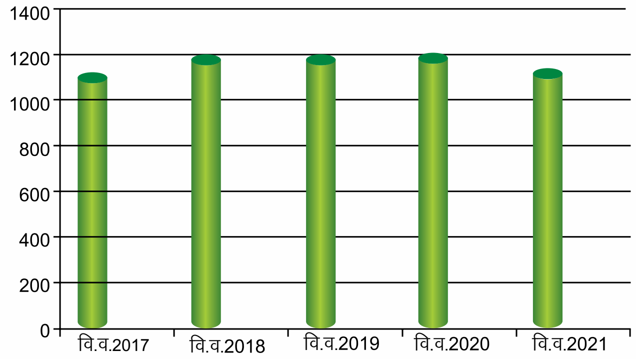

विद्युत क्षेत्र में प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं:

- डिस्कॉम्स की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार, स्वच्छ और स्थायी विद्युत को बढ़ावा देने और एक कुशल विद्युत बाजार के विकास पर ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021 का पुनरीक्षण किया गया। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पर भी बल दिया गया है।
- वर्ष 2027 तक विस्तृत योजना और वर्ष 2032 तक परिप्रेक्ष्य के साथ उत्पादन क्षमता, पारेषण, ईंधन प्रबंधन, मानव संसाधन और निधि आवश्यकताओं की एकीकृत योजना के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2031–32 (वर्षवार) और अंतिम वर्ष 2036–37 और 2041–42 के लिए विद्युत मांग के अनुमान के लिए 20वां विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस)।
- राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति के निर्माण, विद्युत संविदा प्रवर्तन प्राधिकरण की स्थापना, राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के साथ प्रशुल्क निर्धारण जैसे प्रस्तावित अवयवों के साथ विद्युत अधिनियम में संशोधन।
- एलसी और स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से भुगतान सुरक्षा तंत्र का कार्यान्वयन।
- डिस्कॉमों को वित्तीय रूप से समर्थन देने और उत्पादक को समय पर भुगतान करने के लिए, विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार) नियम, 2021
- वितरित नवीकरणीय उत्पादन के एकीकरण के लिए विद्युत (उपभोक्ता का अधिकार) नियम 2020।

इन सुधारों से नवीकरणीय क्षमता, क्षेत्र में निवेश में वृद्धि, डिस्कॉम की स्थिति में सुधार, उत्पादन कंपनियों की लंबित प्राप्तियों में कमी आदि के मामले में क्षेत्र की वृद्धि में मदद मिलने की संभावना है।

मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2021 - भारत को भविष्य के लिए तत्पर बनाना

राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) में सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त विश्वसनीय विद्युत पहुंच का प्रावधान शामिल है। विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत मसौदा राष्ट्रीय बिजली नीति (एनईपी) विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और निवेश की योजना बनाने के लिए एक मार्गदर्शक नीति है, जिसमें विशेष रूप से विद्युत वितरण में इसके नवीनतम संशोधन में निजी भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। एनईपी में मसौदा नीति विवरण में मुख्य फोकस क्षेत्रों के रूप में विद्युत गुणवत्ता, माइक्रो ग्रिड, पंप हाइड्रो भंडारण, वास्तविक समय विद्युत बाजार को भी पेश किया गया है।

एनईपी में बहुत–सी नई अवधारणाएं पेश की गई हैं, जिनमें दूरदराज के क्षेत्रों में माइक्रो ग्रिड की आवश्यकता से लेकर वास्तविक समय में विद्युत बाजार और पंप हाइड्रो उत्पादन में निवेश की आवश्यकता तक शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बढ़ती क्षमता और गैस एवं बड़े हाइड्रो जैसे ऊर्जा के संतुलन स्रोतों की कमी के साथ, एनईपी में पंप हाइड्रो स्टोरेज की क्षमता को साकार करने की हिमायत की गई है। एनईपी में उल्लेख किया गया है कि देश में 96,524 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज की क्षमता है और उसमें से मात्र 4,785 मेगावाट को साकार किया जा सका है।

स्रोत पर विद्युत उत्पादन का उपयोग करने और विद्युत आपूर्ति की बर्बादी को कम करने के लिए, एनईपी में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में माइक्रो ग्रिड की संभावना का पता लगाने का सुझाव दिया गया है।

केंद्रीय बजट:

- केंद्रीय बजट 2022–23 ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों पर भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सौर ऊर्जा उपकरणों और बैटरी के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा दिया।
- इस बजट में एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बिल्डिंग एफिशिएंसी, ग्रिड–कनेक्टेड एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन बॉन्ड के आवंटन की घोषणा की गई थी।
- ग्रीन बॉन्ड का उपयोग उन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करती हैं। वित्त जुटाने के लिए स्वच्छ विकास संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
- सरकार ने अपनी प्रमुख पीएलआई योजना के तहत सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल में विनिर्माण इकाइयों को पूरी तरह से एकीकृत करने को प्राथमिकता देते हुए, उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।
- सौर ऊर्जा उपकरण और बैटरियों के उत्पादन के लिए, वर्ष 2030 तक विनिर्माण क्षमता का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करके भारत के तुलनात्मक श्रम लाभ का लाभ उठाने के विकल्पों को खोजा जा सकता था, केंद्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अन्य गैर–सेल घटकों जैसे कांच, रिबन, एथिलीन–विनाइल एसीटेट शीट और अन्य का उत्पादन करने में सक्षम बना सकता है। सौर पीवी मूल्य श्रृंखला में चीन के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए यह पीवी मॉड्यूल की कुल लागत का लगभग 30 प्रतिशत है।
- इस बात की अच्छी संभावना है कि पीवी मॉड्यूल निर्माण योजना के तहत अन्य 40 गीगावाट सौर मॉड्यूल निर्माण हो सकता है। पीएलआई योजना कंपनियों को वैश्विक स्तर पर पहुंचने या शीर्ष पांच उत्पादकों में शामिल होने की सुविधा प्रदान कर सकती है।
- बजट 2022–23 में एक ऐसी नीति शुरू करने की सरकार की मंशा की ओर इशारा किया गया है जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में सक्षम बनाती है। निजी कंपनियों को स्वैपिंग के मॉडल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
- कुछ गतिशील ग्राम कार्यक्रम के तहत विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सीमावर्ती गांवों को बजट की वित्तीय सहायता की सराहना की है। इस हस्तक्षेप के माध्यम से युवाओं और महिलाओं के बीच गरीबी उन्मूलन किया जा सकता है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। स्थिरता प्राप्त करने के लिए नवीन वित्तपोषण विकल्पों और सामुदायिक भागीदारी के

साथ दूर–दराज के क्षेत्रों में वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (डीआरई) और मिनी–ग्रिड परियोजनाओं के विस्तार में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना महत्वपूर्ण है।

- हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में, डीआरई, एमएसएमई के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और कृषि सुधारों में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक हो सकता है। डीआरई द्वारा संचालित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल ग्रामीण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
- सक्षम आंगनबाड़ियों के विकास के लिए बजटीय आवंटन भी एक सकारात्मक घोषणा है। यह सरकार द्वारा वर्ष 2070 तक निवल–शून्य उत्सर्जन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। स्वच्छ ऊर्जा प्रदूषण के स्तर के साथ–साथ गांवों को स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग से आत्मनिर्भर बनाएगी।
- सक्षम आंगनवाड़ी नई पीढ़ी की आंगनवाड़ी हैं जो बाल्यावस्था विकास के लिए अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए बेहतर अवसंरचना, दृश्य–श्रव्य सहायता और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती हैं।
- चक्रता और दक्षता दोनों की ओर एक सकारात्मक कदम के रूप में, बजट 2022–23 में कोयला चालित विद्युत संयंत्रों को 5–7 प्रतिशत की दर से बायोमास पेलेट को सह–फायर करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह किसानों की आय बढ़ाने और वायु प्रदूषण को कम करने और पराली जलाने पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रति वर्ष 38 मिलियन टन की कमी आएगी।

खपत

भारत में कुल विद्युत खपत वित्तीय वर्ष 2020–21 के 1,271 बीयू से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1,370 बीयू हो गई, जिसमें महामारी–उपरांत आर्थिक सुधार के बाद 7.8% की वृद्धि हुई है। विद्युत के प्रमुख अंतिम उपयोगकर्ताओं को मोटे तौर पर 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: कृषि, वाणिज्यिक, घरेलू, औद्योगिक, कर्षण एवं रेलवे, और अन्य। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सभी क्षेत्रों की पूर्ण खपत में वृद्धि हुई है। इस संदर्भ में, अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करके सभी को ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई **प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)** ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत लगभग 99.99% घरों का विद्युतीकरण किया गया है। शेष 17,301 गैर–विद्युतीकृत और आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों में से 17,297 गांवों (97%) में अवसंरचना कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि 15 जिलों में से 14 में भौतिक कार्य पूरा कर लिया गया है।

प्रमुख सरकारी पहल:

1. नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन

- विद्युत मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2021 को नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युत (अनवरत विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना) नियम, 2021 अधिसूचित किए गए। यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ विद्युत मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ परिवेश सुरक्षित रहे।
- ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम) की शुरुआत जो हरित लक्ष्यों की पूर्ति की सुविधा के साथ–साथ सबसे कुशल, प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी तरीके से हरित ऊर्जा के एकीकरण का समर्थन करती है। यह हरित ऊर्जा की खरीद में पारदर्शिता लाता है और साथ ही बाध्य संस्थाओं को उनके नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- 30 जून 2025 तक चालू सौर और पवन परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत के पारेषण के लिए आईएसटीएस शुल्क की छूट प्रदान की गई। इसके अलावा, हाइड्रो पंप भंडारण संयंत्र (पीएसपी) और बैटरी एनर्जी भंडारण प्रणाली (बीईएस) के लिए भी आईएसटीएस शुल्क की छूट की अनुमति दी जाएगी।

2. सरकार ने उत्पादन कंपनियों को नवीकरणीय ऊर्जा को ताप ऊर्जा के साथ बंडल करने और मौजूदा पीपीए के तहत विद्युत आपूर्ति करने की अनुमति दी। चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा सस्ती है, इससे विद्युत लागत कम हो जाएगी। लागत में परिणामी बचत जेनको और डिस्कॉम्स/उपभोक्ताओं के बीच साझा की जाएगी।
3. वितरण कंपनियों को 25 वर्षों के बाद ताप विद्युत संयंत्रों के साथ विद्युत क्रय करार से बाहर निकलने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि वे अनिश्चित काल तक विद्युत की उच्च लागत से बाध्य न रहें।
4. पारेषण क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए विनियमित प्रशुल्क के बजाय प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली को तेजी से अपनाया जा रहा है। इससे पारेषण प्रशुल्क में 30–40% की कमी आई है।
5. सरकार ने एक और बड़ा कदम विद्युत एक्सचेंजों को सुदृढ़ करने के लिए उठाया है ताकि प्रतिस्पर्धा बने।
6. विद्युत एक्सचेंजों में दो नए उत्पाद – रीयल टाइम मार्केट (आरटीएम) और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) लॉन्च किए गए हैं। रीयल टाइम मार्केट (आरटीएम) डिस्कॉम को अंतिम समय में विद्युत खरीदने और लोड शेडिंग से बचने में सक्षम बनाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा की परिवर्तनशीलता को प्रबंधित करने में भी मदद करता है।
7. विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर जेनको (उत्पादक कंपनी) को बकाया की निगरानी में पारदर्शिता के लिए 'प्राप्ति' (उत्पादक के चालान में पारदर्शिता लाने के लिए विद्युत खरीद में भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण) नामक एक वेब–पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल सभी हितधारकों को केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों, आईपीपी और आरई प्रदाताओं के लिए डिस्कॉमों की विद्युत खरीद देय राशि के बारे में अद्यतन मासिक जानकारी प्रदान करता है। 'प्राप्ति' पोर्टल सभी हितधारकों के लिए और डिस्कॉम्स के प्रदर्शन की निगरानी के लिए भी काफी मददगार है।

सरकार की योजना को लागू करने के लिए टीएचडीसीआईएल की पहल

टीएचडीसीआईएल द्वारा सरकार की योजना का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- टीएचडीसीआईएल प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से नवीकरणीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को हासिल करने का प्रयास कर रहा है।
- एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्कों का विकास किया जा रहा है।
- राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अति विशाल नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए 15 अप्रैल 2022 को आरआरईसीएल (राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- विभिन्न राज्यों में पंप्ड भंडारण संयंत्रों की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
- स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी खरीद आम तौर पर सरकारी ई–मार्केट पोर्टल (जीईएम) के माध्यम से की जा रही है।
- टीएचडीसीआईएल ने टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश, उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड के लिए एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है।
- टीएचडीसीआईएल भारत में सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मौजूदा जलाशयों और नहरों पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने का प्रयास करता है।
- संयुक्त उद्यम या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण लाइसेंस के माध्यम से एक ईपीसी संविदाकार के रूप में देश भर में कार्बन कैप्चर सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में उद्यम करने के लिए, टीएचडीसीआईएल एक नई उभरती लागत–प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को लागू करने की प्रक्रिया में है।

- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत, टीएचडीसीआईएल निविदा दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान करके 'स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' को प्रोत्साहित कर रहा है।
- स्थानीय क्षेत्र के युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसीआईएल द्वारा कई गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल द्वारा पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए, टीएचडीसी ने हरिद्वार जिले में उत्तराखंड का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, बर्तनों के साथ इंडक्शन कुक टॉप आदि का वितरण करता है।

वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कंपनी मुख्य रूप से जलविद्युत और गैर–पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं के बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ सीईआरसी टैरिफ विनियमों के संदर्भ में विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण नीचे प्रस्तुत किया गया है।

निम्नलिखित पैराग्राफ में टिप्पणी (यों) के संदर्भ, इस रिपोर्ट में कहीं और रखे गए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में उल्लिखित है।

पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

क. प्रचालन के परिणाम

उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (एमयू)	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
उत्पादन	4670.80	4565.36
बिक्री	4128.76	4029.62
आय		**रु. करोड़ में**
1. सतत प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)	1921.49	1796.01
2. अन्य आय (टिप्पणी 34)		
क) लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	225.46	660.94
ख) अन्य	80.39	44.98
कुल आय	**2227.34**	**2501.93**

1. आयः

कंपनी की आय में बिजली की बिक्री से आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और अधिभार, परामर्श, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए सकल आय 2227.34 करोड़ रुपये है जबकि पिछले वर्ष में 2501.93 करोड़ थी जिसमें 10.98% की कमी दर्ज की गई है। सकल आय में कमी मुख्य रूप से लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार में कमी के कारण है।

प्रशुल्क

कंपनी द्वारा जलविद्युत की बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने टैरिफ विनियम, 2019 अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जो 01.04.2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू है। टैरिफ, वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय शामिल हैं। आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी आयकर दर के साथ जोड़ा जाता है ताकि आयकर भार की वसूली की जा सके। वसूली के उद्देश्य से, एएफसी को दो बराबर भागों अर्थात ऊर्जा प्रभार और क्षमता प्रभार में विभाजित किया गया है। ऊर्जा शुल्क की वसूली अनुसूचित बिक्री योग्य ऊर्जा पर निर्भर है और बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा स्तर प्राप्त होने पर पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाती है। बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक उत्पादन ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार के रूप में अतिरिक्त राजस्व के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से 1.20 रुपये/यूनिट अधिक पर बिल किया जाता है। क्षमता शुल्क की वसूली नॉर्मेटिव वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के संदर्भ में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र की वास्तविक उपलब्धता कारक पर निर्भर है, जिसे माननीय सीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए टिहरी एचपीपी के लिए 80% और कोटेश्वर एचईपी के लिए 68% निर्धारित किया गया है। कंपनी एनएपीएएफ के सापेक्ष उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार है।

प्रचालन से राजस्व में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

(i) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में पाटन पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाताहै।

(ii) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में द्वारका पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(iii) उत्तर प्रदेश में ढुकवां एसएचपी से लघु जल विद्युत की बिक्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(iv) केरल में कासरगोड सौर परियोजना से सौर ऊर्जा की बिक्री, केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)

माननीय सीईआरसी ने नियंत्रण अवधि 2019–2024 के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए 7 मार्च, 2019 के आदेश के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 अधिसूचित किए थे। टीएचडीसीआईएल ने 2019–24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष टैरिफ याचिकाएं दायर की हैं। 2019–24 के लिए लंबित टैरिफ निर्धारण, चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री राजस्व को वित्त वर्ष 2020–21 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर अनंतिम रूप से मान्यता दी गई है, जो सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 में लागू सिद्धांतों के अनुसार 2019–24 की अवधि के लिए लागू है। प्रचालन से राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से सीईआरसी के दिनांक 23.10.2021 के आदेश के तहत कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रभाव, जीएसटी के प्रभाव आदि की रिकवरी के कारण हुई।

बिक्री में मुख्य रूप से मानक संयंत्र उपलब्धता कारक की तुलना में उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक की उपलब्धि के कारण जल विद्युत स्टेशनों के संबंध में क्षमता प्रोत्साहन के कारण ₹ 26.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹46.86 करोड़) की राशि शामिल है।

बिक्री में मुख्य रूप से विद्युत स्टेशनों की डिजाइन ऊर्जा की तुलना में उच्च ऊर्जा की उपलब्धि के कारण हाइड्रो पावर स्टेशनों के संबंध में बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से परे ऊर्जा शुल्क के कारण ₹ 33.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 33.40 करोड़) की राशि भी शामिल है।

माननीय सीईआरसी द्वारा वर्ष 2014–19 की अवधि हेतु दिनांक 10.05.2022 और वर्ष 2019–24 की अवधि हेतु दिनांक 10.05.2022 को क्रमशः ₹ 3.49 करोड़ (ब्याज सहित) और (–) ₹ 46.47 करोड़ (ब्याज सहित) के दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए प्रभाव वाले प्रशुल्क आदेश जारी किए गए। इन आदेशों के प्रभाव का लेखांकन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया जाएगा क्योंकि ये आदेश देनदारियों, प्रावधानों आदि के लेखांकन और इनकी लेखापरीक्षा के लिए नियत समयावधि के बाद प्राप्त हुए थे।

पवन, लघु जलविद्युत और सौर परियोजनाओं के लिए बिक्री राजस्व को पीपीए के अनुसार टैरिफ के आधार पर मान्यता दी गई है।

कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी शामिल हैं। बिजली की बिक्री आम तौर पर ऐसी उपयोगिताओं के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर आधारित होती है।

उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)		कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	2797	2797	1154.84	1154.84
सकल उत्पादन (एमयू)	3098.11	3042.24	1190.69	1221.45
मानक पीएएफ (%)	80	80	68	68
वास्तविक पीएएफ (%)	83.728	86.092	68.614	70.132

बिक्री में समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर 14.47 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 11.19 करोड़ रूपये) का विचलन निपटान प्रभार भी शामिल है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राजस्व:

कासरगोड सौर परियोजना से उत्पादन के प्रारंभ होने के कारण वित्त वर्ष 2022 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (पवन, लघु जलविद्युत और सौर ऊर्जा) की बिक्री से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 24.18 करोड़ तक की वृद्धि हुई है। ढुकवां एसएचईपी और कासरगोड सौर परियोजना ने क्रमशः 27.66 करोड़ और 26.72 करोड़ का योगदान दिया। पवन परियोजनाओं से राजस्व में 9.05 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। कंपनी अपनी पवन परियोजनाओं पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ भी उठा रही है जो 10.88 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 10.16 करोड़ रूपये) है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से एमयू में उत्पादन और बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	पवन (113 मेगावाट) पाटन-50 मेगावाट, द्वारिका 63 मेगावाट		ढुकवां (24 मेगावाट)		कासरगोड सोलर (50 मेगावाट)*	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उत्पादन (एमयू)	234.64	212.07	58.25	72.24	89.11	17.36
बिक्री (एमयू)	224.99	203.28	56.94	70.85	88.20	17.30

(*) सीओडी– 31.12.2020 (वित्त वर्ष 2020–21)

अन्य आय (टिप्पणी 34)

अन्य आय में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

आय	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
बैंकों से ब्याज	0.34	0.20
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	225.46	660.94
अन्य विविध आय (मशीन किराया शुल्क, किराया आय, विविध आय, अतिरिक्त प्रावधान प्रतिलेखित, संपत्ति की बिक्री पर लाभ, कर्मचारियों से ब्याज, अन्य और विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव समायोजन सहित)	80.05	44.78
कुल आय	**305.85**	**705.92**

वर्ष के लिए अन्य आय पिछले वर्ष के 705.92 करोड़ रूपये से 56.67% कम होकर 305.85 करोड़ रूपये रह गई। इसका मुख्य कारण यह है कि कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत विलंबित भुगतान अधिभार के रूप में 660.94 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त, बीवाईपीएल से संबंधित 35.41 करोड़ रूपये के अतिरिक्त प्रतिलेखित प्रावधान और अन्य में वृद्धि हुई।

2. व्यय

व्यय में निम्नलिखित शामिल हैं:

(₹ करोड़ में)

व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2020-21
कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)	354.11	388.78
वित्त लागत (टिप्पणी 36)	134.11	181.93
मूल्यह्रास और परिशोधन (टिप्पणी 2)	302.65	317.33
उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)	287.06	230.33
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर (टिप्पणी 38)	0.00	0.25
कुल व्यय	**1077.93**	**1118.62**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन शेष आय / (व्यय)	**(29.72)**	**42.83**

कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)

कर्मचारी हितलाभ व्यय में वेतन और मजदूरी, भत्ते और लाभ, भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान, कल्याण व्यय और आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन व्यय शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह व्यय कुल व्यय का 32.85% है जबकि वित्तीय वर्ष 2020–21 में यह कुल व्यय का 34.76% था। वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ व्यय 354.11 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 388.78 करोड़ रुपये) है अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 34.67 करोड़ रूपये की कमी आई। यह कमी मुख्य रूप से कर्मचारी संख्या में वृद्धि और पीआरपी संबंधित व्ययों में कमी के कारण हुई।

वित्त लागत (टिप्पणी 36)

वित्त लागत में मुख्य रूप से बांड, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, नकद ऋण आदि पर ब्याज शामिल है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, वित्त लागत में 47.82 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 134.11 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष में 181.93 करोड़ रूपये) की कमी आई है। वित्त लागत में कमी मुख्य रूप से घरेलू ऋण पर ब्याज में ₹ 35.44 करोड़ की कमी के कारण है, जो दीर्घकालिक घरेलू ऋणों में ₹343.28 करोड़ की निवल कमी, ब्याज दर में कमी के कारण एसटीएल पर ब्याज और नकद ऋण में ₹46.53 करोड़ की कमी और अन्य में ₹ 2.60 करोड़ की कमी के परिणामस्वरूप है। तथापि, पी एंड एल खाते में प्रभारित एफईआरवी में वृद्धि (01.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए पी एंड एल में प्रभारित एफईआरवी ₹12.70 करोड़ है जबकि 01.04. 2020 से 31.03.2021 की अवधि के लिए यह ₹(–16.50 करोड़) थी जिसमें ₹ 29.20 करोड़ की निवल वृद्धि हुई) और सौर परियोजनाओं के सीओडी के बाद पी एंड एल में प्रभारित बांडों पर ब्याज में ₹ 7.55 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अन्य में ₹ 2.60 करोड़ की निवल कमी आई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 2)

कुछ मदों, जिनके लिए कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, को छोड़कर कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद ऋजुरेखीय पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

मूल्यह्रास लागत में 14.68 करोड़ रूपये (चालू वर्ष 302.65 करोड़, पिछला वर्ष 317.63 करोड़ रुपये) की कमी आई है, जो मुख्य रूप से गैर–सीईआरसी परियोजनाओं अर्थात पाटन और द्वारका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ढुकवां एचईपी परियोजना के मामले में मूल्यह्रास पद्धति में परिवर्तन अर्थात 'प्रारंभिक 12 वर्षों में त्वरित मूल्यह्रास प्रभारित किये जाने' के कारण हुई है। इसके अलावा संयंत्र के 01.01.2021 से चालू होने के कारण सौर ऊर्जा संयंत्र पर ₹6.00 करोड़ के मूल्यह्रास में वृद्धि हुई है और अन्य में ₹ 1.58 करोड़ की कमी हुई है।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 28.37% की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान मूल्यह्रास हमारे कुल व्यय का 28.08% है।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्ययों में मुख्य रूप से इमारतों, सड़कों और संयंत्र और मशीनरी का किराया, मरम्मत और रखरखाव, वाहन किराए पर लेना और संचालन, सुरक्षा, लेखा परीक्षकों को भुगतान, सर्वेक्षण और जांच, सीएसआर और सतत विकास गतिविधियों पर व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं।

सामान्य, प्रशासनिक और अन्य व्यय वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कुल व्यय का 26.63% है जबकि, वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान यह कुल व्यय का 20.59% था। निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2021–22 में 287.06 करोड़ रुपये व्यय हुआ जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 230.33 करोड़ था अर्थात् इसमें 56.73 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई। यह कमी मुख्य रूप से मरम्मत और अनुरक्षण पर व्यय में 19.09 करोड़ रुपये की वृद्धि, सुरक्षा व्ययों में 10.10 करोड़ रूपये की वृद्धि, परामर्शिता व्यय में 7.95 करोड़ रुपये की वृद्धि, सीएसआर व्यय में 4.92 करोड़ रुपये की वृद्धि, अन्य सामान्य व्ययों जैसे पेशेवर शुल्क, वजीफा, और अन्य में 14.67 करोड़ रुपये की वृद्धि के कारण हुई।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए प्रावधान (टिप्पणी 38)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 0.02% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर्स का प्रावधान पर कोई व्यय नहीं किया गया है। निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2021–22 में व्यय शून्य रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 0.25 करोड़ रूपये था अर्थात् इसमें 0.25 करोड़ रूपये की कमी हुई, यह कमी टिहरी यूनिट में नोन–मूविंग स्टोर और स्पेयर्स के प्रावधान से संबंधित है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन (टिप्पणी 40)

कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से अपने ग्राहकों को बेची जाने वाली बिजली के लिए कंपनी द्वारा वसूला जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है जो टैरिफ के निर्धारण के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। टैरिफ इक्विटी पर निर्धारित आय के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, संचलन और रखरखाव खर्च आदि पर आधारित है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान विनिमय दर भिन्नता के कारण, कोई लाभ या हानि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक पूंजीगत लागत का हिस्सा होगी। वेतन संशोधन के प्रभाव, आस्थगित कर अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मद के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को तुलन पत्र में बिना छूट के आधार पर नियामक आस्थगित खाता डेबिट/क्रेडिट शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) और निवल प्रभाव को लाभ और हानि खाते में नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन के रूप में मान्यता दी जाती है। उन्हें टैरिफ के हिस्से के रूप में उनके मटेरियलाइजेशन पर समायोजित किया जाता है। इसका लेखा–जोखा इंड एएस–114 के अनुसार है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए (–29.27) करोड़ रूपये और वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 42.83 करोड़ रूपये है।

72.55 करोड़ रुपये की कमी के कारण:

1. सीईआरसी के दिनांक 23.10.2021 के आदेश के मद्देनजर वेतन संशोधन के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में रूपये 83.73 करोड़ की कमी (पिछले वर्ष शून्य)
2. रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण विनिमय दर में बदलाव के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में रूपये 12.70 करोड़ की वृद्धि (विनिमय दर भिन्नता लाभ के कारण पिछले वर्ष आस्थगित खाता डेबिट शेष में ₹16.50 करोड़ की कमी)
3. आस्थगित कर देयता की मान्यता के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में ₹ 35.02 करोड़ की कमी। (पिछले वर्ष ₹ 68.40 करोड़ की कमी)।
4. उपरोक्त के कारण चालू वर्ष में देय ₹ 6.29 करोड़ का कर लाभ। (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 9.07 करोड़ का कर व्यय लेखांकन किया गया था)।

कर पूर्व लाभ

उपरोक्त उल्लिखित कारणों की वजह से, वित्त वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 1347.66 करोड़ रुपये के मुकाबले 198.25 करोड़ रुपये कम होकर वित्त वर्ष 2021–22 में 1149.41 करोड़ रुपये रहा।

कर व्यय (टिप्पणी 39):

i) **चालू कर व्यय:** कंपनी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय पर कर को मान्यता देती है। पिछले वर्ष के 229.60 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष के लिए चालू कर 189.34 करोड़ रुपये है।

ख. वित्तीय स्थिति

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–''चालू'' और ''चालू'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इसमें अनुवर्ती संशोधन के अनुसार वित्तीय और अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तुलन–पत्र की मदें इस प्रकार हैं:

परिसंपत्तियां:

1. गैर-चालू परिसंपत्ति.

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 2)	6343.47	6561.85
उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति (टिप्पणी 2)	411.72	410.50
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 2)	0.25	0.36
पूंजीगत कार्य–प्रगति पर (टिप्पणी 3)	9447.39	6414.30
सहायक कंपनी में निवेश (टिप्पणी 4)	14.80	7.40
वित्तीय परिसंपत्तिया		
– ऋण (टिप्पणी 5)	36.12	39.24
– अग्रिम (टिप्पणी 6)	0.00	0.01
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)	836.29	871.31
गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 8)	43.21	32.49
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)	2042.24	1906.22
कुल	**19175.49**	**16243.68**

गैर–चालू परिसंपत्तियों में 18.05% की वृद्धि होकर यह 19175.59 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 16,243.68 करोड़ रूपये) हो गई हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) (टिप्पणी 2)

पीपीई में भूमि, भवन, सड़क और पुल, संयंत्र और मशीनरी, उत्पादन संयंत्र और मशीनरी, विद्युत कार्य, हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि), वाहन, विद्युत/कार्यालय उपकरण, फर्नीचर/फिक्सचर्स आदि के संबंध में मूल्यह्रास के बाद निवल ब्लॉक शामिल हैं। पीपीई का सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान 125.89 करोड़ रुपये बढ़कर 14084.53 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 13958.64 करोड़ रुपये) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से अमेलिया इकाई की कोयला आधारित भूमि से संबंधित विभिन्न परिसंपत्तियों के ₹ 60.60 करोड़ के पूंजीकरण, वीपीएचईपी इकाई में ₹ 33.10 करोड़, टिहरी इकाई में ₹53.52 करोड़ के भवन, सड़क और पुल, जल निकासी, जल आपूर्ति आदि जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के कारण है। तथापि टिहरी इकाई में भूमि उपयोग के अधिकार से संबंधित ₹49.04 करोड़ की कमी है। हालांकि, 31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान प्रभारित 347.75 करोड़ रुपये के मूल्यह्रास के कारण कमी और सकल ब्लॉक में वृद्धि के संचयी प्रभाव के साथ चालू वर्ष के अंत में पीपीई का निवल ब्लॉक 6755.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 6972.71 करोड़ रूपये) है।

पूंजीगत कार्य-प्रगति पर और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 3)

चालू वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण 3033.09 करोड़ रुपये (6414.30 करोड़ रुपये से 9447.39 करोड़ रुपये) की वृद्धि दर्ज की गई:

1. खुर्जा यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 2183.85 करोड़ रूपये की वृद्धि।
2. टिहरी पीएसपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 545.41 करोड़ रुपये की वृद्धि।
3. अमेलिया यूनिट में 173.42 करोड़ रुपये की वृद्धि।
4. वीपीएचईपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 133.64 करोड़ रुपये की वृद्धि।
5. टिहरी ओ एंड एम यूनिट के पूंजीगत कार्यों में 8.53 करोड़ रुपये की वृद्धि।
6. अन्य में 5.30 करोड़ रूपये की वृद्धि

वित्तीय परिसंपत्तियां

व्यापार प्राप्य और सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य प्लस या माइनस लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में व्यय में दर्शाया जाता है।

गैर-चालू परिसंपत्तियां-सहायक कंपनियों में निवेश (टिप्पणी 4)

निवेश लंबी अवधि के लिए अभिप्रेत है और उस लागत पर किया जाता है जिसमें सहायक कंपनियों में निवेश शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल निवेश 14.80 करोड़ रुपये है, जो यूपीनेडा के साथ गठित सहायक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टस्को लिमिटेड में किया गया है।

गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण (टिप्पणी 5)

गैर–चालू ऋण ऐसे ऋण हैं जिनके तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के बाद वसूल किए जाने की उम्मीद है। इन ऋणों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर उनका उचित मूल्यांकन किया गया है। चालू वर्ष के अंत में ऋण 36.12 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 39.24 करोड़ रुपये) है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों के रिवर्स होने पर लागू होने की उम्मीद है, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख तक लागू किया गया है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति में 35.02 करोड़ रुपये (चालू वर्ष 836.29 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष 871.31 करोड़ रुपये) की कमी हुई। कमी मुख्य रूप से बही मूल्यह्रास में कमी, संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर डीटीएल में कमी, प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान में वृद्धि, बीमांकिक और अन्य प्रावधानों में कमी के कारण है।

गैर-चालू कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी 8)

यह आयकर विभाग के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है, जिसका मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें 10.72 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह विगत वर्ष से 32.49 करोड़ रुपये से बढ़कर 43.21 करोड़ रुपये तक हो गई है।

अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत, ठेकेदारों को दिए गए पूंजीगत अग्रिम, सरकारी विभागों /संगठनों, ठेकेदारों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से संविदाकारों को अग्रिमों के 91.75 करोड़ रुपए, सरकारी एजेंसियों के 18.32 करोड़ रुपए और उपार्जित ब्याज में 62.75 करोड़ की वृद्धि के कारण विगत वर्ष के ₹ 1906.22 करोड़ की तुलना में ₹2042.24 करोड़ हो गया है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों से संबंधित ₹32.49 करोड़ के अग्रिम का समायोजन किया गया और अन्य में ₹ 4.31 करोड़ की निवल कमी हुई है।

2. चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
इवेन्ट्री (टिप्पणी 10)	40.94	34.94
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)	723.72	1162.03
– नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)	87.77	225.08
– ऋण (टिप्पणी 13)	9.59	9.43
–अग्रिम (टिप्पणी 14)	8.89	10.33
– अन्य (टिप्पणी 15)	849.21	746.57
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)	60.82	60.79
अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)	42.78	54.35
कुल	**1823.72**	**2303.52**

31 मार्च, 2022 को चालू परिसंपत्ति 479.80 करोड़ रुपये घटकर 1823.72 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2303.52 करोड़ रुपये) हो गई है। मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

इन्वेंट्री (टिप्पणी 10)

इन्वेंटरी में मुख्य रूप से स्टोर और स्पेयर शामिल होते हैं जो संयंत्र के प्रचालन के लिए अनुरक्षित किए जाते हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर कम लागत पर किया जाता है। 31 मार्च, 2022 (पिछले वर्ष 34.94 करोड़ रुपये) की स्थिति के अनुसार, इन्वेंटरी का मूल्य 40.94 करोड़ रुपये था।

वित्तीय परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)

व्यापार प्राप्यों में मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्तियां शामिल होती हैं। व्यापार प्राप्यों में लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है जिसे अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (टिप्पणी 15) के तहत अलग से दर्शाया गया है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों में 438.31 करोड़ रुपये की कमी आई है जिससे यह 723.72 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 1162.03 करोड़ रूपये) हो गई। निवल कमी मुख्य रूप से लाभार्थियों से वसूली के कारण है।

नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)

नकदी और नकदी समकक्ष में मुख्य रूप से बैंकों में शेष राशि शामिल होती है। चालू वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समकक्ष पिछले वर्ष के 225.08 करोड़ रुपये की तुलना में कम होकर 87.77 करोड़ रुपये रह गया। इस प्रकार इसमें 137.31 करोड़ रुपये की कमी आई।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण (टिप्पणी 13)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण 9.59 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.43 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार इसमें 0.16 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से कर्मचारी ऋण में वृद्धि के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम (टिप्पणी 14)

अग्रिम में मुख्य रूप से कर्मचारियों और अन्य को अग्रिम शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पिछले वर्ष के 10.33 करोड़ रुपये की तुलना में कम होकर 8.89 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार इसमें 1.44 करोड़ रुपये की कमी आई।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य (टिप्पणी 15)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व, प्रतिभूति जमा, सरकार/न्यायालय के पास जमा और अन्य जमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां पिछले वर्ष के 746.57 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बढ़कर 849.21 करोड़ रुपये हो गईं। इस प्रकार इनमें 102.64 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष में वृद्धि के कारण हुई।

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)

यह वह राशि है जो मूल्यांकन के पूरा होने के कारण अंततः आयकर प्राधिकरणों की ओर से रिफंड के रूप में देय है। इसमें निर्धारण वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिए देय धनवापसी शामिल है।

अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से प्रीपेड व्यय, अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। अन्य चालू परिसंपत्तियों में चालू वर्ष के दौरान 11.57 करोड़ रुपये की कमी आई है।

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष (टिप्पणी 18)

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुवर्ती अवधियों में लाभार्थियों से वसूलीयोग्य या उन्हें देय की सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/आय को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'दर विनियमित गतिविधियों के लिए लेखांकन' के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और इंड एएस–114 विनियामक आस्थगित खातों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 'विनियामक आस्थगित खाता शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि उस वर्ष से समायोजित की जाती है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में, अनुवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य–सीमा तक, उधार लागत के रूप में मानी गई विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता और 01.01.2017 से बाद वेतन पुनरीक्षण के कारण कर्मचारी हितलाभ व्यय शामिल हैं।

वर्ष के अंत में विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 98.69 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 169.72 करोड़ रूपये) है। ₹ 71.03 करोड़ की कमी, वेतन संशोधन के परिणामस्वरूप ₹83.73 करोड़ की कमी के कारण है क्योंकि इसे सीईआरसी के दिनांक 23.10.2021 के आदेश के तहत अनुमत कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रभाव, जीएसटी के प्रभाव आदि की वसूली के मद्देनजर

समायोजित किया गया था जबकि 12.70 करोड़ रुपए के विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष को डॉलर की मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप विनिमय दर भिन्नता हानि के कारण दिनांक 31.03.2022 को समाप्त वर्तमान अवधि के दौरान मान्यता दी गई थी।

3. इक्विटी और देयताएं

कुल इक्विटी

वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के अंत में कंपनी की कुल इक्विटी इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी 19)	3665.88	3665.88
अन्य इक्विटी (टिप्पणी 22)	6640.27	6251.55
कुल इक्विटी	10306.15	9917.43

अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)

अन्य इक्विटी के विवरण में 6527.77 करोड़ रुपये (पिछला वर्ष 6189.69 करोड़ रुपये) की प्रतिधारित आय, 128.00 करोड़ रुपये की (पिछला वर्ष 79.50 करोड़ रुपये) ऋणपत्र विमोचन आरक्षिति और–15.50 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष–17.64 करोड़ रुपये) की अन्य व्यापक आय शामिल है। गौरतलब है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने 508.20 करोड़ रुपये का लाभांश का भुगतान किया है और प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया है।

देयताएं

गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 21)	6653.98	5014.22
– पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)	29.99	9.19
– गैर–चालू वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)	162.40	28.11
अन्य गैर–चालू देयताएं (टिप्पणी 24)	816.23	796.53
प्रावधान (टिप्पणी 25)	176.46	190.37
कुल	**7839.06**	**6038.42**

गैर-चालू-वित्तीय देयताएं - उधार (टिप्पणी 21)

31 मार्च, 2022 को उधारियां 6653.98 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को यह 5014.22 करोड़ रुपये थी और इसमें 1639.76 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई थी। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 1200 करोड़ रूपये की बांड सीरीज V के निर्गम, 675 करोड़ के बैंक ऑफ बड़ौदा के सावधि ऋण और 12.97 करोड़ रुपये के विश्व बैंक के ऋण करने के कारण उधारियां बढ़ गई है। तथापि, पीएफसी, आरईसी के दीर्घावधि ऋण में 107.79 करोड़ रूपए और पीएनबी के दीर्घावधि ऋण में 140.42 करोड़ रूपये की कमी आई।

पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)

कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था जिसमें पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता है और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होता है, ऐसे पट्टों को पट्टा अवधि में भुगतान किए जाने वाले कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। भावी पट्टा किराया को उनके वर्तमान मूल्यों पर 'पट्टा देयताओं' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार पट्टा देयताएं ₹29.99 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को यह ₹9.19 करोड़ थी और इसमें ₹ 20.80 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। वृद्धि मुख्य रूप से कोयला आधारित भूमि के उपयोग के अधिकार के पूंजीकरण के कारण हुई।

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)

अन्य वित्तीय देयताओं में संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि शामिल है। चालू वर्ष के लिए अन्य वित्तीय देयताएं 162.40 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 28.11 करोड़ रुपये) है। इस प्रकार, इसमें 134.29 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि में वृद्धि रही।

अन्य गैर-चालू देयताएं (टिप्पणी 24)

अन्य गैर–चालू देयताओं में मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी), सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान और प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि पर आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ शामिल हैं। आस्थगित उचित मूल्यांकन वृद्धि तथा एएडी और सिंचाई घटक के समायोजन के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में अन्य गैर–चालू देयताओं में 19.70 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है।

गैर-चालू प्रावधान (टिप्पणी 25)

गैर–चालू प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के आधार पर प्रदान किए गए कर्मचारी हितलाभों के कारण हैं, जिन्हें तुलनपत्र की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद निपटाने की उम्मीद है। चालू वर्ष (पिछले वर्ष 190.37 करोड़ रुपये) के दौरान गैर–चालू प्रावधान 13.91 करोड़ रुपये घटकर 176.46 करोड़ रुपये हो गए। इंड एएस–19 'कर्मचारी हितलाभ' के अनुसार प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 43.24 में दिए गए हैं।

4. चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 26)	1352.73	1233.51
– पट्टा देयताएं (टिप्पणी 27)	4.17	4.06
– व्यापार देय	27.94	25.07
– अन्य (टिप्पणी 28)	616.44	463.62
अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)	87.59	142.95
प्रावधान (टिप्पणी 30)	348.62	341.63
कुल	**2437.49**	**2210.84**

31 मार्च, 2022 और 2021 की स्थिति के अनुसार, चालू देयताएं क्रमशः 2437.49 करोड़ रूपये और 2210.84 करोड़ रूपये हैं। चालू देयताओं में 10.25% की कमी आई है और मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

चालू - वित्तीय देयताएं - उधारियां (टिप्पणी 26)

इसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत और अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण, बैंकों से प्राप्त ओवरड्राफ्ट सुविधा और दीर्घावधि उधारियों की चालू परिपक्वता शामिल है। इसमें 119.22 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जिससे यह 1382.73 करोड़ (पिछले वर्ष 1233.51 करोड़ रुपये) हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण बैंकों से ओवरड्राफ्ट/नकद क्रेडिट में वृद्धि है।

चालू- वित्तीय देयताएं-पट्टा (टिप्पणी 27)

इसमें वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता शामिल है और इसमें 0.11 करोड़ रूपये की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

चालू - वित्तीय देयताएं - अन्य (टिप्पणी 28)

अन्य वित्तीय देयताएं में मुख्य रूप से कर्मचारियों के पारिश्रमिक और हितलाभों के लिए देयताएं, अचल परिसंपत्तियों की खरीद/निर्माण के लिए देयताएं, संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि और अदेय किंतु उपार्जित ब्याज शामिल है। अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं में 152.82 करोड़ रुपये की वृद्धि होकर यह 616.44 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष 463.62 करोड़ रुपए) हो गई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण आय तथा अदेय किंतु उपार्जित ब्याज में वृद्धि है।

अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)

अन्य चालू देयताओं में मुख्य रूप से मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम का वर्तमान भाग, बाद में जमा की गई अन्य वसूली और सिंचाई घटक का समायोजन शामिल है। वर्ष के अंत में अन्य वर्तमान देयताएं 87.59 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 142.95 करोड़ रूपये) थीं। इस प्रकार इसमें 55.6 करोड़ रुपये की कमी हुई, जो मुख्य रूप से सिविल सोयम भूमि से संबंधित देयताओं के समायोजन के कारण हुई।

चालू प्रावधान (टिप्पणी 30)

अल्पावधि प्रावधानों में बीमांकिक मूल्यांकन, प्रदर्शन संबंधित वेतन और कार्यों संबंधित प्रावधान के अनुसार बारह महीने के भीतर देय अदत्त कर्मचारी हितलाभ शामिल हैं। चालू प्रावधान में वित्त वर्ष 2022 में 6.99 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे यह 348.62 करोड़ रूपये (पिछला वर्ष 341.63 करोड़ रुपये) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान के कारण थी।

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (टिप्पणी 32)

वर्ष के अंत में आस्थगित खाता क्रेडिट शेष 515.20 करोड़ रुपये (पिछला वर्ष 550.23 करोड़ रुपये) है। दिनांक 31.03.2022 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष मुख्य रूप से आस्थगति कर देयताओं की मान्यता के कारण 35.03 करोड़ रुपये कम हो गया था।

ग. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के समक्ष दावों के निम्नलिखित घटक हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	
	31.03.2022	31.03.2021
पूंजीगत कार्य (क)	1010.57	860.93
भूमि मुआवजा मामले (ख)	67.99	65.03
राज्य/केंद्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण (ग)	1235.32	1106.88
अन्य (घ)	2823.21	2789.17
उपरोक्त क से घ के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
विवादित कर मामले	1.72	8.90
कुल	**5138.81**	**4830.91**

आकस्मिक देयताओं में 307.90 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा लगाए गए जल कर और हरित ऊर्जा उपकर से संबंधित दावा राशि, संविदाकारों के दावों और उन पर ब्याज में वृद्धि के कारण हुई।

घ. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–110) के अनुसार तैयार किए गए हैं– 'समेकित वित्तीय विवरण' इंड एएस–28–सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश, इंड एएस –112 'अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण' और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं। कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा–ग्रुप बैलेंस, इंट्रा–ग्रुप लेनदेन, अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त करने के बाद लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ा गया है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण:

आपकी कंपनी के अवसर एवं चुनौतियों बनाम मज़बूती और कमजोरी का विश्लेषणात्मक अध्ययन नीचे दिया गया है।

1. मजबूती

- **सुदृढ़ तकनीकी कौशल आधार**

  दो प्रचालनात्मक मेगा हाइड्रो पावर प्लांट, एक ही वित्तीय वर्ष में दो पवन ऊर्जा संयंत्र और केरल में 24 मेगावाट ढुकवां एसएचपी और 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों के सफल समाधान के साथ, टीएचडीसीआईएल ने विद्युत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और विशेषज्ञता साबित की है। इस विशाल अनुभव ने तकनीकी ज्ञान के विशेषज्ञ तैयार किए हैं और टीएचडीसीआईएल को विद्युत क्षेत्र में अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच असाधारण रूप से सुदृढ़ तकनीकी ज्ञान आधार से युक्त कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

- **जल-विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल पर्यावरणीय और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जटिल मुद्दों को संभालने की क्षमता**

  टीएचडीसीआईएल ने विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाया है। पर्यावरणीय स्थिरता पर कंपनी की कार्यनीति जल और ऊर्जा के उपयोग को अनुकूलित करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और जैव विविधता की रक्षा/पुनर्निर्माण करना है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संस्था के रूप में, टीएचडीसीआईएल परियोजना स्थानों पर ई–कचरे, घरेलू कचरे और कूड़े के निपटान को सावधानीपूर्वक संभाल रहा है। इसके अलावा, आगे की दिशा में, एक बायो गैस संयंत्र, सीवरेज शोधन संयंत्र और जल संरक्षण के उपाय पहले से ही मौजूद हैं।

  टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स को लागू करते हुए बड़े पैमाने पर पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन कार्य किए। अनुभव और सीख का अनुप्रयोग वर्तमान में वीपीएचईपी और खुर्जा एसटीपीपी में किया जा रहा है। टीएचडीसीआईएल ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण के दौरान और उसके बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अवसंरचना विकास और विभिन्न पहल करके स्थानीय समुदायों की मदद करने का रिकॉर्ड साबित किया है। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता उपयुक्त मुआवजे और आय सृजन के वैकल्पिक स्रोतों की पेशकश करके वित्तीय क्षति को कम करके उन्हें बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति प्रदान करना है।

- **जटिल हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में आपवादिक इंजीनियरिंग तथा निर्माण संबंधी कौशल**

हिमालयी क्षेत्र अपने जटिल भू–स्थिति के लिए जाना जाता है। टिहरी एचपीपी से जुड़े भूमिगत संरचनाओं के विशाल जाल के निर्माण के दौरान लागू किए गए असाधारण इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल को इंजीनियरिंग समुदाय द्वारा लगातार सराहा गया है। टिहरी एचपीपी का अनुभव कोटेश्वर एचईपी के निर्माण में बेहद उपयोगी साबित हुआ। कंपनी के भीतर विकसित समृद्ध अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में किया जा रहा है।

- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षण**

  टीएचडीसीआईएल ने अपने प्रचालनरत संयंत्रों के प्रचालन और अनुरक्षण में श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अनुभव हासिल कर लिया है। संयंत्र के निष्पादन को अधिक से अधिक करने, कारगर ढंग से निगरानी करने, दुर्घटनाएं कम करने तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की दिशा में लगातार काम करते हुए टीएचडीसीआईएल प्रभूत विशेषज्ञता प्राप्त की है। इससे सामान्य स्तर से काफी ज्यादा निरंतर उच्च गुणवत्तायुक्त विद्युत उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता की उपलब्धि प्राप्त हुई।

- **स्वचालित संयंत्र निगरानी**

  संयंत्र की निगरानी एससीएडीए (पर्यवेक्षीय नियंत्रण एवं आंकड़े अर्जन) प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। यह एक ऐसी स्वचालित पर्यवेक्षीय प्रणाली है जिसमें आरेखीय प्रयोक्ता अंतरानीक द्वारा समर्थित कप्यूटर एवं नेटवर्क आंकड़े संचार का उपयोग किया जाता है जिससे विद्युत संयंत्रों का उच्च स्तरीय पर्यवेक्षीय प्रबंधन हुआ।

- **सक्षम और प्रतिबद्ध कार्यबल**

  टीएचडीसीआईएल के पास अत्यधिक तकनीकी पेशेवर प्रबंधन टीम तथा सहायक स्टाफ की उत्कृष्ट टीम है जिसमें (31.03.2022 को) 1644 कर्मचारी थे।

- **सुदृढ़ वित्तीय स्थिति**

  टिहरी एचपीपी के प्रारंभ के समय से ही आपकी कंपनी संदत्त पूंजी से अधिक आरक्षित और अधिशेष निधि के साथ लाभार्जन कंपनी रही है, कंपनी में भावी विस्तार क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों को निवेश करने का प्लेटफार्म है।

- **उच्च कर्मचारी प्रतिधारण दर**

  टीएचडीसीआईएल में कौशलयुक्त, अत्यधिक अनुभवी, समर्पित तथा प्रेरित जनशक्ति की प्रतिधारण दर बहुत अधिक है। नियत अवधि आधार के कर्मचारियों की प्रतिधारण दर भी बहुत अधिक है क्योंकि उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं, इस उद्योग में सर्वोत्तम में से एक हैं।

कमजोरियां

- भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार डिस्कॉमों द्वारा एलसी खोलने के बावजूद, डिस्कॉमों की बकाया राशि, कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- हिमालयी क्षेत्र में स्थित कंपनी की जल विद्युत परियोजना, भूगर्भीय चुनौतियां से प्रति संवेदनशील हैं जिनके परिणामस्वरूप विलंब होता है और समय एवं लागत में बढ़ोत्तरी होती है जिसका मानकीय प्रशुल्क (टैरिफ) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माणपूर्ण अवधि सामान्य तौर पर बहुत अधिक है।
- संभाव्य अवसरों का उपयोग करने में विलंब।
- विद्युत उत्पादन एक उच्च विनियमित व्यवसाय है। परियोजनाओं के आवंटन के साथ–साथ ऊर्जा का बिक्री मूल्य विनियामकों द्वारा नियंत्रित होता है।
- सौर और पवन ऊर्जा स्टेशनों को उत्पादन संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।
- कंपनी के मुख्य व्यवसाय अर्थात् जल विद्युत उत्पादन में भी नदियों के प्रवाह की उपलब्धता की चुनौतियों का सामना करता है।
- आकस्मिक देनदारियों में वृद्धि।
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व के साथ जुड़ी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयां।
- मौजूदा तथा नवाचारी प्रौद्योगिकियों के उपयोग का स्तर कम होना।
- प्राकृतिक संघर्षण – कंपनी में बड़ी संख्या में अनुभवी कार्मिक वर्ष 2023–24 तक सेवानिवृत्ति हो जाएंगे। समयोचित और पर्याप्त भर्ती के अभाव की स्थिति प्राकृतिक संघर्षण के कारण ज्ञान का ह्रास उत्पन्न कर सकती है।

2. अवसर

- **अत्यधिक अप्रयुक्त जल विद्युत संभाज्यता एवं अस्थिर नवीकरणीय इंजेक्शन का बढ़ता हुआ भाग:** भारत में जल विद्युत क्षेत्र में भारी संभावना है, किंतु इसका अधिकांश भाग अभी भी अप्रयुक्त है। वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिए जाने से ग्रिड को स्थिर करने के लिए सहायता में वृद्धि करने हेतु और अधिक जलविद्युत/पम्प्ड स्टोरेज संयंत्र के त्वरित कार्यान्वयन पर अत्यधिक महत्व देता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:**

  चूंकि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुछ प्रमुख अवसर विकसित हो रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून, 2020 को यूएमआरईपीपी योजना जारी की, ताकि परियोजना विकासकर्ताओं को भूमि उपलब्ध कराई जा सके और यदि आवश्यक हो सौर/पवन/हाइब्रिड मोड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को शामिल करने के लिए पारेषण अवसंरचना की सुविधा प्रदान की जा सके और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में, वर्ष 2032 में संस्थापित क्षमता के हिस्से के रूप में सीईए के पास 132 गीगावाट–घंटा की अनुमानित बैटरी ऊर्जा भंडारण (बीईएस) क्षमता है। ग्रिड संतुलन और ग्रिड समर्थन गतिविधियों के लिए भंडारण आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन के लिए एक अवसर है।
- **अन्य देशों में अवसर:** विभिन्न देशों के बीच भारत सरकार की बहु–व्यापार निगम/विस्तार नीति के साथ, भारत के बाहर व्यापार के विकास की विशाल संभावनाएं उभरी हैं, विशेष रूप से नेपाल और भूटान जैसे देशों में, जहां भारत सरकार द्विपक्षीय सहयोग प्रदान करती है। इसका उपयोग करने के लिए, टीएचडीसीआईएल अपने विद्युत उत्पादन कौशल का उपयोग करने के लिए तत्पर है और अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी अपनी व्यावसायिक विकास गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अन्य फर्मों के साथ सहयोग के माध्यम से संभावित बाजारों को विकसित करने में स्वयं को केंद्रित करता है।

- **रणनीतिक विविधीकरण**

  टीएचडीसीआईएल ने पहले ही भारत में परपरागत (ताप) और गैर–परंपरागत (पवन तथा सौर) स्रोतों का विविधिकरण किया है तथा विदेशों में ऐसे ही अवसरों की संभावना तलाश रहा है।

- **ताप विद्युत:** 1320 मेगावाट का खुर्जा सुपर ताप विद्युत संयंत्र वर्ष 2024–25 तक तैयार हो जाएगा जिसकी वार्षिक क्षमता 9828 एमयू है।
- **पवन विद्युत:** पहले ही 113 मेगावाट की दो पवन विद्युत परियोजनाएं शुरु की जा चुकी हैं। अन्य परियोजनाओं के लिए आगे विचार किया जा रहा है।
- **सौर विद्युत:** टीएचडीसीआईएल ने कासरगोड, केरल में 50 मेगावाट सौर पीवी परियोजना 10 वर्ष के ओ एंड एम के साथ 31 दिसम्बर, 2020 को चालू की और 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय को समर्पित की गई।
- **मेगा सोलर पार्को का विकास:** टीएचडीसीआईएल, उत्तर प्रदेश राज्य में एसपीवी के माध्यम से यूएमआरईपीपी के विकास की प्रक्रिया में है। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के अनुमोदन के अधीन है। विकसित की जाने वाली यूएमआरईपीपी की कुल क्षमता लगभग 2000 मेगावाट है।

  इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल राजस्थान राज्य में 1500 मेगावाट यूएमआरईपीपी के विकास के लिए राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरआरईसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम के गठन की प्रक्रिया में है।
- **अन्य उभरते क्षेत्रों में विविधीकरण:** पुरानी पहाड़ी ढलान स्थिरीकरण को सुधारने में उपलब्ध विशाल विशेषज्ञता और अनुभव के साथ, टीएचडीसीआईएल ने अन्य सरकारी संगठनों के लिए विभिन्न परामर्श परियोजनाओं और इंजीनियरिंग समाधानों को पूरा किया है और बहुत–से अन्य पाइपलाइन में हैं।

3. चुनौतियां

- **जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगना:** भारत सरकार के मौजूदा कड़े मानदंडों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण, परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण जल परियोजनाओं का क्षमता वृद्धि कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित होता है। पर्यावरण, धार्मिक आधारों और स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के निहित स्वार्थों पर जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध से, परियोजना मंजूरी और कार्यान्वयन में देरी होती है। विद्युत क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए, भारत सरकार को विभिन्न वैधानिक मंजूरी के लिए सिंगल विंडो की शुरूआत का कार्यान्वयन करना चाहिए।

  इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ई–फ्लो मानदंडों में वृद्धि के बड़े और निहित जोखिम के परिणामस्वरूप, भारी परियोजना व्यय करने के बाद भी परियोजना के परित्याग का खतरा बना रहता है।
- **भौगोलिक अनिश्चितताएं:** जटिल और नवीन हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक आश्चर्य बाधाएं पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रो परियोजनाओं में समय और लागत में भारी वृद्धि होती है, जिससे टैरिफ में वृद्धि होती है।
- **जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया:** अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है। वास्तव में परियोजना उस समय एवार्ड की जानी चाहिए जब सभी सांविधिक अनुमति प्राप्त हो गई हो, 8 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण कर ली गई हो।
- **प्राकृतिक आपदाएं में वृद्धि:** चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए भूस्खंलन पर्वतीय ढलानों के बह जाने, सड़कों के अवरूद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने, मानसून जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे समय और लागत में भारी वृद्धि होती है जिससे अंततः टैरिफ बढ़ जाता है।
- **कुशल कामगारों की कमी की समस्या:** कोविड–19 लाकडाउन के कारण परियोजना में काम कर रहे मजदूर अपने मूल निवास स्थानों/गृह नगर वापिस जा रहे हैं, जिसके कारण कोविड–19 लाकडाउन में ढील दिए जाने पर भी कार्यस्थल कार्य की गति को गम्भीर जोखिम उत्पन्न हुआ है।
- **राज्य डिस्कामों की खराब वित्तीय स्थिति:** विद्युत प्रापण, विशेषकर महंगी टाइड अप बिजली के लिए डिस्कॉमों की वसूली की असक्षमता। तथापि सरकार द्वारा कोविड–19 लाकडाउन के दौरान इस मामले में कुछ कदम उठाए गए हैं/पहलें की गई हैं।
- **हाइड्रो सेक्टर के सिविल संविदाकारों की खराब वित्तीय स्थिति:** भारत में हाइड्रो सेक्टर के अनुभवी संविदाकारों को भारी नकदी संकटन का सामना करना पड़ रहा है।
- **बाजार की बदलती परिस्थितियां:** सस्ते दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता।
- **विनियामक जोखिम:** एक बड़ा जोखिम यह है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह और प्रचालनात्मक लाभ प्रभावित हो सकते है।
- **जलवायु परिवर्तन परिदृष्य:** ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन वास्तविक समय के खतरे हैं। आने वाले वर्षों में पानी की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन की घटना के निश्चित और पूर्वानुमेय प्रभाव का अनुमान है। ग्लेशियरों के निर्वतन, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और अवसादन पैटर्न में बदलाव का खतरा है, जिसका जल विद्युत परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- **हाइड्रो सेक्टर के लिए उत्पादन और पीएएफ के लिए सख्त लक्ष्य:** मानसून प्रवाह की उपलब्धता और कुछ हद तक स्नो कवर हर साल हाइड्रो संयंत्र के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ से अधिक के आधार पर प्रत्येक वर्ष सख्त एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना, हाइड्रो सीपीएसयू के प्रदर्शन को कमजोर करता है। यह कंपनी के तुलन–पत्र के साथ–साथ कंपनी के विकास में गंभीर रूप से बाधा डालता है।

भावी दृष्टिकोण:

भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पहचान अति महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है ताकि सतत औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। कंपनी का भावी दृष्टिकोण, निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कंपनी का सतत विकास करना हैः

- पर्यावरण की रक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए ग्रीन, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन।
- कुशल, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के उद्भव को बढ़ावा देने

के लिए नवाचार।

1. अधिक समय लगाए बिना और अधिक खर्च किए बिना निर्माणाधीन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना।

2. ऊर्जा के सभी स्रोतों में कंपनी की समग्र व्यापारिक विकास गतिविधियों का विविधीकरण करना।

3. डिस्कामों की बकाया देनदारियों में कमी लाने पर पर्याप्त ध्यान देना।

4. उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मेगा सोलर पार्कों के विकास में तेजी लाना। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों में सोलर पार्कों के विकास की संभावना तलाशना।

5. उत्तराखंड तथा देश के अलग–अलग भागों में हरित और अप्रयुक्त जल विद्युत स्रोतों की संभावना तलाशना।

6. भू–रणनीतिक पहुंच के लिए भारत सरकार के द्वारा बल दिए जाने के अनुरूप शेष विश्व में व्यापार की संभावनाओं की तलाश करना।

जोखिम प्रबंधन

विद्युत क्षेत्र में बढ़ते अवसरों में कंपनी के लिए कुछ कार्यनीतिक, कार्यात्मक और प्रचालन जोखिम हैं क्योंकि यह विस्तार और विविधता लाता है। कंपनी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणाली–आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है। एक व्यापार पोर्टफोलियो का निर्माण करना–जो बाजार के अवसरों के अनुरूप है और दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

कंपनी अधिनियम और सेबी विनियम के उपबंधों के अनुपालन में जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) स्थापित करके आपकी कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन का सृजन किया गया है। आरएमसी जोखिमों की पहचान करने, उन तक पहुंचने और उनकी समीक्षा करने और अल्पावधि के साथ–साथ दीर्घकालिक आधार पर जोखिमों को कम करने के लिए कार्य योजना और कार्यनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। हम जोखिम आकलन में, उभरते जोखिम वाले क्षेत्रों के साथ–साथ लघु और दीर्घकालिक दोनों जोखिमों, इन जोखिमों की परिवर्तनशीलता पर विचार करते है। पहचाने गए जोखिमों के प्रमुख जोखिम संकेतकों की रिपोर्टिंग के माध्यम से जोखिमों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। जोखिम मूल्यांकन और की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई की नियमित रूप से निदेशक मंडल को रिपोर्ट की जाती है।

आंतरिक नियंत्रण

विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ कॉर्पोरेट सुशासन का उच्चतम स्तर प्रदान करने के लिए, आपकी कंपनी में व्यापार के सुचारू और कुशल संचालन के लिए मजबूत आंतरिक प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं और ये प्रासंगिक कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप हैं। सुचारू निर्णय लेने के लिए शक्तियों के एक व्यापक प्रतिनिधयन की व्यवस्था मौजूद है जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इसे परिवर्तनशील व्यवसाय परिवेश के अनुरूप बनाया जा सके और तेजी से निर्णय लिया जा सके। एकसमान अनुपालन के लिए लेखाओं को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देशों का लगातार पालन किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण और संतुलन अमल में लाए जा रहे हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली व्यवस्थित हैं, कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ निकट समन्वय में अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा, कंपनी में बोर्ड की एक समिति अर्थात् लेखा परीक्षा समिति है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन की सख्त निगरानी करती है।

चेतावनी कथन

प्रबंधन चर्चा और विश्लेशण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ के भीतर 'भविष्योन्मुखी' और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम, उन परिणामों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं जो जोखिम या उससे जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण भविष्योन्मुखी कथनों द्वारा व्यक्त किए गए हैं या उनमें निहित हैं।

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण एवं समावेश विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय

ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा प्रबंधन उपाय, ऊर्जा की शीर्ष और औसत मांग को घटा सकते हैं। संरक्षित ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्यावरण और इसके संसाधनों को सुरक्षित रखने में सहायक है। मार्जिन में ऊर्जा संरक्षण में निवेश ऊर्जा आपूर्ति में निवेश से बेहतर प्रतिफल देता है।

टीएचडीसीआईएल विद्युत की मांग कम करने के लिए इसके दक्षतापूर्वक उपयोग में विश्वास करती है। टीएचडीसीआईएल कंपनी में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण प्रथाओं के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाने की निरंतर प्रक्रिया में लगी हुई है और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए इसने प्रभावी उपाय भी किए हैं और उपायों के परिणामस्वरूप बिजली, ईंधन और कोयले की कम खपत हुई है/होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः ऊर्जा की बचत हुई है/होगी।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित उपाय किए गए:-

ऊर्जा संरक्षण के प्रभाव के लिए किए गए उपाय	(i) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालय परिसरों में गैर ऊर्जा प्रभावी बिजली उपकरणों (जैसे स्ट्रीट लाइट सहित पुरान बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना) के बदलने का कार्य पूरा किया गया है। (ii) 500 कि.वा. रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रचालन एवं अनुरक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए, यूपीसीएल द्वारा अपनी स्वयं की खपत के अतिरिक्त बारह माह तक ग्रिड को आपूर्ति का निर्यात करने की दिशा में 2.39 लाख रूपये की ऊर्जा की बचत की गई। (iii) सभी नए भवनों में एलईडी प्रकाश की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। (iv) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया। (v) गैर आवासीय भवनों में फाइव–स्टार स्तर के एसी लगाए गए हैं और बिना स्टार रेटिंग वाले एसी को फाइव–स्टार रेटिंग वाले एसी से बदला गया।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	पार्क क्षेत्र में लाइटिंग और कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र की फेंसिंग सौर प्रणाली से की गई है। सभी नए भवनों में दिन के उजाले का उचित उपयोग करने के लिए दिन के उजाले की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने और नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर स्थापित किया गया है। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से यूनिटों की खपत में 12–14% की कमी आई है। कंपनी अपने सभी भावी प्रतिष्ठानों में एलईडी लैंप के उपयोग और ऊर्जा का कुशल उपयोग कर रही है और इसको प्रोत्साहित कर रही है।
ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश	वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया है।

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुकूलन और अवशोषण

1. मृदा ढलानों पर 3 डी नेट और हाइड्रो सीडिंग का अनुप्रयोग

3 डी नेट

(i) सार

3 डी नेट, संतत मोनोफिलामेंट्स से बना एक न्यूनभार वाला त्रि–आयामी टर्फ रिइंफोर्समेंट मैट (टीआरएम) है जो उनके अंतःप्रतिच्छेद पर उपयोग किया जाता है। 3डी नेट पॉलियामाइड (नायलॉन) फिलामेंट्स से बने होते हैं जो उनके अंतःप्रतिच्छेद पर तापीय रूप से युग्मित होकर एक समवर्गीय मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। 3डी नेट का उपयोग निम्नलिखित स्थिरीकरण कार्यों के लिए किया जाता है:

i) वनस्पतीय चैनलों और ≤3.3 पीएसएफ के प्रत्याशित कतरनी तनन वाले किनारों के लिए स्थायी क्षरण नियंत्रण।

ii) मध्यम से तीक्ष्ण ढलानों (≤1H:1V) के लिए स्थायी कटाव नियंत्रण।

iii) पारिस्थितिकीय प्लांट के प्रदर्शन में सहयोग और वृद्धि।

इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके मैट्रिक्स का 95% प्रतिशत खुले स्थान के रूप में रहता है, जो आगे चलकर पौधों की जड़ प्रणालियों को मजबूत करके प्रकृति की स्वयं की क्षरण नियंत्रण प्रणाली में सहायक होता है। पूरी तरह से वनस्पति होने पर यह प्रणाली 20 फीट प्रति सेकंड से अधिक पानी के वेग और 10 पाउंड प्रति वर्ग फुट के कतरनी तनन का प्रतिरोध करेगी।

(ii) 3 डी नेट के तकनीकी पैरामीटर्स

अनुप्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि 3डी नेट निम्नलिखित तकनीकी मानकों को पूरा करता है।

मैकेनिकल गुण	परीक्षण विधि	यूनिट	रोल वैल्यू	
			विशिष्ट	एमएआरवी
तन्यता शक्ति	एएसटीएम डी6818	केएन/एम	2.5	2.2
मोटाई	एएसटीएम डी6525	मिमी	10	7.5
द्रव्यमान/इकाई क्षेत्रफल	एएसटीएम डी6566	जी/एम2	270	220
यूवी स्थिरता	एएसटीएम डी4355	%	80 / 2000 घंटे	
लचीलापन	एएसटीएम डी6524	%	80	
प्रदर्शन गुण	**परीक्षण विधि**	**यूनिट**	**विशिष्ट रोल वैल्यू**	
अनुमेय वेग				
अवनस्पतीय	फ्लूम टेस्ट	एम/एस	3.7	
अनुमेय अपरूपण तनन				
अवनस्पतीय	फ्लूम टेस्ट	केएन/एम2	0.16	
मैनिंग्स एन रेंज	फ्लूम टेस्ट	–––	0.022 – 0.042	

(iii) संस्थापन कार्यविधि

क साइट तैयार करना: चाहे ढलान हो या चैनल, अनुप्रयोगकर्ता की जिम्मेदारी है कि साइट का डिजाइन विनिर्देशों (ग्रेड, ज्यामिति, मृदा घनत्व, आदि) के आकार का होना चाहिए और फिर मृदा के झुरमुट, गुच्छ, चट्टान या किसी भी बड़े वाहन के आगमन, से मुक्त होना चाहिए, जो टीआरएम को सतह की ढांचे में धंसने से रोकेंगे।

ख एंकर ट्रेंच: 3डी नेट को जमीन की सतह पर सुरक्षित रूप से जकड़ने के लिए एंकर ट्रेंच की आवश्यकता होगी। चैनल अनुप्रयोगों में, प्रारंभिक एंकर ट्रेंच को चैनल की शुरुआत में संस्थापित किया जाएगा और मध्यवर्ती चेक स्लॉट को प्रवाह की स्थिति और मिट्टी भरी हुई है या नहीं, के आधार पर लगभग 25 फीट के अंतराल पर डाउनस्ट्रीम की ओर स्थापित किया जाएगा। ट्रेंच के तल में 3डी नेट स्थापित किया जाना चाहिए और 3 फीट की दूरी पर पिन के साथ बांधा जाना चाहिए। एंकर ट्रेंच/मध्यवर्ती चेक स्लॉट्स को फिर से भरा जाएगा और इस तरह से सुसंहत किया जाएगा कि 3डी नेट को क्षति न पहुंचे।

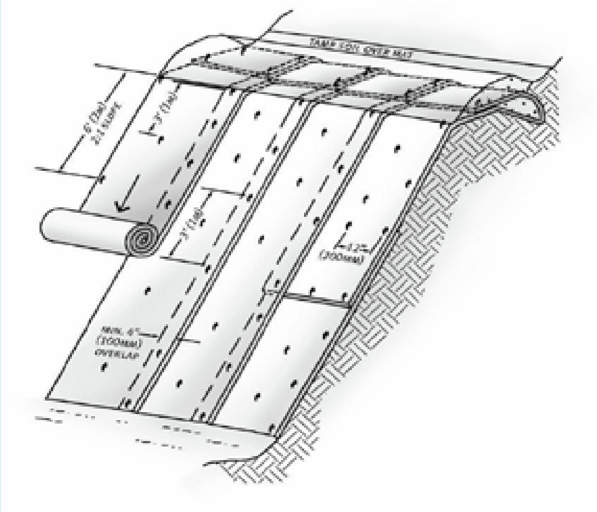

चित्र-1 3डी नेट का विशिष्ट लेआउट

(iv) 3डी नेट संस्थापन प्रक्रियाएं: 3डी नेट को ढलान या चैनल के नीचे रोल करें। रोल्स के बीच का ओवरलैप 3 से 4 इंच का होना चाहिए। रोल्स के बीच की दूरी 2 से 3 फीट के बीच होनी चाहिए। पानी के प्रवाह की दिशा में रोल को पाटें। बाहरी पिनों के बीच 3 से 5 फीट के अंतराल पर प्रत्येक नेट के केंद्र में पिन लगाएं (मैट 3.25 फीट चौड़ी है)। पिन लगाने का पैटर्न, अनुप्रयोग, मृदा के प्रकार, ढलान या चैनल ढलान, ज्यामिति, आदि के आधार पर अलग–अलग होगा। एक परियोजना के लिए आवश्यक पिन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए आदर्श नियम नीचे दिया गया है जिसे अनुप्रयोगकर्ता द्वारा अपनाया जाएगा:–

- 1:1 से 2:1 ढलानों के लिए, 3–4 पिन प्रति वर्ग यार्ड
- 3:1 और उससे कम ढलानों के लिए 2–3 पिन प्रति वर्ग यार्ड
- उच्च प्रवाह चैनल, प्रति वर्ग यार्ड 3–4 पिन
- कम प्रवाह चैनल, प्रति वर्ग यार्ड 2–3 पिन

  सभी रोल स्प्लिस स्थानों पर हमेशा 1.5x1.5 फीट की दूरी पर पिन की दो पंक्तियाँ लगाएं।

(v) एंकरिंग उपकरण: आमतौर पर 8 गेज के 6′x 1′ x 6′ धातु पिन का उपयोग किया जाएगा। जब सतह की मृदा की स्थिति नरम हो, तो 8″ • 1″ x 8″ या 12″ x 1.5″ x 12″ धातु पिन, 8″ – 18″ पिन 1.5″ व्यास वाले वॉशर, या 12–30″ जे–आकार के पिन (बेंट रेबार) जिसका व्यास 1/4″ होता है, का उपयोग करें। ड्राइव पिन या पिन जमीन की सतह में धंसाएं।

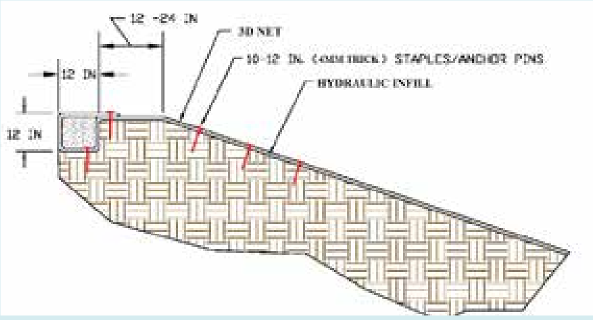

चित्र-2- संस्थापन प्रोफाइल दृश्य

हाइड्रोसीडिंग

(i) सार

हाइड्रोसीडिंग एक त्वरित बीजारोपण प्रक्रिया है जिसमें एक सघन घोल बनाने के लिए एक हाइड्रोसीडर टैंक में पानी के साथ सही बीज, गीली घास, उर्वरक और सक्रियक के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। बहुत–से कार्य साइटों और अनुप्रयोगों के लिए, हाथ से बोने और सोड दोनों की बजाय हाइड्रोसीडिंग लोकप्रिय हो गया है। यह कटाव नियंत्रण और त्वरित वृक्षारोपण के लिए पहाड़ी ढलानों जैसे स्थानों में बहुत सहायक है। इसका अनुप्रयोग एक हाइड्रोसीडर का उपयोग करके ढलान वाली सतहों पर दबाव के साथ किया जाएगा। इसे बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, हाइड्रोसीडिंग तेजी से की जा सकती है और इसकी स्थापना लागत कम है, यह मृदा की क्षति और अपशिष्ट अपवाह की गाद को भी कम करती है।

प्राकृतिक ढलान को बहाल करने और मृदा ढलानों को स्थिर करने के लिए, हाइड्रोसीडिंग एक संपूर्ण ढलान उपचार प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से स्थायी स्थिरीकरण स्थापित होने तक अस्थायी सुरक्षा की आवश्यकता वाले मृदा क्षरण क्षेत्रों के लिए हाइड्रोसीडिंग उपयुक्त है। हाइड्रॉलिक रूप से किए गए मल्च में अनप्रयोग के बाद निम्नलिखित गुण होते हैं,

– मृदा में अनुप्रयोग–बंध पर सीधे तुरंत प्रभावी होना

– बेहतर कटाव नियंत्रण होना

– तेजी से वनस्पति की स्थापना और अधिक से अधिक बायोमास उत्पादन

(ii) अनुप्रयोग

मिश्रण का छिड़काव हाइड्रोसीडर की सहायता से करना चाहिए। हाइड्रोसीडर एक मशीन है जिसमें एक होल्डिंग ट्रक पर नोजल, पंप और नली जुड़ी होती है। एक हाइड्रोसीडर का उपयोग करके सघन घोल का छिड़काव किया जाता है, जब उसी क्षेत्र में बार–बार अनप्रयोग की आवश्यकता होती है, तो समय और धन दोनों की बचत होती है। अनप्रयोग ऐसा होना चाहिए कि अंतिम उत्पाद अनप्रयोग के 2 घंटे के भीतर आच्छादित हो जाए, और मृदा क्षरण को अनुप्रयोग के 2 घंटे बाद नियंत्रित करे।

(iii) सही मिश्रण

सघन घोल बनाने के लिए हाइड्रोसीडर टैंक में संगत बीज, गीली घास, उर्वरक, उत्प्रेरक और पानी का सही मिश्रण होना महत्वपूर्ण है। इसे बाद में एक हाइड्रोसीडर का उपयोग करके ढलान की सतह पर 100पीएसआई दबाव पंप द्वारा दाब के साथ अनुप्रयोग किया जाना चाहिए।

(iv) संस्थापना कार्यविधि

क) साइट निरीक्षण: हाइड्रोसीडिंग शुरू करने से पहले, निष्पादन एजेंसी द्वारा निम्नलिखित जानकारी एकत्र करने के लिए साइट का निरीक्षण करना आवश्यक है:–

- कटाव क्षमता और मृदा–किस्म
- ढलान की स्थितिः माप, स्थिति और ऊंचाई आदि।
- जल, स्थानीय बीज आदि की उपलब्धता।
- स्थायी वनस्पति और कुल क्षेत्रफल की गणना के संबंध में योजनाएं

ख) ढलान तैयार करना: अनुप्रयोग के अधिकतम प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित उपायों को अपनाने की जिम्मेदारी अनुप्रयोगकर्ता की है,–

- साइट से सभी पत्थरों, चट्टानों या अन्य मलबे को हटाना।
- गहरे स्थानों को भरना।
- ऊपरी मृदा का परिवर्धन या मौजूदा मृदा का आशोधन।
- सतह समोच्च बनाना और चिकना बनाना।
- वायर–मेश, एंकर, कोकोनट फाइबर, जिओमैट आदि जैसे प्रबलन का उपयोग करके ढलानों को स्थिर करना।

ग) अनुरक्षण- तीन महीने के लिए या घास और झाड़ियों के प्रसार तक (हाइड्रोसीडिंग के 24 घंटे के बाद दिन में 2–3 बार पानी देना) अनुप्रयोगकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

(v) पर्यावरण प्रदर्शन

ढलानों पर अनुप्रयुक्त हाइड्रोसीड से न केवल स्थायी वनस्पति पैदा होनी चाहिए, बल्कि प्राकृतिक वातावरण में भी वृद्धि होनी चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए, हाइड्रोसीड्स के निम्नलिखित परीक्षणों को पूरा करना होगा।

- एएसटीएम परीक्षण विधि डी5338 द्वारा यथासत्यापित 100% बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए।
- उत्पाद 100% पुनर्नवीनीकरणीय (आईएसओ 14021 के माध्यम से सत्यापित) होना चाहिए, फाइटो–सैनिटाइज्ड काष्ठीय फाइबर जो ऊष्मीय परिष्कृत प्रसंस्करण के दौरान 3800 तक गर्म होते हैं, जिससे वे खरपतवार और रोगजनक मुक्त हो जाते हैं।
- जलीय–जंतुओं के लिए विषमुक्त होना चाहिए।
- अत्यधिक भारी धातुएं नहीं होनी चाहिए।
- वन्यजीवों के लिए खतरे उत्पन्न करने वाले जाल या धागे नहीं होने चाहिए।

(vi) हाइड्रोसीड्स के तकनीकी पैरामीटर्स

अनुप्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि लचीला विकास माध्यम (हाइड्रोसीड्स/मल्च) निम्नलिखित तकनीकी मानकों को पूरा करता है

हाइड्रोसीड/मल्च के लिए तकनीकी डाटा				
1	**भौतिक गुण***	**परीक्षण विधि**	**यूनिट**	**न्यूनतम मान**
	द्रव्यमान/यूनिट क्षेत्रफल	एएसटीएम डी65661	जी/एम2	407
	मोटाई	एएसटीएम डी65251	मिमी	5.6
	वेट बॉन्ड स्ट्रेंथ	एएसटीएम डी68181	एन / एम	131
	सतह आवरण	एएसटीएम डी65671	%	99
	जल रोकने की क्षमता	एएसटीएम डी7367	%	1700
	सामग्री का रंग	देखा	एन/ए	हरा
2	**पर्यावरणीय गुण***	**परीक्षण विधि**	**यूनिट**	**विशिष्ट मान**
	बॉयोडिग्रेडेबिलिटी	एएसटीएम डी5338	%	100
	कार्यात्मक काल	एएसटीएम डी5338	एन/ए	18 माह तक
	पर्यावरण–विशाक्तता	ईपीए 20021.0	%	96-घंटे एलसी50>100%
	एफ्लुएंट टर्बिडिटी	बड़ा पैमाना	एनटीयू	<100

(vii) अनुप्रयोग और अनुकूलन

यह प्रणाली कर्णप्रयाग–ग्वालदम–जौलजीविराज्य मोटर मार्ग संख्या 11 (किमी 166) हरदियानाला, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बागेश्वर–मुनस्यारी रोड पर नचनी गांव से मुनस्यारी की ओर 1 किमी दूर स्थित है, पर स्लाइड संख्या 5 ए के खंड पर ओवरबर्डन ढलान के उपचार के लिए प्रस्तावित की गई थी। यह प्रणाली, सड़क के ऊपर मध्य–स्ट्रेज में बनाए गए 2–5 मीटर गहरे और 3.0 मीटर चौड़े बर्म/बेंच में अतिभारित द्रव्यमान को कम करने के बाद सीढ़ीदार ढलान पर प्रस्तावित की गई थी, जहां सतह के नीचे और ढलान वाली सतह पर मध्यम से उच्च कतरनी तनन के तहत बड़े स्तर पर कतरनी विरूपण या प्रवाह विफलता के कारण कतरनी सामर्थ्य का ह्रास होता है। इसके लिए डीपीआर एनडीएमए द्वारा सहमत और वित्तपोषित की गई थी।

ढलान को 3.0 मी. सी/सी की दूरी पर 8 मीटर गहरी, 10 मीट्रिक टन क्षमता की 24 मिमी व्यास की सोयल नेल्स की व्यवस्था के साथ स्थिर किया गया है। तत्पश्चात, बेंचों के साथ क्षैतिज नालियों द्वारा ड्रेनेज चैनल के साथ–साथ 3डी नेट और हाइड्रोसीड्स के अनुप्रयोग की व्यवस्था की गई। स्थिर ढलान के फोटोग्राफ नीचे चित्रों में दर्शाए गए हैं,

सॉयल नेल, 3 डी नेट और हाइड्रोसीडिंग के साथ स्थिर ढलान

2. कंक्रीट कैनवास (सीसी)/(जियोसिंथेटिक सीमेंटिटियस कम्पोजिट मैट)

(i) प्रकार्य: कंक्रीट कैनवास (सीसी), एक लचीला, ठोस अंतर्भरित कपड़ा है जो हाइड्रेटेड होने पर कठोर हो जाता है और एक पतली, टिकाऊ, जलरोधी और अग्निरोधी कंक्रीट परत बनाता है। कंक्रीट कैनवास कंक्रीट को संयंत्र या मिश्रण उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह सतह पर स्थित होता है और पानी के साथ मिलाया जाता है। कंक्रीट कैनवास में एक 3–आयामी फाइबर मैट्रिक्स होता है जिसमें विशेष रूप से तैयार सूखा कंक्रीट मिश्रण होता है। कैनवास की एक सतह पर एक पीवीसी की परत यह सुनिश्चित करती है कि सामग्री पूरी तरह से जलरोधी है। सामग्री को या तो छिड़काव करके या पूरी तरह से पानी में डुबो कर हाइड्रेटेड किया जा सकता है। एक बार सेट होने के बाद, फाइबर कंक्रीट को मजबूत करते हैं, दरार के प्रसार को रोकते हैं और सुरक्षित प्लास्टिक फेल्योर मोड प्रदान करते हैं।

(ii) अनुप्रयोग: कंक्रीट कैनवास का उपयोग आमतौर पर अपरदन नियंत्रण, उपचार और निर्माण अनुप्रयोगों के लिए पारंपरिक कंक्रीट (इन–सीटू, प्रीकास्ट या स्प्रेड) के स्थान पर किया जाता है। कंक्रीट कैनवास 3 मोटाई–सीसी5, सीसी8 और सीसी13 में – उपलब्ध है:,

जो क्रमशः 5, 8 और 13 मिमी मोटे होते हैं। कंक्रीट कैनवास हाइड्रो, जिसमें एक पीवीसी बैकिंग झिल्ली शामिल है, हाइड्रोकार्बन अनुप्रयोगों के लिए भी उपलब्ध है। यह तीन प्रारूपों में, मैन पोर्टेबल बैचेड रोल्स, बल्क रोल्स और वाइड रोल्स भी उपलब्ध है। कंक्रीट कैनवास का उपयोग विभिन्न प्रकार की सिविल अवसंरचना, अर्थात चैनल/डिच लाइनिंग, ढलान संरक्षण और स्थिरीकरण, बंड लाइनिंग, कंक्रीट रेमेडिएशन, वीड दमन, कल्वर्ट लाइनिंग, आउटफॉल/स्पिलवे प्रोटेक्शन, गेबियन प्रोटेक्शन, माइनिंग वेंट वॉल, पाइप प्रोटेक्शन आदि के अनुप्रयोगों में किया जाता है।

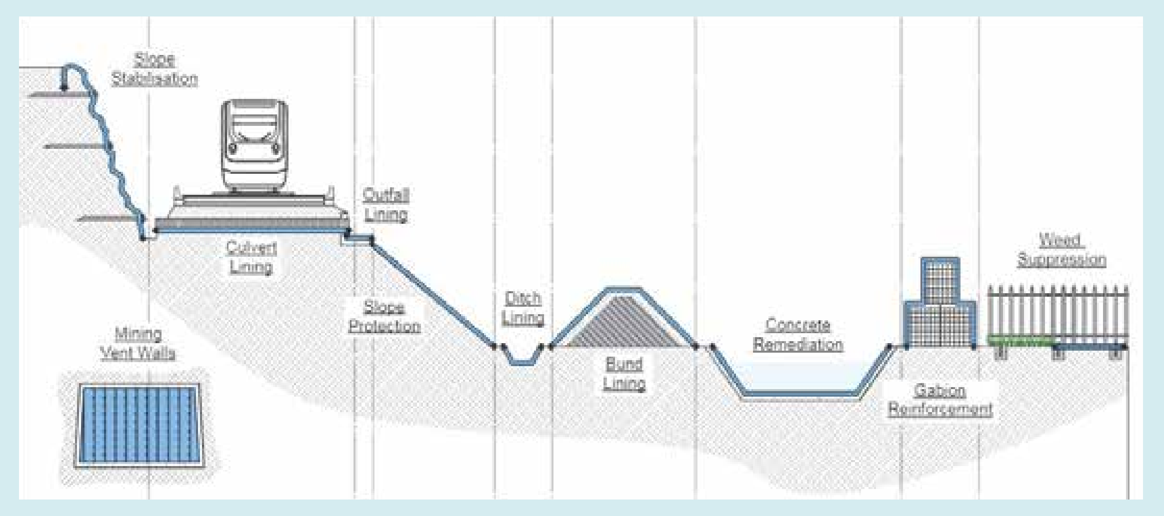

(iii) कंक्रीट कैनवास के गुण/प्रकार: विभिन्न मोटाई के कंक्रीट कैनवास निम्नानुसार उपलब्ध हैं:

उत्पाद मोटाई (मिमी)	रोल चौड़ाई (मीटर)	सूखा भार (किलो/वर्गमीटर)	थोक रोल कवरेज (वर्गमीटर)	थोक रोल लंबाई (मीटर)	घनत्व (अनसेट) (किलो/घनमीटर)	घनत्व (सेट) (किलो/घनमीटर)
5	1.0	7	200	200	1500	+30-35%
8	1.1	12	125	114	1500	+30-35%
13	1.1	19	80	73	1500	+30-35%

(iv) कंक्रीट कैनवास का चयन:

- **डिच लाइनिंग:** आमतौर पर 8 मिमी मोटे कंक्रीट के कैनवास की सिफारिश की जाती है, जब तक कि निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति मौजूद न हो:

  -5 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग मौजूदा कंक्रीट चैनलों, कठोर सब्सट्रेट जैसे रॉक, या अस्थायी कार्यों के लिए किया जा सकता है।

  -13 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है जहां प्रवाह की गति 8.6 मीटर/सेकेंड से अधिक हो, भूमि पर भारी यातायात हो या विशेष रूप से अस्थिर या खड़ी हो।

- **ढलान प्रतिरक्षा:** 5 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है, जब तक कि जमीन अस्थिर न हो या उच्च प्रवाह की स्थिति मौजूद न हो। ऐसे मामलों में, 8 मिमी मोटे कंक्रीट के कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।

- **आउटफॉल्स/स्पिलवे:** सामान्य तौर पर 8 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। हालांकि, उच्च स्तर के मलबे के साथ या उच्च प्रवाह की स्थिति के मामले में, 13 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।

- **कंक्रीट उपचार:** सामान्य परिस्थितियों में 5 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। हालांकि, 8 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है जहां दरार बड़ी होती हैं या अंतिम उपयोग में उच्च प्रवाह दर शामिल होती है।

- **खरपतवार दमन :** 5 मिमी मोटे कंक्रीट के कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।

- **पुलिया अस्तर:** सामान्य परिस्थितियों के लिए 8 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। 13 मिमी मोटी परत का उपयोग उच्च प्रवाह स्थितियों या उच्च स्तर के मलबे के लिए किया जा सकता है। कम प्रवाह की स्थिति और मलबे के निम्न स्तर के लिए 5 मिमी मोटी परत का उपयोग किया जा सकता है।

- **बंड अस्तर:** 5 मिमी मोटी कंक्रीट कैनवास की सिफारिश की जाती है। भारी यातायात वाले क्षेत्रों के लिए 8 मिमी या 13 मिमी मोटे कंक्रीट कैनवास का उपयोग किया जा सकता है।

(v) स्थापना प्रक्रिया:

कंक्रीट कैनवास मैन पोर्टेबल रोल में उपलब्ध है जो साइट पर संयंत्र की आवश्यकता को समाप्त करता है और सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में कंक्रीट स्थापना की अनुमति देता है। जलयोजन से पहले, उच्च जोखिम वाले वातावरण में बिजली उपकरणों के उपयोग से जुड़े खतरों को समाप्त करने वाले बुनियादी हैंड टूलों का उपयोग करके कंक्रीट कैनवास परतों को लंबाई में काटा जा सकता है। कंक्रीट पूर्व–मिश्रित है इसलिए मिश्रण, मापने या कॉम्पैक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा पानी डाले। एक बार हाइड्रेटेड होने के बाद, सीसी, ठंडी जलवायु में लगभग 1–2 घंटे तक कार्य करने योग्य रहता है। गर्म मौसम में, कार्य करने का समय कम हो सकता है। सीसी 24 घंटे में अपनी 28 दिन की क्षमता के 80% तक सख्त हो जाएगा और उपयोग के लिए तैयार है।

(vi) अनुकूलन:

प्रणाली को चिन्यालीसौर–प्राथमिकता–IV–निर्माण कार्यों में ऊर्ध्वाधर ढलानों पर संस्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

समय और लागत प्रभावी तकनीकों को अपनाना

समय और लागत की बचत के लिए, टीएचडीसीआईएल अपनी परियोजनाओं में सिविल निर्माण के लिए कई नई नवीन विधियों का उपयोग कर रहा है। ऐसी ही एक विधि का उपयोग, अर्थात प्रबलित मृदा भित्ति का उपयोग, वर्तमान में वीपीएचईपी में पुश्ता संरचना के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

एक प्रबलित मृदा–भित्ति को मृदा के पार्श्व दाब के प्रतिरोध और मृदा के पार्श्वीय समर्थन के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। पार्श्वीय दाब मृदा–भरण, जल–दाब, रेत और दानेदार सामग्री के कारण हो सकता है। भित्ति का उपयोग दो अलग–अलग ऊंचाई के बीच मृदा–बंध के लिए किया जाता है, जो अक्सर अवांछित ढलान वाले इलाके के क्षेत्रों में होता है।

प्रबलित मृदा (आरई) भित्ति एक साधारण संरचना है जो चुनिंदा बैकफिल, गैल्वनाइज्ड स्टील वायर मेश, जियोसिंथेटिक रीइन्फोर्समेंट (जियोग्रिड) द्वारा बनाई जाती है, जिसका उपयोग मृदा पर घर्षण उत्पन्न करने के लिए प्रबलन के रूप में किया जाता है। भित्ति के पीछे हाइड्रोस्टेटिक दाब के उत्पन्न होने से बचने में मदद के लिए उचित जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। एक आरई भित्ति का अग्रभाग बैकफिल के क्षरण को रोकने में मदद करता है और इसे एक रमणीय रूप देता है।

आरई भित्ती के अनेक लाभ हैं जैसे, लचीलापन, फिसलने के लिए बहुत अधिक प्रतिरोध, निर्माण में आसानी, कंक्रीट की दीवारों की तुलना में बेहतर रूप, तेजी से निर्माण और कंक्रीट (कास्ट–इन–प्लेस) दीवार की तुलना में भारी लागत बचत। दीवार का लचीलापन इसे भूकंप संभावित क्षेत्रों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। यह उन स्थानों के लिए भी बहुत उपयुक्त है जहां संरचना की ऊंचाई बहुत अधिक है। और जहां अतिरिक्त जगह की आवश्यकता है।

वीपीएचईपी में सीआईएसएफ कॉलोनी और टीबीएम रोड के बीच ढलान बहुत ही अस्थिर है जिसमें बहुत कम कतरनी सामर्थ्य के साथ स्लोप वॉश सामग्री निहित है। ढलान की ऊंचाई लगभग 50 मीटर है। परेड ग्राउंड और अन्य गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह बनाने की भी आवश्यकता है। सीआईएसएफ कॉलोनी की सुरक्षा और वहां अतिरिक्त जगह बनाने के लिए आरई भित्ति डिजाइन की गई है। इस ढलान के लिए डिजाइन की गई आरई भित्ति का विशिष्ट खंड यहां दर्शाया गया है:

डिजाइन की गई आरई भित्ति की कुल ऊंचाई 49.2 मीटर है, जिसमें प्रत्येक के साथ 10.8 मीटर की आरई भित्ति के 4 टीयर शामिल हैं। इसकी लंबाई 180 मीटर है। वीपीएचईपी में आरई भित्ति के लिए वानस्पतिक मृदा के चारों ओर जिओटेक्सटाइल आवृत्त किया गया है जो दीवार के अग्रभाग पर घास के विकास को सक्षम बनाएगा, जिससे यह एक रमणीय पर्यावरण अनुकूल रूप प्रदान करेगा।

इस प्रकार, यह अभिनव डिजाइन समाधान स्थिर, तेज, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल है और कलात्मक सौंदर्य रखता है।

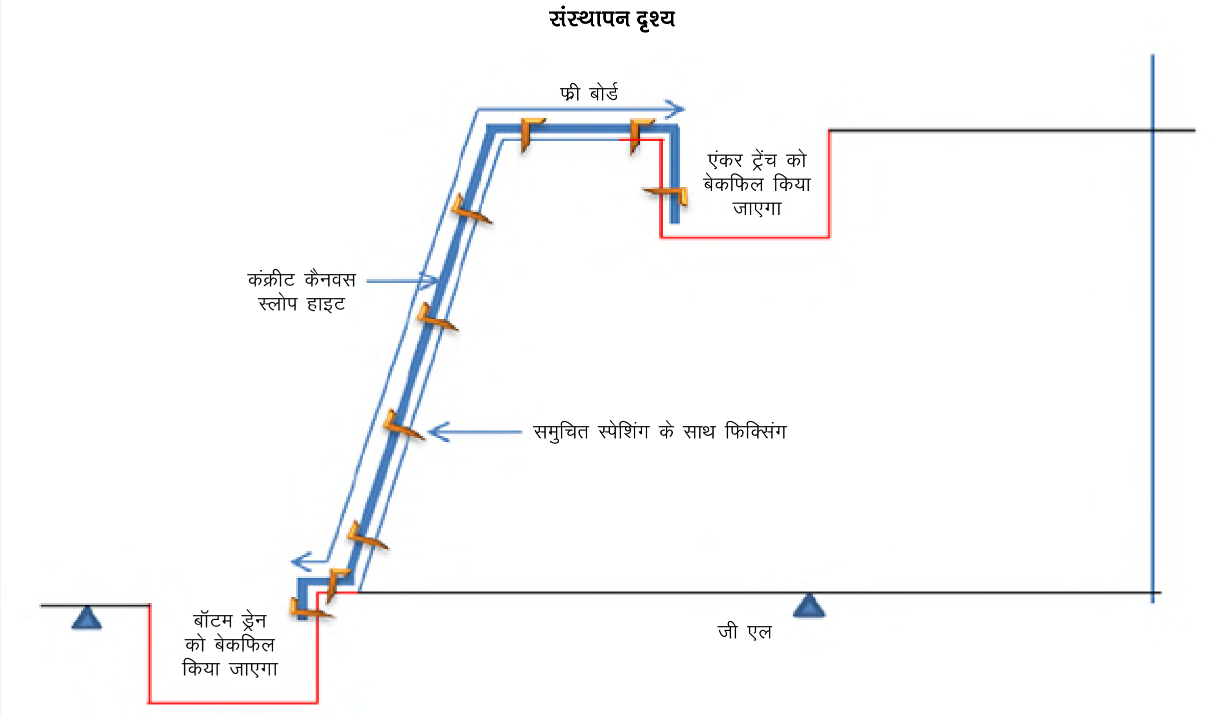

चित्र 1. वर्तमान में साइट पर निर्माणाधीन आरई भित्ति (चित्र 1)

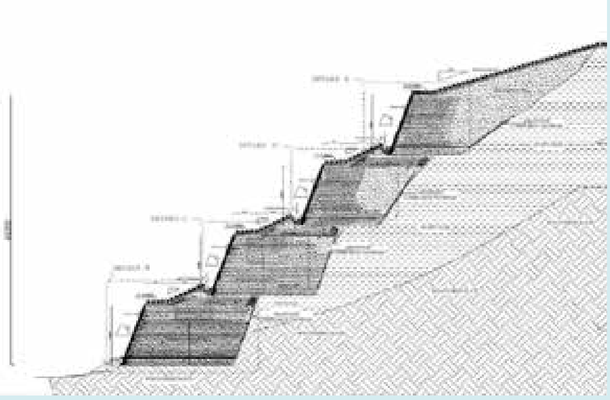

चित्र:1 - आरई भित्ति का क्रॉस सेक्शन

चित्र: 1 - आरई भित्ती की वर्तमान स्थिति

वीपीएचईपी के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली

7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में आई अचानक बाढ़ के मद्देनजर विद्युत मंत्रालय द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए अल्पावधि एवं दीर्घावधि मौसम पूर्वानुमान एवं अग्रिम चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने जुलाई, 2021 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी प्रचालनात्मक के साथ–साथ निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए व्यापक सुझावों की सिफारिश की।

तदनुसार, वीपीएचईपी के लिए एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली की कल्पना की गई है और इसे लागू करने के लिए परियोजना पर कार्य चल रहा है। परियोजना में ईडब्ल्यूएस को दो चरणों में लागू किया जाएगा। चरण–I में अल्पकालिक उपायों को लागू किया जाएगा और दूसरे चरण में दीर्घकालिक उपायों को लागू किया जाएगा।

चरण I - अल्पकालिक उपाय

तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (टीवीएचईपी) धौलीगंगा नदी पर स्थित है और विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (वीएचईपी) अलकनंदा नदी पर वीपीएचईपी के अपस्ट्रीम में स्थित है। टीवीएचईपी का बैराज वीपीएचईपी बांध स्थल से लगभग 21 किमी ऊपर है जबकि वीएचईपी का बैराज वीपीएचईपी बांध स्थल से 27 किमी ऊपर है। यदि धौलीगंगा या अलकनंदा घाटियों में कोई बाढ़ की घटना होती है, तो वीपीएचईपी के पास कम से कम 50 मिनट का लीड टाइम होगा (7 फरवरी 2021 की घटना में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए)।

प्रथम चरण में ईडब्ल्यूएस अनिवार्य रूप से मुख्य रूप से प्रवाह आधारित पूर्वानुमान प्रणाली पर आधारित होगा। परियोजना के लिए 24x7 निगरानी प्रणाली बनाई जाएगी। इसे परियोजना के अपस्ट्रीम में और बिरही गंगा घाटी में किसी भी उथल–पुथल, जिससे परियोजना में या डाउनस्ट्रीम में आसपास के गांवों में काम करने वाले मानव तत्वों को खतरा हो सकता है, की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैनुअल और तकनीकी रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। इस प्रणाली के अंतर्गत सैटेलाइट फोन या मोबाइल फोन जैसे किसी अन्य माध्यम से परियोजना के नियंत्रण कक्ष को अर्जित जानकारी को संप्रेषित करने का एक विफलता–रोधी तरीका होगा।

बांध स्थल पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में नदी के किनारे परियोजना के सभी निर्माण स्थल पर एक बटन के स्पर्श पर ध्वनि और सतर्क करने की क्षमता होगी। डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं, जिला आपदा नियंत्रण कक्ष और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष को आगे की प्रक्रिया और सूचना के प्रसार के लिए परियोजना मुख्यालय में एक केंद्रीय नियंत्रण और कमान स्टेशन की स्थापना की जाएगी।

चरण II - दीर्घकालिक उपाय

चरण–II में, परियोजना में दीर्घकालिक उपायों को लागू किया जाएगा। इस चरण में मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली (स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) के इनपुट पर आधारित) के साथ–साथ अंतर्वाह आधारित पूर्वानुमान प्रणाली शामिल होगी। इसमें स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस)/जीएंडडी साइटों/रडार आधारित स्तर सेंसर की मदद से एससीएडीए आधारित निगरानी प्रणाली के साथ परियोजना स्थलों के अपस्ट्रीम में वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा, ताकि बांध स्थल पर नियंत्रण कक्ष और परियोजना मुख्यालय में केंद्रीय नियंत्रण और कमान केंद्र के लिए विफलता–रोधी संचार तंत्र (जीएसएम/वीसैट आदि) के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान/पर्याप्त लीड समय के साथ अग्रिम चेतावनी प्रदान की जा सके। यह प्रणाली वास्तविक समय के मौसम विज्ञान और जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों का निरीक्षण करने में सक्षम होगी और कुछ गणितीय मॉडलों का उपयोग करते हुए इसे आगे की प्रक्रिया/आवक का पूर्वानुमान लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और केंद्रीय नियंत्रण और कमान स्टेशन (सीसीसीएस) तक पहुंचाएगी। यह प्रणाली प्रेक्षित डाटा और आईएमडी पूर्वानुमानों के आधार पर दिन के पूर्वानुमान के आधार पर न्यूनतम 6 घंटे के लीड टाइम के साथ पूर्वानुमान जारी करेगी। अंतर्वाह डाटा के आधार पर पूर्व चेतावनी के लिए लीड समय कम से कम 50 मिनट होगा। नियंत्रण कक्ष (सीआर) और सीसीसीएस में एक बटन के स्पर्श पर हूटर और सायरन का उपयोग करके नदी के किनारे पर स्थित परियोजना क्षेत्र में और अन्य कमजोर भूमिगत और ओवर–ग्राउंड साइटों में चेतावनी ध्वनि करने की क्षमता रखेंगे। सीआर और सीसीसीएस की लाइव कनेक्टिविटी डिजाइन मुख्यालय, अन्य नजदीकी अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम जलविद्युत परियोजनाओं और संबंधित जिला/राज्य प्रशासन के आपातकालीन प्रचालन नियंत्रण कक्ष के साथ होगी।

स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस), जीएंडडी साइट्स और रडार आधारित लेवल और वेलोसिटी सेंसर्स से युक्त डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म (डीसीपी) के वास्तविक समय मीट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डाटा इंस्टॉलेशन का निरीक्षण करने के लिए, परियोजना के पूरे जलग्रहण क्षेत्र में नदी घाटियों को कवर किया जाएगा। वीपीएचईपी के मामले में, अपस्ट्रीम परियोजनाएं अपने जलग्रहण क्षेत्र में एडब्ल्यूएस और जीएंडडी स्थापित करेंगी, वीपीएचईपी को डाटा संग्रह के लिए टीवीएचपीपी और वीएचईपी की अपस्ट्रीम परियोजनाओं के नियंत्रण कक्षों के साथ केवल लाइव कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। हालांकि, बिरही गंगा में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर (एडब्ल्यूएलआर) और गेज स्टेशन की स्थापना वीपीएचईपी द्वारा की जाएगी। डीसीपी से डाटा का प्रसारण हर मौसम में विश्वसनीय, विफलता–रोधी और सुदृढ़ संचार प्रणाली के माध्यम से वास्तविक समय में जीएसएम या वीसैट कनेक्टिविटी के माध्यम से नामित नियंत्रण कक्ष में किया जाएगा।

डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए परियोजना द्वारा श्रीनगर में नदी के किनारे अप टू डाउनस्ट्रीम परियोजना के साथ जीएसएम/वीसैट आधारित अलार्म/सायरन/हूटर प्रणाली की स्थापना भी की जाएगी।

आगे के चरण में सभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं के सहयोग से और सीडब्ल्यूसी की मदद से पूरे जलग्रहण क्षेत्र के मानचित्रण/डिजिटीकरण की योजना भी बनाई गई है।

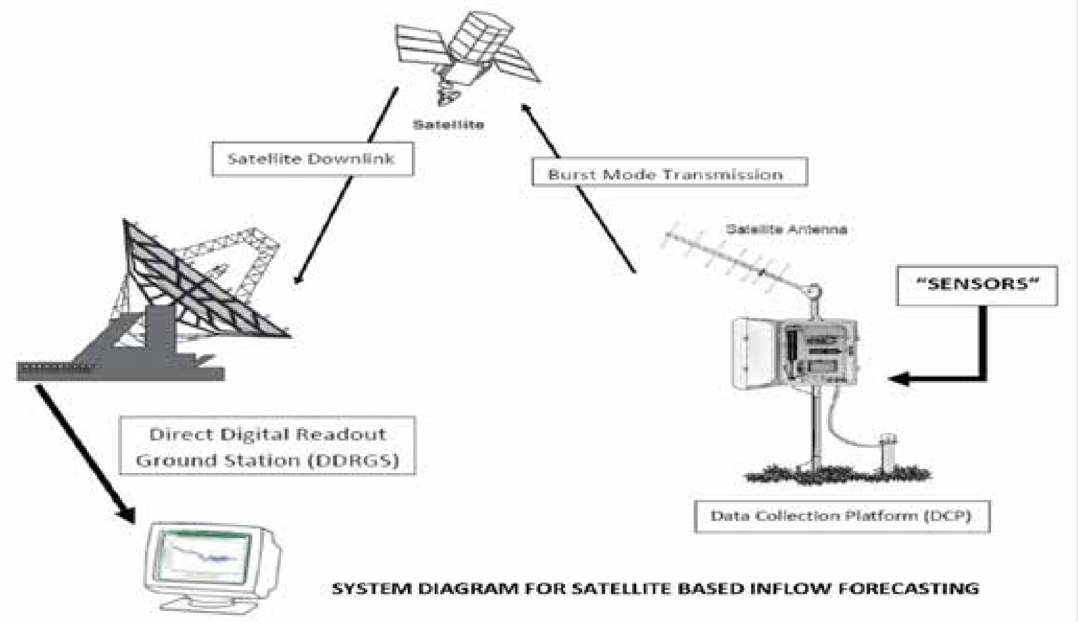

उपग्रह आधारित अंतर्वाह पूर्वानुमान के लिए सिस्टम डायग्राम

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2021-22	2020-21
क	**विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)**		
	यात्रा	0.01	0.01
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	1.83	2.11
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	50.83	48.67
	वस्तुओं का आयात	8.34	46.78
	सम्मेलनों के लिए नामांकन	-	-
	अन्य (निर्माण और आपूर्तियों के लिए संविदाकारों को भुगतान)	260.98	62.63
	कुल	**321.99**	**160.20**
ख	**विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)**	-	-
ग	**सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य**		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	7.29	49.31
ii)	अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	-	-
	कुल	**7.29**	**49.31**
घ	**खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य**		
i)	आयातित (रु. करोड़ में)	0.14	0.10
	(%)	2.35%	2.46%
ii)	स्वदेशी (रु. करोड़ में)	5.81	3.97
	(%)	97.65%	97.54%
ङ.	**निर्यात का मूल्य**	-	-

व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट-2021-22

व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2022

भारत में शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रारूप में, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) में पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन (ईएसजी) परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

एक उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन परिपाटी के रूप में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने व्यापार उत्तरदायित्व और सततता परिपाटियों की रिपोर्ट करने के लिए सेबी द्वारा यथाअनुशंसित नए रिपोर्टिंग टेम्पलेट को अपनाया है। टीएचडीसीआईएल ने सभी कार्यों में सही प्रक्रियाएं और प्रणालियां निर्धारित की हैं और बीआरएसआर पर आधारित प्रमुख मेट्रिक्स को प्राथमिकता दी है, जो प्रासंगिक संकेतकों को एकत्र करने, संकलित करने और रिपोर्ट करने के लिए उनके सततता स्कोर को मापने के लिए प्रासंगिक और उपयोगी हैं।

टीएचडीसीआईएल, समाधान केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करता है और ज्ञान इसके प्रचालन का मूल सामर्थ्य है। हमारा प्रयास है कि हमारे कार्य में बुद्धि–भावना–श्रम का सही संतुलन लाया जाए। हमारा मानना है कि शताब्दी पुरानी समस्याओं के लिए नए जमाने की सोच और कड़े परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिसके मूल में सहानुभूति होती है। और यही टीएचडीसीआईएल अपने हितधारकों के लिए प्रदान करता है।

हमारे कार्बन फुटप्रिंट का पर्यावरण पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है: यह मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, यह शहरी वायु प्रदूषण में योगदान देता है, यह विषाक्त अम्ल वर्षा का कारण बनता है, यह तटीय और महासागरीय अम्लीकरण का कारक है, और यह हिमनदों और /रुवीय बर्फ के पिघलने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भविष्य में स्थायी उत्सर्जन की प्राप्ति को, ऊर्जा उत्पादन की कार्बन तीव्रता को व्यवस्थित रूप से कम करने की आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। पूंजी बाजार उन कंपनियों को पुरस्कृत करना शुरू कर रहे हैं जो अपनी स्टॉक कीमतों में वृद्धि कर जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के प्रयासों में व्यवस्थित निवेश कर रही हैं। निवेशक निवेश निर्णय लेने के लिए तेजी से गैर–वित्तीय प्रकटीकरण का उपयोग कर रहे हैं, यही कारण है कि बहुत–सी कंपनियां एकीकृत वित्तीय रिपोर्टों की ओर बढ़ी हैं।

टीएचडीसीआईएल की व्यापार उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट–2021–22 पर्यावरण और समुदाय के साथ कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की अन्योन्याश्रयता को दर्शाती है।

खंड-क: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1.	**कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	U45203UR1988GOI009822
2.	**कंपनी का नाम**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (आज की तारीख तक सूचीबद्ध नहीं है)
3.	**पंजीकरण का वर्ष**	1988
4.	**पंजीकृत पता**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल, 249001 (उत्तराखंड)
5.	**कॉरपोरेट पता**	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, 249201 (उत्तराखंड)
6.	**ई मेल आई डी:**	cmd@thdc.co.in
7.	**दूरभाष संख्या**	0135-2473311
8.	**वेबसाइट**	www.thdc.co.in
9.	**जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित है:**	2021–22
10.	**उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं:**	लागू नहीं
11.	**संदत्त पूंजी**	3665.88 करोड़ रूपये (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार)
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है:**	श्री. बी के गर्ग, अपर महाप्रबंधक (नियोजन), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट नम्बर 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद–201010 (उत्तर प्रदेश) (ईमेल– bkgarg@thdc.co.in दूरभाष– 0120–2776491)

13. **रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है) :**
 - समेकित

II. उत्पाद और सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

क्रम सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	100

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रम सं.	उत्पाद / सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	विद्युत शक्ति	3510	100

III. प्रचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों / निर्माणाधीन / विकास परियोजनाएं की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	14	11 (परियोजना कार्यालयों के अलावा)	25
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	शून्य

17. संस्था द्वारा सेवित बाजार:

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है। राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

क. स्थानों की संख्या:

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	11
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त विवरण

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	%(ग/क)
	कर्मचारियों					
1	स्थायी (घ)	813	762	93.73%	51	6.27%
2	स्थायी के अलावा (ङ)	14	9	64.29%	5	35.71
3	**कुल कर्मचारी (घ + ङ)**	**827**	**771**	**93.23%**	**56**	**6.77%**
	कामगार					
4	स्थायी (च)	831	775	93.26%	56	6.74%
5	स्थायी के अलावा (छ)	5990	5737	95.78%	170	2.84%
6	**कुल कामगार (च +छ)**	**6821**	**6512**	**95.47%**	**226**	**3.31%**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1	स्थायी (घ)	09	08	88.89%	01	11.11%
2	स्थायी के अलावा (ङ)	उपलब्ध नहीं				
3	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)**	**09**	**08**		**01**	
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	18	15	83.33%	03	16.67%
5.	स्थायी के अलावा (छ)	उपलब्ध नहीं				
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च+छ)	**18**	**15**	**83.33%**	**03**	**16.67%**

19. महिलाओं की भागीदारी समावेशन/प्रतिनिधित्व :

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	2	शून्य	शून्य
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33%

20. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2019-20 (पिछले वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	42	1	**43**	22	0	**22**	15	1	**16**
	इस्तीफा दिया	5	–	**5**	5	1	**6**	8	3	**11**
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	40	1	**41**	59	7	**66**	35	7	**42**
	इस्तीफा दिया	2	–	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या धारक/ सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां / नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49	हां
2.	टस्को लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74.00	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)

(ii) कारोबार (रुपये में):- (कुल राजस्व)- 1921.49 करोड़ रुपए

(iii) नेट वर्थ (रुपये में):- 10306.15 करोड़ रुपये

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां /नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2021-22 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां (www.thdc.co.in)	शून्य	शून्य	-	04	04	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	लागू नहीं	लागू नहीं	-	लागू नहीं	लागू नहीं	-
शेयरधारक	हां https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
कर्मचारी और कामगार	हां www.thdc.co.in	01	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
ग्राहक	वार्षिक फीडबैक फॉर्म और डिस्कॉम के साथ आमने–सामने बैठक के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-
ग्राहक	ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत के माध्यम से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-

24. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें:

क्रमांक	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	अवसर अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।	फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप–उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। खुर्जा संयंत्र के प्रचालन के दौरान 25 वर्षों में लगभग 56.8 मिलियन क्यूबेक राख का उत्पादन होने की उम्मीद है क्योंकि परियोजना निर्माण चरण में है और वित्तीय वर्ष 2024–25 में बाजार की मांग की वर्तमान स्थिति के संबंध में टीएचडीसीआईएल द्वारा एक रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई थी। प्रारंभिक आकलन के अनुसार, दोनों उद्योगों से लगभग 24 लाख मीट्रिक टन से अधिक प्रतिवर्ष की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।	बाजार की मौजूदा प्रवृत्ति के अनुसार फ्लाई ऐश की दर 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन (जो वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है) को देखते हुए, 120 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का संभावित वित्तीय प्रभाव आता है।
2	गंदगी की अस्थिरता/अनुचित निपटान और डंप यार्ड में जगह की अनुपलब्धता	जोखिम	पिछले/कार्य अनुभव के आधार पर	स्थिरीकरण उपाय प्रदान करना, नियोजित तरीके से मलबा निस्तारण करना और संविदा की शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं के अनुसार इष्टतम तरीके से जगह का उपयोग करना।	निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता लागत में वृद्धि हुई है।

खंड- ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क.	क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
1.ख.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
1.ग.	नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	*	वेब पर नहीं	*	*	*	वेब पर नहीं	*	-
2.	क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां/नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
3	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां / नहीं)	कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें								
4	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।									
5	विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।									

6	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।
	सुशासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)	
8	व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	लागू नहीं
9	क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	बोर्ड स्तर पर क्रियाशील सीएसआर एवं सततता समिति सततता संबंधी मुद्दों की भी समीक्षा कर रही है।

10	**कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:**																		
	समीक्षा के लिए विषय	**इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी**									**आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)**								
		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
	सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां									

11	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम दें।	नहीं

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर'नहीं' है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां / नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका–1 में दिया गया है।
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां /नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां / नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

* **पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/content/environment-policy
* **आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/content/rr-policy
* **सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_Policy2021.pdf
* **टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf
* **टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मान्यताएं निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**
  https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues
* **कॉर्पोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf
* **सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf
* **व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :**
  https://thdc.co.in/sites/default/files CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

तालिका 1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियों	निदेशक जवाबदार
सिद्धांत 1 (पी1)	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और सुशासित करना चाहिए।	• विजन, मिशन और मान्यताएं • आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कॉर्पोरेट आचार नीति • व्यापार आचार और नैतिकता संहिता • सीडीए नियम • सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (वित्त) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	सुरक्षा नीति, सीएसआर और सततता नीति, आईएसओ 45001:2018	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	मानव संसाधन नीतियां भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन और मिशन	
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	विजन, मिशन और मान्यताएं मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	पर्यावरण नीति आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	• आचार संहिता • मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। • विद्युत का आबंटन कुछ नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। • मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। • ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	

खंड - ग: सिद्धांत-वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को 'आवश्यक' और 'नेतृत्व' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से संचालित और सुशासित करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	02	• नेतृत्व प्रबंधन और कल्याण • स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम	57.13%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	01	• उद्योग 4.0 पर एमडीपी • महिला विकास प्रशिक्षण • परिवर्तनकारी नेतृत्व	33.33%
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	14	• भविष्य की संगठनात्मक प्रभावशीलता की दूरदर्शिता • दूरदर्शी नेतृत्व • सतर्कता अधिकारी के लिए सतर्कता प्रशासन • गैर–सतर्कता अधिकारियों के लिए निवारक सतर्कता • पीओएसएच पर प्रमाणित प्रशिक्षकों का कार्यक्रम • जीईएम पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक खरीद • व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता में सुधार • नेतृत्व प्रबंधन और कल्याण • आरटीआई अधिनियम पर संगोष्ठी • निवारक सतर्कता • ईडीपी–व्यक्तिगत प्रभावशीलता और नेतृत्व के लिए कैरियर यात्रा • नेतृत्व उत्कृष्टता • नैसर्गिक न्याय का प्रावधान और सिद्धांत • स्थायी आदेश और अनुशासनात्मक कार्यवाही	19.21%
कामगार	03	• नैतिकता और मान्यताएं	10.22%

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों /मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/शास्ति/अवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण {टिप्पणी: संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी}:

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां / नहीं)
शास्ति / जुर्माना	शून्य				
समायोजन					
कंपाउंडिंग शुल्क					
गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण		क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)
कारावास	शून्य				
सजा					

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।**

   – लागू नहीं

4. **क्या संस्था में भ्रष्टाचार रोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।**

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।

विभिन्न नियमों / नीतियों / संहिताओं / विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

(क) विजन, मिशन और मान्यताएंः

प्रत्येक कर्मचारी को कंपनी के विजन और मिशन को पेशेवर तरीके से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संगठन के मिशन को पूरा करने में सम्मान, चिंता, शिष्टाचार और जवाबदेही के साथ सेवा करना कर्मचारियों का कर्तव्य है। कर्मचारी को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और दूसरों के व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। निगम के विजन और मिशन को पूरी लगन से आगे बढ़ाया जा रहा है और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियमः

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

(ग) कामगारों के लिए स्थायी आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

(घ) कॉर्पोरेट आचार नीतिः

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखता है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कॉर्पोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति/ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होते हैं। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(ङ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिताः

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49, जहां कहीं लागू हो और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

(च) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीतिः

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने 'सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश' को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि 'कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।'

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।
- सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना
- प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

(च) सत्यनिष्ठा समझौता:

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों/अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना एक प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

5. ऐसे निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	**शून्य**	**शून्य**
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	**शून्य**	**शून्य**
कर्मचारी	**शून्य**	**शून्य**
कामगार	**शून्य**	**शून्य**

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	**शून्य**			
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 2

व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास निवेश में से उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान एवं विकास निवेश का प्रतिशत

अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट (वित्त वर्ष 2021-22) के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास व्यय

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किया गया व्यय (रु. लाख में)	अध्ययन का प्रभाव	अध्ययन के परिणाम
1.	टिहरी और केएचईपी के ईएम उपकरणों की स्थिति की निगरानी (वित्त वर्ष 2020–21 के लिए)	22.88	समय–समय पर स्थिति की निगरानी और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों के सक्रियता मूल्यांकन में कमी, खराबी और स्थापना दोषों के शुरुआती संकेतों का पता लगाना और इस प्रकार परियोजनाओं की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना।	मैसर्स सीपीआरआई द्वारा दी गई सिफारिशों को साइट पर लागू किया गया है।

2.	टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र में परिनियोजित 18–स्टेशन भूकंपीय नेटवर्क तथा टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध में स्थापित 13–स्टेशन स्ट्रॉन्ग मोशन नेटवर्क का प्रचालन और अनुरक्षण।	182.67	टिहरी जलाशय में जल संग्रह करने से पहले, उसके दौरान और बाद में टिहरी बांध के आसपास के क्षेत्र की सूक्ष्म भूकंप गतिविधि पर दीर्घकालिक डाटा का संग्रह।	अध्ययन प्रगति पर है
3.	टिहरी बांध जलाशय के लिए वास्तविक समय प्रवाह पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार के लिए परामर्श।	48.28	वास्तविक समय मीट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल डाटा का अवलोकन और टिहरी जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान डाटा के आगे के संसाधन के लिए टिहरी में स्थापित अर्थ स्टेशन को इसका संचार।	अध्ययन प्रगति पर है
4.	हाइड्रो जेनरेटर फेड ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन।	7.50	इस अध्ययन के अंतर्गत टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचपीपी की इकाइयों के उत्पादन में होने वाले दोलनों की कारणों सहित पहचान करेगा और दोलनों को कम करने के लिए समाधान विकसित करेगा।	अध्ययन प्रगति पर है
5.	निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट के विशेष संदर्भ में टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन।	14.94	अध्ययन प्रगति पर है	अध्ययन प्रगति पर है
6.	अन्य विविध कार्य	3.59		
	कुल	**279.86**		

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

– हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) – ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड–एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए–बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है:

(ख) **ई-कचरा:** टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

(ग) **खतरनाक अपशिष्ट:** खतरनाक अपशिष्ट नहीं है।

(घ) **अन्य अपशिष्ट:** उपरोक्त बिंदु (क) के समान। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां /नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

– लागू नहीं

सिद्धांत 3

व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)

स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	762	लागू नहीं	लागू नहीं	762	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	05	0.65%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	51	लागू नहीं	लागू नहीं	51	100%	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	813	लागू नहीं	लागू नहीं	813	100%	शून्य	शून्य	05	0.65%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	9	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	5	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. कामगारों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	द्वारा कवर किए गए कामगारों का%										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/ क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ङ)	% (ङ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	775	लागू नहीं	लागू नहीं	775	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	02	0.25%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	56	लागू नहीं	लागू नहीं	56	100%	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	831	लागू नहीं	लागू नहीं	831	100%	शून्य	शून्य	02	0.25%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	5737	1205	21%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	170	87	51%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	5990	1292	22%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण:

लाभ	वित्त वर्ष 2021-22 चालू वित्तीय वर्ष			वित्तीय वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई/एन/एनए)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के % के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हां	100%	100%	हां
उपहार	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
1) जीएसएलआई:– क) परिपक्वता ख. आकस्मिक दावा 2). जीएसएलआई के एवज में क) नए कर्मचारी के लिए जीआई योजना ख) नए कर्मचारी के लिए दुर्घटना बीमा	84.9% 15.08%	91.86% 8.13%	हां हां	86.22% 13.78%	92.17 % 7.83%	हां हां

3. कार्यस्थलों की पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर/कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, संगठन ने संगठन के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां, https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
लिंग	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर
पुरुष	100% (5 कर्मचारी)	100%	100% (2 कर्मचारी)	100%
महिला	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	100% (5 कर्मचारी)	100%	100% (2 कर्मचारी)	100%

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां / नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारी	**हां**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-
स्थायी कर्मचारी	**हां**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	-

7. शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र पर संक्षिप्त विवरण

शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया:

चरण I: कोई व्यथित कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित रूप में (प्रपत्र संख्या 1) अपने नियंत्रण अधिकारी (उप प्रबंधक के पद से नीचे नहीं) को उक्त शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की जाएगी। कर्मचारी को शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवश्यक पूछताछ करेगा और कर्मचारी को उत्तर (प्रपत्र संख्या II) देगा। नियमित प्रकृति की शिकायत को कर्मचारी को उत्तर देने में आम तौर पर 15 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

चरण II: यदि व्यथित कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–1 पर उत्तर प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई मूल शिकायत संख्या को इंगित करते हुए अपनी शिकायत अपने विभागाध्यक्ष/महाप्रबंधक को (प्रपत्र संख्या 1 में) प्रस्तुत कर सकता है। इस चरण में, प्रपत्र संख्या 1 इकाई/परियोजना के मामले में उनके महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय के मामले में विभागाध्यक्ष (कॉर्पोरेट मानव संसाधन विभाग द्वारा यथाअधिसूचित) को संबोधित किया जाएगा। शिकायत प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक/परियोजना प्रमुख/विभागाध्यक्ष मामले को आगे संसाधित करेंगे, संबंधित कर्मचारी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देंगे और उचित समय के भीतर मामले में उत्तर (प्रपत्र संख्या II) देंगे। आम तौर पर, चरण–II में कर्मचारी को शिकायत का उत्तर देने में 30 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए।

चरण III: यदि कर्मचारी अभी भी चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–II पर उत्तर प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होने का कारण का उल्लेख कर, मूल शिकायत संख्या इंगित करते हुए, अपनी शिकायत अध्यक्ष–जीआरसी (प्रपत्र संख्या 1) को प्रस्तुत कर सकता है।

8. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	813	256	31.48%	842	303	35.98%
– पुरुष	762	246	32.28%	793	303	38.20%
– महिला	51	10	19.61%	49	0	0%
कुल स्थायी कामगार	831	786	94.58%	894	786	87.91%
– पुरुष	775	736	94.96%	837	786	93.9%
– महिला	56	50	89.29%	57	0	0%

9. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख/ क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	762	166	21.78%	66	8.66%	793	152	19.17%	238	30.01%
महिला	51	51	100%	3	5.88%	49	39	79.59%	45	91.83%
कुल	**813**	**217**	**26.69%**	**69**	**8.48%**	**842**	**191**	**22.68%**	**283**	**33.61%**
कामगार										
पुरुष	775	147	18.96%	48	6.19%	837	188	22.46%	04	0.48%
महिला	56	06	10.71%	0	-	57	36	63.16%	0	शून्य
कुल	**831**	**153**	**18.41%**	**48**	**5.78%**	**894**	**224**	**25.06%**	**04**	**0.45%**

10. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
पुरुष	813	813	100%	793	793	100%
महिला	762	762	100%	49	49	100%
कुल	51	51	100%	842	842	100%
कामगार						
पुरुष	831	831	100%	837	837	100%
महिला	775	775	100%	57	57	100%
कुल	56	56	100%	894	894	100%

11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां /नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

हां, टीएचडीसीआईएल में एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। यह प्रणाली नामित अधिकारी (अधिकारियों) और योग्य सुरक्षा अधिकारियों, साइट इंजीनियरों और प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से कवरेज प्रदान कर रही है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

साइट इंजीनियरों/योग्य सुरक्षा अधिकारियों और उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर समय की आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा निरीक्षण/साइट दौरों के माध्यम से कार्य संबंधी खतरों और जोखिम आकलन की पहचान की जा रही है।

ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

– हां

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां / नहीं)।

– हां

12. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)
लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (कार्य के घंटों के लिए प्रति मिलियन-व्यक्ति)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	01	शून्य
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	शून्य	शून्य
गम्भीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कामगार	षून्य	षून्य

13. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

टीएचडीसीआईएल एक ओएचएसएएस–45001:2018 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित कंपनी है और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानदंडों का सख्ती से पालन करके अपने कर्मचारियों, संविदाकारों, उप–संविदाकारों और समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल में अपनाए गए निम्नलिखित उपायों को नीचे उजागर किया गया है:

- **स्थल निरीक्षण:-** संबंधित परियोजनाओं के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित स्थल निरीक्षण।
- **सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली:-** सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण नियमावली, सभी परियोजना में परिचालित की गई है। टीएचडीसीआईएल के सभी कर्मचारीगण टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट (www.thdc.co.in) पर इस मैनुअल को देख सकते हैं।
- **कानूनी आवश्यकताओं का कार्यान्वयन:-** परियोजना में सभी कानूनी आवश्यकताओं और अन्य अपेक्षाओं अर्थात् कारखाना अधिनियम–1948, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम–1996 और सीईए विनियमन–2011 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- **सुरक्षा समिति:-** कार्य स्थल पर उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में कामगारों और प्रबंधन के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उसके लिए किए गए उपायों की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए परियोजनाओं में सुरक्षा समितियों का गठन।
- **सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम:-** परियोजनाओं में समय–समय पर कामगारों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- **मॉक ड्रिल:-** आपात स्थिति को कम करने के लिए कार्रवाई और प्रतिक्रिया समय का विश्लेषण करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन।

14. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
काम करने की स्थिति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य और सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

15. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा संव्यवहार	हां। तीसरे पक्ष के माध्यम से बाह्य लेखा परीक्षा (मैसर्स राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, उत्तराखंड)
काम करने की स्थिति	संबंधित कार्यस्थलों पर कार्य करने की स्थिति की लगातार जांच करने के लिए बाह्य सुरक्षा संपरीक्षकों, सुरक्षा अधिकारियों और साइट इंजीनियरों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बाह्य सुरक्षा संपरीक्षा और आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा के माध्यम से कार्य करने की स्थिति की जाँच की।

16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/ चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- ओएचएस जागरूकता कार्यक्रम समय–समय पर कर्मचारियों और संयंत्रों और निर्माणाधीन परियोजनाओं के अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा, पीपीई, अंत:संयंत्र सुरक्षा जागरूकता आदि के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। टीएचडीसीआईएल सुरक्षा अधिकारी निर्माण स्थलों और विद्युत गृह संयंत्रों पर सभी कामगारों को समय–समय पर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/जागरूकता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा मॉक ड्रिल कार्यक्रम के माध्यम से नियमित रूप से सुरक्षा जागरूकता आयोजित की जाती रही है।
- प्रत्येक वर्ष सरकारी बाह्य एजेंसी द्वारा सुरक्षा संपरीक्षा की जा रही है।
- आंतरिक सुरक्षा संपरीक्षा, टीएचडीसीआईएल के योग्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

- किसी भी दुर्घटना/घटना के मामले में टीएचडीसीआईएल द्वारा सभी वैधानिक/कानूनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।
- टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दैनिक आधार पर सुरक्षा निरीक्षण, दौरे और टूल बॉक्स वार्ता की जा रही है।
- अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित उपबंधों के अनुपालन में कर्मचारियों और प्रबंधन के साथ ओएच एंड एस सुरक्षा समिति की मासिक और त्रैमासिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा परिपाटियों और कार्य करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले ओएच एंड एस से संबंधित महत्वपूर्ण जोखिमों और चिंताओं पर समय–समय पर चर्चा और सुधार किया जा रहा है।

सिद्धांत 4:

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक / अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	**नहीं**	❖ एमओयू पर हस्ताक्षर ❖ पत्र–व्यवहार ❖ वार्षिक रिपोर्ट ❖ बैठकें ❖ प्रस्तुतियां ❖ वेबसाइट विजिट	❖ वार्षिक रूप से ❖ पूरे वर्ष ❖ वार्षिक रूप से ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ आवश्यकता पड़ने पर	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य–निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं।
कर्मचारी	**नहीं**	❖ पत्रिकाओं का प्रकाशन ❖ शिकायत निवारण तंत्र ❖ परिपत्र और कार्यालय आदेश ❖ सांप्रदायिक कार्यक्रम ❖ फीडबैक ❖ सुझाव मेला	❖ त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ वार्षिक	कर्मचारी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय–समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	**नहीं**	❖ पीपीए पर हस्ताक्षर ❖ प्रतिक्रिया सर्वेक्षण ❖ बैठक ❖ पत्र–व्यवहार	❖ किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले ❖ वार्षिक ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ वार्षिक	टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रोनाइज करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है।
आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार	**नहीं**	❖ निविदाएं ❖ खुली बोली चर्चा ❖ नीति और प्रक्रियाएं ❖ बैठक ❖ संयुक्त चर्चा	❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ प्रत्येक एवार्ड पर ❖ पूरे वर्ष ❖ नियमित आधार पर ❖ नियमित आधार पर	टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं की चिंताओं को नियमित रूप से संबोधित किया जा रहा है।

परियोजना प्रभावित व्यक्ति/स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	**हां**	❖ सीएसआर कार्यक्रम ❖ बैठक ❖ शिकायत निवारण ❖ पत्रिका ❖ पैम्फलेट/वेबसाइट प्रकटीकरण ❖ जन सूचना केंद्र	❖ पूरे वर्ष ❖ आवश्यकता पड़ने पर ❖ पूरे वर्ष ❖ त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक ❖ पूरे वर्ष ❖ परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया	टीएचडीसीआईएल का एक मिशन "**मानवीय दृष्टिकोण के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना**" है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का लगभग 90% खर्च कर रहा है।
मीडिया	**नहीं**	❖ प्रेस वार्ता ❖ आयोजनों के लिए आमंत्रण	❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	**नहीं**	❖ प्रेस समाचार ❖ सूचना ❖ प्रचार ❖ सीएसआर कार्यक्रम ❖ वेबसाइट पर डिस्प्ले ❖ फेसबुक और ट्विटर पेज	❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष ❖ पूरे वर्ष	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांत: 5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. **निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों /कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों / कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	813	39	4.79%	842	25	2.97%
स्थायी के अलावा	14	-	-	6	-	-
कुल कर्मचारी	827	39	4.79%	848	25	2.95%
कामगार						
स्थायी	831	15	1.8%	894	-	-
स्थायी के अलावा	5990	33	0.55%	4030	-	-
कुल कर्मचारी	6821	48	0.70%	4924	-	-

2. **निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों एवं कामगारों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मजूदरी का विवरण**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ङ)	% (ङ/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										

स्थायी	813			813	100%	842	-	-	842	100%
पुरुष	762			762	100%	49	-	-	49	100%
महिला	51			51	100%	793	-	-	793	100%
स्थायी के अलावा	14			14	100%	6	-	-	6	100%
पुरुष	9			9	100%	4	-	-	4	100%
महिला	5			5	100%	2	-	-	2	100%
कामगार										
स्थायी	831			831	100%	894	-	-	894	100%
पुरुष	775			775	100%	837	-	-	837	100%
महिला	56			56	100%	57	-	-	57	100%
स्थायी के अलावा	5990	5990	100%			4030	4030	100%	-	-
पुरुष	5820	5820	100%			3819	3819	100%	-	-
महिला	170	170	100%			211	211	100%	-	-

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

(रुपए में)

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	5565366	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	02	-	01	2248409
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	877	2947809	43	2446911
कामगार	779	1842802	52	1666520

*2 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है

4. क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां /नहीं)

- नहीं

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कारपोरेशन में उपलब्ध शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यशील है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोश) के अनुच्छेद 12 का अनुपालन करता है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?

- हां

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि, नियमित आधार पर की जाने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा का एक सुदृढ़ तंत्र है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- आंतरिक निरीक्षण के दौरान सामने आए वेतन से संबंधित किसी भी मुद्दे को त्वरित समाधान के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

सिद्धांत 6:

व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (एमयू में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:

प्राचल	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियां
कुल बिजली खपत (क)	26.75 एमयू	26.56 एमयू	कॉर्पोरेट कार्यालय और 100 मेगावाट से ऊपर के संयंत्र/परियोजनाएं शामिल हैं।
कुल ईंधन खपत (ख)	68,649.47 लीटर	81,445 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग)	6.79 एमयू	7.97 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क + ग)	33.54 एमयू	34.54 एमयू	
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में)	0.142 यूनिट/रु.	0.162 यूनिट/रु.	कॉर्पोरेट कार्यालय

2. क्या संस्था में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।

नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1425320	1457550
(ii) भूजल	94850	94550
(iii) तृतीय पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य (डब्ल्यूटीपी एवं एसटीपी संयंत्र)	2880	2880
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	1523050	1558980
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	1520170	1556100
टर्नओवर के प्रति रुपये में पानी की प्रबलता (पानी की खपत / टर्नओवर)	-	-
पानी की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

4. **क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**
- नहीं

5. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :**

प्राचल	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों–जल, पवन और सौर–के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
सूक्ष्म कण (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		

6. **निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:**

प्राचल	यूनिट	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ$_2$, सीएच$_4$, एन$_2$ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ$_2$ के समतुल्य मीट्रिक टन	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर–के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ$_2$, सीएच$_4$, एन$_2$ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ$_6$, एनएफ$_3$ में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ$_2$ के समतुल्य मीट्रिक टन		
टर्नओवर के प्रति रुपये कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रवणता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			

7. **क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।**
– लागू नहीं

8. **निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:**

प्राचल	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.467	1.81
ई–कचरा (ख)	0.722	0.254
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.572	1.3915
निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (घ)	852000	679200
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	4.7	3.4
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	8.45 मीट्रिक टन	59.837
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय/संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज)।	0.73 मीट्रिक टन	8.894
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**852015.64**	**679275.5865**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	शून्य	1.46

(ii) पुनःप्रयुक्त	595241.73	88853.9
(ii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	21.767	6.42
कुल	**595263.497**	**88861.78**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	0.257	0.5
(ii) लैंडफिलिंग	256800.31	590401.6715
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0.825	0.944
कुल	**256801.39**	**590403.1155**

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई, अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विशाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और प्रक्रिया से अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

कॉर्पोरेट कार्यालय/टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियां निम्नानुसार हैं:

1. कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन

जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण/विभाजन स्थान मौजूद है।

2. बायो-गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना

टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में दिनांक 07.07.2019 को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड–एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए बनाए गए हैं।

4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अंतर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां / नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
1.	हेलंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगाड पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेबलिंक
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	ईआईए अधिसूचना 2006 और इसके विभिन्न संशोधन	नवंबर–2020	हां	ईआईए अध्ययन प्रगति पर है।	parivesh.nic.in
बोकांग बेलिंग (200 मेगावाट)		सितंबर–2020	हां		

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है, (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां। संस्था, भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

क्र.सं.	कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई
लागू नहीं			

सिद्धांत 7

व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच(राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

-लागू नहीं

सिद्धांत 8

व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना	उत्तर प्रदेश	बुलंदशहर	राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज आबादी के अनुसार नगला रुकनपुर गांव के 76 परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है।	लागू नहीं	नगला रुकनपुर के 76 परिवारों को यूपीपीडब्ल्यूडी /जिला प्रशासन द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार उनकी कुल संपत्ति के सापेक्ष 5.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
2	विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	559	94%	3.26 करोड़

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे https://www.thdc.co.in/content/feedback.form पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इसे https://www.thdc.co.in/content/communication.strategy पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

वीपीएचईपी: शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

- टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। प्रकोष्ठ का प्रमुख राजपत्रित अधिकारी होता है। प्रकोष्ठ के अन्य सदस्यों में पीएपी (प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित प्रत्येक गांव से एक) के प्रतिनिधि, सदस्य सचिव के रूप में टीएचडीसी के परियोजना स्तर के सामाजिक विभाग के प्रमुख, और गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित होने वाली बैठक में सभी दर्ज शिकायतों को निराकरण हेतु रखा जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2021-22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020-21 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	66.39%	61.38%
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	लागू नहीं	

सिद्धांत 9

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से पूरे वर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2021-22 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्तीय वर्ष 2020-21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य					
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापिसी मंगाने की घटनाओं का विवरण:

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वेच्छा से वापिस मंगाने की घटना	**लागू नहीं**	
विवशता से वापिस मंगाने की घटना		

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क/नीति है? (हां /नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

टीएचडीसीआईएल ने अपनी वेबसाइट के कर्मचारी खंड में आईटी और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश प्रदर्शित किए हैं। टीएचडीसीआईएल में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिम के संबंध में ढांचा/नीति नहीं है।

अपने कर्मचारियों और संविदाकारों के डाटा वाले सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन की सीईआरटी–इन पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा संपरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई संवेदनशीलताओं को बंद कर दिया जाता है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों या साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता या उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुन: होना या उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति/ की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- लागू नहीं

पी.एस.आर. मूर्ति
पेशेवर कंपनी सचिव
सीपी 13090

फार्म नं. एमआर-3
सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रामिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249001

मैंने मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") सीआईएन नं. यू45203यूआर1988जीओआई009822 के द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सकारात्मक निगमित प्रचालनों के अनुपालन हेतु सचिवालीय लेखा परीक्षा की है। कंपनी, भारत सरकार का एक उद्यम है और निजी प्लेसमेंट पर जारी की गई इसकी ऋण प्रतिभूतियों के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। अब तक कंपनी ने बांडों की V श्रृंखलाए जारी की हैं। टीएचडीसी की 74.496% इक्विटी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा और 25.504% इक्विटी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धारित है। इस प्रकार, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है। सचिवालीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो मुझे कॉर्पोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों के हमारे सत्यापन तथा सचिवालीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर मैं एतदद्वारा रिपोर्ट करता हूं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन साधन भी है।

मैंने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फार्मों तथा कंपनी द्वारा फाइल की गई रिटर्नों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी व्यावसायिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियमय **(समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर मात्र बकाया बाह्य उधारियां हैं)**

(iv) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम लेन–देन का कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग तथा यथाधिसूचित एमसीए के साथ रिटर्न फाइल करनाः

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश लागू हैंः

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);**

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);**

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्अधिप्राप्ण) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध इकाई पर लागू नहीं);**

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2021;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने केवल ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया);**

(V). प्रतिभूति और एक्सचेंज बैंक आफ इंडिया निर्गम और (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993

(VI). कंपनी तथा डिबेंचर न्यासी मैसर्स विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 23 अगस्त, 2021 को क्रमशः कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला V के लिए हस्ताक्षरित डिबेंचर न्यास विलेख

(VII). क्षेत्र विशिष्ट कानून–विद्युत अधिनियम, 2003 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम

मैंने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों की लागू धाराओं और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देश, 2010 के अनुपालन की भी जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान और आश्वासनों के आधार पर कंपनी ने आमतौर पर उपरोक्त विषयों का निम्नलिखित टिप्पणियों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया हैः

1. अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक नियुक्त करने की शक्तियाँ भारत सरकार के पास निहित हैं। भारत सरकार ने 10 नवंबर 2021 को महिला निदेशक सहित दो स्वतंत्र निदेशक और 28 मार्च 2022 को एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की।

2. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 18 (2) और 20 (3क) और 21 (3क) के तहत अपेक्षित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों, हितधारकों की बैठकों और जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के आयोजन से संबंधित अनुपालन लागू नहीं थे। कंपनी ने उल्लेख किया कि मार्च 2023 तक, उपरोक्त नियम, कंपनी पर अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर लागू होते हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि:

वित्त वर्ष के अंत में कंपनी का निदेशक मंडल उपरोक्त पैरा–1 के अध्यधीन कार्यकारी निदेशक, गैर कार्यकारी निदेशकों से मिलकर बना हुआ है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड बैठक के निर्धारण की पर्याप्त सूचना दी जाती है। तथापि, कुछ बैठकों में कार्यसूची तथा कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेज दिए गए थे। बैठकों से पहले कार्यसूची की मदों की जानकारी तथा स्पष्टीकरण के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि में बोर्ड की कार्यसूची में कोई विसम्मति नहीं है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी के द्वारा अनुसरण किए गए अनुपालन तंत्र के आधार पर तथा बोर्ड के समक्ष रखी गई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर मेरी राय है कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने 23 दिसम्बर, 2021 को आयोजित अपनी 221वीं बैठक में परियोजना वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से 2500 करोड़ रूपए के सावधि ऋण का अनुमोदन दिया था। इसके अलावा, कंपनी ने चल रही परियोजनाओं आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी प्लेसमेंट के आधार पर 3000 करोड़ रू. तक के प्रतिभूत/अप्रतिभूत असंपरिवर्तनीय, गैर संचयी बांडों के निर्गम को अनुमोदित करते हुए 15 सितम्बर, 20201 को आयोजित अपनी 33वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया था। इस संस्वीकृति के सापेक्ष, अभी तक कोई निर्गम नहीं किया गया है। तथापि, रिपोर्ट की तारीख तक निर्गत संचयी बांडों का मूल्य 4,850 करोड़ रूपये है।

उपरोक्त को छोड़कर, अन्य विशिष्ट घटनाएं/कार्रवाइयां नहीं थी जिनका कंपनी के कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़े।

ह0/-
(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर नं.1134/2021
यूडीआईएन: A005880D000499439

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 16 जून, 2022

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

पी.एस. आर. मूर्ति
पेशेवर कंपनी सचिव
सी.पी. 13090

अनुलग्नक क

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल, टिहरी-249001

मेरी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा दायित्व इन सचिवालीय रिकार्ड पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डो में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। मुझे विश्वास है कि मैने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे मेरी राय को उचित आधार प्रदान करती है।

3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है।

4. जहां आवश्यक हुआ, मैने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

ह./-
(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर नं.1134/2021
यूडीआईएन: A005880D000499439

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 16 जून, 2022

स्टेंडअलोन वित्तीय विवरण-2021-22

वित्तीय विवरण 2021-22

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की अभियुक्तियां एवं प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपित्त, संयंत्र और उपकरण	2		6,343.47		6,561.85
(ख) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकारी	2		411.72		410.50
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.25		0.36
(घ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	3		9,447.39		6,414.30
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश	4		14.80		7.40
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण	5	36.12		39.24	
(ii) अग्रिम	6	0.00	36.12	0.01	39.25
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		836.29		871.31
(ज) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8		43.21		32.49
(i) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		2,042.24		1,906.22
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	10		40.94		34.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	723.72		1,162.03	
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	12	87.77		225.08	
(iii) ऋण	13	9.59		9.43	
(iv) अग्रिम	14	8.89		10.33	
(v) अन्य	15	849.21	1,679.18	746.57	2,153.44
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		60.82		60.79
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		42.78		54.35
विनियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष	18		98.69		169.72
कुल			**21,097.90**		**18,716.92**
इक्विटी और देयता					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,640.27		6,251.55
कुल इक्विटी			**10,306.15**		**9,917.43**
गैर-चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	6,653.98		5,014.22	
(ii) पट्टा देयताएं	22	29.99		9.19	
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	162.4	6,846.37	28.11	5,051.52
ख अन्य गैर–चालू देयताएं	24		816.23		796.53
ग प्रावधान	25		176.46		190.37

चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	1,352.73		1,233.51	
(ii) पट्टा देयताएं	27	4.17		4.06	
(iii) व्यापार देय					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया रशि		0.60		0.42	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		27.34		24.65	
(iii) अन्य	28	616.44	2,001.28	463.62	1,726.26
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		87.59		142.95
(ग) प्रावधान	30		348.62		341.63
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		0.00		0.00
विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष	32		515.2		550.23
कुल			**21,097.90**		**18,716.92**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखितों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 तक लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0 / –	ह0 / –	ह0 / –
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या: 26692	डीआईएन: 08536589	डीआईएन: 08534217

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0 / –
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्या: 014335

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: लखनऊ

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		1,921.49		1,796.01
अन्य आय	34		305.85		705.92
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		16.24		18.8	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	16.24	0	18.8	0
कुल आय			**2227.34**		**2501.93**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		354.11		388.78
वित्त लागत	36		134.11		181.93
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		302.65		317.33
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		287.06		230.33
अशोध्य और संदिग्ध, ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और पुर्जों के लिए प्रावधान	38		0.00		0.25
कुल व्यय			**1,077.93**		**1,118.62**
विनियामक आस्थिगत खाता शेष, अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ			**1,149.41**		**1,383.31**
अपवादात्मक मद– (आय)/व्यय–निवल			0.00		35.65
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**1,149.41**		**1,347.66**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		189.34		229.60
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति)/देयता			35.57		68.48
विनियामक आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ			**924.5**		**1,049.58**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष (आय)/कर का निवल	40		(29.72)		42.83
I सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ			**894.78**		**1,092.41**
II अन्य व्यापक आय					
(i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		1.59		0.23

परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन		0.55			0.08
अन्य व्यापक आय		**2.14**			**0.31**
कुल व्यापक आय (I+II)		**896.92**			**1,092.72**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)		244.08			297.99
तनुकृत (₹)		244.08			297.99
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
मूल (₹)		252.19			286.31
तनुकृत (₹)		252.19			286.31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखितों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43, लेखाओं का अभिन्न अंग					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

(कोष्टकों में दिए गए आंकड़े कमी को दशार्ते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन		**1,149.41**		1,383.31
के लिए समायोजन:				
मूल्यह्रास	302.65		317.33	
मूल्यह्रास–सिंचाई घटक	16.24		18.80	
प्रावधान	–		0.25	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(225.46)		(660.94)	
वित्तीय लागत	134.11		181.93	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ/हानि)	0.33		0.23	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	1.59		0.23	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	–		–	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	29.72		(42.83)	
अपवादात्मक मद	0.00		(35.65)	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन पर कर	6.29	257.87	(9.07)	(237.32)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,407.28**		**1,145.99**
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
माल सूची	(6.00)		(2.77)	
व्यापार प्राप्तियों (बिल न किए गए राजस्व सहित)	335.67		713.26	
अन्य परिसंपत्तियां	13.52		4.01	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(8.08)		(9.78)	
माइनोरिटी ब्याज	–		–	
व्यापार देय और देयताएं	261.91		209.47	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(6.92)		61.68	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	(29.72)	560.38	42.83	1,018.70
प्रचालन गतिविधियों से कर-पूर्व नकदी प्रवाह		**1,967.66**		**2,164.69**
कारपोरेट कर		(189.34)		(229.60)
प्रचालन से निवल नकद (क)		**1,778.32**		1,935.09
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी	(3,134.42)		(1,760.45)	
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि	(0.33)		(0.23)	
पूंजी अग्रिम	(136.52)		(327.16)	
सहायक कंपनी में निवेश	(7.40)		(7.40)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(3,278.67)**		(2,095.24)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	–		–	
उधार–गैर चालू	1,639.76		1,067.52	
उधार–चालू	(806.88)		243.36	
पट्टा देयता	20.91		(2.63)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(134.11)		(181.93)	
अनुदान	–		–	
विलंबित भुगतान अधिभार	225.46		660.94	
लाभांश और लाभांश पर कर	(508.2)		(707.75)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**436.94**		**1,079.51**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(1,063.41)**		**919.36**
ड. आरंभिक नकद और नकद समतुल्य		**225.08**		**(694.28)**
च. अंतिम नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**(838.33)**		**225.08**

टिप्पणी:

1. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूह बद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनःदर्शित किया गया है।
2. नकदी और नकदी समतुल्य का नोट सं. 43.27 (क) में समाधान किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक
		राशि
रिपोटिंग अवधि के शुरूआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोटिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछली रिपोटिंग (राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 तक
		राशि
रिपोटिंग अवधि के शुरूआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोटिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी-

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्तमान रिपोटिंग अवधि(राशि ₹ करोड़ में)

			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित और अन्य	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथशेष (I)		**0.00**	**6,189.69**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.55**	**0.00**	**6,251.55**
अवधि के लिए लाभ			894.78			894.78	**0.00**	894.78
अन्य व्यापक आय					2.14	2.14		2.14
कुल व्यापक आय			**894.78**		2.14	896.92	0.00	896.92
गैर नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			508.2			508.2		508.2
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00

(राशि ₹ करोड़ में)

			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित और अन्य	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			**386.58**			388.72		388.72
डिबेंचर मोचन आरक्षित में/ से अंतरण/समायोजन (iii)			(48.50)			(48.50)		(48.50)
अवधि (IV) के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि/(उपयोग/ समायोजित)				48.50		48.50		48.50
अंत शेष (i+ii+iii+iv)		**0.00**	**6,527.77**	**128.00**	**(15.50)**	**6,640.27**	**0.00**	**6,640.27**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्या: 014335

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: लखनऊ

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

			आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित और अन्य	बीमांकिक लाभ/ (हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक शेष राशि (i)		**0.00**	**5,845.53**	**39**	**(17.95)**	**5,866.58**	**0.00**	**5,866.58**
वर्ष के लिए लाभ			1,092.41			1,092.41	0.00	1,092.41
अन्य व्यापक आय					0.31	0.31		0.31
कुल व्यापक आय			**1,092.41**		**0.31**	**1,092.72**	**0.00**	**1,092.72**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी							0.00	0.00
लाभांश			707.75			707.75		707.75
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (ii)			**384.66**			**384.97**		**384.97**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरण(iii)			(40.50)			(40.50)		(40.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि (उपयोग) (iv)				40.50		40.50		40.50
अंत शेष (I+II+III+IV)			**6,189.69**	**79.5**	**(17.64)**	**6,251.55**	**0.00**	**6,251.55**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

टिप्पणी संख्या-1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनःयू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामशी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 13.05.2022 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में निहित सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडइ) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को 'खनन संपत्ति' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान' शीर्ष के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

4.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरुद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरुद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरुद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक मान्यता और माप:** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या

हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **अनुवर्ती माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **अमान्य करना (डी रिकागनिषन)**-किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल-सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देनदारियां

11.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 अनुवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करनाः किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

12.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

14.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

14.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/–रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

15.5 आरएंडडी पर व्यय कंपनी की अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुमोदन के अनुसार किया जाता है।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

16.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

16.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

16.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि,

विशेष रूप से अर्ह परिसंपप्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है।

18.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

18.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्श में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

18.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जो को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्याः–

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जबः–

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य

रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई सी जी यू के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 **वर्तमान आयकर -** आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 **आस्थगित कर**

21.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

21.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

22.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय

अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

24.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

25. प्रति शेयर आय

25.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

26. लाभांश

26.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

27.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

28. विविध

28.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी: 2

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वर्ष के दारैान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनसुार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	39.83	3.96	–	43.79	–	–	–	–	43.79	39.83
2. जलमग्न भूमि	1,698.23	25.13	(0.01)	1,723.35	708.48	39.39	–	747.87	975.48	989.75
3. भवन	1,069.34	43.38	(1.14)	1,111.58	321.5	37.25	–	358.75	752.83	747.84
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.64	1.99	(0.08)	26.55	24.5	2.05	–	26.55	–	0.14
5. सड़क पुल और पुलिया	186.68	4.01	–	190.69	51.71	7.46	–	59.17	131.52	134.97
6. जलनिकासी मलनिकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	22.67	4.22	–	26.89	10.24	1.06	–	11.3	15.59	12.43
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	–	–	24.47	16.1	1.33	–	17.43	7.04	8.37
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,418.64	14.47	–	3,433.11	1,607.83	92.3	–	1,700.13	1,732.98	1,810.81
9. ईडीपी मशीनें	19.2	4.43	(0.69)	22.94	13.46	2.67	(0.59)	15.54	7.4	5.74
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.55	1.21	(1.2)	46.56	11.55	1.26	–	12.81	33.75	35
11. पारेषण लाइनें	32.21	–	(0.01)	32.2	17.44	1.37	–	18.81	13.39	14.77
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	69.86	4.84	(0.09)	74.61	52.3	3.94	(0.04)	56.2	18.41	17.56
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	34.05	4.61	(0.26)	38.4	19.37	2.38	(0.19)	21.56	16.84	14.68
14. वाहन	23.32	1.54	(1.12)	23.74	12.49	1.67	(0.67)	13.49	10.25	10.83
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.59	0.08	–	0.67	0.55	0.63
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	–	–	5,190.62	3,168.59	105.29	–	3,273.88	1,916.74	2,022.03
17. हाइड्रोलिक–कार्य, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	0.12	(0.11)	1,606.21	909.73	29.57	–	939.3	666.91	696.47
उप योग	**13,507.73**	**113.91**	**(4.71)**	**13,616.93**	**6,945.88**	**329.07**	**(1.49)**	**7,273.46**	**6,343.47**	**6,561.85**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,199.32**	**308.93**	**(0.52)**	**13,507.73**	**6,607.33**	**338.92**	**(0.37)**	**6,945.88**	**6,561.85**	**6,591.99**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल-2021 के अनुसार	वर्ष के दारैान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31-मार्च-2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनसुार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
ख. अर्मूत परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति– सॉफ्टवेयर	5.10	0.08	–	5.18	4.74	0.19	–	4.93	0.25	0.36
उप योग	**5.10**	**0.08**	–	**5.18**	**4.74**	**0.19**	–	**4.93**	**0.25**	**0.36**
पिछली अवधि के आंकड़ें	**4.71**	**0.39**	–	**5.1**	**4.51**	**0.23**	–	**4.74**	**0.36**	**0.20**
ग.										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	433.05	0.02	(49.04)	384.03	28.22	12.25	–	40.47	343.56	404.83
2. उपयोग का अधिकार–कोयला आधारित भूमि	–	60.60	–	60.6	–	1.04	–	1.04	59.56	–
3. उपयोग का अधिकार–भवन	3.99	8.43	(3.35)	9.07	2.4	1.59	(2.94)	1.05	8.02	1.59
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	8.77	0.10	(0.15)	8.72	4.69	3.61	(0.16)	8.14	0.58	4.08
उप योग	**445.81**	**69.15**	**(52.54)**	**462.42**	**35.31**	**18.49**	**(3.1)**	**50.70**	**411.72**	**410.5**
पिछली अवधि के आंकड़े	**395.21**	**50.76**	**(0.16)**	**445.81**	**14.50**	**20.93**	**(0.12)**	**35.31**	**410.50**	**380.71**
मूल्य ह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					28.86		23.95			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					302.65		317.33			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास–उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					16.24	347.75	18.80	360.08		
वर्ष के दौरान रुपए 1500.00 से अधिक परंतु रुपए 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उन काम मूल्य ह्रास किया गया					0.14		**0.16**			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि को ₹1/– की सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 32.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 2

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 के अनुसार	1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	1.58	–	39.83	–	–	–	–	39.83	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,687.50	10.73	–	1,698.23	669.62	38.86	–	708.48	989.75	1,017.88
3. भवन	1,049.38	19.96	–	1,069.34	287.09	34.41	–	321.5	747.84	762.29
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.39	0.25	–	24.64	24.39	0.11	–	24.5	0.14	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	173.65	13.05	(0.02)	186.68	44.39	7.32	–	51.71	134.97	129.26
6. जलनिकासी मलनिकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	22.35	0.32	–	22.67	9.14	1.1	–	10.24	12.43	13.21
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.46	0.01	–	24.47	14.7	1.4	–	16.1	8.37	9.76
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,177.93	240.73	(0.02)	3,418.64	1,501.82	106.01	–	1,607.83	1,810.81	1,676.11
9. ईडीपी मशीनें	18.17	1.41	(0.38)	19.2	11.31	2.47	(0.32)	13.46	5.74	6.86
10. विद्युत प्रतिष्ठान	45.77	0.78	–	46.55	10.42	1.13	–	11.55	35	35.35
11. पारेषण लाइनें	26.66	5.55	–	32.21	16.12	1.32	–	17.44	14.77	10.54
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	61.17	8.75	(0.06)	69.86	46.98	5.37	(0.05)	52.3	17.56	14.19
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	29.07	5.02	(0.04)	34.05	16.61	2.76	–	19.37	14.68	12.46
14. वाहन	22.53	0.79	–	23.32	10.77	1.72	–	12.49	10.83	11.76
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.52	0.07	–	0.59	0.63	0.7
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	–	–	5,190.62	3,063.29	105.3	–	3,168.59	2,022.03	2,127.33
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	–	–	1,606.20	880.16	29.57	–	909.73	696.47	726.04
उप योग	**13,199.32**	**308.93**	**(0.52)**	**13,507.73**	**6,607.33**	**338.92**	**(0.37)**	**6,945.88**	**6,561.85**	**6,591.99**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफटवेयर	4.71	0.39	–	5.1	4.51	0.23	–	4.74	0.36	0.20
उप योग	**4.71**	**0.39**	**–**	**5.1**	**4.51**	**0.23**	**–**	**4.74**	**0.36**	**0.20**

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	384.01	49.04	–	433.05	12.45	15.77	–	28.22	404.83	371.56
1. उपयोग का अधिकार– कोयला आधारित भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. उपयोग का अधिकार– भवन	3.85	0.21	(0.07)	3.99	1.21	1.22	(0.03)	2.4	1.59	2.64
3. उपयोग का अधिकार – वाहन	7.35	1.51	(0.09)	8.77	0.84	3.94	(0.09)	4.69	4.08	6.51
उप योग	**395.21**	**50.76**	**(0.16)**	**445.81**	**14.50**	**20.93**	**(0.12)**	**35.31**	**410.50**	**380.71**
मूल्यह्रास का विवरण					**पिछला वर्ष**		–			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					23.95		18.89			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					317.33		576.1			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					18.8	360.08	63.74	658.73		
वर्ष के दौरान रुपए 1500.00 से अधिक परंतु रुपए 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उन काम मूल्य ह्रास किया गया					0.16		0.21			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4x100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए				
	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान अतिरिक्त	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2022 के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		135.63	34.31	(2.50)	(44.14)	123.3
सड़कें, पुल और पुलिया		34.96	194.25	(2.90)	(3.98)	222.33
जल आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी		6.11	20.97	(0.17)	(3.90)	23.01
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		2,429.18	2,036.88	(10.29)	(14.25)	4,441.52
हाइडोलिक वर्क्स, डैम, स्पिलवे, वाटर चैनल्स, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक वर्क्स		3,318.69	520.27	(0.83)	(0.12)	3,838.01
वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र		88	18.77	–	–	106.77
विद्युत प्रतिष्ठान और उपस्टेशन उपकरण		0.92	77.12	4.66	(0.59)	82.11
परियोजना निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य व्यय		149.17	85.01	(0.35)	0	233.83
कोयला खदान विकास		39.36	179.15	0	0	218.51
अन्य		2.95	4.57	–	(5.85)	1.67
लंबित आवंटन व्यय						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		98.22	0.08	(21.08)	–	77.22
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	70.66	294.83			365.49
घटाएं: निर्माण के दौरान आबंटित/पी एंड एल में प्रभारित व्यय	32.1		362.79			362.79
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		75.28	32.59	(6.29)	(25.17)	76.41
घटाएं: सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		34.83	0.00	(34.83)	0.00	0.00
कुल		**6,414.30**	**3,136.01**	**(4.92)**	**(98.00)**	**9,447.39**
पिछली अवधि के आंकड़े		**4,989.80**	**1,714.59**	**(5.31)**	**(284.78)**	**6,414.30**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि के मूल्य को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, कोई हानि नहीं हुई है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.9 (i) के तहत किया गया है।

3.3 अतिदेय परियोजनाओं के पूरा होने का समय या लागत में वृद्धि टिप्पणी संख्या 43.9 (ii) के तहत प्रकट किया गया है।

3.4 सीडब्ल्यूआईपी के बट्टे खाते में डाले जाने के प्रावधान का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 के तहत किया गया है।

टिप्पणी: 4

गैर चालू-परिसंपत्तियां-सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी, टस्को में निवेश			14.80		7.40
कुल			**14.80**		**7.40**

टिप्पणी: 5

गैर चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		14.82		17.79	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		8.82		6.99	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		21.01		23.04	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		1.63		2.06	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**46.28**		**49.88**	
घटाएं : प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		8.17		8.90	
घटाएं अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		2.03	36.08	1.80	39.18
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0.03		0.05	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.05**		**0.07**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.04	0.01	0.06
कुल-योग-ऋण			**36.12**		39.24
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल योग-ऋण			**36.12**		**39.24**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.03		0.05	
ब्याज		0.02		0.02	
कुल योग		**0.05**		**0.07**	
घटाः उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.04	0.01	0.06
टिप्पणी: अधिकारियों दवारा देय					
मूलधन		0.16		0.01	
ब्याज		0.02		0.01	
कुल योग		**0.18**		**0.02**	
घंटाएंः उचित मूल्यांकन समायोजन		0.03	0.15	0.00	0.02

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

5.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 6
गैर चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां- अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय					
कर्मचारियों को		0.00		0.01	
अन्य को		0.00	0.00	0.00	0.01
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग			**0.00**		**0.01**

6.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 7
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			836.29		871.31
कुल			**836.29**		**871.31**

टिप्पणी: 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
जमा कर			43.21		32.49
कुल			**43.21**		**32.49**

टिप्पणी: 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			10.20		10.70
उप योग			**10.20**		**10.70**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (10,18,93 लाख रुपए की बैंक गारंटी के लिए)		823.75		858.38	
ii) विभिन्न सरकारी एजेंसियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन और भुगतान		455.58		423.88	
iii) अन्य		654.06		579.26	
iv)अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		221.52	2154.91	157.39	2018.91
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			122.87		123.39
उप-योग-पूंजी अग्रिम			**2,032.04**		**1,895.52**
कुल			**2,042.24**		**1,906.22**

टिप्पणी: 10

इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निधारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		1.62		1.68	
यांत्रिक एवं विद्युत स्टोर एवं पुर्जे		33.63		28.92	
(स्टोर और पुर्जे सहित)		3.77		4.44	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		1.92	40.94	0.17	35.21
घटाएं: अन्य स्टोरों के लिए प्रावधान			0.00		0.27
कुल			**40.94**		**34.94**

टिप्पणी: 11
व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
(i) **छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)**					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		229.46		448.92	
ऋण हानि		0.00	229.46	67.39	516.31
घटाएं: – अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		67.39
(ii) **अन्य ऋण (निवल)**					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		321.69		606.56	
ऋण हानि		0.00	321.69	0.00	606.56
(iii) **बिल न चुकाने वाले देनदार**			172.57		106.55
कुल			**723.72**		**1,162.03**
11.1 व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण टिप्पणी 43.10 के तहत प्रदर्शित किया गया है					

टिप्पणी: 12
नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य					
बैंक में शेष ऑटो स्वीप बैंक के साथ लचीला जमा सहित			87.76		225.07
चेक, डाफ्ट			0.01		0.01
कुल			**87.77**		**225.08**

टिप्पणी: 13
चालू-वित्तीय परिसम्पत्तियां-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		6.18		6.54	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		3.16		2.53	
कर्मचारियों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		1.99		1.87	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0.07		0.08	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**11.40**		**11.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.28		1.21	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.47	9.65	0.32	9.49
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप-कुल			**9.67**		**9.51**
घटाएं: अशोध्य और संदग्धि अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**9.59**		**9.43**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.04		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.00**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.00

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 14

चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां - अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.44		6.42	
अन्य को		2.45	8.89	3.91	10.33
कुल			**8.89**		**10.33**

14.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 15

चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां - अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
जमा					
प्रतिभूति राशि		15.19		14.65	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		480.16		480.88	
अन्य जमा		0.07	495.42	0.02	495.55
अन्य					
बिल न किया गया राजस्व			353.79		251.02
कुल			**849.21**		**746.57**

15.1 बिल न किए गए राजस्व में 353.79 करोड़ (वसूलनीय 370.27 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए) [पिछली अवधि 251.02 करोड़ रुपए (वसूलनीय 267.50 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए)] लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों का शेष शामिल है।

टिप्पणी: 16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
जमा कर			60.82		60.79
कुल			**60.82**		**60.79**

टिप्पणी: 17
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय			31.12		42.44
उपार्जित ब्याज			0.03		0.04
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.33		0.23
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.75		1.53
उप योग			**33.23**		**44.24**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.52		0.49
खरीद के लिए			3.74		5.66
अन्य को			19.70		18.37
			23.96		**24.52**
घटाएंः विविध वसूलियों के लिए प्रावधान			14.41		14.41
उपयोग-अन्य अग्रिम			9.55		10.11
कुल			**42.78**		**54.35**

टिप्पणी: 18
विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
अथ शेष			169.72		186.22
वर्ष के दौरान निवल संचलन			(71.03)		(16.50)
अंत शेष			**98.69**		**169.72**
18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट षेश 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 42.26 करोड़ रूपये विनिमय दर परिवर्तन के कारण 54.91 करोड़ और कर तथा अन्य 1.52 करोड़ रूपये है।					

टिप्पणी: 19

शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी					
1000/– रुपए प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 52.06 रुपये (पिछले वर्ष 109.85 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश के रूप में 190.84 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वर्ष के दौरान ₹ 317.36 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹197.94 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 140.56 रुपये (पिछले वर्ष 135.27 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 515.30 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी: 19.1
कंपनी में 5% शेयरों से अधिक शेयर धारकों के विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,.9,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी: 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
आरंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
जारी किए गए		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2 क. कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी: 19.3
प्रमोटरों की शेयरधारिता

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (आरंभ में)	%	शेयरों की संख्या (अंत में)	%	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**	

टिप्पणी: 20
अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,527.77		6,189.69
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			128.00		79.50
अन्य व्यापक आय			(15.50)		(17.64)
कुल			**6,640.27**		**6,251.55**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 18.08.2019 के एमसीए अधिसूचना सं.जी.एस.आर 574(ई) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन की वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी: 21
गैर चालू-वित्तीय देयताएं-उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार	
क. बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला-V-प्रतिभूत					
7.39 प्रतिशत की दर से प्रत्येक रुपए 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		0.00
^ बांड निर्गम श्रृंखला-IV प्रतिभूत					
7.45% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रुपए 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बांड निर्गम श्रृंखला-III -प्रतिभूत**					
7.19% प्रतिशत की दर से प्रत्येक रुपए 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
****बांड निर्गम श्रृंखला-II-प्रतिभूत**					
8.75% की दर से प्रत्येक रुपए 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.44		1,574.08
***बांड निर्गम श्रृंखला–I प्रतिभूत**					
7.59 प्रतिशत की दर से प्रत्येक रुपए 1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.33		622.46
कुल (क)			**5,050.40**		**3,796.96**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणीसंख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण					
******पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएफसी- 78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)** (15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज लागू है)			138.17		230.27
# पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)- 78302002 (केएचईपी के लिए) (15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			0.00		89.53
# रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए) (यूए-जीई-पीएसयू- 033-2010-3754) (30 सितंबर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			17.52		87.62
******रूरल इलेक्टिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी) - 330001- (टिहरी एचपीपी के लिए)** (सितंबर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			0.00		95.21
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए) पीएनबी तीन माह की एमसीएलआर पर वर्तमान में 6.75 प्रतिशत की ब्याज दर के साथ 30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्ष के भीतर तिमाही किश्तों पर चुकाने योग्य			281.38		422.66
@@ बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 6.9 प्रतिशत की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75 प्रतिशत की चुकौती)			800.15		0.00
कुल (ख)			**1,237.22**		**925.29**
ग. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
$विश्व बैंक ऋण-8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए) 15 नंबवर 2017 से 15 मई 2040 तक 23 वर्ष के भीतर छमाही किश्त में प्रतिदेय, ब्याज दर @LIBOR + परिवर्तनीय स्प्रेड अर्थात वर्तमान में 0.96%)			1,001.65		985.06
कुल (ग)			**1,001.65**		**985.06**
कुल (क+ख+ग)			**7,289.27**		**5,707.31**
कम:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण – प्रतिभूत			372.8		483.28
विदेशी मुद्रा ऋण–अप्रतिभूत			53.83		50.23
उधारियों पर उपार्जित किंतु अदेय ब्याज			208.66		159.58
कुल			**6,653.98**		**5,014.22**

* बांड श्रृंखला I, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्ति पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

** बांड श्रृंखला II, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

** बांड सीरीज III कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बॉन्ड सीरीज IV और V, टिहरी में स्थित पंप स्टोरेज प्लांट की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

दीर्घकालिक ऋण कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

@ मध्यावधि ऋण टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए प्रतिभूत है।

@@ सावधि ऋण, कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पर शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित है।

21.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

21.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 22
गैर चालू-वित्तीय देनदारियां-पट्टा

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			34.16		13.25
घटाएं: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता –अप्रतिभूत			4.17		4.06
कुल			**29.99**		**9.19**

टिप्पणी: 23
गैर चालू वित्तीय दायित्व

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि।		206.52		31.26	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूत जमा/ प्रतिधारण राशि		44.12	162.40	3.15	28.11
कुल			**162.40**		**28.11**

टिप्पणी: 24

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			189.92		197.51
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			582.19		595.87
एमएनआरई से अनुदान					
प्रारंभिक जमा			0.00		0.00
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ–प्रतिभूत जमा/ प्रतिधारण राशि			44.12		3.15
कुल			**816.23**		**796.53**

टिप्पणी: 25

गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार				31 मार्च, 2022 के अनुसार
		01 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार	योग	समायोजन	उपयोग	
I. **कर्मचारियों से संबंधित**		183.71	3.46	(6.51)	(6.75)	173.91
II. **अन्य**		6.66	0.13	(4.24)	0.00	2.55
कुल योग		**190.37**	**3.59**	**(10.75)**	**(6.75)**	**176.46**
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		**190.85**	**5.47**	**(1.05)**	**(4.90)**	**190.37**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.24 में किया गया हैं।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी: 26
चालू-वित्तीय देयताएं - उधार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
*भारतीय स्टेट बैंक (90 दिनों के टी बिल दर से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर, वर्तमान में @4.5%)			0.00		250.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/नकद ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक (ओवरड्राफ्ट के लिए 3 माह के एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर–वर्तमान में 6.75 प्रतिशत और डब्ल्यूसीडीएल के लिए टीबीएलआर से संबद्ध 4.35% की ब्याज दर)			650.33		0.00
***एचडीएफसी बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर @ 3 माह की रेपो दर + वर्तमान में सीसी सीमा के लिए 6% और डब्ल्यूसीडीएल के लिए 4.35 परिवर्तनीय स्प्रेड)			195.92		0.00
****बैंक ऑफ बड़ौदा (ओवरनाइट एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 6.5%)			0.10		0.00
*भारतीय स्टेट बैंक फ्लोटिंग ब्याज दर @ 3 माह का एमसीएलआर + वर्तमान में सीसी सीमा के लिए 6.80 और डब्ल्यूसीडीएल के लिए 4.35% परिवर्तनीय स्प्रेड)			79.75		0.00
कुल (क)			**926.10**		**250.00**
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
एक्सिस बैंक लिमिटेड (रेपो रेट + 1% के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर: वर्तमान में 5%)			0.00		100.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड रेपो रेट + प्रसार के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर, वर्तमान में 4.45%)			0.00		350.00
कुल ख			**0.00**		**450.00**
ग. दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत^			372.80		483.28
अप्रतिभूत^			53.83		50.23
कुल (ग)			**426.63**		**533.51**
कुल (क+ख+ग)			**1,352.73**		**1,233.51**

*कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**परियोजना स्थल पर चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और सामग्री सहित टिहरी चरण–1 की परिसंपत्ति और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर दूसरे प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

***कंपनी के संयंत्र–पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर प्रभार के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की प्रतिभूति @@ के तहत टिप्पणी संख्या 21 में बताई गई है

^ ब्याज दर के संबंध में विवरण और प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता की चुकौती की शर्तों का उल्लेख टिप्पणी–21 में किया गया है।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

26.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारों का अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.14 के तहत किया गया है।

टिप्पणी: 27

चालू-वित्तीय देयताएं - पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
वित्त पटटा देयताओं की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			4.17		4.06
कुल			**4.17**		**4.06**

टिप्पणी: 28

चालू-वित्तीय देयताएं-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		2.03		0.02	
अन्य के लिए		131.5	133.53	142.71	142.73
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		273.59		160.27	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि		0.00	273.59	0.00	160.27
आस्थगत उचित मूल्यांकन लाभ–प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांड धारक और वित्तीय संस्थान		209.32		160.62	
अन्य देयताएं		0.00	209.32	0.00	160.62
कुल			**616.44**		**463.62**

टिप्पणी: 29

अन्य चालू देनदारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			63.75		116.55
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		858.99		845.31	
घटाएं					
मूल्यह्रास की ओर समायोजन		842.75	16.24	826.51	18.80
कुल			**87.59**		**142.95**

टिप्पणी: 30
चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2022 के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
I. कार्य		19.51	25.68	(3.36)	(17.3)	24.53
II. कर्मचारियों से संबंधित		302.15	156.55	(6.61)	(140.33)	311.76
III. अन्य		19.97	2.52	(7.77)	(2.39)	12.33
कुल		**341.63**	**184.75**	**(17.74)**	**(160.02)**	**348.62**
पिछली अवधि के लिए आंकड़ें		**279.47**	**159.56**	**(7.12)**	**(90.28)**	**341.63**

30.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.24 में किया गया है।
30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी: 31
चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
आयकर					
अथशेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान वृद्धि			207.42		243.05
अवधि के दौरान समायोजन			(7.16)		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(200.26)		(243.05)
अंत शेष			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 32
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
अथशेष			550.22		618.63
अवधि के दौरान निवल संचलन			(35.02)		(68.4)
अंतशेष			**515.20**		**550.23**

32.क. विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है।

टिप्पणी: 32.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		168.66		140.77	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		11.80		9.66	
पेंशन निधि		13.11		8.42	
उपदान		6.46		4.15	
कल्याण		5.35		3.39	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.03	205.41	0.67	167.06
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		0.26		0.13	
कर्मचारी आवास के लिए किराया		0.83	1.09	0.89	1.02
दर और कर			0.01		0.00
विद्युत और ईंधन			10.15		7.77
बीमा			0.15		0.11
संचार			1.57		0.71
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.00		0.04	
स्टोर और स्पेयर पार्टस की खपत		0.00		0	
भवन		0.75		1.06	
अन्य		3.58	4.33	2.58	3.68
यात्रा और वाहन			1.34		0.56
वाहन किराया एवं संचालन			6.37		4.73
सुरक्षा			9.20		11.5
प्रचार और जनसंपर्क			0.49		0.70
अन्य सामान्य व्यय			17.45		8.82
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि			0.01		0.01
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			12.84		7.70
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.11		14.68
ब्याज अन्य			3.08		3.12
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.29		0.00	
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान		0.00	0.29	0.00	0.00
मूल्यह्रास	2		28.86		23.95
कुल व्यय (क)			**302.75**		**256.12**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
बैंक जमा से		0.00		0.04	
कर्मचारियों से		0.74		0.62	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम–प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.03		0.67	
अन्य से		0.20	0.97	0.15	1.48
मशीन किराया भार			0.06		0.06
किराया प्राप्तियां			0.95		0.97
विविधि प्राप्तियां			3.83		3.48
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.35		0.00
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			1.55		2.84
कुल प्राप्तियां ख			**7.71**		**8.83**
कराधान से पहले निवल व्यय			**295.04**		**247.29**
कराधान के लिए प्रावधान	39				
कराधान सहित निवल व्यय			**295.04**		**247.29**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	41		**0.21**		0.05
पिछले वर्ष से अग्रेणित शेष			**70.66**		41.99
कुल ईडीसी			**365.49**		**289.23**
घटाएं :-					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		362.79		218.57	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी, जो लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।		0.00	362.79	0.00	218.57
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेषित शेष			**2.70**		**70.66**

टिप्पणी: 33
सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
विद्युत बिक्री के बदले लाभार्थियों से आय		1,880.62		1,770.33	
जोड़ें					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.60	
घटाएं:–					
ग्राहकों को छूट		6.31	1,881.91	3.61	1,774.32
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			25.35		21.35
परामर्श आय			14.23		0.34
कुल			**1,921.49**		**1,796.01**

33.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

33.2 टिहरी चरण–1 परियोजना के 12 वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के पूरा होने के कारण, एडीडी ने पूर्व की आस्थिगत आय को अनुमति दी है और माना गया है और परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात् 28 वर्ष के यथानुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 माननीय सीईआरसी दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) में लाभार्थियों से 12 मासिक किश्त में कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रभाव की वसूली, जीएसटी का प्रभाव, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के प्रभाव की वसूली के सापेक्ष ₹ 90.19 करोड़ की वसूली के लिए दिनांक 23.10.2021 को आदेश जारी किया है। उक्त राशि के सापेक्ष ₹83.72 करोड़ का विनियामक आस्थगित खाता सृजित किया गया था जिसे अब समायोजित कर लिया गया है।

टिप्पणी: 34
अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (इसमें 255756.00 रुपए टीडीएस शामिल है, पिछली अवधि 101865.00 रुपए)		0.34		0.24	
कर्मचारियों से		1.94		2.05	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम–प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		2.06		4.93	
अन्य		0.23	4.57	0.38	7.6
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.06
किराया प्राप्तियां			1.97		1.73
विविध प्राप्तियां			6.18		7.18
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			73.88		34.38
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			0.03		0.01
विलंबित भुगतान अधिभार			225.46		660.94
उचित मूल्य लाभ – प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			1.74		3.05
कुल			**313.89**		**714.95**
घटाएं:–					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.33		0.2
ईडीसी में अंतरित	32.1		7.71		8.83
कुल			**305.85**		**705.92**

टिप्पणी: 35
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			432.41		468.26
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशधान			29.24		29.10
पेंशन निधि			38.68		23.18
उपदान			16.65		17.86
कल्याण व्यय			40.48		12.51
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			2.06		4.93
कुल			**559.52**		**555.84**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		205.41		167.06
कुल			**354.11**		**388.78**

टिप्पणी: 36
वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			343.75		226.7
घरेलू ऋणों पर ब्याज			100.25		146.24
विदेशी ऋणों पर ब्याज			9.25		13.57
नकद ऋण पर ब्याज			13.5		36.02
एफईआरवी			18.47		(24.92)
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.00		2.67
ब्याज अन्य			4.62		4.58
कुल			**489.84**		**404.86**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पंजीकृत			352.65		219.81
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			3.08		3.12
कुल			**134.11**		**181.93**

टिप्पणी: 37
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		0.35		0.28	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		1.59	1.94	2.16	2.44
दर और कर			2.35		3.00
ऊर्जा और ईंधन			21.39		16.94
बीमा			31.07		29.11
संचार			6.05		3.83
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		55.16		43.98	
स्टोर और स्पेयर पार्टस की खपत		5.95		4.07	
भवन		22.57		18.41	
अन्य		25.16	108.84	20.74	87.20
यात्रा और वाहन			3.50		1.89
वाहन किराया एवं संचालन			10.84		7.91
सुरक्षा			62.61		54.82
प्रचार और जनसंपर्क			1.52		1.66
अन्य सामान्य व्यय			49.84		33.15
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.30		0.26
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान			0.36		0.26
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			12.84		7.70
अनुसंधान और विकास			3.46		4.52
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			8.06		14.62
सीएसआर और सततता गतिविधियों पर व्यय			27.20		23.01
कुल			**352.17**		**292.32**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		65.11		61.99
कुल			**287.06**		**230.33**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.20 (i) के तहत किया गया है।

टिप्पणी: 38
प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
अशोध्य ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान			0.29		0.00
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान			0.00		0.25
कुल			**0.29**		**0.25**
घटाएंः–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.29		0.00
कुल			**0.00**		**0.25**
38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण होता है।					

टिप्पणी: 39
कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			189.34		229.6
उप योग			**189.34**		**229.6**
कुल			**189.34**		**229.6**

टिप्पणी: 40
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			(36.01)		51.90
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			6.29		(9.07)
कुल			**(29.72)**		**42.83**

टिप्पणी: 41
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/ (हानि)			1.8		0.28
उप-योग			1.8		0.28
घटाएं					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.21		0.05
कुल			**1.59**		**0.23**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) **उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)**

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम और
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल- कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधानों का प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देरी से धन के सम मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपी/धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं

रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 **परिसंपत्तियों की क्षति**

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

43. **लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:**

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 5720.92 करोड़ रुपये (गत वर्ष 6297.31 करोड़ रूपये) है।

2. आकस्मिक देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

	विवरण		
		31.03.2022 को	31.03.2021 को
क.	पूंजीगत कार्य	1010.57	860.93
ख.	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	67.99	65.03
ग.	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1235.32	1106.88
घ.	अन्य	2823.21	2789.17
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	–	–
च.	विवादित कर संबंधी मामले	1.72	8.90
छ.	**कुल योग**	**5138.81**	**4830.91**
ज.	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	460.06	460.77

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 1.17 करोड़ रूपये तथा 3.53 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.72 करोड़ रुपये एवं 3.63 करोड़ रूपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 480.11 करोड़ रुपये (गत वर्ष 191.53 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.40 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.16 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 352.65 करोड़ रुपये और 3.08 करोड़ रूपये (गत वर्ष 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, आस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 12.70 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 16.50 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून, 1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23–सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों के विलेखों का विवरण जो कंपनी के नाम पर नहीं है:

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	.सकल वहन मूल्य (₹ करोड में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरूआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3,974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतिरत किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी/वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार/ वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार /यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	14.28	1.99	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹ 49.03 करोड़ का प्रावधान वापस कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम टाइटल डीड के हस्तांतरण की प्रकिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई, 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रकिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	44.429	49.038	सरकारी / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार– परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार / यूपी एसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 18 फ्लैट (गत वर्ष 21 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.04 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एच सी सी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेसर्स एचसीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 157.755 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वितरण के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2022 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तों के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी को शीध्र पूरा किया जा सके।

8. 65 मेगावाट मलेरी झेलम और 108 मेगावाट झेलम उत्तराखंड के चमोली जिले में तमक पनबिजली परियोजनाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अगस्त 2013 से प्रभावित हो रही थीं, जिसमें एमओईएफ और उत्तराखंड राज्य को अगले आदेश तक उत्तराखंड की किसी भी नई जल विद्युत परियोजना के लिए कोई पर्यावरण या वन मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त तथ्य और परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान मलेरी झेलम और झेलम तमक परियोजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में ₹ 12.51 करोड़ और ₹ 22.32 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इसे चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया।

9. (i) दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार हैः

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2022 के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**3,161.54**	**1,427.06**	**965.95**	**3,892.83**	**9,447.39**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					
31.03.2021 के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**1,505.55**	**983.91**	**519.72**	**3,405.13**	**6,414.30**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					

(ii) दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैः

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाता है				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.61	153.20	–	–	722.81
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	500.00	500.00	406.00	–	1406.00
31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	546.22	210.00	112.24	–	868.46
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	413.30	430.00	425.00	371.77	1640.07

10. दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं 45 दिनों तक (घ)	बिल एवं शेष (ङ.)					कुल च = (ग+घ+ङ.)
				6 माह से कम	6 माह 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3- वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	669.69	172.57	130.76	143.54	57.59	140.97	4.29	19.98	669.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
(iv) विवादित व्यापार प्राप्त–शोध्य समझा गया	54.03	–	–	54.03	–	–	–	–	54.03
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई									
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
कुल	**723.72**	**172.57**	**130.76**	**197.57**	**57.59**	**140.97**	**4.29**	**19.98**	**723.72**

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं 45 दिनों तक (घ)	बिल एवं शेष (ड.)					कुल च = (ग+घ+ड.)
				6 माह से कम	6 माह 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3- वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	1,162.03	106.56	168.16	538.07	193.77	131.66	18.76	5.05	1,162.03
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां–जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया									
(v)विवादित व्यापार प्राप्तियां–जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
कुल	**1,162.04**	**106.56**	**168.16**	**538.07**	**193.77**	**131.66**	**18.76**	**5.05**	**1,162.03**

11. दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2022 के अनुसार

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन-देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	25.19	1.42	0.60	0.12	27.34
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया–अन्य					

31.03.2021 के अनुसार

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन-देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.42	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	22.90	1.24	0.11	0.40	24.65
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया–अन्य					

12. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

स्ट्रक-ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31.03.2022	31.03.2021	
इम्पीरिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (AACI0751K)	देय	–	0.01	व्यापार देय
अनंतश्री औद्योगिक सुरक्षा (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.04	–	व्यापार देय

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूमि पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2021-22	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक/ विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	329.92	329.59	0.33	यह अंतर विचलन और टीएसएल के लिए देयताओं के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	256.58	256.30	0.28	यह अंतर विचलन और टीएसएल के लिए देयताओं के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	163.21	162.58	0.62	यह अंतर विचलन और टीएसएल के लिए देयताओं के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.55	6.55	–	शून्य
मार्च–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	164.97	164.63	0.34	अंतर टीसीएस और पॉस्को प्राप्तियों के लिए देयता के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया हैं
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.42	3.42	–	शून्य

15. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार पकटीकरण''

(क) **सम्बद्ध पक्षकारों की सूची**

(i) धारक

कंपनी /संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी – टस्को लिमिटेड

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	06.08.2021 से
2	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	जारी
3	श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)	31.10.2021 तक
4	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021 तक
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	26.08.2020 से
2	श्री ए. के. गौतम	गैर – कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	21.06.2021 से
4	श्री टी. वेंकटेश	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.01.2022 तक
5	श्री राज पाल	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.04.2021 तक
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021 से
2	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021 से
3	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	स्वतंत्र निदेशक	28.03.2022 से
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	जारी
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी

(*) 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार और 01.11.2021 से निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार।

(iv) **रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं**

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवापरांत चिकित्सा लाभ निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा–टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी है जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को संचालित करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर–सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 27.20 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंड एएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.496 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारों (सहायक कंपनी) के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सहायक कंपनी	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	0.78	3.56
किया गया इक्विटी अंशदान	7.40	7.40
अन्य	2.22	0.40
सीपीएफ, पेंशन आदि से जमा	0.56	0.31

(ii) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2021-22	2020-21
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	29.43	26.93
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	24.04	32.32
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ निधि न्यास	4.36	5.83

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 2.76 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 3.42 करोड़ रूपये) है।

राशि ₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की प्रतिपूर्ति			
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.40	2.93
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.36	0.49
3	सेवांत लाभ		
4	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल योग	**2.76**	**3.42**

(iv) एक ही सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	कंपनी दवारा/संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2022	31.03.2021
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शी सेवा	18.47	27.35
भेल	सर्विस ठेके के साथ उपस्करों और स्पेयर की खरीद	255.41	163.65
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	2.37	1.67
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	0.62	0.94
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों की शिफ्टिंग, परामर्श प्रभार पावर लाइन डायवर्जन	84.88	53.79
सीएमपीडीआईएल	परामर्शी	12.14	6.64
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एमटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	0.94	0.50
आरआईटीईएस	परामर्शी सेवाएं	15.48	4.27
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश का भुगतान	378.59	527.25
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अभिदान शुल्क	0.01	.
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्शी	5.61	1.09
अन्य	विविध	2.34	1.08

(v) संबंधित पक्षकारों के पास बकाया शेष इस प्रकार हैः

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी से)	शून्य	शून्य
टस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी से)	शून्य	शून्य
वसूलनीय राशि		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.29	0.11
सहायक कंपनी	2.11	3.56

(vi) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

16. इंडएएस 110 – 'अलग वित्तीय विवरण' – के अनुसार प्रकटीकरण

राशि ₹ करोड़ में

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
टस्को लिमिटेड (12.09.2020 को निगमित)	भारत	74%	74%

17. इंडएएस 33 प्रति शेयर अर्जन के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर अर्जन (बेसिक एवं तनुकृत) की गणना के लिए विचार किए गए तत्व निम्नानुसार हैः

	2021-22	2020-21
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ रूपये)	924.50	1049.58
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ रूपये)	894.78	1092.41
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 36658817 तनुकृत : 36658817	बेसिक : 36658817 तनुकृत : 36658817
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं हैं। ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	252.19 252.19	286.31 286.31
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	244.08 244.08	297.99 297.99
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹1000	₹1000

18. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

₹ करोड़ में

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	183.05	238.66
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	6.29	(9.06)
कुल चालू कर व्यय (ख)	189.34	229.60

ख **भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।**

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2022 को मान्य नहीं, एमएटी क्रेडिट 487.72 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2021 को 580.97 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 35.02 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 68.32 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

19. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

20. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के बराबर ₹ 26.23 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 23.01 करोड़) की निर्धारित राशि के सापेक्ष चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए ₹ 27.20 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 23.01 करोड़) की राशि खर्च की है, जो निर्धारित राशि से ₹ 0.97 करोड़ अधिक है और इस अतिरिक्त व्यय को धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत व्यय करने की आवश्यकता के सापेक्ष तत्काल अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2024–25 तक समायोजित किया जाएगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद और नकद में अभी तक भुगतान किए जाने वाले व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

₹ करोड़ में

		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुल योग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	27.20	0.00	27.20

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सेवा–टीएचडीसी, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ–निरपेक्ष सोसायटी है, के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	₹ करोड़ में
1	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	6.13
2	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.09
3	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.25
4	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.68
5	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	2.21
6	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	0.10
7	खेलकूद का संवर्धन	0.32
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	4.05
9	अनुसूचित जाति का कल्याण	0.00
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.03
11	आपदाएं	0.60
	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.74
	कुल योग	**27.20**

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 3.46 करोड़ रूपये (राजस्व–3.46 करोड़ रूपये) गत वर्ष 4.52 करोड़ रुपये (राजस्व–4.52 करोड़ रूपये) व्यय किए हैं।

21. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमइसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2022 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

	2021-22	2020-21
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	2.63	0.45
ii) उस पर ब्याज		0.00
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि।		0.00
ग) देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है) परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।		0.00
घ) प्रोद्युत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका।		0.00
ड.) अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।		0.00

22. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्र. सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1.	नीति संख्या 4.1, 4.2 और 4.3 को शामिल कर नीति संख्या 4 – कोयला खानों पर विकास व्यय को संशोधित किया गया है	नीति को प्रकटीकरण में सुधार करने और अमेलिया कोयला खानों में शुरू होने वाली खनन गतिविधियों पर विचार करने और नीति को होल्डिंग कंपनी की नीति के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

23. एएस 116 - 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

i. कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती है जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	13.25	15.88
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	25.35	1.72
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	2.89	1.52
–पट्टा देयताओं का भुगतान	7.33	5.87
अंत शेष	34.16	13.25
चालू	4.17	4.06
गैर–चालू	29.99	9.19

iii. पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

राशि ₹ करोड़ में

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
3 माह या कम	1.65	1.13
3–12 माह	4.98	3.42
1–2 वर्ष	7.88	5.21
2–5 वर्ष	10.52	2.05
5 वर्ष से अधिक	40.80	7.22
पट्टा देयताएं	65.82	19.04

iv. निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है:

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यहास	17.27	17.19
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	2.89	1.53
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	1.94	2.44

v. निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	7.33	5.87
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	1.94	2.43

24. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना :- पेंशन

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों के वर्तमान मूल्य के रूप में 25.56 करोड़ रूपये (गत वर्ष शून्य) योजनागत परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 25.56 करोड़ रूपये (गत वर्ष योजनागत परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य के रूप में 0.21 करोड़ रूपए दायित्वों के वर्तमान मूल्य से अधिक रहा) अधिक हो गया, इसे बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी):

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 5.91 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 4.29 रूपये) को बही में दर्ज किया गया है क्योंकि दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 5.91 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 4.29 करोड़ रूपये) अधिक है।

(v) अन्य लाभ (सामान/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति की अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/ उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2022 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी -1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	7.00%	6.75%	6.75%	7.75%	7.60%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	8.00%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि-वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम- यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर- उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता- मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण- वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी-2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ पीआरएमबी	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}
ब्याज लागत	12.82 {12.89}	4.47 {3.78}	7.84 {7.36}	5.89 {5.39}	0.96 {0.85}
पिछली सेवा की लागत					0.00 {1.18}
वर्तमान सेवा लागत	3.95 {5.08}	13.66 {13.38}	4.23 {4.69}	2.61 {2.56}	1.13 {1.15}
लाभ का भुगतान	(20.49) {(17.94)}	(15.59) {(13.31)}	(6.34) {(4.11)}	(4.71) {(3.42)}	(2.34) {(1.33)}
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	(2.89) {(1.05)}	8.15 {6.26}	(3.21) {(0.88)}	4.42 {2.93}	0.22 {(0.20)}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}

सारणी-3 तुलन पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं) (₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुटटी का नकदीकरण ईएल	अस्वस्थता अवकाश एचपीएल	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ सीआरएमबी	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	89.61 {83.01}	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	89.61 {83.01}	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	5.91 {4.29}	14.26 {14.29}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	5.91 {4.29}	14.26 {14.29}

सारणी -4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य असबाब भत्ता/ सेवानिवृत्ति
वर्तमान सेवा लागत	3.95 {5.08}	13.66 {13.38}	4.23 {4.69}	2.61 {2.56}	1.13 {1.15}
सेवा उपरांत लागत	-	-	-	-	0.00 {1.18}
ब्याज लागत	12.82 {12.89}	4.47 {3.78}	7.83 {7.36}	- {0.39}	0.96 {0.85}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.89) {(1.05)}	8.15 {6.26}	(3.21) {(0.88)}	4.42 {2.93}	0.22 {(0.20)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.77 {17.97}	26.28 {23.42}	8.85 {11.18}	2.61 {2.95}	2.09 {3.19}

सारणी - 5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अवस्थता अवकाश एचपीएल		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.62)	(5.09)	(2.27)	(2.09)	(3.00)	(3.20)	(12.32)	(10.17)	(0.36)	(0.38)
0.50% की घटोत्तरी	4.86	5.36	2.41	2.23	3.14	3.37	12.54	10.34	0.37	0.39
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.02	1.24	2.41	2.22	3.14	3.36	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की घटोत्तरी	(1.09)	(1.34)	(2.29)	(2.10)	(3.02)	(3.22)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12.62	10.37	0.16	0.18
0.50% की घटोत्तरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(12.38)	(10.21)	(0.16)	(0.17)

अन्य प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

उपदान	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	183.38	189.99	191.01	178.93	174.87
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.77	17.97	19.68	19.35	19.59

अर्जित छुट्टी	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	76.88	66.18	56.07	43.04	27.72
बीमांकिक (लाभ/हानि)	8.15	6.26	11.60	11.38	4.52
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	26.28	23.42	27.71	25.85	10.03

अर्द्धवेतन छुट्टी एचपीएल	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	118.64	116.13	109.06	98.83	88.81
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.21)	(0.88)	0.83	1.78	(46.16)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	8.85	11.18	13.00	12.79	(32.84)

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	95.51	87.30	79.85	70.02	62.70
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.29	1.34	2.76	3.85	1.22
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.61	2.95	3.07	6.94	6.44

अन्य-सामान भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.26	14.29	12.63	12.43	8.92
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)	(0.28)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)	(0.28)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.09	3.19	2.14	5.16	1.38

25. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 पुनरीक्षित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

26. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी कर सहित)

(₹ करोड़ में)

क.	विवरण	2021-22	2020-21
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.07	0.06
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.03

लेखापरीक्षकों को भुगतान (0.02 करोड़ रूपये) इसमें पूर्व वर्ष का 0.01 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल हैं।

27 क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद समतुल्य का समाधान निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022	31.03.2021
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	87.77	225.08
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	13		0.00
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष, एसटीएल सहित	26	926.10	0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(838.33)	225.08

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2021-22	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88		3665.88		
गैर–चालू उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	5014.22		6653.98	1639.76	वृद्धि– बांड –₹ 1200.00 करोड, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 675.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 12.96 करोड़, चुकौती – सावधि ऋण– ₹ 107.80 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹ 140.40 करोड़
उधारियां– चालू	1233.51		426.63	(806.88)	वृद्धि–, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 125.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 3.61 करोड़, चुकौती–एसटीएल (एसबीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक) ₹ 700.00 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी/पीएफसी) ₹ 235.49 करोड़ .
पट्टा देयताएं	13.25		34.16	20.91	पट्टा देयता में निवल वृद्धि 20.91 करोड़
भुगतान की गई वित्तीय लागत घटा पूँजीकृत–सीडब्ल्यूआईपी		489.84 (355.73)		(134.11)	लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित
विलंबित भुगतान अधिभार		225.46		225.46	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश		(508.20)		(508.20)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				436.94	

28. अनुपात

क्र. सं.	विवरण	अंशभाजक	विभाजक	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण *
				31.03.2022	31.03.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.75	1.04	(27.88%)	₹ 1162.03 करोड़ से ₹ 723.72 करोड रु. तक व्यापार प्राप्य में घटोत्तरी के कारण
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	0.78	0.63	23.81%	
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ + ऋण पर ब्याज + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अपवादात्मक मदें)	(ऋण पर ब्याज + पट्टा भुगतान + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती	1.98	2.08	(4.81%)	
घ	प्रतिलाभ पर इक्विटी अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	8.85%	11.23%	(21.19%)	
ड.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंटी	50.65	53.33	(5.03%)	
च	ऋण–टर्नओवर अनुपात	प्रचालनों से राजस्व (निवल केडिट बिकी)	औसत व्यापार प्राप्तियां	2.04	1.19	71.43%	₹ 1162.03 करोड़ से ₹ 723.72 करोड रु. तक व्यापार प्राप्य में घटोत्तरी के कारण
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल केडिट खरीद	औसत व्यापार देय	2.19	2.14	2.34%	
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व+लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	कार्यशील पूंजी	(10.27)	2.87	(457.84%)	चालू परिसंपत्तियों में घटोत्तरी एवं चालू देयता में वृद्धि के कारण
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	निवल बिकी	46.57%	60.82%	(23.43%)	
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	7.34%	10.23%	(28.25%)	निवल लाभ में घटोत्तरी के कारण
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	(8.41%)	(8.04%)	4.60%	

(*) पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन के लिए भिन्नता के कारण आवश्यक है।

29. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने टीएचडीसी इंडिया लि. (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और वर्ष के अंत में नकदी प्रवाह का विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं। (इसके आगे इसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कहा गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणओं की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट में संसूचित किया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। –ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। – सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। –उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2.	**आकास्मिक देयताएँ**	
	कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकास्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकास्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं –लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। –प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। –विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। –प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। –जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। –प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1244.095 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त भूमि में से, वित्त वर्ष 2020–21 में 49.03 करोड़ रूपये के लिए मानी गई 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन हो गया है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त उल्लिखित 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडअलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नगदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए

अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमः

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की है। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिन्हित गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ–साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकटन को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण **अनुलग्नक ''क''** में दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के

अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका **अनुलग्नक ''ख''** में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक ''ग''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नही होती हैं।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें;

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv.क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं सहित संस्था (संस्थाओं) से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("फंडिग पार्टी") सहित संस्था (संस्थाओं) से कोई भी निधि को अग्रिम या उधार नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा,

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

v. जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0 / –
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

यूडीआईएन: 22014335 एआईवाईडीबीएन 8799

अनुलग्नक 'क'

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i) (क) (1) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(2) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारो की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि/ढुकवां/कासरगाड़ के कारण नहीं किया गया है।

(ग) निम्नलिखित को छोड़कर वित्तीय विवरणों में प्रकटित की गई सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर है:

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य रु. करोड़ में	जिसके नाम पर पारित है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या उनका रिश्तेदार या कर्मचारी है	धारित अवधि-जहां उपयुक्त हो, सीमा का संकेत दें	कंपनी के नाम न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
फ्रीहोल्ड भूमि	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है।
फ्रीहोल्ड भूमि		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरूआत	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टे. कुल भूमि में से 3.974 हेक्टे. की टाइटिल डीड पहले ही हस्तांतरित हो गई है और 2.068 हेक्टे. शेष भूमि प्रक्रियाधीन है।
फ्रीहोल्ड भूमि	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं हैं। इसे निदेशक पुनर्वास ने 31.10.2006 को एडहॉक आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंपा है
फ्रीहोल्ड भूमि	0 .01	सरकारी/वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	परिसंपत्ति हस्तातंरण के रूप में उ.प्र. सिचाई विभाग से अंतरित
डूब के तहत भूमि	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के मध्य अधिग्रहित	डीड विलेख निगम के नाम पर अंतरित करने की प्रकिया अभी चल रही है।
प्रयोग का अधिकार	(*)	सरकारी/वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	लीज डीड पर हस्ताक्षर होने हैं
प्रयोग का अधिकार	309.49	उ.प्र. सरकार /यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
प्रयोग का अधिकार	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
प्रयोग का अधिकार	1.99	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
प्रयोग का अधिकार	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया 49.03 करोड़ रुपए का प्रावधान वापस लिया गया।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधक वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर त्रैमासिक विवरणी या विवरण, कंपनी की लेखाबहियों के अनुरूप नहीं थे। विवरण इस प्रकार हैं:–

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2021-22	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखाबहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक विवरणी/विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	329.92	329.59	0.33	यह अंतर, विचलन और टीसीएस के लिए देयता के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित लिया गया है।
सितंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	256.58	256.30	0.28	यह अंतर, विचलन और टीसीएस के लिए देयता के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित लिया गया है।
दिसंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	163.21	162.58	0.62	यह अंतर, विचलन, एफआरएएस और टीसीएस के लिए देयता के कारण है जिसे बाद के चरण में लेखांकित लिया गया है।
मार्च –22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	164.97	164.63	0.34	अंतर टीसीएस और पॉस्को प्राप्तियों के लिए देयता के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनी ''टस्को लिमिटेड'' में 7.40 करोड़ रुपये का निवेश किया है जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) का लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –73 से 76 तक तथा उसमें निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखाओं और रिकॉर्डों को तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या ये सटीक और सत्य है। वित्त वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है, जिनमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2022 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च, 2022 के अनुसार विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर और किसी अन्य सांविधिक देय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (रूपये लाख में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित है	विरोध सहित जमा (रूपये लाख में)	मंच जहां मामला लंबित है
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	751.82	2015–16 से 2021–22	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	231.77	2015–16 से 2021–22	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	2.80	2004–05 से 2014–15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत छूट	1.72	2006–07	1.72	एसीआईटी, देहरादून
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	3.53	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एवं ईडीएलआई स्कीम, 1976	विलंबित भुगतान/ निरीक्षण प्रभार	14.84	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) (क) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों की चुकौती या इन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की। अतः आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों के रेहन पर ऋण नहीं लिया है और इसलिए खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण लिखितों अर्थात् निजी प्लेसमेंट आधार पर कारपोरेट बांड (श्रृंखला–V) के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पहले से किए जा चुके व्यय और सावधि ऋणों को पूरा करने सहित निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (x) (ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) (क) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत विनिर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी–4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना प्रदाता (व्हिसलब्लोअर) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी में एक पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड–3 (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय, सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

(xx) कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि किसी भी परियोजना में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के संबंध में कंपनी के पास कोई अव्ययित राशि नहीं है, इसलिए आदेश का खंड (XX) लागू नहीं होता है। इसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी में किया गया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0 / –
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

यूडीआईएन: 22014335 एआईवाईडीबीएन 8799

अनुलग्नक 'ख'

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के क्रम में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जारी निर्देश

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की सत्यनिष्ठा के साथ–साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते में डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है?	हमें दी गई जानकारी और विवरणों तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा दिए गए किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या उधारी/ऋण/ब्याज को कंपनी की ऋण चुकाने की असक्षमता के कारण बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था।
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची	लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का हिसाब किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

अनुलग्नक ''ग''

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(च) में ''अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं''
संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमनें टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2022 की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ इसी तारीख को समाप्त वर्ष की स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडंस टिप्पणी) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंतरित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है ।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्तिथियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय प्रणाली 31 मार्च, 2022 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी टिप्पणी पर आधारित है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

अनुपालन प्रमाण पत्र

जिस किसी से संबंधित है

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। यह लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के सी एंड ए जी के द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के अनुसरण में की गई है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें दिए गए सभी निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन किया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म का आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

निदेशक
प्रमुख निदेशक का कार्यालय
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं एक्स ओफिसियों
सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–III
भारत के सीएजी का कार्यालय
नई दिल्ली–110 002

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 13.05.2022 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को इंगित करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं:

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन-पत्र

अन्य चालू देयताएं **₹ 87.59 करोड़ (टिप्पणी 29)**

पूंजीगत कार्य-प्रगति पर **₹ 9447.39 करोड़ (टिप्पणी 3)**

इंड एएस 37 के पैरा 10 और 23 में वर्तमान दायित्व के आधार पर एक दायित्व को मान्यता देना निर्दिष्ट किया गया है जिसमें उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना भी शामिल है।

कंपनी ने ₹ 19.53 करोड़ की देयता को अग्रिम राशि के रूप में मान्यता नहीं दी, जिसे कंपनी को कोयला मंत्रालय से खान खोलने की अनुमति, जो कंपनी को दिनांक 15.02.2022 को दी गई थी, देने की तारीख से 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप दोनों, अन्य चालू देयताओं और पूंजीगत कार्य–प्रगति पर प्रत्येक को ₹19.53 करोड़ कम करके दर्शाया गया।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

(डी. के. शेखर)
महालेखा परीक्षक (ऊर्जा), दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.07.2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी **तुलन-पत्र** **अन्य चालू देयताएं** ₹ **87.59 करोड़ (टिप्पणी 29)** **पूंजीगत कार्य-प्रगति पर** ₹ **9447.39 करोड़ (टिप्पणी 3)** इंड एएस 37 के पैरा 10 और 23 में वर्तमान दायित्व के आधार पर एक दायित्व को मान्यता देना निर्दिष्ट किया गया है जिसमें उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना भी शामिल है। कंपनी ने ₹19.53 करोड़ की देयता को अग्रिम राशि के रूप में मान्यता नहीं दी, जिसे कंपनी को कोयला मंत्रालय से खान खोलने की अनुमति, जो कंपनी को दिनांक 15.02.2022 को दी गई थी, देने की तारीख से 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप दोनों, अन्य चालू देयताओं और पूंजीगत कार्य–प्रगति पर प्रत्येक को ₹19.53 करोड़ कम करके दर्शाया गया।	यह निवेदन है कि कोयला नियंत्रक संगठन, वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2022 को अमेलिया कोयला खदान की खान खोलने की अनुमति दी थी और जिला खनन अधिकारी, सिंगरौली ने दिनांक 13.04.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि टीएचडीसीआईएल द्वारा मध्य प्रदेश के कोषागार के शीर्ष "0853–00–102–0999 खनन/अन्य प्राप्तियों के लिए रियायत, शुल्क, किराया और रॉयल्टी" में अग्रिम राशि जमा कराई जानी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला खनन अधिकारी ने दिनांक 13.04.2022 को अर्थात वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विवरण प्रदान किया है, इसके लिए देयता का प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि अमेलिया कोयला खदान विकास के चरण में है और किए गए सभी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में अग्रेणीत किया गया है, इसलिए कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह निवेदन है कि कंपनी के आकार को देखते हुए विचाराधीन राशि महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में देयताओं का समयोचित प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण 2021-22

वित्तीय विवरण 2021-22

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
अभ्युक्तियां एवं प्रबंधन का उत्तर

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,343.91		6,562.04
(ख) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकारी	2		461.53		410.83
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		0.28		0.39
(घ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	3		9.467.50		6,420.71
(ड.) सहायक कंपनी में निवेश	4		0.00		0.00
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) ऋण	5	36.12		39.24	
(ii) अग्रिम	6	0.00	36.12	0.01	39.25
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		836.80		871.39
(ज) गैर चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	8		43.22		32.49
(i) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		2,042.24		1,906.22
चालू परिसंपत्तियां					
(क) माल सूची	10		40.94		34.94
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्तियां	11	723.72		1,162.03	
(ii) नकदी और नकदी समकक्ष	12	90.33		232.30	
(iii) ऋण	13	9.59		9.43	
(iv) अग्रिम	14	6.78		6.77	
(v) अन्य	15	849.21	1,679.63	746.57	2,157.10
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	16		60.83		60.81
(घ) अन्य चालू परिसंपत्ति	17		42.84		54.35
विनियामक आस्थिगत खाता डेबिट शेष	18		98.69		169.72
कुल			**21,154.53**		**18,720.24**
इक्विटी और देयता					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,639.31		6,251.36
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य कुल इक्विटी			**10,305.19**		**9,917.24**
गैर–नियंत्रित ब्याज			4.87		2.53
कुल इक्विटी			**10,310.06**		**9,919.77**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
गैर-चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	6,653.98		5,014.22	
(ii) पट्टा देयताएं	22	77.77		9.47	
(iii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	162.40	6,894.15	28.11	5,051.80
(ख) अन्य गैर–चालू देयताएं	24		816.73		796.53
(ग) प्रावधान	25		176.46		190.37
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	1,352.73		1,233.51	
(II) पट्टा देयताएं	27	7.91		4.13	
(ii) व्यापार देय					
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.60		0.42	
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		27.34		24.65	
(iii) अन्य	28	616.96	2,005.54	464.15	1,726.86
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		87.75		143.03
(ग) प्रावधान	30		348.64		341.65
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		0.00		0.00
विनियामक आस्थिगत खाता क्रेडिट शेष	32		515.20		550.23
कुल			**21,154.53**		**18,720.24**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखितों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
आय					
सतत प्रचालन से राजस्व	33		1,921.49		1,796.01
अन्य आय	34		305.95		705.99
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		16.24		18.80	
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	16.24	0.00	18.80	0.00
कुल आय			**2,227.44**		**2,502.00**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		355.65		388.77
वित्त लागत	36		134.11		181.93
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		302.65		317.33
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		287.09		230.75
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और पुर्जों के लिए प्रावधान	38		0.00		0.25
कुल व्यय			**1,079.50**		**1,119.03**
विनियामक आस्थिगत खाता शेष, अपवादात्मक मद और कर पूर्व लाभ			**1,147.94**		**1,382.97**
अपवादात्मक मद– (आय)/व्यय–निवल			0.00		35.65
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**1,147.94**		**1,347.32**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		189.34		229.6
आस्थगित कर–(परिसंपत्ति)/देयता)			35.14		68.4
विनियामक-आस्थगित खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ			**923.46**		**1,049.32**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय/(व्यय) – कर का निवल	40		(29.72)		42.83
i. सतत प्रचालन से अवधि के लिए लाभ			**893.74**		**1,092.15**
ii. अन्य व्यापक आय					
(i) मदें, जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		1.59		0.23
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनः मापन पर आस्थगित कर–आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता)			0.55		0.08

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
अन्य व्यापक आय			**2.14**		**0.31**
कुल व्यापक आय (I+II)			**895.88**		**1,092.46**
निम्नलिखित को आरोप्य लाभ					
धारक कंपनी के स्वामियों को			894.01		1,092.22
गैर–नियंत्रणीय ब्याज			(0.27)		(0.07)
कुल			**893.74**		**1,092.15**
निम्नलिखित को आरोप्य अन्य व्यापक आय					
धारक कंपनी के स्वामियों को			2.14		0.31
कुल			**2.14**		**0.31**
निम्नलिखित को आरोप्य कुल अन्य व्यापक आय					
धारक कंपनी के स्वामियों को			896.15		1,092.53
गैर–नियंत्रणीय ब्याज			(0.27)		(0.07)
कुल			**895.88**		**1,092.46**
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
मूल (₹)			243.88		297.94
तनुकृत (₹)			243.88		297.94
प्रति इक्विटी शेयर आय (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
मूल (₹)			251.98		286.26
तनुकृत (₹)			251.98		286.26
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखाओं के लिए अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43, लेखाओं का अभिन्न अंग है					

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें कमी को दर्शाते हैं)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
अपवादात्मक मदों और कर पूर्व लाभ निम्नलिखित के लिए समायोजन		**1,147.94**		**1,382.97**
के लिए समायोजन-				
मूल्यह्रास	302.65		317.33	
मूल्यह्रास–सिंचाई घटक	16.24		18.80	
प्रावधान	–		0.25	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.6)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(225.46)		(660.94)	
वित्तीय लागत	134.11		181.93	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/हानि	0.33		0.23	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	1.59		0.23	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	–		–	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	29.72		(42.83)	
अपवादात्मक मद	0.00		(35.65)	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन अपवादात्मक मद	6.29	257.87	(9.07)	(237.32)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,405.81**		**1,145.65**
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
माल सूची	(6.00)		(2.77)	
व्यापार प्राप्तियां (बिल न किए गए राजस्व सहित)	335.67		713.26	
अन्य परिसंपत्तियां	12.01		7.57	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	(8.08)		(9.80)	
माइनोरिटी ब्याज	0.27		0.07	
व्यापार देय और देयताएं	261.98		210.08	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	(6.92)		61.70	
विनियामक आस्थिगत खाता शेष में निवल संचलन	(29.72)	559.21	42.83	1,022.94
प्रचालन गतिविधियों से कर-पूर्व नकदी प्रवाह		**1,965.02**		**2,168.59**
कारपोरेट कर		(189.34)		(229.60)
प्रचालन से निवल नकद (क)		1,775.68		1,938.99
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीडब्ल्यूआईपी	(3,197.85)		(1,767.41)	

परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.33)		(0.23)	
पूंजी अग्रिम	(136.52)		(327.16)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(3,334.70)**		**(2,094.80)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	–		–	
उधार – गैर चालू	1,639.76		1,067.52	
उधार–चालू	(806.88)		243.36	
पट्टा देयता	72.08		(2.28)	
ब्याज और वित्त प्रभार	(134.11)		(181.93)	
अनुदान	0.5		–	
विलंबित भुगतान अधिभार	225.46		660.94	
गैर–नियंत्रणीय ब्याज से पूंजी अंशदान	2.34		2.53	
लाभांश और लाभांश पर कर	(508.2)		(707.75)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**490.95**		**1,082.39**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**(1,068.07)**		**926.58**
ड. आरंभिक नकद और नकद समतुल्य		**232.3**		**(694.28)**
च. अंतिम नकद और नकद समकक्ष (घ+ड.)		**(835.77)**		**232.30**

टिप्पणी:

1. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक हो पुनर्समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित/पुनदर्शित किया गया है।
2. नकद और नकद समकक्षों का समाधान टिप्पणी संख्या 43.28 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 तक
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2021 तक
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0000
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंतिम शेष राशि		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी

(1) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
			प्रतिधारी आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
अथशेष (I)		0.00	**6,189.50**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.36**	**2.53**	**6,253.89**
अवधि के लिए लाभ			894.01			894.01	(0.27)	893.74
अन्य व्यापक आय					2.14	2.14		2.14
कुल व्यापक आय			**894.01**		**2.14**	**896.15**	**2.26**	**895.88**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							2.60	2.60
लाभांश			508.20			508.20		508.20
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**385.81**			**387.95**		**390.28**
डिबेंचर मोचन आरक्षिति में/से अंतरण/समायोजन (III)			(48.50)			(48.50)		(48.5)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिति वृद्धि/उपयोग/समायोजित (IV)				48.50		48.50		48.50
अवधि के दौरान जमा किया गया शेयर पूंजी लंबित आबंटन (VI)		0.00				0.00		0.00
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,526.81**	**128.00**	**(15.50)**	**6,639.31**	**4.86**	**6,644.17**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन: 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 08534217

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्या: 014335

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: लखनऊ

(2) 31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	शेयर आवेदन राशि लंबित आवंटन	आरक्षित और अधिशेष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022		अन्य व्यापक आय			
			प्रतिधारी आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकिक लाभ/(हानि)	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	कुल
प्रारंभिक शेष राशि (I)		0.00	**5,845.53**	**39.00**	**(17.95)**	**5,866.58**	**0.00**	**5,866.58**
वर्ष के लिए लाभ			1,092.22			1,092.22	(0.07)	1,092.15
अन्य व्यापक आय					0.31	0.31		0.31
कुल व्यापक आय			**1,092.22**		0.31	**1,092.53**	**(0.07)**	**1,092.46**
गैर–नियंत्रित ब्याज का इक्विटी अंशदान							2.60	2.60
लाभांश			707.75			707.75		707.75
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**384.47**			**384.78**		**387.31**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरण III			(40.50)			(40.50)		(40.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती वृद्धि उपयोग (IV)				40.50		40.5		40.50
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी लंबित आबंटन– जमा किया गया/(आबंटित) V (निवल)		0.00				0.00		0.00
अंत शेष (I+II+III+IV+V)		**0.00**	**6,189.50**	**79.50**	**(17.64)**	**6,251.36**	**2.53**	**6,253.89**

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांक: 13.05.2022
स्थान: लखनऊ

टिप्पणी संख्या-1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टीएचडीसी लिमिटेड ("कंपनी" या "धारक कंपनी") भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनःयू45203यूआर1988जीओआई 009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। समूह प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1.1 ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 13.05.2022 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.2 ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनी वह संस्था है जिस पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिफल का अधिकार होता है या योग्य होता है और निवेशी की संगत गतिविधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनी समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण समेकित है और तब तक समेकित रहेगी जब तक की ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाए।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकराक किसी अन्य हित को नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृह्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृह्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी (एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगा:

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को 'खनन संपत्ति' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान' शीर्ष के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

5.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों की लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र

और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. **उचित मूल्य माप**

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर–1–एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर–2–मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3–मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निश्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. **संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां**

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 **प्रारंभिक मान्यता और माप:** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 **अनुवर्ती माप:** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन) -** किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. **नकदी और नकदी समतुल्य**

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. **माल-सूची**

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी

अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राषि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. **वित्तीय देनदारियां**

12.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 **अनुवर्ती माप**

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 **अमान्य करना :** किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. **सरकारी अनुदान**

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. **प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां**

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन–पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. **राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय**

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/ गैर–प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. **व्यय**

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटियां पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 आर एंड डी पर व्यय कंपनी की अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुमोदन के अनुसार किया जाता है।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. **कर्मचारियों के हितलाभ**

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस)–19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. **ऋण लागत**

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपप्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. **मूल्यह्रास एवं परिशोधन**

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रूपये 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. **माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. **पट्टे**

21.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या:

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. **आय कर**

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 **वर्तमान आयकर-**आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 **आस्थगित कर**

22.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन–पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. **नकदी प्रवाह विवरण**

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन–पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. **प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण**

कंपनी तुलन–पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के

लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी:-2

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दारैान बिक्री / समायोजित	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	39.83	3.96	–	43.79	–	–	–	–	43.79	39.83
2. जलमग्न भूमि	1,698.23	25.13	(0.01)	1,723.35	708.48	39.39	–	747.87	975.48	989.75
3. भवन	1,069.34	43.38	(1.14)	1,111.58	321.50	37.25	–	358.75	752.83	747.84
4. अस्थायी भवन ढांचे	24.64	1.99	(0.08)	26.55	24.50	2.05	–	26.55	–	0.14
5. सड़क, पुल और पुलिया	186.68	4.01	–	190.69	51.71	7.46	–	59.17	131.52	134.97
6. जलनिकासी मलनिकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	22.67	4.22	–	26.89	10.24	1.06	–	11.30	15.59	12.43
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	–	–	24.47	16.10	1.33	–	17.43	7.04	8.37
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,418.64	14.47	–	3,433.11	1,607.83	92.30	–	1,700.13	1,732.98	1,810.81
9. ईडीपी मशीनें	19.30	4.55	(0.70)	23.15	13.48	2.70	(0.57)	15.61	7.54	5.82
10. विद्युत प्रतिष्ठान	46.55	1.21	(1.20)	46.56	11.55	1.26	–	12.81	33.75	35.00
11. पारेषण लाइनें	32.21	–	(0.01)	32.20	17.44	1.37	–	18.81	13.39	14.77
12. कार्यालय और अन्य उपकरण	69.87	4.95	(0.09)	74.73	52.30	3.94	(0.04)	56.20	18.53	17.57
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	34.15	4.71	(0.27)	38.59	19.37	2.40	(0.19)	21.58	17.01	14.78
14. वाहन	23.32	1.55	(1.12)	23.75	12.49	1.67	(0.67)	13.49	10.26	10.83
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.59	0.08	–	0.67	0.55	0.63
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध और स्पिलवे	5,190.62	–	–	5,190.62	3,168.59	105.29	–	3,273.88	1,916.74	2,022.03
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	0.12	(0.11)	1,606.21	909.73	29.57	–	939.30	666.91	696.47
उप योग	**13,507.94**	**114.25**	**(4.73)**	**13,617.46**	**6,945.90**	**329.12**	**(1.47)**	**7,273.55**	**6,343.91**	**6,562.04**
पिछली अवधि के आंकड़े	**13,199.32**	**309.14**	**(0.52)**	**13,507.94**	**6,607.33**	**338.92**	**(0.35)**	**6,945.90**	**6,562.04**	**6,591.99**
ख अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफटवेयर	5.13	0.09	–	5.22	4.74	0.20	.	4.94	0.28	0.39
उप योग	**5.13**	**0.09**	–	**5.22**	**4.74**	**0.20**	**-**	**4.94**	**0.28**	**0.39**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दाैरान बिक्री /समायोजित	31 मार्च, 2022 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2022 के अनुसार	31 मार्च-2022 के अनुसार	31 मार्च-2021 के अनुसार
पिछली अवधि के आंकड़े	**4.71**	**0.42**	**-**	**5.13**	**4.51**	**0.23**	**-**	**4.74**	**0.39**	**0.2**
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	433.05	50.72	(49.04)	434.73	28.22	13.39	–	41.61	393.12	404.83
2. उपयोग का अधिकार–कोयला आधारित भूमि	–	60.60	–	60.60	–	1.04	–	1.04	59.56	–
3. उपयोग का अधिकार–भवन	4.37	8.43	(3.35)	9.45	2.45	1.67	(2.94)	1.18	8.27	1.92
4. उपयोग का अधिकार–वाहन	8.77	0.1	(0.15)	8.72	4.69	3.61	(0.16)	8.14	0.58	4.08
उप योग	**446.19**	**119.85**	**(52.54)**	**513.50**	**35.36**	**19.71**	**(3.10)**	**51.97**	**461.53**	**410.83**
पिछली अवधि के आंकड़ें	**395.21**	**51.14**	**-0.16**	**446.19**	**14.5**	**20.98**	**(0.12)**	**35.36**	**410.83**	**380.71**
मूल्यह्रास का विवरण					**चालू वर्ष**		**पिछला वर्ष**			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					30.14		24.00			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					302.65		317.33			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास –उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					16.24	349.03	18.80	360.13		
वर्ष के दौरान रुपए 1500.00 से अधिक परंतु रुपए 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्ति प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उन काम मूल्य ह्रास किया गया					0.14		0.16			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4X100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित 14.37 एकड़ भूमि को ₹ 1/– की सांकेतिक मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 32.6 में दिए गए है।

टिप्पणी:-2

31-मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दारैान बिक्री /समायोजित	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
क. संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	38.25	1.58	–	39.83	–	–	–	–	39.83	38.25
2. जलमग्न भूमि	1,687.50	10.73	–	1,698.23	669.62	38.86	–	708.48	989.75	1,017.88
3. भवन	1,049.38	19.96	–	1,069.34	287.09	34.41	–	321.5	747.84	762.29
4. अस्थायी भवन ढ़ांचे	24.39	0.25	–	24.64	24.39	0.11	–	24.5	0.14	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	173.65	13.05	(0.02)	186.68	44.39	7.32	–	51.71	134.97	129.26
6. जलनिकासी मलनिकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	22.35	0.32	–	22.67	9.14	1.1	–	10.24	12.43	13.21
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.46	0.01	–	24.47	14.7	1.4	–	16.1	8.37	9.76
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,177.93	240.73	(0.02)	3,418.64	1,501.82	106.01	–	1,607.83	1,810.81	1,676.11
9. ईडीपी मशीनें	18.17	1.51	(0.38)	19.3	11.31	2.47	(0.3)	13.48	5.82	6.86
10. विद्युत प्रतिष्ठान	45.77	0.78	–	46.55	10.42	1.13	–	11.55	35	35.35
11. पारेषण लाइनें	26.66	5.55	–	32.21	16.12	1.32	–	17.44	14.77	10.54
12. कार्यालय और अन्य उकपरण	61.17	8.76	(0.06)	69.87	46.98	5.37	(0.05)	52.3	17.57	14.19
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	29.07	5.12	(0.04)	34.15	16.61	2.76	–	19.37	14.78	12.46
14. वाहन	22.53	0.79	–	23.32	10.77	1.72	–	12.49	10.83	11.76
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.52	0.07	–	0.59	0.63	0.7
16. हाइड्रोलिक कार्य–बांध ओर स्पिलवे	5,190.62	–	–	5,190.62	3,063.29	105.3	–	3,168.59	2,022.03	2,127.33
17. हाइड्रोलिक कार्य–टनल, पेनस्टॉक, नहर आदि	1,606.20	–	–	1,606.20	880.16	29.57	–	909.73	696.47	726.04
उप योग	**13,199.32**	**309.14**	**(0.52)**	**13,507.94**	**6,607.33**	**338.92**	**(0.35)**	**6,945.90**	**6,562.04**	**6,591.99**

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2020	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दरौान बिक्री /समायोजित	31 मार्च, 2021 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 के अनुसार	01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति सॉफटवेयर	4.71	0.42	–	5.13	4.51	0.23	–	4.74	0.39	0.20
उपयोग	**4.71**	**0.42**	–	**5.13**	**4.51**	**0.23**	–	**4.74**	**0.39**	**0.20**
ग. परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार										
1. उपयोग का अधिकार–भूमि	384.01	49.04	–	433.05	12.45	15.77	–	28.22	404.83	371.56
2. उपयोग का अधिकार–कोयल आधारित भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. उपयोग का अधिकार–भवन	3.85	0.59	(0.07)	4.37	1.21	1.27	(0.03)	2.45	1.92	2.64
4. उपयोग का अधिकार –वाहन	7.35	1.51	(0.09)	8.77	0.84	3.94	(0.09)	4.69	4.08	6.51
उपयोग	**395.21**	**51.14**	**(0.16)**	**446.19**	**14.50**	**20.98**	**(0.12)**	**35.36**	**410.83**	**380.71**
मूल्यह्रास का विवरण					**पिछला वर्ष**		–			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					24.00		18.89			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					317.33		576.10			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास –उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					18.8	360.13	63.74	658.73		
वर्ष के दौरान रुपए 1500.00 से अधिक परंतु रुपए 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उन काम मूल्यह्रास किया गया					0.16		0.21			

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4X100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रूपये के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान किए गए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं हैं, के हक विलेख के बारे में ब्यौरा टिप्पणी संख्या 43.5 में प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 43.6 में दिए गए है।

टिप्पणी: 3

पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2022 के अनुसार
			01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान वृद्धि	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन और अन्य सिविल कार्य		135.63	34.74	(2.49)	(44.14)	123.74
सड़कें, पुल और पुलिया		34.96	194.25	(2.90)	(3.98)	222.33
जल आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी		6.11	20.97	(0.17)	(3.9)	23.01
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		2,429.18	2,036.88	(10.29)	(14.25)	4,441.52
हाइडोलिक वर्क्स, डैम, स्पिलवे, वाटर चैनल्स, वियर, सर्विस गेट और अन्य हाइडोलिक वर्क्स		3,318.69	520.27	(0.83)	(0.12)	3,838.01
वनीकरण जलग्रहण क्षेत्र		88.00	18.77	–	–	106.77
विद्युत प्रतिष्ठान और उप–स्टेशन उपकरण		0.92	77.12	4.66	(0.59)	82.11
परियोजना निर्माण पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य अन्य व्यय		149.17	85.01	(0.35)	0.00	233.83
कोयला खदान विकास		39.36	179.15	0.00	0.00	218.51
अन्य		2.95	4.57	–	(5.85)	1.67
लंबित आवंटन व्यय						
सर्वेक्षण और विकास व्यय		100.05	0.34	(21.08)	–	79.31
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	75.24	307.83			383.07
घटाएं: निर्माण के दौरान आबंटित/ पी एंड एल में प्रभारित व्यय	32.1		362.79			362.79
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		75.28	32.59	(6.29)	(25.17)	76.41
घटाएं: सीडब्ल्यूआईपी लिए प्रावधान		34.83	0.00	(34.83)	0.00	0.00
कुल		**6,420.71**	**3,149.70**	**(4.91)**	**(98.00)**	**9,467.50**
पिछली अवधि के आंकड़े		**4,989.80**	**1,721.00**	**(5.31)**	**(284.78)**	**6,420.71**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि के मूल्य को शामिल किया गया है क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, कोई हानि नहीं हुई है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.9 (i) के तहत किया गया है।

3.3 अतिदेय परियोजनाओं के पूरा होने का समय या लागत में वृद्धि टिप्पणी संख्या 43.9 (ii) के तहत प्रकट किया गया है।

3.4 सीडब्ल्यूआईपी के बट्टे खाते में डाले जाने के प्रावधान का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 के तहत किया गया है।

टिप्पणी: 4

गैर चालू परिसंपत्तियां-सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
सहायक कंपनी में निवेश टस्को			14.80		7.40
घटाएं: सहायक कंपनी–टस्को द्वारा आबंटित शेयर पूंजी			14.80		7.40
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 5

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए–प्रतिभूत		14.82		17.79	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		8.82		6.99	
कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		21.01		23.04	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		1.63		2.06	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**46.28**		**49.88**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		8.17		8.90	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		2.03	36.08	1.80	39.18
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.03		0.05	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.05**		**0.07**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.04	0.01	0.06
उप-योग			**36.12**		**39.24**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल योग - ऋण			**36.12**		**39.24**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.03		0.05	
ब्याज		0.02		0.02	
कुल योग		**0.05**		**0.07**	
घटाः उचित मूल्यांकन समायोजन		0.01	0.04	0.01	0.06
टिप्पणी: अधिकारियों दवारा देय					
मूलधन		0.16		0.01	
ब्याज		0.02		0.01	
कुल योग		**0.18**		**0.02**	
घटाएंः उचित मूल्यांकन समायोजन		0.03	0.15	0.00	0.02

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

5.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 6

गैर चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां-अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
कर्मचारियों को		0.00		0.01	
अन्य को		0.00	0.00	0.00	0.01
जमा					
अन्य जमा		0.00	0.00	0.00	0.00
कुल योग			**0.00**		**0.01**

6.1 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई अग्रिम प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 7

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			836.8		871.39
कुल			**836.8**		**871.39**

टिप्पणी: 8

गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
जमा कर			43.22		32.49
कुल			**43.22**		**32.49**

टिप्पणी: 9

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			10.20		10.70
उप योग			**10.20**		**10.70**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (903.75 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के लिए)		823.75		858.38	
ii) विभिन्न सरकारी एजेंसियों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन और भुगतान		455.58		423.88	
iii) अन्य		654.06		579.26	
iv) अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		221.52	2,154.91	157.39	2,018.91
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			122.87		123.39
उप योग-पूंजी अग्रिम			**2,032.04**		**1,895.52**
कुल			**2,042.24**		**1,906.22**

टिप्पणी: 10

इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		1.62		1.68	
यांत्रिक एवं विद्युत स्टोर एवं पुर्जे		33.63		28.92	
अन्य (स्टोर और पुर्जे सहित)		3.77		4.44	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		1.92	40.94	0.17	35.21
घटाएं: अन्य स्टोरों के लिए प्रावधान			0.00		0.27
कुल			**40.94**		**34.94**

टिप्पणी: 11

व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
i) **छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)**					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		229.46		448.92	
ऋण हानि		0.00	229.46	67.39	516.31
घटाएं:–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0.00		67.39
ii) **अन्य ऋण (निवल)**					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		321.69		606.56	
ऋण हानि		0.00	321.69	0.00	606.56
iii) **बिल न चुकाने वाले देनदार**			172.57		106.55
कुल			**723.72**		**1,162.03**
11.1 व्यापार प्राप्तियों का अवधिवार विश्लेषण टिप्पणी संख्या 43.10 के तहत प्रदर्शित किया गया है					

टिप्पणी: 12

नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
नकद और नकद समतुल्य					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			90.32		232.29
चेक, ड्राफ्ट			0.01		0.01
कुल			**90.33**		**232.3**

टिप्पणी: 13

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां-ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		6.18		6.54	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		3.16		2.53	
कर्मचारियों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		1.99		1.87	
शोध्य समझे गए–अप्रतिभूत		0.07		0.08	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**11.40**		**11.02**	
घटाएं:– प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.28		1.21	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.47	9.65	0.32	9.49
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.02		0.02	
निदेशकों को ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य समझे गए– अप्रतिभूत		0.00		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप योग			**9.67**		**9.51**
घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**9.59**		**9.43**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		0.02		0.02	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0.04		0.00	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.04**		**0.00**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.04	0.00	0.00

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऐसा कोई भी ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

13.2 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 14

चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां-अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		6.44		6.42	
अन्यों को		0.34	6.78	0.35	6.77
कुल			**6.78**		**6.77**

14.1कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को इस समझ के साथ कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 15

चालू-वित्तीय परिसंपत्तियां-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
जमा					
सुरक्षा जमा राशि		15.19		14.65	
सरकार/न्यायालय के पास जाम		480.16		480.88	
अन्य जमा		0.07	495.42	0.02	495.55
अन्य					
बिल न किया गया राजस्व			353.79		251.02
कुल			**849.21**		**746.57**

15.1 बिल न किए गए राजस्व में 353.79 करोड़ (वसूलनीय 370.27 करोड़ रुपए) और देय 16.48 करोड़ रुपए [पिछली अवधि रुपए 251.02 करोड़ रुपए (वसूलनीय 267.50 करोड़ रुपए और देय 16.48 करोड़ रुपए)] लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों का शेष शामिल है।

टिप्पणी: 16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
जमा कर			60.83		60.81
कुल			**60.83**		**60.81**

टिप्पणी: 17

अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय			31.12		42.44
उपार्जित ब्याज			0.03		0.04
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			0.33		0.23
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.75		1.53
उप-योग			**33.23**		**44.24**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			0.58		0.49
खरीद के लिए			3.74		5.66
अन्य को			19.70		18.37
			24.02		**24.52**
घटाएं: वसूलियों के विविध प्रावधान			14.41		14.41
उप योग-अन्य अग्रिम			**9.61**		**10.11**
कुल			**42.84**		**54.35**

टिप्पणी: 18

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
अथ शेष			169.72		186.22
वर्ष के दौरान निवल संचलन			(71.03)		(16.5)
अंत शेष			**98.69**		**169.72**

18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 42.26 करोड़ रूपये विनिमय दर परिवर्तन के कारण 54.91 करोड़ और कर तथा अन्य 1.52 करोड़ रूपये है।

टिप्पणी: 19

शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
1000/– रुपए प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 52.06 रुपये (पिछले वर्ष 109.85 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर अंतिम लाभांश के रूप में 190.84 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वर्ष के दौरान ₹ 317.36 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए ₹ 197.94 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 1000/– रूपये वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 140.56 रुपये (पिछले वर्ष 135.27 रूपये) प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुल लाभांश 515.30 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

टिप्पणी: 19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर धारकों का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी: 19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
आरंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
जारी किए गए		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2 क. कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रूपये सम मूल्य के हैं। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी: 19.3

प्रमोटरों की शेयरधारिता

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (आरंभ में)	%	शेयरों की संख्या (अंत में)	%	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.000
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.000
कुल		**3,66,58,817**	**100.000**	**3,66,58,817**	**100.000**	

टिप्पणी: 20

अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,526.81		6,189.50
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			128.00		79.50
अन्य व्यापक आय			(15.50)		(17.64)
कुल			**6,639.31**		**6,251.36**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 15.08.2019 के एमसीए अधिसूचना सं.जी.एस.आर 574(ई) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन के वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी: 21

गैर-चालू-वित्तीय देयताएं - उधारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
क. बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला V-प्रतिभूत					
7.39% प्रतिशत की दर से प्रत्येक ₹1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		0.00
^ बांड निर्गम श्रृंखला IV-प्रतिभूत					
7.45% प्रतिशत की दर से प्रत्येक ₹1000000/के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
***** बांड निर्गम श्रृंखला- III - प्रतिभूत**					
7.19% प्रतिशत कर दर से प्रत्येक ₹1000000/– के प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
****बांड निर्गम श्रृंखला-II - प्रतिभूत**					
8.75% प्रतिशत की दर से प्रत्येक ₹1000000/–प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.44		1,574.08

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
***बांड निर्गम श्रृंखला I - प्रतिभूत**					
7.59% प्रतिशत की दर से प्रत्येक ₹1000000/–प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर परिवर्तनीय 10 वर्षीय बांड) (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.33		622.46
कुल (क)			**5,050.40**		**3,796.96**
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण					
******पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) -78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			138.17		230.27
# पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) -78302002 (केएचईपी के लिए)					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			0.00		89.53
# रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी (केएचईपी के लिए) (यूए-जीई-पीएसयू-033-2010-3754)					
(30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			17.52		87.62
******रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमि. (आरईसी)-330001- (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
(सितम्बर, 2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 10.10 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			0.00		95.21
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए)					
पीएनबी (तीन माह की एमसीएलआर पर वर्तमान में 6.75% की ब्याज दर के साथ 30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्ष के भीतर तिमाही किश्तों पर चुकाने योग्य)			281.38		422.66
@@बैंक ऑफ बड़ौदा					
बैंक ऑफ बड़ौदा (वर्तमान में 6.9% की फ्लोटिंग ब्याज दर 1 माह के एमसीएलआर पर पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25% की चुकौती 1 और अगली 20 तिमाही किस्त में 3.75% की चुकौती)			800.15		0.00
कुल (ख)			**1,237.22**		**925.29**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31-मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
ग. अप्रतिभूत **विदेशी मुद्रा ऋण** **(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)** **$ विश्व बैंक ऋण-8078-आईएन (वीपीएचईपी के लिए)**					
(15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक 23 वर्ष के भीतर छमाही किश्त में प्रतिदेय, ब्याज दर @LIBOR. परिवर्तनीय स्प्रेड अर्थात् वर्तमान में 0.96%)			1,001.65		985.06
कुल (ग)			**1,001.65**		**985.06**
कुल (क+ख+ग)			**7,289.27**		**5,707.31**
घटाएं: **चालू परिपक्वता:**					
वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण– प्रतिभूत			372.80		483.28
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			53.83		50.23
उधारियों पर उपार्जित किंतु अदेय ब्याज			208.66		159.58
कुल			**6,653.98**		**5,014.22**

* बांड श्रृंखला I, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्ति पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

** बांड श्रृंखला II, टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड सीरीज III कोटेश्वर एचईपी एवं पाटन एवं द्वारका की पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बॉन्ड सीरीज IV और V, टिहरी में स्थित पंप स्टोरेज प्लांट की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

**** टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियां अर्थात बांध, पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।

दीर्घकालिक ऋण कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत है।

@ मध्यावधि ऋण टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए प्रतिभूत है।

@@ सावधि ऋण, कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समरूप आधार पर शुल्क द्वारा प्रतिभूत है।

$ संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित है।

21.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

21.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से इस समझ के साथ कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

टिप्पणी: 22

गैर चाल-वित्तीय देनदारियां-लीज

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			85.68		13.60
घटाएं: पटटा देयताओं की चालू परिपक्वता–अप्रतिभूत			7.91		4.13
कुल			**77.77**		**9.47**

टिप्पणी: 23

गैर चालू वित्तीय दायित्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण, राशि आदि		206.52		31.26	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		44.12	162.40	3.15	28.11
कुल			**162.40**		**28.11**

टिप्पणी: 24

अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			189.92		197.51
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			582.19		595.87
एमएनआरई से अनुदान					
प्रारंभिक जमा		0.00		0.00	
जोड़ेः वर्ष के दौरान प्राप्त		0.50		0.00	
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग		0.00	0.50	0.00	0.00
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ–प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			44.12		3.15
कुल			**816.73**		**796.53**

टिप्पणी: 25

गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	1 अप्रैल, 2022 के अनुसार	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए			31 मार्च, 2022 के अनुसार
			योग	समायोजन	उपयोग	
I. कर्मचारियों से संबंधित		183.71	3.46	(6.51)	(6.75)	173.91
II. अन्य		6.66	0.13	(4.24)	0.00	2.55
कुल योग		**190.37**	**3.59**	**(10.75)**	**(6.75)**	**176.46**
पिछल अवधि के लिए आंकड़े		**190.85**	**5.47**	**(1.05)**	**(4.90)**	**190.37**

25.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.25 में किया गया हैं।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी: 26

चालू-वित्तीय देयताएं- उधार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋण:					
*भारतीय स्टेट बैंक (90 दिनों के टी बिल दर से जुड़ी फ्लोटिंग ब्याज दर, वर्तमान में@4.5%)			0.00		250.00
****बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/नकद ऋण सुविधा**					
*पंजाब नेशनल बैंक (ओवरड्राफ्ट के लिए 3 माह के एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर–वर्तमान में 6.75% और डब्ल्यूसीडीएल के लिए टीबीएलआर से संबद्ध 4.35% की ब्याज दर)			650.33		0.00
****एचडीएफसी बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर@ 3 माह की रेपो दर + वर्तमान में सीसी सीमा के लिए 6% और डब्ल्यूसीडीएल के लिए 4.35% परिवर्तनीय स्प्रेड)			195.92		0.00
**** बैंक ऑफ बड़ौदा (ओवरनाइट एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 6.5%)			0.10		
*भारतीय स्टेट बैंक (फ्लोटिंग ब्याज दर@3 माह का एमसीएलआर + वर्तमान में सीसी सीमा के लिए 6.80% और डब्ल्यूसीडीएल के लिए 4.35% परिवर्तनीय स्प्रेड)			79.75		0.00
कुल (क)			**926.10**		**250.00**
ख. अप्रतिभूत ऋण:					
एक्सिस बैंक लिमिटेड (रेपो रेट+1% के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 5%			0.00		100.00
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (रेपो रेट+प्रसार के साथ संबद्ध फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 4.45%)			0.00		350.00
कुल (ख)			**0.00**		**450.00**
ग. दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			372.80		483.28
अप्रतिभूत ^			53.83		50.23
कुल (ग)			**426.63**		**533.51**
कुल (क+ख+ग)			**1,352.73**		**1,233.51**

*कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**परियोजना स्थल पर चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और सामग्री सहित टिहरी चरण–1 की परिसंपत्ति और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर दूसरे प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

***कंपनी के संयंत्र–पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**** बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर प्रभार के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की प्रतिभूति @@ के तहत टिप्पणी संख्या 21 में बताई गई है।

^ ब्याज दर के संबंध में विवरण और प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता की चुकौती की शर्तों का उल्लेख टिप्पणी–21 में किया गया है।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या समाधान का कोई मामला नहीं है।

26.3 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधारों का अतिरिक्त प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.14 के तहत किया गया है।

टिप्पणी: 27

चालू-वित्तीय देयताएं-पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
वित्त पटटा देयताओं की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			7.91		4.13
कुल			**7.91**		**4.13**

टिप्पणी: 28

चालू-वित्तीय देयताएं-अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		2.07		0.14	
अन्य के लिए		131.83	133.90	142.95	143.09
संविदाकारी से जमा, प्रतिधारण राशि आदि		273.74		160.44	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		0.00	273.74	0.00	160.44
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
उपार्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		209.32		160.62	
अन्य देयताएं		0.00	209.32	0.00	160.62
कुल			**616.96**		**464.15**

टिप्पणी: 29

अन्य चालू देनदारियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास पर अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			63.91		116.63
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान	858.99		845.31		
घटाएं:–					
मूल्यह्रास की ओर समायोजन		842.75	16.24	826.51	18.80
कुल			**87.75**		**143.03**

टिप्पणी: 30

चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी संख्या	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2022 के अनुसार
I. कार्य		19.51	25.68	(3.36)	(17.30)	24.53
II. कर्मचारियों से संबंधित		302.15	156.55	(6.61)	(140.33)	311.76
III. अन्य		19.99	2.54	(7.77)	(2.41)	12.35
कुल		**341.65**	**184.77**	**(17.74)**	**(160.04)**	**348.64**
पिछली अवधि के लिए आंकड़े		**279.47**	**159.58**	**(7.12)**	**(90.28)**	**341.65**
30.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 43.25 में किया गया है।						
30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों का प्रावधान शामिल है।						

टिप्पणी: 31

चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
आयकर					
अथशेष			0.00		0.00
अवधि के दौरान वृद्धि			207.42		243.05
अवधि के दौरान समायोजन			(7.16)		0.00
अवधि के दौरान उपयोग			(200.26)		(243.05)
अंत शेष			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी: 32

विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 के अनुसार		31 मार्च, 2021 के अनुसार	
अथशेष			550.22		618.63
अवधि के दौरान निवल संचलन			(35.02)		(68.40)
अंतशेष			**515.20**		**550.23**
32.क विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है।					

टिप्पणी: 32.1

निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		172.89		144.13	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान		12.13		9.81	
पेंशन निधि		13.56		8.53	
उपदान		6.59		4.25	
कल्याण		5.46		3.51	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.03	210.66	0.67	170.90
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		0.26		0.13	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		0.83	1.09	0.94	1.07
दर और कर			0.01		0.00
ऊर्जा और ईंधन			10.16		7.78
बीमा			0.15		0.11
संचार			1.62		0.73
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		0.00		0.04	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		0.97		1.06	
अन्य		3.63	4.60	2.58	3.68
यात्रा और वाहन			1.47		0.63
वाहन किराया एवं संचालन			6.76		4.91
सुरक्षा			9.20		11.50
प्रचार और जनसंपर्क			0.49		0.70
अन्य सामान्य व्यय			18.64		9.15
परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि			0.01		0.01
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			12.84		7.70
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.11		14.68
ब्याज अन्य			7.51		3.15
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों, उधारों और अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.29		0.00	
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान		0.00	0.29	0.00	0.00
मूल्यह्रास	2		30.14		24.00
कुल व्यय (क)			**315.75**		**260.70**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.00		0.04	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
कर्मचारियों से		0.74		0.62	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम– प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		0.03		0.67	
अन्य से		0.20	0.97	0.15	1.48
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.06
किराया प्राप्तियां			0.95		0.97
विविध प्राप्तियां			3.83		3.48
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.35		0.00
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			1.55		2.84
कुल प्राप्तियां (ख)			**7.71**		**8.83**
कराधान से पहले निवल व्यय			**308.04**		**251.87**
कराधान के लिए प्रावधान	39				
कराधान सहित निवल व्यय			**308.04**		**251.87**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	41		0.21		0.05
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			75.24		41.99
कुल ईडीसी			**383.07**		**293.81**
घटाएं:-					
सीडब्ल्यूआईपी/परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		362.79		218.57	
अनुमोदनाधीन परियोजनाओं का ईडीसी, जो लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया गया है।		0.00	362.79	0.00	218.57
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेषित शेष			**20.28**		**75.24**

टिप्पणी: 33
सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
विद्युत बिक्री के बदले लाभार्थियों से आय		1,880.62		1,770.33	
जोड़ें					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.60		7.60	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		6.31	1,881.91	3.61	1,774.32
विचलन व्यवस्थापन /संकुचन प्रभार			25.35		21.35
परामर्श आय			14.23		0.34
कुल			**1,921.49**		**1,796.01**

33.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

33.2 टिहरी चरण–1 परियोजना के 12 वर्ष के वाणिज्यिक प्रचालन के पूरा होने के कारण, एडीडी ने पूर्व की आस्थिगत आय को अनुमति दी है और माना गया है और परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात् 28 वर्ष के यथानुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 माननीय सीईआरसी दिनांक 01.01.2016 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट) में लाभार्थियों से 12 मासिक किश्त में कर्मचारियों के वेतन संशोधन के प्रभाव की वसूली, जीएसटी का प्रभाव, न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षा व्यय (सीआईएसएफ) के प्रभाव की वसूली के सापेक्ष ₹ 90.19 करोड़ की वसूली के लिए दिनांक 23.10.2021 को आदेश जारी किया है। उक्त राशि के सापेक्ष ₹ 83.72 करोड़ का विनियामक आस्थगित खाता सृजित किया गया था जिसे अब समायोजित कर लिया गया है।

टिप्पणी: 34

अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (इसमें 417640.00 रुपए (पिछली अवधि 160808.00 रुपए शामिल हैं)		0.44		0.31	
कर्मचारियों से		1.94		2.05	
कर्मचारी ऋण और अग्रिम–प्रभावी ब्याज के कारण समायोजन		2.06		4.93	
अन्य		0.23	4.67	0.38	7.67
मशीन किराया प्रभार			0.06		0.06
किराया प्राप्तियां			1.97		1.73
विविध प्राप्तियां			6.18		7.18
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			73.88		34.38
परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ			0.03		0.01
विलंबित भुगतान अधिभार			225.46		660.94
उचित मूल्य लाभ–प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			1.74		3.05
कुल			**313.99**		**715.02**
घटाएं :					
लाभार्थियों के साथ साझा की गई गैर–टैरिफ आय			0.33		0.20
ईडीसी में अंतरित	32.1		7.71		8.83
कुल			**305.95**		**705.99**

टिप्पणी: 35

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			438.19		471.61
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंश/दान			29.57		29.25
पेंशन निधि			39.12		23.28
उपदान			16.78		17.97
कल्याण व्यय			40.59		12.63
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			2.06		4.93
कुल			**566.31**		**559.67**
घटाएं:–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		210.66		170.9
कुल			**355.65**		**388.77**

टिप्पणी: 36

वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			343.75		226.70
घरेलू ऋणों पर ब्याज			100.25		146.24
विदेशी ऋणों पर ब्याज			9.25		13.57
नकद ऋण पर ब्याज			13.50		36.02
एफईआरवी			18.47		(24.92)
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.00		2.67
ब्याज अन्य			9.05		4.61
कुल			**494.27**		**404.89**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			352.65		219.81
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			7.51		3.15
कुल			**134.11**		**181.93**

टिप्पणी: 37

उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय के लिए किराया		0.35		0.28	
कर्मचारी निवास के लिए किराया		1.59	1.94	2.21	2.49
दर और कर			2.35		3
ऊर्जा और ईंधन			21.41		16.95
बीमा			31.07		29.11
संचार			6.11		3.85
मरम्मत एवं रखरखाव					
संयंत्र एवं मशीनरी		55.16		43.98	
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स की खपत		5.95		4.07	
भवन		22.79		18.41	
अन्य		25.2	109.1	20.74	87.2
यात्रा और वाहन			3.63		1.96
वाहन किराया एवं संचालन			11.23		8.09
सुरक्षा			62.61		54.82
प्रचार और जनसंपर्क			1.52		1.66
अन्य सामान्य व्यय			51.03		33.48
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.32		0.28

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
परिसंपत्ति की बिक्री पर नुकसान			0.36		0.26
सर्वेक्षण और निरीक्षण व्यय			12.84		7.7
अनुसंधान एवं विकास			3.46		4.52
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			8.06		14.62
बट्टे में डाले गए प्रमुख व्यय			0.00		0.40
सीएसआर और सततता विकास गतिविधियों पर व्यय			27.20		23.01
कुल			**354.24**		**293.40**
घटाएंः–					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		67.15		62.65
कुल			**287.09**		**230.75**
37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.21 (i) के तहत किया गया है।					

टिप्पणी: 38

प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
अशोध्य ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान			0.29		0.00
स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान			0.00		0.25
कुल			**0.29**		**0.25**
घटाएंः-					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.29		0.00
कुल			**0.00**		**0.25**
38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण होता है।					

टिप्पणी: 39

कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			189.34		229.6
उप योग			**189.34**		**229.6**
कुल			**189.34**		**229.6**

टिप्पणी: 40

विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			(36.01)		51.90
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			6.29		(9.07)
कुल			**(29.72)**		**42.83**

टिप्पणी: 41

परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुन: मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			1.8		0.28
उप-योग			**1.8**		**0.28**
घटाएं:					
ईडीसी में स्थानांतरित	32.1		0.21		0.05
कुल			**1.59**		**0.23**

42.1 **वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन**

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखितों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) **उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)**

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) **तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) **बाजार जोखिम**

बाजार जोखिम यह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम- यह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल- कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देरी से धन के सममूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 **वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण विलेख है और एफबीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद

उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 **परिसंपत्तियों की क्षति**

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है।

43. **लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:**

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 5724.92 करोड़ रूपये (गत वर्ष 6297.31 करोड़ रूपये) है।

2. **आकस्मिक देयताएं**

राशि ₹ करोड़ में

क.	विवरण	31.03.2022 को	31.03.2021 को
क.	पूंजीगत कार्य	1010.57	860.93
ख.	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	67.99	65.03
ग.	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1235.32	1106.88
घ.	अन्य	2823.21	2789.17
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	शून्य	शून्य
च.	विवादित कर संबंधी मामले	1.72	8.90
छ.	**कुल योग**	**5138.81**	**4830.91**
ज.	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	460.06	460.77

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/ वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 1.17 करोड़ रूपये तथा 3.53 करोड़ रुपये (गत वर्ष 1.72 करोड़ रुपये एवं 3.63 करोड़ रूपये) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार ठेकेदारों से 480.26 करोड़ रुपये (गत वर्ष 191.70 करोड़ रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 0.40 करोड़ रूपये (गत वर्ष 0.16 करोड़ रूपये) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 352.65 करोड़ रुपये और 3.08 करोड़ रूपये (गत वर्ष 219.31 करोड़ रूपये और 3.12 करोड़ रूपये) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, आस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में 12.70 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 16.50 करोड़ रूपये) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कंपनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा है जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी–18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की पकिया अभी चल रही है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरूआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है, इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकार / वन विभाग	नहीं	जुलाई, 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार–परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार –परिसंपत्ति	485.96	309.49	यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	14.28	1.99	सरकारी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹ 49.03 करोड़ का प्रावधान प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम टाइटल डीड के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही अहस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई, 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूपम में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानातंरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	44.429	49.03	सरकारी / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार / यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 18 फ्लैट (गत वर्ष 21 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 0.04 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष 0.05 करोड़ रूपये) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.001 करोड़ रूपये की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेसर्स एचसीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 157.755 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है। जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए विवरण के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2022 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तों के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीध्र पूरा किया जा सके।

8. 65 मेगावाट मलेरी झेलम और 108 मेगावाट झेलम उत्तराखंड के चमोली जिले में तमक पनबिजली परियोजनाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अगस्त 2013 से प्रभावित हो रही थीं, जिसमें एमओईएफ और उत्तराखंड राज्य को अगले आदेश तक उत्तराखंड की किसी भी नई जल विद्युत परियोजना के लिए कोई पर्यावरण या वन मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त तथ्य और परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान मलेरी झेलम और झेलम तमक परियोजनाओं पर किए गए व्यय के संबंध में ₹12.51 करोड़ और ₹ 22.32 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इसे चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया।

9. (i) दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				(कुल ₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**3,175.24**	**1,433.47**	**965.95**	**3,892.84**	**9,467.50**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					
31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	**1,511.96**	**983.91**	**519.72**	**3,405.13**	**6,420.71**
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित					

(ii) 31.03.2022 और 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाना है				(कुल ₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी 1000 (मेगावाट)	**569.61**	**153.20**	**-**	**-**	**722.81**
वीपीएचईपी 444 (मेगावाट)	500.00	500.00	406.00	–	1406.00
31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी 1000 (मेगावाट)	546.22	210.00	112.24	–	868.46
वीपीएचईपी 444 (मेगावाट)	413.30	430.00	425.00	371.77	1640.07

10. दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2022 के अनुसार

₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ई.)					कुल (च) = (ग + घ+ड.)
				6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	669.69	172.57	130.76	143.54	57.59	140.97	4.29	19.98	669.69
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य– क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	54.03	.	.	54.03	.	.	.	.	54.03
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां– जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
कुल	**723.72**	**172.57**	**130.76**	**197.57**	**57.59**	**140.97**	**4.29**	**19.98**	**723.72**

दिनांक 31.03.2021 के अनुसार

₹ करोड़ में

विवरण (क)	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय ड.					कुल (च) = (ग + घ+ड.)
				6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	1,162.04	106.56	168.16	538.07	193.77	131.66	18.76	5.05	1,162.03
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया									
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है									
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट									
कुल	**1,162.04**	**106.56**	**168.16**	**538.07**	**193.77**	**131.66**	**18.76**	**5.05**	**1,162.03**

11. दिनांक 31.03.2022 और 31.03.2021 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेडयूल

31.03.2022 के अनुसार

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
(ii) अन्य	25.19	1.42	0.60	0.12	27.34
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया–अन्य					

31.03.2021 के अनुसार

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया #				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
(ii) अन्य	22.90	1.24	0.11	0.40	24.65
(iii) विवादित बकाया–एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया–अन्य					

12. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेन–देन का विवरणः

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्टक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31.03.2022	31.03.2021	
इम्पीरिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (एएईसीआई0751के)	देय	–	0.01	व्यापार देय
अनंतश्री औद्योगिक सुरक्षा (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (एएपीसीए3824जे)	देय	0.04	.	व्यापार देय

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

14. चालू परिसंपित्तयों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

राशि ₹ करोड़ में

वित्त वर्ष 2021-22	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगितयों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक/ विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
जून–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	329.92	329.59	0.33	यह अंतर विचलन और टीएसएल के लिए देयताओं के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
सितंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	256.58	256.30	0.28	यह अंतर विचलन और टीएसएल के लिए देयताओं के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	163.21	162.58	0.62	यह अंतर विचलन, एफआरएएस और टीएसएल के लिए देयताओं के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	6.55	6.55	.	शून्य
मार्च–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	164.97	164.63	0.34	अंतरटीसीएस और पॉस्को प्राप्तियों के लिए देयता के कारण है, जिसे बाद के चरण में लेखांकित गया है
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	3.42	3.42	–	शून्य

15. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटन ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी/संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी–टस्को लिमिटेड

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *	06.08.2021 से
2	श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)	31.10.2021 तक
3	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	30.04.2021 तक
4	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त)	जारी
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	26.08.2020 से
2	श्री ए. के. गौतम	गैर – कार्यकारी निदेशक	23.04.2020 से
3	श्री टी. वेंकटेश	गैर – कार्यकारी निदेशक	31.01.2022 तक
4	श्री राजपाल	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.04.2021 तक
5	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	21.06.2021 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021 से
2	डॉ. बी. जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	10.11.2021 से
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	जारी
2	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी
सहायक कंपनी-टस्को लिमिटेड			
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष	06.08.2021 से
2	श्री विजय गोयल	अध्यक्ष	01.05.2021 से 05.08.2021 तक
3	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष	30.04.2021 तक
4	श्री जे. बेहेरा	नामिती निदेशक – टीएचडीसीआईएल	जारी
5	श्री भगवंत सिंह खंगारोट	नामिती निदेशक – यूपीएनईडीए	जारी
6	श्री शैलेंद्र सिंह	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जारी
7	श्री के. के. श्रीवास्तव	मुख्य वित्त अधिकारी	जारी
8	श्री एच. बाजपेई	कंपनी सचिव	जारी

(*) 06.08.2021 से निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार और 01.11.2021 से निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार।

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी है, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को संचालित करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों को छोड़कर) –सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 27.20 करोड़ रूपये वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार

नियंत्रक है। इंड एएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.496 प्रतिशत)
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ से संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार का नाम	2021-22	2020-21
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	29.43	26.93
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	24.04	32.32
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ निधि न्यास	4.36	5.83

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 4.30 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 4.63 करोड़ रुपये) है।

(₹ करोड़ में)

क.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रतिपूर्ति			
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	3.67	4.05
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.63	0.58
3	सेवांत लाभ		
4	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल योग	**4.30**	**4.63**

(iii) एक ही सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2022	31.03.2021
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शी सेवा	18.47	27.35
भेल	सर्विस ठेके के साथ उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	255.41	163.65
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	2.37	1.67
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	0.62	0.94
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों की शिफ्टिंग, परामर्श प्रभार पावर लाइन डायवर्जन	84.88	53.79
सीएमपीडीआईएल	परामर्शी	12.14	6.64
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एमटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	0.94	0.50
आरआईटीईएस	परामर्शी सेवाएं	15.48	4.27
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश का भुगतान	378.59	527.25
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अभिदान शुल्क	0.01	-
सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्शी	5.61	1.09
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्शिता – टस्को के लिए डीपीआर	-	1.12
अन्य	विविध	2.34	1.08

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी से)	शून्य	शून्य
टस्को लिमिटेड (सहायक कंपनी से)	शून्य	शून्य
ख ऋण और अग्रिमों के अलावा वसूलनीय राशि		
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.29	0.11
ग माल एवं सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए देय राशि		
एनटीपीसी (टस्को द्वारा)	0.11	0.11

(घ) संबंद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

16. इंड एएस 110 ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 12.09.2020 को यूपीनेडा के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स टस्को लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें टीएचडीसी के पास 74% और यूपीनेडा के पास 26% के रूप में 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। इंड–एएस 110 और कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) का अनुपालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरणय इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण, और लेखाओं के संबंध में टिप्पणी अग्रलिखित शामिल हैं।

17. इंड एएस 112 – अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण – के अनुसार प्रकटीकरण

क) मैसर्स टस्को लिमिटेड, टीएचडीसी की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीएनईडीए के साथ 74:26 (कंपनी एवं यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश भी इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

ख) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनी के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स टस्को लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशि अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है:

संक्षिप्त तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टस्को लिमिटेड	
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	2.62	7.24
चालू देयताएं	6.55	4.26
निवल चालू परिसंपत्तियां/(देयताएं)	(3.93)	2.99
गैर–चालू परिसंपत्तियां	70.92	7.03
गैर–चालू देयताएं	48.28	0.28
निवल परिसंपत्तियां	18.71	9.74
संचयी एनसीआई	4.86	2.53

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष-2021-22	वित्तीय वर्ष-2020-21
कुल आय	0.10	0.08
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(1.03)	(0.26)
अन्य विस्तृत आय/(व्यय)		-
एनसीआई को आबंटित लाभ/(हानि)	(0.27)	(0.07)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	-	-

निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह का संक्षिप्त विवरण

विवरण	टस्को लिमिटेड	
	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
प्रचालन गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(2.90)	3.82
निवेश गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(63.43)	(6.95)
वित्तपोषण गतिविधियों से /(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	61.67	10.34
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	(4.66)	7.22

(ग) महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे

जब तक यूपीएनईडीए के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारित 51% से कम हो जाए।

(घ) सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन –

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्वामित्व हित		माइनोरिटी हित		कुल	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार	7.21	0	2.53	0	9.74	
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	7.40		2.60		10.00	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर	(0.76)		(0.27)		(1.03)	
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार	13.85	0	4.86	0	18.71	

18. इंड एएस 33 – 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार है:

	2021-22	2020-21
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (₹ करोड़)	923.73	1049.39
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (₹ करोड)	894.01	1092.22
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 36658817	बेसिक : 36658817
	तनुकृतः 36658817	तनुकृतः 36658817
प्रति शेयर आय रूपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं।		
₹ बेसिक	251.98	286.26
₹ तनुकृत	251.98	286.26
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है		
₹ बेसिक	243.88	297.94
₹ तनुकृत	243.88	297.94
प्रति शेयर अंकित मूल्य रूपये	₹1000	₹ 1000

19. **(क) आय कर व्यय**

(i) **लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर**

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	183.05	238.66
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		0.00
विनियामक आस्थगित लेखा शेष से संबंधित (क)	6.29	(9.06)
कुल चालू कर व्यय (ख)	189.34	229.60

(ख) **भविष्य में कपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।**

(i) भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2022 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 487.72 करोड़ रूपये (31 मार्च, 2021–580.97 करोड़ रूपये) है।

(ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड ए एस 12 आयकर के अनुसरण में 34.59 करोड़ रूपये की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 68.32 करोड़ रूपये) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

20. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

21. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

क. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% के बराबर ₹ 26.23 (विगत वर्ष ₹ 23.01 करोड़) की निर्धारित राशि के सापेक्ष चालू वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए ₹ 27.20 करोड़ (विगत वर्ष ₹23.01 करोड़) की राशि खर्च की है, जो निर्धारित राशि से ₹0.97 करोड़ अधिक है और इस अतिरिक्त व्यय को धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत व्यय करने की आवश्यकता के सापेक्ष तत्काल अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2024–25 तक समायोजित किया जाएगा।

ख. वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान व्यय की प्रकृति (पूंजी या राजस्व) के साथ नकद और नकद में अभी तक भुगतान किए जाने वाले व्यय का विवरण निम्नानुसार है –

₹ करोड़ में

		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	कुल योग
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण			
(ii)	क्रम सं (i) के अलावा, अन्य प्रयोजन के लिए	27.20	0.00	27.20

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्व को पूरा करने के लिए सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सेवा–टीएचडीसी, जो कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ–निरपेक्ष सोसायटी है, के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय-शीर्ष	करोड़ रुपए में
1	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	6.13
2	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	10.09
3	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.25
4	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.68
5	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	2.21
6	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के लाभ के लिए उपाय	0.10
7	खेलकूद का संवर्धन	0.32
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	4.05
9	अनुसूचित जाति का कल्याण	0.00
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.03
11	आपदाएं	0.60
	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	0.74
	कुलयोग	**27.20**

ii अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटनः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 3.46 करोड़ रूपये (राजस्व–3.46 करोड़ रूपये) गत वर्ष 4.52 करोड़ रूपये (राजस्व–4.52 करोड़ रूपये) व्यय किए हैं।

22. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2022 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

₹ करोड़ में

	2021-22	2020-21
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	2.67	0.56
ii) उस पर ब्याज		0.00
ख एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि		0.00
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।		0.00
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका		0.00
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।		0.00

23. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनो के प्रभाव

क्र. सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/टिप्पणी
1.	नीति संख्या 4.1, 4.2 और 4.3 को शामिल कर नीति संख्या 4 – कोयला खानों पर विकास व्यय को संशोधित किया गया है	नीति को प्रकटीकरण में सुधार करने और अमेलिया कोयला खानों में शुरू होने वाली खनन गतिविधियों पर विचार करने और नीति को होल्डिंग कंपनी की नीति के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

24. एएस 116 'पट्टे' के अनुसार प्रकटन

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

i. कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती है जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

ii. निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	13.59	15.88
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	74.36	2.10
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	7.32	1.56
–पट्टा देयताओं का भुगतान	9.59	5.94
अंत शेष	85.68	13.60
चालू	7.91	4.13
गैर–चालू	77.77	9.47

iii. पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
3 माह या कम	2.76	1.15
3–12 माह	8.31	3.48
1–2 वर्ष	12.31	5.36
2–5 वर्ष	24.27	2.17
5 वर्ष से अधिक	178.01	7.22
पट्टा देयताएं	225.84	19.38

iv. निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	18.49	17.24
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	7.32	1.56
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	1.94	2.49

v. निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	9.59	5.94
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	1.94	2.49

25. **इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:**

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों के वर्तमान मूल्य के रूप में 25.56 करोड़ रूपये (गत वर्ष शून्य) योजनागत परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य से 25.56 करोड़ रूपये (गत वर्ष योजनागत परिसंपत्तियों का अंकित मूल्य के रूप में 0.21 करोड़ रूपए दायित्वों के वर्तमान मूल्य से अधिक रहा) अधिक हो गया, इसे बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हकदार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 5.91 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 4.29 रूपये) को बही में दर्ज किया गया है क्योंकि दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से 5.91 करोड़ रूपये (विगत वर्ष 4.29 करोड़ रूपये) अधिक है।

(V) **अन्य (असबाब/ एलएसए/एफबीएस) योजनाएं:**

सेवानिवृत्ति की अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2022 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:–

विवरण	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2006–08)	आईएएलएम (2006–08)
छूट की दर	7.00%	6.75%	6.75%	7.75%	7.60%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	8.00%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोजर) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) **वेतन वृद्धि**-वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) **निवेश जोखिम**- यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) **छूट दर**- उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) **मृत्यु और विकलांगता**- मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ङ) **आहरण**- वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी-2: दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	189.99 {191.01}	66.18 {56.07}	116.13 {109.06}	87.30 {79.85}	14.29 {12.63}
ब्याज लागत	12.82 {12.89}	4.47 {3.78}	7.84 {7.36}	5.89 {5.39}	0.96 {0.85}
पिछली सेवा की लागत					0.00 {1.18}
वर्तमान सेवा लागत	3.95 {5.08}	13.66 {13.38}	4.23 {4.69}	2.61 {2.56}	1.13 {1.15}
लाभ का भुगतान	(20.49) {(17.94)}	(15.59) {(13.31)}	(6.34) {(4.11)}	(4.71) {(3.42)}	(2.34) {(1.33)}
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.89) {(1.05)}	8.15 {6.26}	(3.21) {(0.88)}	4.42 {2.93}	0.22 {(0.20)}
वर्ष के अंत में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}

सारणी-3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	95.51 {87.30}	14.26 {14.29}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	89.61 {83.01}	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता/प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	89.61 {83.01}	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता/प्रावधान	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	5.91 {4.29}	14.26 {14.29}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ/हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	183.38 {189.99}	76.88 {66.18}	118.64 {116.13}	5.91 {4.29}	14.26 {14.29}

सारणी-4 लाभ और हानि, ओसीआई/ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता/ सेवानिवृत्ति एवार्ड/ एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	3.95 {5.08}	13.66 {13.38}	4.23 {4.69}	2.61 {2.56}	1.13 {1.15}
सेवा उपरांत लागत	-	-	-	-	0.00 {1.18}
ब्याज लागत	12.82 {12.89}	4.47 {3.78}	7.83 {7.36}	- {0.39}	0.96 {0.85}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.89) {(1.05)}	8.15 {6.26}	(3.21) {(0.88)}	4.42 {2.93}	0.22 {(0.20)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि/ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.77 {17.97}	26.28 {23.42}	8.85 {11.18}	2.61 {2.95}	2.09 {3.19}

सारणी-5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)		पीआरएमबी		अन्य	
	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21	31.03.22	31.03.21
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(4.62)	(5.09)	(2.27)	(2.09)	(3.00)	(3.20)	(12.32)	(10.17)	(0.36)	(0.38)
0.50% की कमी	4.86	5.36	2.41	2.23	3.14	3.37	12.54	10.34	0.37	0.39
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	1.02	1.24	2.41	2.22	3.14	3.36	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की कमी	(1.09)	(1.34)	(2.29)	(2.10)	(3.02)	(3.22)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत/समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	12.62	10.37	0.16	0.18
0.50% की कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(12.38)	(10.21)	(0.16)	(0.17)

अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

उपदान	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	183.38	189.99	191.01	178.93	174.87
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)
बीमांकिक (लाभ)/हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	(2.89)	(1.05)	8.74	(0.12)	(7.85)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.77	17.97	19.68	19.35	19.59

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	76.88	66.18	56.07	43.04	27.72
बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.15	6.26	11.60	11.38	4.52
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	26.28	23.42	27.71	25.85	10.03

अर्द्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	118.64	116.13	109.06	98.83	88.81
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.21)	(0.88)	0.83	1.78	(46.16)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	8.85	11.18	13.00	12.79	(32.84)

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	95.51	87.30	79.85	70.02	62.70
अमान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	3.29	1.34	2.76	3.85	1.22
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.61	2.95	3.07	6.94	6.44

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.26	14.29	12.63	12.43	8.92
बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)	(0.28)
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.22	(0.20)	0.43	(0.29)	(0.28)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2.09	3.19	2.14	5.16	1.38

26. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 पुनरीक्षित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

27. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(₹ करोड़ में)

क.	विवरण	2021-22	2020-21
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क*	0.17	0.17
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.07	0.06
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.03

लेखापरीक्षकों को भुगतान में 0.01 करोड़ रूपये (पिछले वर्ष से संबंधित 0.02 करोड़ रूपये) शामिल हैं।
*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

क.	विवरण	2021-22			2020-21		
		टीएचडीसी	टस्को	कुल	टीएचडीसी	टस्को	कुल
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.02	0.17	0.15	0.02	0.17
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.07	0.00	0.07	0.06	0.00	0.06
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.00	0.05	0.03	0.00	0.03
	कुल (₹ लाख में)	0.30	0.02	0.32	0.27	0.02	0.29

28. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2022	31.03.2021
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	90.33	232.30
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	13		0.00
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष, एसटीएल सहित	26	926.10	0.00
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(835.77)	232.30

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन–पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय-गतिविधियों से नकद प्रवाह 2021-22	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88		3665.88		
गैर नियंत्रित ब्याज	2.53	2.33	4.86	2.33	
गैर–चालू उधारियां (बांड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	5014.22	1639.76	6653.98	1639.76	**वृद्धि-** बांड –₹ 1200.00 करोड, सावधि ऋण (बीओबी) ₹ 675.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹ 12.96 करोड़, **चुकौती -** सावधि ऋण– ₹ 107.80 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹ 140.40 करोड़
उधारियां–चालू	1233.51	(806.88)	426.63	(806.88)	**वृद्धि-**, सावधि ऋण (बीओबी) ₹125.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹3.61 करोड़, **चुकौती -** एसटीएल (एसबीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक) ₹ 700.00 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी/पीएफसी) ₹ 235.49 करोड़ .
पट्टा देयताएं	13.59	72.09	85.68	72.09	पट्टा देयता में निवल वृद्धि ₹ 72.09 करोड़।
ऋणों पर अग्रिम भुगतान की गई वित्तीय लागत घटा पूंजीकृत–सीडब्लयूआईपी		494.27 (360.16)		(134.11)	लाभ एवं हानि के विवरण में प्रभारित
अनुदान		0.50		0.50	
विलंबित भुगतान अधिभार		225.46		225.46	अन्य आय
भुगतान किया गया लाभांश		(508.20)		(508.20)	लाभांश का भुगतान
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				490.95	

29. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

समूह में शामिल संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति-कुल देयताएं		समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	(₹ करोड़ में)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2022	99.95%	10305.20	100.03%	894.01	100%	2.14	100.05%	896.15
31 मार्च, 2021	99.97%	9917.24	100.01%	1092.22	100%	0.31	100.01%	1092.53
सहायक कंपनी								
टस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2022	0.05%	4.86	(0.03%)	(0.26)			(0.05%)	(0.26)
31 मार्च, 2021	0.026%	2.53	(0.01%)	(0.07)			(0.01%)	(0.07)
कुल								
31 मार्च, 2022	100%	10310.06	100%	893.75	100%	2.14	100%	895.89
31 मार्च, 2021	100%	9919.77	100%	1092.15	100%	0.31	100%	1092.46

30. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–
(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहेरा)**	**(आर. के. विश्नोई)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 26692	डीआईएनः 08536589	डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

फार्म एओसी-I

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं युक्त विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम, 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग ''क'': सहायक कंपनियां

₹ करोड़ में

1	सहायक कंपनी का नाम	टस्को लिमिटेड
2	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*
3	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2021 – 31.03.2022) के समान
4	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	20.00
6	आरक्षित एवं अधिशेष/(संचयी हानि)	(1.29)
7	कुल परिसंपत्तियां	73.54
8	कुल देयताएं	54.83
9	निवेश	0.00
10	टर्नओवर / अन्य आय	0.10
11	कुल व्यय	1.56
12	कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	(1.46)
13	कराधान के लिए प्रावधान	0.43
14	कराधान पश्चात लाभ/(हानि)	(1.03)
15	प्रस्तावित लाभांश	0.00
16	शेयरधारिता का %	0.74

(* निगमन की तारीख)

भाग ''ख'': सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्याः 26692

ह0/–
(जे. बेहेरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएनः 08536589

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः ऋषिकेश

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस. एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्य संख्याः 014335

दिनांकः 13.05.2022
स्थानः लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड ए एस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ–साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखा परीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है:

क.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड ए एस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। – ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। – सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2.	**आकास्मिक देयताएं** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन का निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में धारक कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैः –लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। –प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। –विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेजों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। –प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। –जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। –प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से धारक कंपनी की वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1244.095 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इस भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इसके अंतिरिक्त उपरोक्त भूमि में से वित्त वर्ष 2020–21 में 49.03 करोड़ रु. की मानी गई सिविल सोयम भूमि का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन हो गया है।

(ग) चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाए गए शेष सहित व्यापार/अन्य प्राप्य राशियों के शेषों के संबंध में समेंकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.26 (क) पुष्टि और समाधान के अध्यधीन हैं। वित्तीय विवरणों में पुष्टि और समाधान प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकने वाले समायोजन, यदि कोई हो, के प्रभाव शामिल नहीं हैं।।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित किए गए सहायक कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, 73.54 करोड़ रूपये की कुल परिसंपत्ति 0.10 करोड़ रूपये का कुल राजस्व और 2.56 करोड़ रूपये की राशि का निवल नकदी प्रवाह, जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, उनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और जहां तक सहायक कंपनी का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथाउल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।

इस मामले पर हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम किसी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और हमारी लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और, यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

समूह में शामिल सभी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हमने लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमनेः

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ–साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड.) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक''क''** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है–समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. समूह का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv क. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थ'') सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा,

ख. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनी के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं (''फंडिग पार्टी'') सहित संस्था (संस्थाओं) से कोई भी निधि को अग्रिम या उधार नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा,

ग. हमारे और सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है।

अ. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

(क) कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किए गए पिछले वर्ष का अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में हितधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश''/''सीएआरओ'') के पैराग्राफ 3 (xxi) में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके लिए सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

यूडीआईएन: 22014335 एआईवाईडीजीपी1592

अनुलग्नक ''क''

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग

(31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमने उसी तारीख को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनी (इसमें आगे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित अन्य सहायक कंपनी के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया उनकी रिपोर्ट के 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है, उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अभिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2022 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

धारक कंपनी, जहां तक यह सहायक कंपनी से संबंधित है, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

ह0/–
(सी ए. एस. एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 014335

स्थान: लखनऊ
दिनांक: 13.05.2022

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य अपनी दिनांक 13.05.2022 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और टस्को लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डो के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को इंगित करना चाहता हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैंः

समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

तुलन-पत्र

अन्य चालू देयताएं ₹ 87.75 करोड़ (टिप्पणी 29)

पूंजीगत कार्य-प्रगति पर ₹ 9467.50 करोड़ (टिप्पणी 3)

इंड एएस 37 के पैरा 10 और 23 में वर्तमान दायित्व के आधार पर एक दायित्व को मान्यता देना निर्दिष्ट किया गया है जिसमें उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना भी शामिल है।

कंपनी ने ₹19.53 करोड़ की देयता को अग्रिम राशि के रूप में मान्यता नहीं दी, जिसे कंपनी को कोयला मंत्रालय से खान खोलने की अनुमति, जो कंपनी को दिनांक 15.02.2022 को दी गई थी, देने की तारीख से 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप दोनों, अन्य चालू देयताओं और पूंजीगत कार्य–प्रगति पर प्रत्येक को ₹19.53 करोड़ कम करके दर्शाया गया।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 15.07.2022

(डी.के. शेखर)
महालेखा परीक्षक (ऊर्जा), दिल्ली

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के लिए प्रबंधन का स्पष्टीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन स्पष्टीकरण
समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी **तुलन-पत्र** **अन्य चालू देयताएं ₹ 87.75 करोड़ (टिप्पणी 29)** **पूंजीगत कार्य-प्रगति पर ₹ 9467.50 करोड़ (टिप्पणी 3)** इंड एएस 37 के पैरा 10 और 23 में वर्तमान दायित्व के आधार पर एक दायित्व को मान्यता देना निर्दिष्ट किया गया है जिसमें उस दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना भी शामिल है। कंपनी ने ₹19.53 करोड़ की देयता को अग्रिम राशि के रूप में मान्यता नहीं दी, जिसे कंपनी को कोयला मंत्रालय से खान खोलने की अनुमति, जो कंपनी को दिनांक 15.02.2022 को दी गई थी, देने की तारीख से 15 व्यावसायिक दिनों के भीतर जमा करने की आवश्यकता थी। इसके परिणामस्वरूप दोनों, अन्य चालू देयताओं और पूंजीगत कार्य–प्रगति पर प्रत्येक को ₹19.53 करोड़ कम करके दर्शाया गया।	यह निवेदन है कि कोयला नियंत्रक संगठन, वाणिज्य मंत्रालय ने दिनांक 15.02.2022 को अमेलिया कोयला खदान की खान खोलने की अनुमति दी थी और जिला खनन अधिकारी, सिंगरौली ने दिनांक 13.04.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि टीएचडीसीआईएल द्वारा मध्य प्रदेश के कोषागार के शीर्ष "0853– 00–102–0999 खनन/अन्य प्राप्तियों के लिए रियायत, शुल्क, किराया और रॉयल्टी" में अग्रिम राशि जमा कराई जानी है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिला खनन अधिकारी ने दिनांक 13.04.2022 को अर्थात वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान विवरण प्रदान किया है, इसके लिए देयता का प्रावधान नहीं किया गया है। चूंकि अमेलिया कोयला खदान विकास के चरण में है और किए गए सभी व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में अग्रेणीत किया गया है, इसलिए कंपनी की लाभप्रदता प्रभावित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह निवेदन है कि कंपनी के आकार को देखते हुए विचाराधीन राशि महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी आश्वासन दिया जाता है कि भविष्य में देयताओं का समयोचित प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

टिहरी जलाशय को प्रथम बार एफआरएल (ईएल 830 मी.) तक 29 सितंबर, 2021 को भरा गया
Tehri reservoir was filled up to FRL (EL 830 m), for the first time on 29th September, 2021

भारत 2023 INDIA

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

Schedule-A Mini Ratna PSU
CIN : U45203UR1988GOI009822
कारपोरेट कार्यालय: गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाई-पास रोड, ऋषिकेश-249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, By-Pass Road, Rishikesh - 249201
वेबसाईट/Website : www.thdc.co.in